29वां वार्षिक प्रतिवेदन
29 ANNUAL REPORT
2020 - 2021

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

29th

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2020 - 2021

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन
A Photo feature reaping the benefits of NBCFDC Schemes

सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित त्रिपुरा का लाभार्थी।
Beneficiary of Tripura financed under NBCFDC 'General Loan Scheme'

महिला समृद्धि योजना
Mahila Samridhi Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित केरल की लाभार्थी।
Beneficiary of Kerala financed under NBCFDC Special Scheme 'Mahila Samriddhi Yojana'

सूक्ष्म वित्त योजना
Micro Finance Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सूक्ष्म वित्त योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित तेलंगना की लाभार्थी
Beneficiary of Telangana financed under NBCFDC 'Micro Finance Scheme'

नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' के अन्तर्गत वित्त पोषित पंजाब की लाभार्थी।
Beneficiary of Punjab financed under NBCFDC Special Scheme 'New Swarnima Scheme'

शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'शैक्षिक ऋण योजना' के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु वित्त पोषित गुजरात का लाभार्थी।
Beneficiary of Gujrat. financed for higher Education under NBCFDC 'Education Loan Scheme'

एनबीसीएफडीसी का 29वां स्थापना दिवस
29th Raising Day of NBCFDC

29वां स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा गरीब महिलाओं को कंबल वितरण।
29th Raising Day celebrated by distributing blankets to poor women by Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.

एनबीसीएफडीसी के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी, गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम द्वारा खुले में रहने वाले लोगों को कंबल वितरित करते हुए।
Social Welfare Officer, Gujarat Thakor and Koli Vikas Nigam distributing blankets to people living in the open on 29th Raising Day of NBCFDC.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाईनेंस कॉरपोरेशन द्वारा स्कूली बच्चों को स्वेटर एवं स्कूल किट वितरण किए गए।
Sweater and school kits were distributed to school children on behalf of 29th Raising Day of NBCFDC by Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation.

केरल बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यौनकर्मियों, एचआईवी अनाथों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए चिल्ला अन्नानिया पालन गृह में एनबीसीएफडीसी के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजन
29th Raising day of NBCFDC celebrated at Chilla Anannia - a foster home for children of sex workers, HIV orphan and children-in-conflict with law by Kerala State Backward Classes Development Corporation

लक्षित वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development Programmes for Target Group

आईएचआरडी केरल द्वारा कोझीकोड में
लेखा कार्यकारी जॉब रोल प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training programme in Accounts Executive
job role at Kozhikode by IHRD Kerala

ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज द्वारा
सहायक इलेक्ट्रीशियन में जॉब रोल प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training Programme in Assistant Electrician
job role by OP Jindal Community College

हिमकॉन द्वारा मोगा में सिलाई मशीन ऑपरेटर में
जॉब रोल प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training programme in Sewing Machine Operator
job role in Moga by HIMCON

टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी द्वारा गुवाहाटी में
सीएनसी टर्निंग जॉब रोल में सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training programme in Certificate Course in
CNC Turning job role at Guwahati by
Tool Room and Training Centre Guwahati

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
Technology Upgradation Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने आईआईसीटी, श्रीनगर के सहयोग से जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में कालीन बुनाई का एक समूह विकसित किया है।

NBCFDC has developed a cluster of Carpet weaving in the Distt of Anantnag, Jammu & Kashmir in collaboration with IICT, Srinagar

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने आईआईई, असम के सहयोग से प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के तहत असम के धेमाजी और शिवसागर में बुनकर कारीगरों को लकड़ी के फ्रेम–करघे प्रदान किए।

NBCFDC provided wooden frame-looms to weaving Artisans at Dhemaji & Shivsagar of Assam under Technology Upgradation Scheme in collaboration with IIE, Assam

निम्समे, हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से मैसूर क्लस्टर, कर्नाटक में रोज वुड इनले क्राफ्ट में कारीगरों को ईडीपी प्रशिक्षण दिया गया।

EDP Training was imparted to artisans in Rose Wood Inlay Craft at Mysore Cluster, Karnataka with technical support of Ni-MSME, Hyderabad

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की क्लस्टर योजना के प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत नलबाड़ी जिला, असम में आर्टफेड द्वारा हथकरघा बुनकरों के लिए डिजाइन विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

Design Development Training was imparted for handloom weavers by ARTFED at Nalbari Distt., Assam under NBCFDC's Technology Upgradation of Cluster Scheme

सीएसआर और जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहल
Initiatives under CSR and Awareness Programme

असम अपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. द्वारा डिब्रूगढ़, असम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd. at Dibrugarh, Assam.

पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कॉरपोरेशन द्वारा लुधियाना, पंजाब में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Punjab Backward Classes Land Development Corporation Weavers & at Ludhiana, Punjab.

एनबीसीएफडीसी सीएसआर से निर्मित अपने वीओ पार्टनर हसीरू डाला के माध्यम से बेंगलुरु, कर्नाटक के नयादहल्ली क्षेत्र में 500 अति कमजोर कचरा बीनने वाले परिवारों को राशन किट का वितरण।

NBCFDC as part of its CSR funded distribution of Ration Kits to 500 most vulnerable waste pickers families in Nayadahalli area of Banglore, Karnataka through our VO partner Hasiru Dala.

एनबीसीएफडीसी ने अपने सीएसआर हस्तक्षेप के एक हिस्से के रूप में ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के कुंभुका गांव में बाढ़ से प्रभावित गरीब परिवारों को 03.10.2020 को राशन किट वितरित की। हेल्पएज इंडिया इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

NBCFDC distributed ration kits on 3.10.2020 to poor families affected by floods of Kumbhuka village Jajpur district in the State of Odisha as a part of our CSR intervention. HelpAge India is implementing the project.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
National Backward Classes Finance and Development Corporation

वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि
Yearwise Cumulative Utilization & Recovery Amount

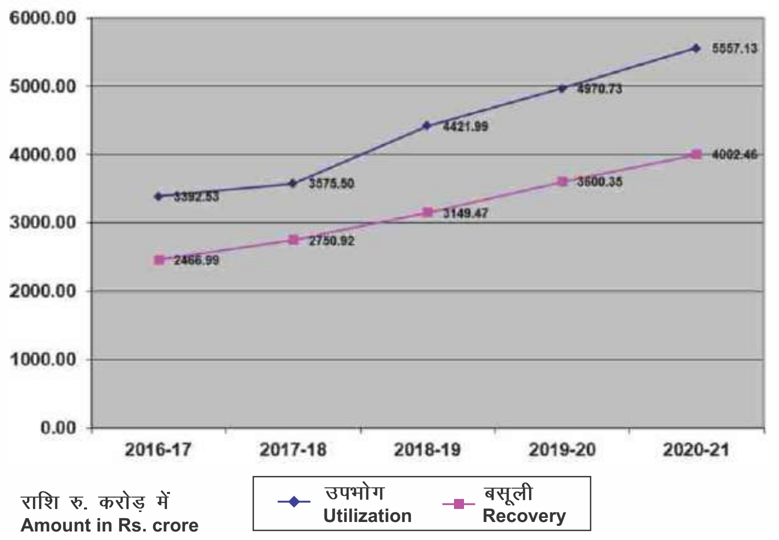

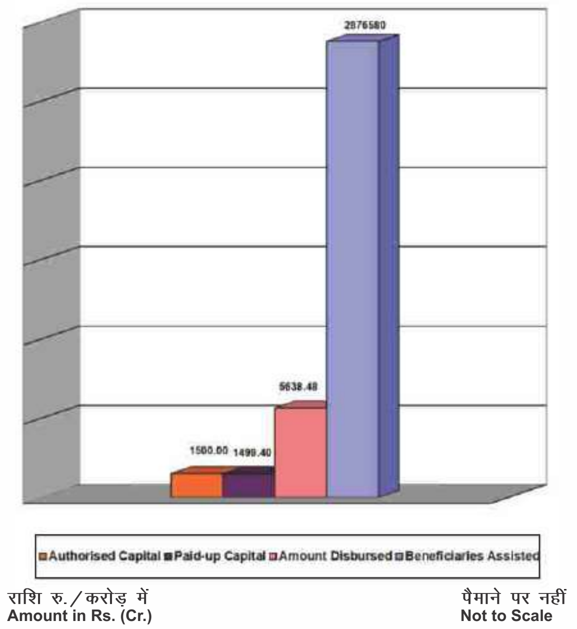

31.03.2021 तक अधिकृत अंश पूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।
Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2021

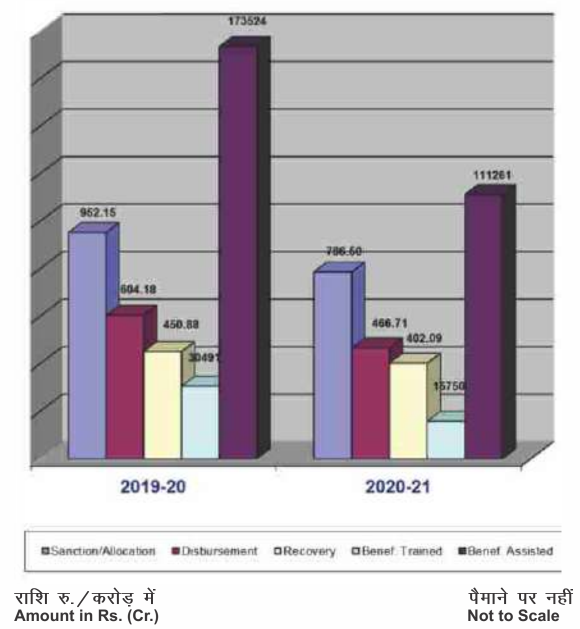

वर्ष 2019–2020 एवं 2020–21 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।
Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2019-2020 & 2020-21.

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
Rajbhasha Hindi Activities

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति द्वारा दिनाँक 10.07.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भाग लेते हुए संसदीय समिति के माननीय सदस्य गण, संसदीय राजभाषा समिति कार्यालय के अधिकारीगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रा.भा. एवं प्रशा.), सहायक निदेशक व निगम की ओर से श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, श्री वी.आर.चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.सं.) एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी द्वारा भाग लिया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में दिनाँक 15 मार्च, 2021 को राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पांच उपक्रमों ने संयुक्त रूप से किया गया। इस सम्मेलन में डॉ० सुमीत जैरथ, तत्कालीन सचिव (रा.भा.), गृह मत्रालय, भारत सरकार, श्री के. नारायण, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ. डी.सी., अन्य निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा नराकास के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा भाग लिया गया।

निगम द्वारा दिनाँक 14 सितम्बर को आयोजित ''हिन्दी दिवस'' के अवसर पर भाग लेते हुए श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, श्री वी. आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.सं.), श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबंधक (परि.), श्री अजित कुमार सामल, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (वित्त), श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी, श्री सुजय पी. जॉन, मुख्य प्रबंधक (प्रशा.), श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (रा.भा.) एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कार्मिक–गण।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 28.06.2021 को निगम का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों को मोमेण्टो प्रदान करते हुए श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी व श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (रा.भा.), एन.बी.सी.एफ.डी.सी.।

निगम द्वारा अपने कार्मिकों हेतु आयोजित ''हिन्दी कार्यशाला'' में भाग लेते हुए श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी, श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (रा.भा.) एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कार्मिक–गण।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

श्री रजनीश कुमार जैनव
प्रबन्ध निदेशक
Shri Rajnish Kumar Jenaw
Managing Director

श्री संजय पाण्डे
सं. सचिव एवं वि. सलाहकार
सा. न्याय और अ. म., भा. स., निदेशक
Shri Sanjay Pandey
JS & FA, SJ&E, GOI,
Director

श्री प्रवीर कृष्ण
प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड,
निदेशक
Shri Pravir Krishna
MD, TRIFED, Director

डॉ. सुभ्रांशू शेखर आचार्य
म. प्र., सिडबी, निदेशक
Dr. Subhransu Sekhar Acharya
GM, SIDBI, Director

श्री आर. वी. रामाकृष्ण
म. प्र., नाबार्ड, निदेशक
Shri R. V. Ramakrishna
GM, NABARD, Director

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री रजनीश कुमार जैनव प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नई दिल्ली	**Sh. Rajnish Kumar Jenaw** Managing Director, NBCFDC New Delhi
श्री संजय पाण्डे संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	**Shri Sanjay Pandey** Joint Secretary & FA, Ministry of SJ&E, Govt. of India,
श्री प्रवीर कृष्ण प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड, नई दिल्ली	**Shri Pravir Krishna** Managing Director,TRIFED New Delhi
डॉ० सुभ्रांशू शेखर आयार्य महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली	**Dr. Subhransu Sekhar Acharya** GM, SIDBI, New Delhi
श्री आर. वी. रामाकृष्ण महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली	**Shri R. V. Ramakrishna** GM, NABARD, Delhi

प्रबन्ध निदेशक / Managing Director	: **श्री रजनीश कुमार जैनव**	**Sh. Rajnish Kumar Jenaw**
महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव / GM (Fin.) & Company Secretary	: **श्री अजित कुमार सामल**	**Sh. Ajit Kumar Samal**
लेखा परीक्षक / Auditors	: **मेसर्स एम. ए. पी. एण्ड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउंटेंट, दिल्ली–110092	**M/s MAP & Associates** Chartered Accountants, Delhi-110092
मुख बैंकर्स / Principal Bankers	: • केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली • आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली • एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Bank of Baroda, New Delhi • IDFC FIRST Bank, New Delhi • HDFC Bank, New Delhi

Letter to the Shareholders

LADIES & GENTLEMEN,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I extend a very warm welcome to all of you to the 29th Annual Report of the Corporation.

I am indeed privileged to working towards the objective to promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and to assist the poorer section of these classes in skill development and self-employment ventures. Your Corporation provides financial assistance through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/ Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.

During the financial year 2020-21, your Corporation received equity support of Rs. 55.40 crores from the Ministry of SJ&E thereby enhancing paid-up share capital from Rs. 1444.00 crores to Rs. 1499.40 crores as on March 31, 2021.

Against above, during the year with the collective efforts made by all the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has disbursed Rs.466.70 crores which translates into decrease of 22.75% which is mainly due to non-availability of Share Capital and outbreak of COVID 19 pandemic. The Corporation registered a turnover of Rs.57.94 Crores as against Rs.50.22 Crores during previous year. During the year, the Operating income of the Corporation has increased from Rs.47.50 crores to Rs. 55.61 cores. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 2036.31 crores as compared Rs. 1947.45 crores as on 31.03.2020.

NBCFDC has been consistently increasing its outreach to the beneficiaries and so far has assisted over 28.77 lakh beneficiaries (appx.) with a loan amount over Rs. 5638.48 crores through SCAs/CPs thereby training around the equity support received from Government by over 3.76 times. SCAs have reported cumulative utilization of 98.56% of funds disbursed to them.

NBCFDC gives adequate attention to recovery of Loan from SCAs. As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 4002.46 Crore as against cumulative dues of the Rs.4082.81 Crore as on 31.03.2021. The cumulative amount of recoveries of Rs. 4002.46 Crore comprises of Rs. 3439.97 Crore as principal and Rs. 562.49 Crore as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stood at 98.03% as on 31st March, 2021. We are diligently following up with the state governments from whom recovery has not been up to the mark.

Last but not least, with a view to incentivize effective and efficient implementation of NBCFDC schemes, your Corporation introduced various progressive initiatives which included the productivity linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme, Technology Up-gradation Scheme and Liberalized One time Settlement (OTS) schemes. I am pleased to share that the Annual Accounts of the Corporation for the year 2020-21 also has been audited by the Comptroller & Auditor General of India.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 15750 beneficiaries under the schemes of Skill Development Training Programme using internal resources, grants from Ministry of SJE and additionally implementing CSR programmes of other CPSEs. These included 9335 fresh skilling & 6415 up-skilling

अंशधारकों को पत्र

देवियों और सज्जनों,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मुझे वास्तव में उसके लिए कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और कौशल विकास व स्वरोजगार उद्यमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। आपका निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के साथ करार का ज्ञापन हस्ताक्षरित कर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में आपके निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इक्विटी सहयोग के रूप में रू. 55.40 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके फलस्वरूप 31.03.2021 को निगम की प्रदत्त अंशपूंजी रू. 1444.00 करोड़ से बढकर रू. 1499.40 करोड़ रूपये हो गई है।

उपरोक्त के सापेक्ष, निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं मागदर्शन के फलस्वरूप आपका निगम कुल रू. 466.70 करोड़ का संवितरण किया है जिससे 22.75% की कमी आई है जिसका प्रमुख कारण है अंश पूंजी की अनुपलब्धता तथा कोविड–19 महामारी का प्रकोप। निगम ने गत् वर्ष के टर्नओवर रू. 50.22 करोड़ की तुलना में रू. 57.94 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया है। वर्ष के दौरान निगम की परिचालन आय रू. 47.50 करोड़ से बढ़कर रू. 55.61 करोड़ हो गई है। सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह के लिए संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2020 की सकल सम्पत्ति रू. 1947.45 करोड की तुलना में आपके निगम रू. 2036.31 करोड़ हो गई है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निरंतर लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बढ़ाता रहा है एवं अब तक एस.सी.ए./चौनल पार्टनर के माध्यम से रू. 5638.48 करोड़ की ऋण राशि से अधिक की संवितरित कर 28.77 लाख से अधिक लाभार्थियों (लगभग) को सहायता उपलब्ध करा चुका है। इस प्रकार से सरकार से प्राप्त अंश सहायता का 3.76 गुणा से अधिक का वितरण किया गया है। एस.सी.ए. द्वारा उनको वितरित धनराशि के 98.56% सकल उपभोग को सूचित किया गया है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋणों की वसूली हेतु पर्याप्त ध्यान देता है। सतत् अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप दिनाँक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार सकल बकाया रू. 4082.81 करोड़ के सापेक्ष रू. 4002.46 करोड़ की वसूली करने में सफल हुआ है। रू. 4002.46 करोड़ की सकल वसूली में रू. 3439.97 करोड़ मूलधन एवं रू. 562.49 करोड़ ब्याज/अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार सकल मांग के सापेक्ष सकल वसूली 98.03% है। हम पूर्ण कर्मठता से उन राज्य सरकारों के साथ अनुश्रवण कर रहे हैं जिनसे वसूली का स्तर ठीक नहीं है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आपके निगम ने विभिन्न प्रगतिशील पहलों की शुरूआत की जिसमें उत्पादकता से संबद्ध अनुदान–सहायता योजना (पी.एल.जी.आई.ए.), प्रोद्योगिकी उन्नयन योजना और उदार एक–मुश्त अदायगी योजना (ओ.टी.एस.) सम्मिलित की हैं। मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निगम के वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है।

विकासात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में, आपके निगम ने आंतरिक संसाधनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों के सी.एस.आर. धनराशियों का उपयोग करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजनाओं के तहत 15750 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इसमें कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) के तत्वावधान में विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल्स (एस.एससी.)

programmes implemented by various government Training Institutions & Sector Skill Councils (SSCs) under the aegis of Ministry of Skill Development Entrepreneurship (MSDE). All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE.

Your Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/channel partners. During the year, due to COVID-19, NBCFDC and its channel partners have organized 17 Awareness Camps in various States. The officials of the Corporation/channel partners also attended the camps & facilitated the target group in understanding the schemes and proposals were invited from Channel Partners for publicity of NBCFDC schemes through Digital Mediums amongst the target group. The Channel Partners of States of Kerala, Himachal Pradesh, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh were sanctioned grant under the Digital Awareness Programme.

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). It is noteworthy that NBCFDC surpassed the minimum statutory targets of CSR spending by cumulatively spending Rs. 4.93 crore as against the minimum Rs. 3.64 crore as at end of the year. In addition to own CSR activities, the Corporation also mobilized CSR funds of Rs.44.13 lakhs from other PSUs namely CONCOR and CONCOR Air Ltd. The funds were used for Covid-relief work for providing ration/food assistance to more than 38,000 poor (including Transgender persons) in Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan.

NBCFDC also undertook other CSR activities in various parts of the country for holistic development of students, providing clean drinking water, providing emergency flood relief support in Assam, Odisha etc.

You Corporation ensures all the payments be made through e-transfer to the SCAs/Vendors/employees etc. NBCFDC has also advised to its Channel Partners to make all the payments strictly through e-transfer to the Aadhaar Seeded Bank Accounts of the beneficiaries. NBCFDC has also directed to all its Channel Partners to submit the details of DBT in "cash" basis and in "Kind" basis in the prescribed format.

Your Corporation has developed & implemented "Loan and Employee Information Automation Project (LEAP)" for transparent & hitch free monitoring of loan disbursal, recoveries and employee compensations. The project aims to automate the Loan and HR Management activities and also facilitates maintenance of information pertaining to grants given to Training Institutes/ Sector Skill Councils. It will cater on-line to all activities involved in financing of projects including annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs/CPs.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the Members of the Board from time to time. I will also like to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, SCAs, State Governments, Statutory as well as Internal Auditors of the Corporation, officials of the C&AG, bankers of the Corporation and above all, employees of the Corporation whose sincere efforts were instrumental in achieving such result.

I convey my special thanks to all other stakeholders of the Corporation for their valuable support and cooperation and reposing continued confidence in the Corporation's management.

I am confident that with a dedicated and committed resource of employees and valuable support of our esteemed stakeholders, your Corporation will continue to surpass its targets and enhance value to its target group.

With best wishes,

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director

Place: New Delhi
Date : 24.11.2021

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

के तहत 9335 व्यक्तियों को फ्रेस स्किलिंग व 6415 व्यक्तियों को अप–स्किलिंग के कार्यक्रम शामिल थे। जो विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत आने वाले स्किल काउंसिलों द्वारा क्रियान्वित किए गए।

आपके निगम ने अपनी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा लक्ष्य समूह को बैंकों के अधिकारियों/चैनल सहभागियों के साथ सम्पर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता–सह–ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण निगम एवं इसके चैनल सहभागियों ने विभिन्न राज्यों में 17 जागरुकता शिविर आयोजित किए। निगम के अधिकारी/चैनल सहभागियों ने भी शिविरों में भाग लिया और लक्षित समूह को योजनाओं को समझाने में सहायता प्रदान की व लक्षित समूह के बीच डिजिटल माध्यमों से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रचार के लिए चैनल सहभागियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम के तहत केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के चैनल सहभागियों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यों तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एसआर.) के कार्य के रूप में गरीब वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्त पोषित कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने वर्ष की समाप्ति पर रू. 3.64 करोड़ के सापेक्ष रू. 4.93 करोड़ का सकल वितरण कर निगमित सामाजिक दायित्व के सांविधिक न्यूनतम व्यय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है। अपनी सी.एस.आर. कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निगम ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कॉनकॉर एयर लिमिटेड से रू. 44.13 लाख का सी.एस.आर. फंड भी जुटाया। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 38,000 से अधिक गरीबों (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित) को राशन/भोजन सहायता प्रदान करने के लिए कोविड राहत कार्य के लिए धन का उपयोग किया गया।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने छात्रों के समग्र विकास, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, असम, उड़ीसा आदि में आपात बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अन्य सी.एस.आर. कार्यकलापों को भी संचालित किया।

आपका निगम यह सुनिश्चित करता है कि एस.सी.ए./विक्रेताओं/कर्मचारियों आदि को किए जाने वाले भुगतान इलेक्ट्रानिक अंतरण (ई–ट्रंसफर) के माध्यम से किए जाएं। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को भी सलाह दी गई है कि लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में ई–ट्रासंफर के माध्यम से ही भुगतान किए जाएँ। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने अपने सभी चैनल सहभागियों को भी निर्देश दिए हैं कि डी.बी.टी. का विवरण "नकदी" तथा 'वस्तु' आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आपके निगम ने ऋण वितरण, वसूली और कर्मचारी मुआवजे की पारदर्शी और बाधा मुक्त निगरानी के लिए ''ऋण और कर्मचारी सूचना स्वचालन परियोजना (लीप)'' को विकसित और कार्यान्वित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ऋण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों को स्वचालित करना है और प्रशिक्षण संस्थानों/ सेक्टर स्किल काउंसिलों को दिए गए अनुदानों से संबंधित सूचनाओं के रख–रखाव की सुविधा भी प्रदान करना है। यह वार्षिक कार्य योजना सहित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सम्मिलित सभी कार्यकलापों जिसमें एस.सी.ए. द्वारा ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण प्रस्ताव को मंजूरी देना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि जारी करना, एस.सी.ए./चैनल सहभागियों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र/वसूली सम्मिलित है, को ऑन–लाइन सुविधाएं प्रदान करेगा।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय–समय पर दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, निगम के सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों, निगम के बैंकर्स से प्राप्त सहयोग व मार्गदर्शन तथा निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा से किए गए प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ।

मैं निगम के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना मूल्यवान सहयोग एवं सहायता प्रदान की तथा निगम के प्रबंधन में अपना सतत् विश्वास बनाए रखा।

मुझे विश्वास है कि समर्पित और प्रतिबद्ध मानव संसाधन एवं हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान समर्थन के साथ, आपका निगम अपने लक्ष्यों से अधिक कार्य करना जारी रखेगा और अपने लक्षित समूह की उपयोगिता को बढ़ाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

ह०/–

(रजनीश कुमार जैनव)

प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 24.11.2021

टिप्पणी– इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची
Contents

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1-2
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	3-78
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of C&AG of India	79-80
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Report	81-87
5	तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	88
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	89
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	90
8	अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	91
9	टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियाँ Notes and Accounting Policies	92-141

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलंग्नक
Annexures to the Director's Report

अनुलग्नक Annexure	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	चैलन सहभागियों की सूची List of Channel Partners	23-25
2	विस्वास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की सूची List of Lending Institution for VISVAS Yojana Scheme	26
3	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	27
3.1	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2021	28
4	वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक–वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2018-19 to 2020-21	29-31
4.1	वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2020-21	32-33
4.2	वर्ष 2020–21 की अवधि में रा.चै.ए./आर.आर.बी./पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/RRB/PSB/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2020-21	34-35
4.3	वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/सेक्टरवार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या State-wise/Sectorwise disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2020-21	36
4.4	नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing details of Women Beneficiaries assisted under New Swarnima Scheme & Mahila Samridhi Yojana	37
4.5	वर्ष 2020–21 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2020-21	38-40
4.6	वित्तीय वर्ष (2020–21) में चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against Ongoing Projects for the financial year (2020-21)	41-43

अनुलग्नक Annexure	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
4.7	वित्तीय वर्ष 2020–21 में चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर खर्च की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR spent against other than ongoing projects for the financial year 2020-21	44-46
4.8	पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण Details of CSR amount spent in the Financial Year for Ongoing Projects of the preceding financial year(s)	47-48
4.9	वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2020-2021	49-50
5.	31 मार्च, 2021 तक एस.सी.ए./राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2021.	51-53
6.	राज्यवार स्वीकृत एवं वितरण चार्ट 2020–21 State-wise Sanction Disbursement Chart 2020-2021	54-63
7	क) पंजाब राज्य में पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन (बैकफिनको) के लिएं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित क्रेडिट योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन ख) पंजाब राज्य में पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी) के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित क्रेडिट योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन a) Evaluation Study of Credit Schemes of NBCFDC conducted in the State of Punjab for Punjab Backward Classes Land Development & Finance Corporation (BACKFINCO). b) Evaluation Study of Credit Schemes of NBCFDC conducted in the State of Punjab for Punjab Gramin Bank (PGB).	64-72
8.	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रमाण–पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance	73-78

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-29/2021/1435-42 **Date: 11.11.2021**

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Wednesday the 24th Day of November, 2021 at 12.30 PM through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the following businesses. The venue of the meeting shall be deemed to be at the Registered Office of the Company at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

ORDINARY BUSINESS :

Item No. 1 : To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2021, together with reports of the Directors, Auditors’ and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Place : New Delhi

(Ajit Kumar Samal)

Dated : 11.11.2021

GM (F) & Company Secretary

Notes:

1. Pursuant to the General circular numbers 20/2020, 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as “MCA Circulars”) permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM” or “Meeting”) through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”) and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.
2. Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. However, In terms of Rule 19(1) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (corresponding to section 25 of Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his/her proxy unless such other person is also a member of such company. As the Company has only two members, both the members are to attend the AGM to constitute the quorum. Further, since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars on AGM through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.
3. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company on or before 18.11.2021 through email on cs@nbcfdc.gov.in. The same will be replied by the Company suitably.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं. एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.–29/2021/1435–42 **दिनांक: 11.11.2021**

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के अंशधारकों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित व्यवसायों हेतु दिनाँक 24 नवम्बर, 2021, दिन बुधवार को, अपराह्न 12:30 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वी.सी.')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओ.ए.वी.एम.') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय–5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 को माना जाएगा।

सामान्य व्यवसाय:

मद सं.1 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त, विचार एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से,

ह0/–

स्थान: नई दिल्ली **(अजित कुमार सामल)**

दिनाँक: 11.11.2021 म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, 02/2021 (जिन्हें समग्र रूप से "एमसी.ए. परिपत्र" के रूप में माना जाता है) के आधार पर सामान्य स्थल पर सदस्यों की दैहिक उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक ("ए.जी.एस." अथवा "बैठक") का आयोजन वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत की जा रही है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। तथापि, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (1) की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप) की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी का कोई सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी इस कंपनी का सदस्य न हो। चूंकि कंपनी के केवल दो सदस्य हैं, अतः कोरम को पूरा करने के लिए दोनों सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेना है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुपालन में वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत की जा रही है अतः सदस्यों की दैहिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कोरम के उद्देश्य से वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत की जाएगी।
3. वार्षिक सामान्य बैठक में रखे जाने वाले खातों या किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे cs@nbcfdc.gov.in को ई–मेल के माध्यम से 18 नवम्बर, 2021 तक या उससे पहले कंपनी को लिखें। कंपनी द्वारा इसका जवाब उचित रूप से दिया जाएगा।

4. Participating the meeting and accessing the Video conferencing (VC)

   The mechanism of participating in the meeting through video conferencing is as under;

   Web Link: https://nbcfdc.webex.com/nbcfdc/j.php?MTID=m6bbc80c5051a1aed8b146674ec5bce2a

   Meeting number: 2516 506 9919

   Password: 1234

   Join by video system

   Dial 25165069919@nbcfdc.webex.com

5. Steps to join VC meeting

   You can join a meeting from your computer, mobile device, phone, or a video system. Pick the one that works best for you.

a) Open your email invite/VC link.

b) Click Open Webex if you're prompted to do so, otherwise click Launch meeting.

c) Enter your name as you want it to appear in the meeting, check Remember me, and then click Sign in so you can access the full list of meeting features. Or if you just want to join the meeting quickly and don't need access to all the meetings features, click Join as a guest.

d) Enter your email address, check Remember me, and then click Next.

e) Enter the meeting password that's in your email invitation and then click Continue.

f) Click if you want to say hi to everyone when you join.

g) Click if you want to be seen when you join.

h) Click Join Meeting.

i) Those having issues in connecting can contact Mr. Ramesh Yadav (9999811874)

To :

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)
2. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

Copy to:

M/s MAP & Associates Chartered Accountants, 829, Vikas Deep, District Centre, Laxmi Nagar, New Delhi-10092	} } }	With the request to make it convenient to attend the meeting on scheduled date and time as mentioned above.

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 29th Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Wednesday the 24th Day of November, 2021 at 12.30 PM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"). The venue of the meeting shall be deemed to be at Registered Office of the Company at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016:

1.	Sh. Rajnish Kumar Jenaw	Managing Director
2.	Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED	Director
3.	Shri Sanjay Pandey, JS&FA, MOSJE	Director
4.	Dr. Subranshu Sekhar Acharya, GM, SIDBI	Director
5.	Shri R. V. Ramakrishna, GM, NABARD	Director

4. बैठक में भाग लेने और वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी.सी.) तक पहुंच बनाना वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने का तंत्र इस प्रकार है;

   वेब लिंक : https://nbcfdc.webex.com/nbcfdc/j.php?MTID=m6bbc80c5051a1aed8b146674ec5bce2a
   Meeting number: 2516 506 9919
   Password: 1234
   Join by video system
   Dial 25165069919@nbcfdc.webex.com

5. वर्चुअल बैठक में भाग लेने के चरण

   यूनिकोड यहां आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, फ़ोन या वीडियो सिस्टम से बैठक में भाग ले सकते हैं। किसी एक को चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।

   क) अपना ईमेल आमंत्रण / वीसी लिंक खोलें।
   ख) Open Webex पर क्लिक करें, यदि आपको ऐसा करने के लिए कहा जाए अन्यथा मीटिंग लॉन्च पर क्लिक करें।
   ग) अपना वैसा नाम दर्ज करें जैसा आप चाहते हैं कि यह मीटिंग में दिखाई दे, 'Remember me' को चेक करें, और फिर Sign in पर क्लिक करें ताकि आप मीटिंग की विशेषताओं की पूरी सूची तक पहुंच सकें। अथवा, यदि आप मीटिंग में जल्दी से शामिल होना चाहते हैं और सभी मीटिंग विशेषताओं तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है, तो guest पर क्लिक करें।
   घ) अपना ईमेल पता दर्ज करें, 'Remember me' और फिर अगला क्लिक करें।
   ङ.) मीटिंग पासवर्ड दर्ज करें जो आपके ईमेल आमंत्रण में उपलब्ध है और फिर Continue क्लिक करें।
   च) यदि आप सम्मिलित होने पर सभी को 'Hi' कहना चाहते हैं, क्लिक करें ।
   छ) यदि आप सम्मिलित होते समय दिखना चाहते हैं तो संबंधित को क्लिक करें।
   ज) 'Join Meeting' क्लिक करें।
   छ) जुड़ने में समस्या होने पर श्री रमेश यादव (9999811874) से संपर्क करें।

सेवा में :

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपि:

मेसर्स एम.ए.पी. एण्ड एसोसिएट्स	}	इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाए गई तिथि
चार्टर्ड एकाउंटेंट,	}	एवं समय पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।
829, विकास दीप, डिस्ट्रिक सेन्टर, लक्ष्मी नगर,	}	
नई दिल्ली–110092	}	

विशेष आमंत्री

इस अनुरोध के साथ कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की दिनाँक 24 नवम्बर, 2021 को अपराहन 12.30 बजे दिन बुधवार से वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वी.सी.'') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओ.ए.वी.एम.'') के माध्यम से आयोजित होने वाली 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) में भाग लेने का कष्ट करें। बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय– 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 को माना जाएगा:

1.	श्री रजनीश कुमार जैनव	प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदशक, ट्राइफेड	निदेशक
3.	श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक
4.	डॉ. एस. शेखर आचार्य, महाप्रबंधक, सिडबी	निदेशक
5.	श्री आर. वी. रामाकृष्ण, महाप्रबंधक, नाबार्ड	निदेशक

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 29th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2021.

1. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013), with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is less than ₹ 3.00 Lakh through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments /Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC- collectively referred as Channel Partners (CPs) .
- At present, 43 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 26 Banks including 03 Public Sector Banks(PSBs) and 23 Regional Rural Banks(RRBs) can channelize loans under NBCFDC. Additionally, NBCFDC has signed MoA with 18 Lending Institutions for implementation of recently launched Interest Subvention Scheme-VISVAS Yojana (Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ko Aarthik Sahayata Yojana). List of CPs is available at **Annexure-1** (Page No. 23-25).
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is ₹ 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/ technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 29वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं और जो सामूहिक रूप से चैनल पार्टनर कहलाते हैं के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए समय–समय पर पारिभाषित वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार (वर्तमान में रू. 3.00 लाख से कम) आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।
- वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 43 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; 26 बैंकों, जिनमें 03 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बीसीएफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज करते हैं। इसके अतिरिक्त,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने हाल ही में शुरू की गई ब्याज सबवेंशन योजना–विस्वास योजना (वंचित इकाई समूह एवं वर्गो को आर्थिक सहायता योजना) के कार्यान्वयन के लिए 18 ऋण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** (पृष्ठ सं. 23–25) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहभागियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है–

- पिछड़े वर्गों एवं समय–समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल के उन्नयन में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय–समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों/सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्धारित आय और/अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय–समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में रू. 3.00 लाख) के अनुसार चयनित मामलों में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान करना।
- सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी/वोकेशनल शिक्षा या स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is ₹ 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2021 was ₹ 1499.40 Crore.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste covering under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Relevant Caste Certificate to be issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is below ₹ 3,00,000/- irrespective of rural or urban sector SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income up to ₹ 1.50 Lakh. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No. 14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

Following certifications to establish the income criteria can be used by the applicant:-

i) Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.

ii) Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks/SSCs on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.

iii) In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.

iv) For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with up to One hectare land holding) and small farmers (those with up to Two hectare land holding), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations:-

1) Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income below ₹ 1.50 Lakh per annum.

2) Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income below ₹ 3.00 Lakh per annum.

8. WORKING RESULTS

During the year, the disbursement of loan of the Corporation stood at ₹ 466.71 Crores as compared to ₹ 604.17 cores in the previous year. Decrease trend in disbursement is mainly not availability of share capital. During the year, the Corporation has received ₹ 55.40 crore as compared in previous year of ₹ 130.00 Crore. The Corporation has submitted the proposal for augmentation of share capital from ₹ 1500.00 Crore to ₹ 2215.00 Crore to the Ministry of Social Justice & Empowerment. Further, recoveries of loans from channel partners has also effected due to Covid -19 Pandemic. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to ₹ 5638.48 Crores for 28,76,580 beneficiaries.

On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 15750 beneficiaries during 2020-21 from 30491 in 2019-20, decrease of about 48%.

The Corporation's operating income stood at of ₹ 55.61 Crore an increase of 17.10% over the ₹ 47.49 Crore registered in 2019-20. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was ₹ 34.03 crores in the current year in comparison to ₹ 25.78 Crores during the previous year this an increase of 32.00%.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500 करोड़ है। दिनाँक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ थी।

7. पात्रता

आवेदक समय–समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जाति से संबंधित प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

वर्तमान में वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना प्रतिवर्ष रु. 3.00 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं. 14015/01/ 2010–एससीडी–IV दिनाँक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए प्रमाणीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न का उपयोग किया जा सकता है –

i) राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र।

ii) लाभार्थी द्वारा स्व–सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण–पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए./ बैंक/सेक्टर स्किल काउंसिल विचार कर सकते हैं।

iii) बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व–प्रमाणीकरण के मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन को ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

iv) भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमातं किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है, जैसा कि बैंक द्वारा उनकी मानक प्रक्रिया के तहत मूल्याकंन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से सबंधित है निम्नानसुार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएगें :–

1) भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख से कम मानी जाएगी।

2) छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से कम मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

निगम ने वर्ष के दौरान गत् वर्ष रू. 604.17 करोड़ की तुलना में रू. 466.71 करोड का कुल ऋण वितरण किया। संवितरण में कमी की प्रवृति मुख्य रूप से शेयर पूंजी की अनुपलब्धता है। निगम ने वर्ष के दौरान, गत् वर्ष की 130.00 करोड़ की तुलना में रु. 55.40 करोड़ प्राप्त किए। निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अंश पूंजी रू. 1500.00 करोड़ से रू. 2215 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के कारण चैनल भागीदारों से ऋण की वसूली प्रभावित हुई है। समग्ररूप से आपके निगम ने 28,76,580 लाभार्थियों के लिए रू. 5638.48 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है।

कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2019–20 के 30491 की तुलना में 2020–21 की अवधि में 15750 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 48% की कमी हुई है।

वर्ष 2019–20 में दर्ज़ की गई रु. 47.49 करोड़ की तुलना में निगम की प्रचालन आय रु. 55.61 करोड़ है, जो गत् वर्ष की तुलना में 17.10% अधिक है। पिछले वर्ष की अवधि में रु. 25.78 करोड़ की तुलना में, अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य रु. 34.03 करोड़ था जो गत वर्ष की तुलना में 32.00% अधिक है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनत्म समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछडे वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा

Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

(i) **Agriculture & Allied Activities :** Organic Farming, Dairy Farming, Sericulture, Horticulture, Goat Rearing, Pisciculture, Tractor Trolley etc.

(ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Ice cream parlor, Cold Storage, Kiryana Shop, Packaging Unit, Flour Mill, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Hardware, Tent house, Shuttering unit, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving etc.

(iii) **Service/Transport Sector:** Interior Decorator, Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, E-rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo etc.

(iv) **Technical and Professional Trades/Courses:** Technical, vocational& Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

10. LENDING POLICY :

➢ **Method of Lending**

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the States having nominated State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment status of loan taken from NBCFDC, capacity and infrastructure available to utilize the funds within the stipulated period with due consideration to needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, New Swarnima, Education Loan Scheme Under Micro Finance scheme , Mahila Samriddhi Yojana and Small Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samriddhi Yojana, Micro Finance Scheme and small loan schemes.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

I) TERM LOAN SCHEME

(i) General Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for various income generating activities in various sectors such as (a) Agriculture and Allied Sector, (b) Small Business/Artisan &(c) Traditional Sector and Transport & Service Sector. Loans are given upto 85% of the project cost subject to a maximum of Rs.15.00 Lakh per beneficiary. Loans upto Rs. 5.00 Lakh are provided at an interest rate of 6% p.a. Loans above Rs. 5.00 Lakh and upto Rs. 10.00 Lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. Loans above Rs.10.00 Lakh and upto Rs. 15.00 Lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(ii) New Swarnima Scheme: Under this scheme, loan assistance is available for

से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मोटे तौर पर, निम्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः

(i) **कृषि एवं संबंधित कार्यकलापः** जैविक कृषि, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर ट्राली इत्यादि।

(ii) **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारंपरिक व्यवसायः** आइसक्रीम पार्लर, शीतागार, किराने की दुकान, पैकिंग इकाई, आटा मिल, सब्जी विक्रय, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, हार्डवेयर, टेंट हाउस, शटरिंग यूनिट, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले–सिलाए कपड़ों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई इत्यादि।

(iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्रः** आंतरिक साज–सज्जा, आटो मरम्मत दुकान, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक सामानों की मरम्मत की दुकान, घरेलू उपकरण, मोबाइल मरम्मत की दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, ई–रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो इत्यादि।

(iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठयक्रमः** स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है।

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए/बैंकों) से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवाहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. ऋण नीति

➢ **ऋण पद्धति**

आबंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य है कि सभी चैनल सहभागी जिनसे आशा की जाती है कि निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान–शासकीय गारंटी, राज्य सरकार से प्राप्त अंश पूंजी, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति, लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्रियान्वयन क्षेत्र पर समुचित ध्यान के साथ विनिर्धारित समयावधि में निधियों के उपयोग उपलब्ध क्षमता एवं अवसंरचना की सीमा में करेंगे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना तथा माइक्रो फाइनेन्स महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) है एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/चैनल सहयोगियों के गत् कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आबंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का कम से कम 10% उत्तर–पूर्वी राज्यों को वितरित कराना सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहयोगियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। सूक्ष्म वित्त योजना में महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेंस व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

चैनल सहयोगियों से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

I) सावधि ऋण

(i) **सामान्य ऋण योजनाः** इस योजना के अर्न्तगत (क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (ख) लघु व्यवसाय/दस्तकारी (ग) पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 85% तक अधिकतम रु. 15 लाख ऋण दिया जाता है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर, रु. 5.00 लाख से ऊपर व रु. 10.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर तथा रु. 10.00 लाख से ऊपर व रु. 15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(ii) **नई स्वर्णिमा योजनाः** इस योजना के अर्न्तगत पिछड़ी जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत

women of Backward Classes to inculcate the spirit of self-reliance among them. Loans are given upto 95% of the project cost. The maximum loan limit per beneficiary is Rs. 2.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(iii) Education Loan Scheme: Under this scheme, loan assistance is available to the students of Backward Classes. The applicant should have obtained admission for any professional/technical/vocational courses approved by appropriate agency such as AICTE, Medical Council of India, and UGC etc. in a duly accredited/recognized institute and have minimum 50% marks in qualifying exam. Loans are given upto 90% of the course fees for studies in India and upto 85% of the course fees for studies outside India. Maximum loan limit per student is Rs.15.00 Lakh for studying in India at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Maximum loan limit per student is Rs.20.00 Lakh for studying abroad at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Loan is to be repaid in 15 years with moratorium period of 5 years.

II) MICRO FINANCE SCHEME

(i) Micro Finance Scheme: Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group especially for mixed group beneficiaries. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 5% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(ii) Mahila Samriddhi Yojana: Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group of women beneficiaries. Loans are given upto 95% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.25 Lakh at an interest rate of 4% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iii) Small Loan: Under this scheme, loan assistance is available to individuals to provide credit facilities for the target group. Loans are given upto 85% of the project cost. Maximum loan limit per beneficiary is Rs. 1.25 Lakh at an interest rate of 6% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iv) NBFC-MFI Loan : Under this scheme, loan assistance can be channelized to SHGs through Micro Finance Institutions (MFIs) providing Bank Guarantee or similar financial instruments as security. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs. 1.25 Lakh at an interest rate of 12% p.a. Under this scheme repayment period is 4 Years.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

For Persons of the target group with Disabilities (40% or more), a special concession of 0.25% on rate of interest is provided.

In addition to the above concessional financing schemes, during the year 2020-21 Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India introduced the following Interest Subvention Scheme -

III) VANCHIT IKAI SAMOOH AUR VARGON KI AARTHIK SAHAYATA YOJANA (VISVAS YOJANA):

Under this scheme, interest subvention at 5% is provided to Self Help Groups (SHGs) with 100% OBC members and OBC individuals who have taken loan for various income generating activities from those Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC. Maximum Loan Limit for SHG is Rs. 4.00 Lakh and for individual is Rs. 2.00 Lakh. Post submission of data for beneficiaries on VISVAS Portal (dedicated portal developed for VISVAS Yojana) Interest subvention amount is directly transferred into the operating account of eligible SHG or Individual beneficiary. List of Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC is available at **Annexure-2** (Page No. 26).

करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 2.00 लाख है व वार्षिक ब्याज दर 5% है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(iii) **शिक्षा ऋण योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उपयुक्त एजेंसी जैसे ए.आई.सी.टी.ई., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यू.जी.सी. आदि द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी व्यावसायिक/तकनीकी/वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 90% तक ऋण दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठयक्रम की फीस का 85% तक ऋण दिया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 15.00 लाख है तथा वार्षिक ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष (छात्राओं के लिए 3.5% प्रति वर्ष) है। विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 20.00 लाख तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के 3.5% वार्षिक) है। मोरेटोरियम अवधि सहित ऋणों का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में किया जाना है।

II) सूक्ष्म ऋण योजनाः

(i) **सूक्ष्म वित्त योजनाः** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह के स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) विशेष रूप से मिश्रित समूहों के लिए लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख के ऋण पर वार्षिक की दर 5% है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(ii) **महिला समृद्धि योजनाः** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह की महिला लाभार्थियों के स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण सहायता उपलब्ध है। इस योजना में परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iii) **लघु ऋणः** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को व्यक्तिगत ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 1.25 लाख 6% वार्षिक ब्याज दर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iv) **एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई. ऋणः** इस योजना के अंतर्गत, बैंक गारंटी अथवा इसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम.एफ.आई.) के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत के 90% तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रति समूह ऋण की अधिकतम सीमा रू. 15.00 लाख एवं स्व–सहायता समूह में प्रति लाभार्थी रू. 1.25 लाख है जिसपर ब्याज दर 12% वार्षिक है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

विशेष रूप से पुर्नवित्तीयन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बैंकों के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होंगे; हालाँकि बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।

लक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (40% अथवा अधिक) के लिए ब्याज दर में 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने रियायती वित्तपोषण योजनाओं हेतु निम्नानुसार ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है।

III) वंचित इकाई समूह और वर्गो की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास योजना) :

इस योजना के अन्तर्गत, उन ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों हेतु ऐसे स्व–सहायता समूह जिनमें 100% अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं एवं अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त किया है; को 5% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। एस.एच.जी. के लिए अधिकतम ऋण सीमा रु. 4.00 लाख और व्यक्तियों के लिए रु. 2.00 लाख है। विश्वास पोर्टल (विश्वास योजना के लिए विकसित समर्पित पोर्टल) पर लाभार्थियों के लिए डेटा जमा करने के बाद ब्याज सबवेंशन राशि सीधे पात्र एस.एच.जी. या व्यक्तिगत लाभार्थी के परिचालन खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले ऋणदाता संस्थानों की सूची **अनुलग्नक–2** (पृष्ठ सं. 26) पर उपलब्ध है।

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary	Pattern of Finance		Rate of Interest Per Annum.	
1.	**Term Loan**		**NBCFDC****	**SCA/Benef.**	**SCAs/Bank**	**Benef.**
(a)	General Loan Scheme	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	Upto Rs.5 Lakh	
					3%	6%
					Above Rs.5 Lakh upto Rs.10.00 Lakh	
					4%	7%
					Above Rs.10 Lakh upto Rs.15.00 Lakh	
					5%	8%
(b)	Education Loan i) In India	Rs.15.00 Lakh	90%	10%	1%	4%*
	ii) Abroad	Rs.20.00 Lakh	85%	15%	1%	4%*
(c)	New Swarnima Scheme	Rs.2.00 Lakh	95%	05%	2%	5%
2.	Micro Finance					
(a)	Micro Finance Scheme	Rs.1.25 Lakh#	90%	10%	2%	5%
(b)	Mahila Samriddhi Yojana for women	Rs.1.25 Lakh#	95%	05%	1%	4%
(c)	Small Loan for individual	Rs.1.25 Lakh	85%	15%	3%	6%
(d)	NBFC-MFI Loan	Rs.1.25 Lakh#	90%	10%	4%	12%

* 0.5% rebate in interest for girls students.
# Subject to maximum of Rs. 15.00 Lakh per Self Help Group
** Permitted up to 100% in case of re-financing through Banks.

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2020-21 on 16th November, 2020. Copy of MOU is available at **Annexure-3** (Page No. 27). Members will be pleased to note that on the basis of audited results, the Corporation has achieved the targets under excellent criteria of all parameters. Achievement/performance evaluation report against targets fixed under MOU for the year 2020-21 is available at **Annexure-3.1** (Page No. 28).

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2020-21)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Revenue from operations	Rs./Cr	48.00	55.61	+15.85
2	Operating profit /surplus as a percentage of Revenue from Operation	%age	49.00	56.97	+7.97*
3	Loan Disbursed/Total Funds Available	%age	96.50	97.57	1.07*
4	Overdue loans/Total loans	%age	3.55	2.64	0.91*
5	Surplus/Net Worth	%age	3.10	1.69	(-) 1.41*

* Absolute

11. ब्याज दर

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर	
1.	सावधि ऋण		एन.बी.सी. एफ.डी.सी	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए./बैंक	एस.सी.ए./बैंक
					रु. 5 लाख तक	
(क)	सामान्य ऋण योजना	रू. 15.00 लाख	85%	15%	3%	6%
					रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तक	
					4%	7%
					रु. 10 लाख से अधिक व रु. 15 लाख तक	
					5%	8%
(ख)	शैक्षिक ऋण i) भारत में	रू. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*
	ii) विदेश में	रू. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*
(ग)	नई स्वर्णिमा योजना	रू. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%
2.	सूक्ष्म वित्त					
(क)	सूक्ष्म वित्त योजना	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	2%	5%
(ख)	महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए	रू. 1.25 लाख#	95%	05%	1%	4%
(ग)	एकल व्यक्ति के लिए लघु ऋण योजना	रू. 1.25 लाख	85%	15%	3%	6%
(घ)	एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई. ऋण	रू. 1.25 लाख#	90%	10%	4%	12%

*छात्राओं को ब्याज दर में 0.5% की छूट है।
#प्रति स्वं–सहायता समूह रू. 15.00 लाख अधिकतम की दशा में
**बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्तीयन की दशा में 100% तक अनुमन्य।

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनः

निगम ने वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 16 नवम्बर, 2020 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक–3** (पृष्ठ सं. 27) पर उपलब्ध है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर निगम ने सभी मानदण्डों में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त की है। वर्ष 2020–21 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट **अनुलग्नक–3.1** (पृष्ठ सं. 28) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

कार्य निष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2020–21) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	अंतर (%)
1	संचालन से राजस्व	रू./करोड़	48.00	55.61	+15.85
2	परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ/आधिक्य	%	49.00	56.97	+7.97*
3	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	96.50	97.57	1.07*
4	बकाया ऋण/कुल ऋण	%	3.55	2.64	0.91*
5	आधिक्य/शुद्ध संपत्ति	%	3.10	1.69	(-) 1.41*

*निरपेक्ष

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2020-21	2019-20	% Increase
1	Sanction of Loan#	Rs.(Cr.)	786.50	952.15	-17.39
2	Disbursement of Loan#	Rs.(Cr.)	466.71	604.18	-22.75
3	Beneficiaries Covered	Nos.	111261	173524	-35.88
4	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs)	71475	109269	-34.57
5	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)#	(Rs)	34258	23660	+44.79
6	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	98.03	97.42	+0.61

* Absolute
# Sanction and Disbursement reduced due to Non availability of Share Capital and COVID-19 pandemic. Micro Finance Loans were provided for greater coverage of beneficiaries.

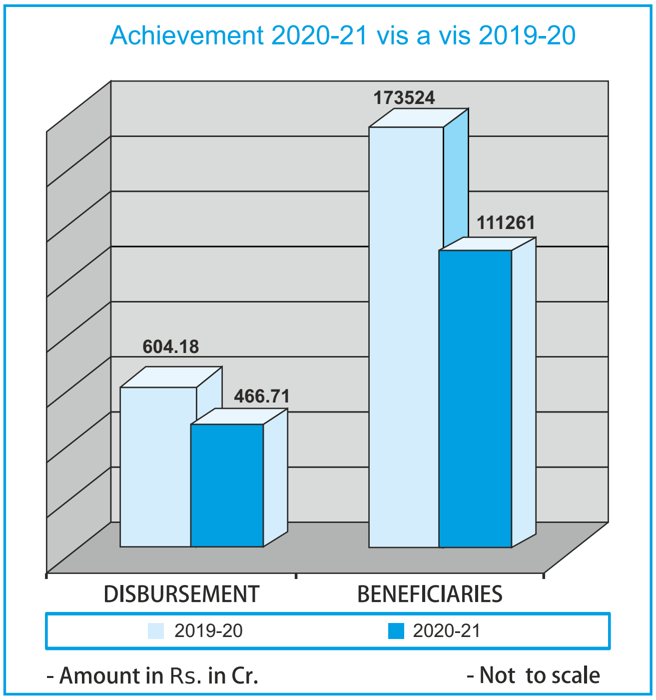

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2020-21 are available at **Annexure-4.2** (Page No. 34-35).

State-wise/Scheme-wise & Sector-wise Disbursement and number of Beneficiaries assisted during 2020-21 is available at **Annexure-4.3** (Page No. 36).

Sector wise percentage of disbursement of funds of Rs. 134.48 Crore under Term Loan Scheme (excluding New Swarnima) during 2020-21 is as under:

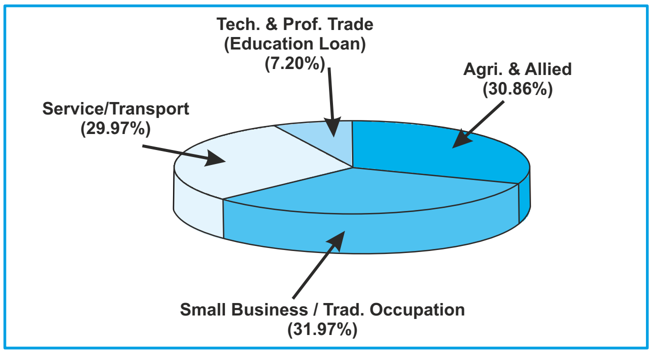

13.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to SCAs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from SCAs, were approved to the tune of Rs.786.50 Crore during the year 2020-21.

Against this approved Annual Action Plan, the Corporation has disbursed Rs. 466.71 Crore for assisting 111261 beneficiaries during the financial year 2020-21.

The disbursement so far made since inception now stands at Rs.5638.48 Crore for assisting 2876580 beneficiaries as on 31.03.2021. SCA & State-wise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2021 is available at **Annexure-4** (Page No. 29-31). Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-4.1** (Page No. 32-33).

During 2020-21, 30.86% of Term Loan (excluding New Swarnima) was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 32.05% in previous year and 31.97% under Small Business/ Traditional Occupation as compared to 40.55% in previous year. Loan was disbursed for activities which include the manufacture/purchase Agricultural Implements, Setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.

Backward classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and Electronic Shop, Woodwork, Autorickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence 29.97% of Term loan(excluding New Swarnima) has been drawn by CPs in 2020-21 to

13.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2020-21	2019-20	% वृद्धि
1	ऋण की स्वीकृति#	रू. (करोड़)	786.50	952.15	-17.39
2	ऋण वितरण#	रू. (करोड़)	466.71	604.18	-22.75
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी	संख्या	111261	173524	-35.88
4	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रू.)	71475	109269	-34.57
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सूक्ष्म ऋण)#	(रू.)	34258	23660	+44.79
6	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	98.03	97.42	+0.61

* निरपेक्ष
# शेयर पूंजी की अनुपलब्धता एवं कोविड–19 महामारी के कारण स्वीकृति और संवितरण कम हुआ। लाभार्थियों के अधिक कवरेज के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान किए गए।

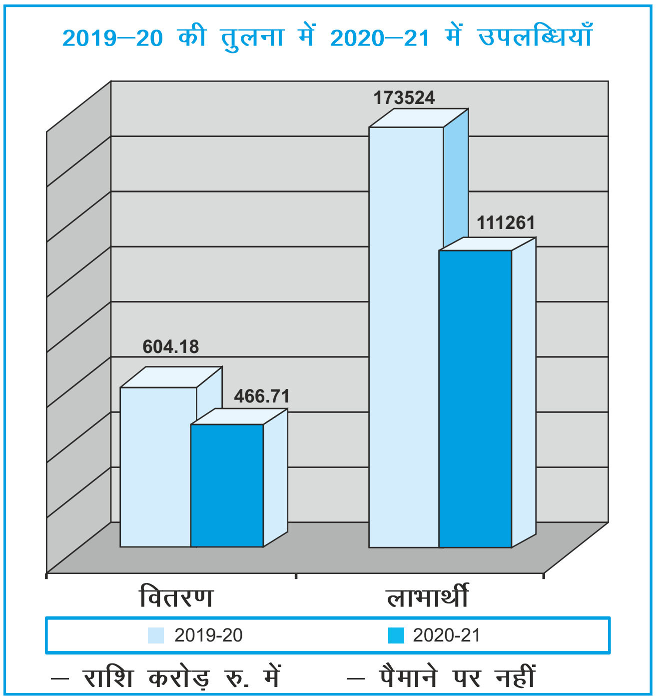

13.3 स्वीकृति एवं वितरण

वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को निगम द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान रु. 786.50 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 111261 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रु. 466.71 करोड़ वितरित किए हैं।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 2876580 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु. 5638.48 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक–4** (पृष्ठ सं. 29–31) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरित नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक–4.1** (पृष्ठ सं. 32–33) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020–21 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक–4.2** (पृष्ठ सं. 34–35) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण **अनुलग्नक–4.3** (पृष्ठ सं. 36) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020–21 की अवधि में सावधि ऋण योजना (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) के अन्तर्गत रु. 134.48 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:

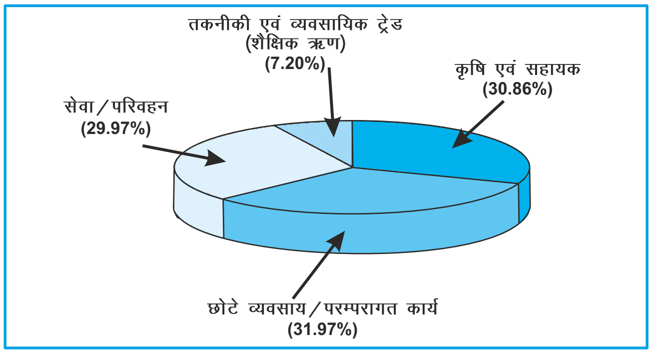

सावधि ऋण के अंतर्गत (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 32.05% की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 30.86% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत् वर्ष के 40.55% की तुलना में 31.97% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं – कृषि उपकरणों के विनिर्माण/खरीद, डेरी इकाईयों की स्थापना, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर–ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि की दुकान।

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर–साइकिल टैक्सी, पिक–अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः चैनल पार्टनर्स द्वारा गत वर्ष 24.25% की तुलना में वर्ष 2020–21 में 29.97% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को

meet the demand of the service providers as compared to 24.25% in previous year.

Education Loan under Term Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report 7.20%of the Term loan(excluding New Swarnima) has been given under Education Loan Scheme.

Disbursement During Last Four Years
(Amount in ₹ in Cr.)

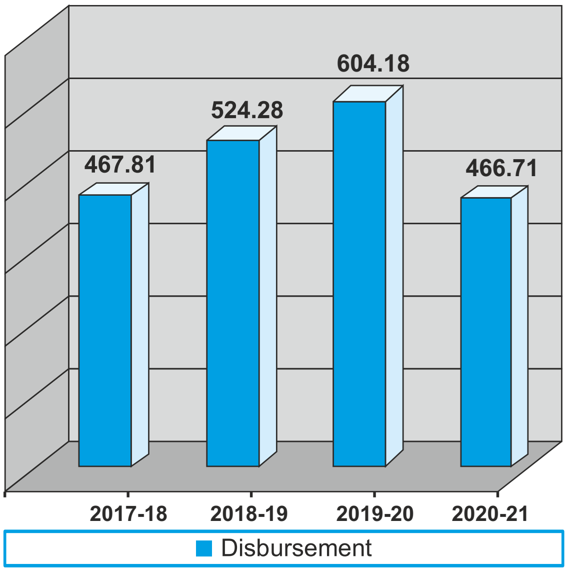

Beneficiaries Assisted During Last Four Years

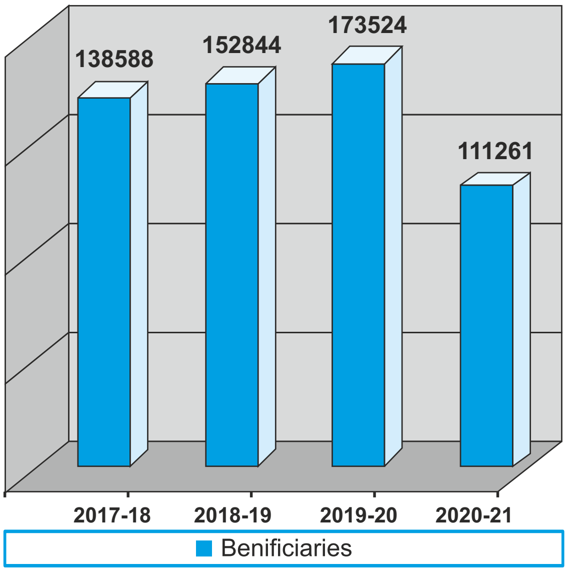

* From 2017-18 Corporation has been taken efforts to increase per capital loan size to cater to realistic capital requirement.

Scheme wise Disbursement (2020-21)

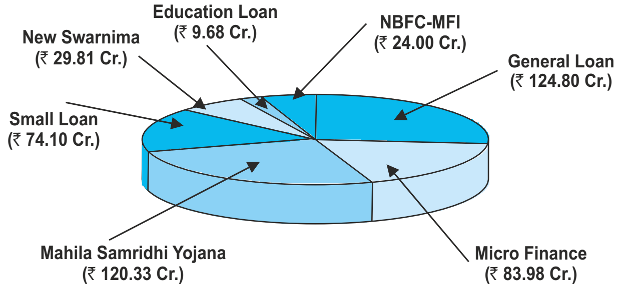

Scheme-wise Beneficiaries Assisted (2020-21)

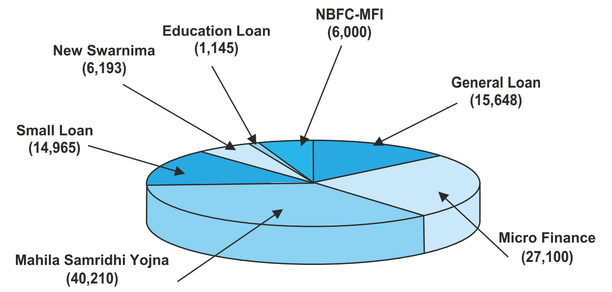

13.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2020-21, your Corporation provided loans of Rs. 9.68 Crore to 1145 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was Rs.6.57 Crore for 683 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/ Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

Disbursement under Education Loan Scheme

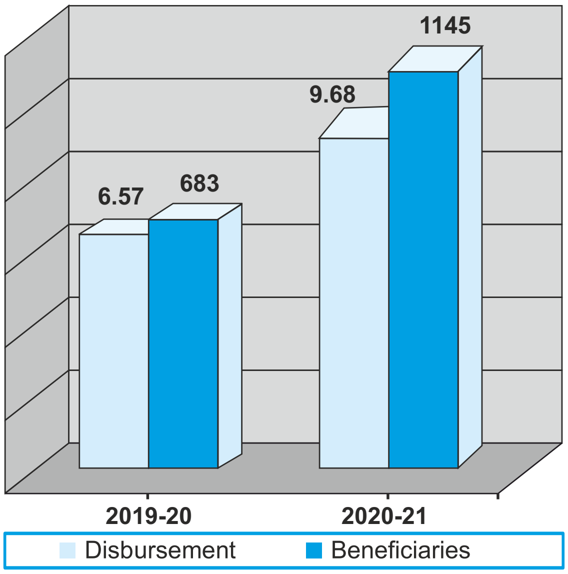

छोड़कर), सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आहरण किया गया।

सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान 7.20% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

गत् 4 वर्षों के दौरान वितरण
(राशि करोड़ रु. में)

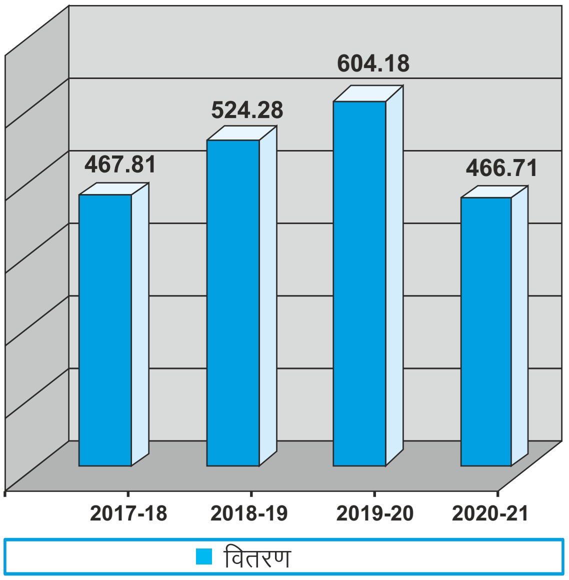

गत् 4 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

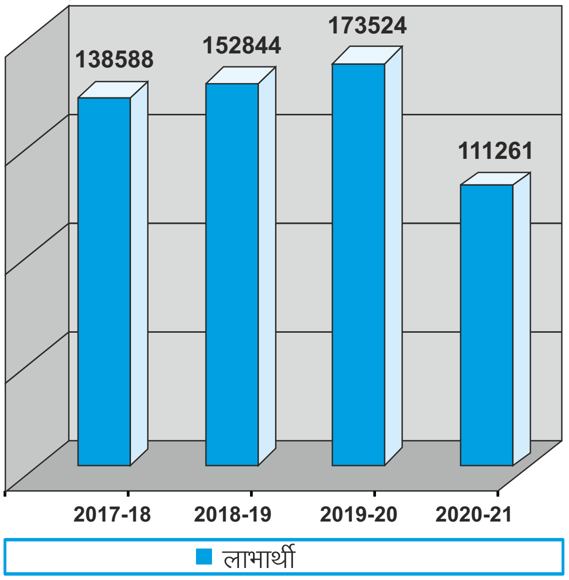

*2017–18 से उचित पूंजी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए निगम ने प्रति व्यक्ति ऋण के आकार में वृद्धि हेतु प्रयास किए हैं।

योजनावार वितरण (2020–2021)

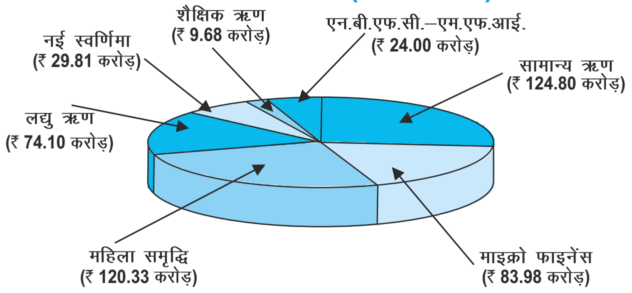

योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2020–2021)

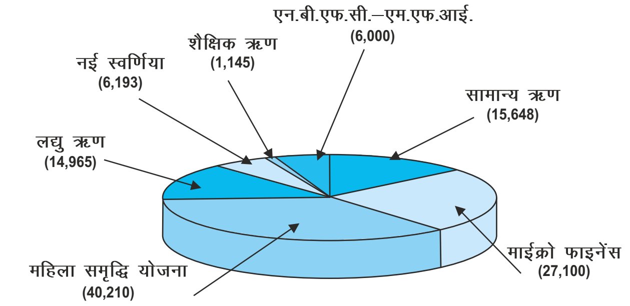

13.4 शैक्षिक ऋण वितरणः

आपके निगम ने वर्ष 2020–21 में गत वर्ष रु. 6.57 करोड़ 683 लाभार्थियों के सापेक्ष शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रु. 9.68 करोड़ 1145 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं, योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सीआई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए. इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एमबी.बी.एस., बी. एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि शामिल है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण

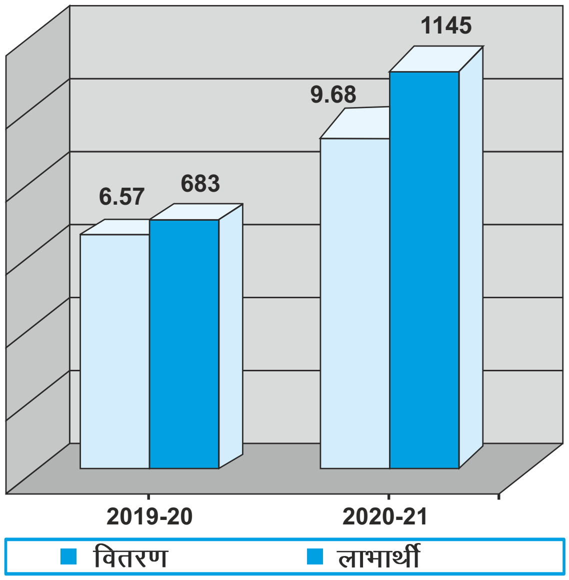

13.5 Participation of Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samriddhi Yojana under Micro Finance. An amount of Rs.150.14 Crore has been disbursed to assist 46403 women beneficiaries under these women oriented schemes for Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2020-21. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2020-21 is at **Annexure-4.4** (Page No. 37).

Apart from these exclusive women centric schemes, the Corporation has disbursed Rs. 164.29 Crore for assisting 34,502 women beneficiaries under other loan schemes in 2020-21 against Rs. 256.11 Crore for assisting 57750 women beneficiaries in 2019-20. Therefore, in all Rs.314.43 crores of loan was disbursed to assist 80905 women beneficiaries.

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'Mahila Samridhi Yojna' within total Loan Disbursed during 2020-21

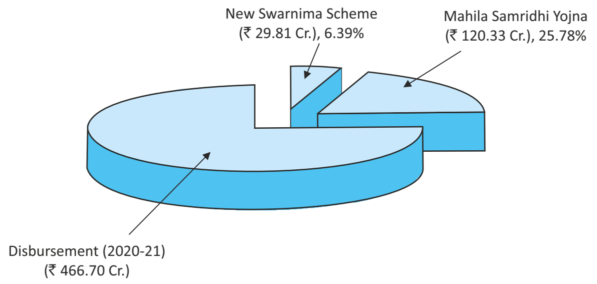

Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total No. of Beneficiaries covered during 2020-21

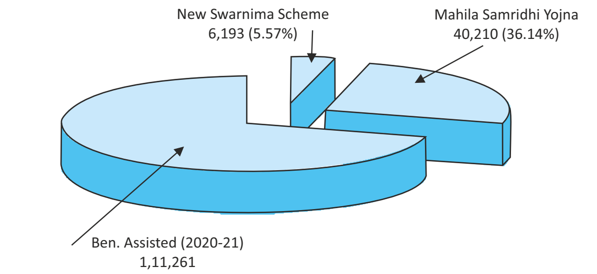

13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 95%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case to case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

13.7 ACHIEVEMENT OF VISVAS YOJANA

1.	Amt. Disbursed	1.01 Crore
2.	No. of Benef.	5970

14 INTERVENTIONS UNDER THE MINISTRY'S PROGRAM FOR TRANSGENDER COMMUNITY:

The administrative Ministry has sanctioned a grant of Rs.150.00 lakhs to undertake specific initiatives for welfare and support of Transgender community who were facing financial deprivation, social isolation and mental stress due to drying of their traditional source of income which was because of Covid-19 related issues. Summary of the interventions are as follows:

14.1 COVID-19- Subsistence Allowance: In collaboration with National Institute of Social Defence (NISD), the Corporation initiated disbursement of subsistence allowance directly into the account of the 5711 Transgender (TGs) in various states. 229 No. of TGs were also given one time Subsistence Allowance in North-East through the

13.5 महिलाओं के लिए विशेष योजना में प्रतिभागिता

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2020–21 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के लिए रु. 150.14 करोड़ की राशि 46,403 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक–4.4** (पृष्ठ सं. 37) पर उपलब्ध है।

इन महिला केन्द्रित योजनाओं के अतिरिक्त निगम ने वर्ष 2019–20 में रु. 256.11 करोड़ के वितरण 57,750 महिला लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2020–21 में रु. 164.29 करोड़ का वितरण 34,502 महिला लाभार्थियों के लिए किया है। अतः कुल मिलाकर रु. 314.43 करोड़ ऋणों का वितरण 80,905 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।

वर्ष 2020–21 की अवधि मे कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण वितरण

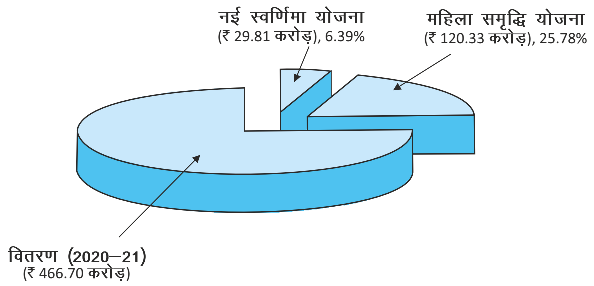

वर्ष 2020–21 की अवधि मे कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी

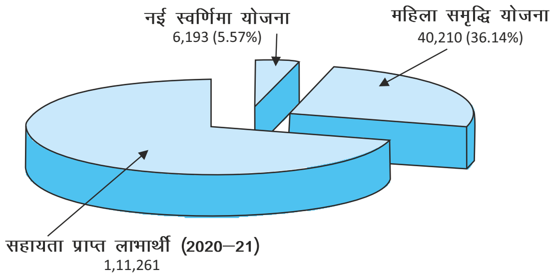

13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासभंव अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब–वार ब्याज दर लागू की गई है।

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1–120 दिन	3%
121–180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य. चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 95% रहा है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए, लक्ष्य समूह के लिए बैंकों को निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अवधि के आधार पर 180 दिनों तक मामले दर मामले आधार पर बढ़ाया गया।

13.7 विश्वास योजना में उपलब्धि

1.	वितरण राशि	1.01 करोड़
2.	लाभार्थियों की संख्या	5970

14. ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत हस्तक्षेप :

प्रशासनिक मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण एवं सहायता हेतु विशिष्ट पहल करने के लिए रु. 150.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है, जो अपनी आय के पारंपरिक स्रोत के समाप्त होने के कारण वित्तीय अभाव, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे, जो कि कोविड–19 के कारण था। संबंधित मुद्दों, हस्तक्षेपों का सारांश इस प्रकार है:

14.1 कोविड–19 निर्वाह भत्ताः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (एनआईएसडी) के सहयोग से, निगम ने विभिन्न राज्यों में 5711 ट्रांसजेंडर (टीजी) के खाते में सीधे निर्वाह भत्ता का वितरण आरंभ किया। संबंधित जिला प्राधिकरणों के माध्यम से पूर्वोत्तर में 229 टीजी को भी एकमुश्त निर्वाह भत्ता दिया गया एवं एनसीआर क्षेत्र में 1650 टीजी को राशन किट दिए गए। इस प्रकार कुल 7590 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लगभग रु. 104.61 लाख की सहायता प्रदान की गई।

respective District Authorities and 1650 TGs were given Ration kits in NCR Region. Thus, a total number of 7590 transgender persons got assistance of about Rs. 104.61 lakhs.

14.2 Free Medical Camps Eleven Camps were organized in collaboration with Community Based Organizations, wherein 1094 Transgender persons attended the Camps in various states, wherein they were provided free consultation by the Specialists, Dentists and Psychologist. Free spectacles were also provided, as per need.

14.3 FREE HELPLINE FOR TRANSGENDER COMMUNITY: A helpline was operational from Apirl'20 to Jan'21 provide psycho-social counseling support to Transgender community, which is being utilized by them to face difficult challenges during pandemic period. So far, a large number of consultations have been provided to transgender persons in various states. Mass SMSs were also sent to the targeted community for its publicity for availing the helpline services.

15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As per Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2020-21 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'21. During the year, 27 projects valued Rs. 105.71 lakh were sanctioned and an expenditure of Rs.136.43 lakh was made on CSR activities for covering more than 54,000 marginalized people including the school students.

The CSR activities included health interventions in **Mewat, an aspirational District in Haryana**. During the year, 7184 patients including children were covered in Mewat through Mobile Health Van. Besides **13 General Medical Camps** have been organized in some states, wherein 2707 people attended the camp and 961 spectacles distributed to poor people. Other interventions included distribution of Sanitary Napkins for improving menstrual hygiene of girls, promote livelihood support to fishermen, Swachhta activities, relief items to hospitals to fight COVID-19 etc. were also undertaken. School Quizes on Bapu, promotion of Dr. Ambedkar teachings and flood relief activities in Assam and Odisha were also undertaken.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure-4.5, 4.6, 4.7, 4.8 & 4.9** (Page No. 38-50) of this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending Rs. 4.79 crores on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of Rs. 3.58 Crore upto 31.03.2021.

In addition to own CSR activities, the Corporation also mobilized CSR funds of Rs. 43.99 lakhs from other PSUs namely CONCOR and CONCOR Air Ltd. The funds were used for Covid-relief work for providing ration/food assistance to more than 38,000 poor (including Transgender persons) in Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan.

Proactive steps were also initiated to **mobilize donations u/s 80G for providing COVID-19** relief to masses. The Corporation being 80G registered has set up a internal COVID Relief Fund and mobilized Rs.28.37 lakh as voluntary donations under Section 80-G from its own employees, those of sister PSEs and other noble minded donors. These funds have been spent for utilization for COVID-19 Relief related activities i.e. distributed Ration kits (2350 nos.), Masks (30,000 nos.) and meal packets (15,000 nos.) to underprivileged residents & migrant workers and covered more than 69,000 needy persons in the State Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, J & K, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand. So far, Rs.23.06 lakh have been actually disbursed against the sanction of Rs.26.55 for undertaking COVID-19 relief activities.

16. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

14.2 निःशुल्क चिकित्सा शिविर समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से ग्यारह शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 1094 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने विभिन्न राज्यों में शिविरों में भाग लिया, जिसमें उन्हें विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक द्वारा मुफ्त परामर्श प्रदान किया गया। जरूरत के हिसाब से निःशुल्क चश्मे भी दिए गए ।

14.3 ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त हेल्पलाइनः अप्रैल' 2020 से जनवरी' 2021 तक जो ट्रांसजेंडर समुदाय को मनो–सामाजिक परामर्श सहायता प्रदान करने हेतु एक हेल्पलाइन काम कर रही थी जिसका उपयोग उनके द्वारा महामारी की अवधि के दौरान कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया। अब तक विभिन्न राज्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बड़ी संख्या में परामर्श प्रदान किए गए हैं। इसके प्रचार के लिए लक्षित समुदाय को हेल्पलाइन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु बड़े पैमाने पर एसएमएस भी भेजे गए थे।

15. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2021 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति की है। वर्ष के दौरान, रू. 105.71 लाख मूल्य की 27 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एस.आर. कार्यकलापों पर रू. 136.43 लाख का व्यय किया गया, जिसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और स्कूली छात्रों सहित 54,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया।

सीएसआर गतिविधियों में **हरियाणा के एक आकांक्षी जिले मेवात** में स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप शामिल थे। वर्ष के दौरान मेवात में मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से बच्चों सहित 7184 रोगियों को कवर किया गया। इसके अलावा कुछ राज्यों में **13 सामान्य चिकित्सा शिविर** आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2707 लोगों ने शिविर में भाग लिया और गरीब व्यक्तियों को 961 चश्मे वितरित किए। अन्य हस्तक्षेपों में लड़कियों की मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए सेनेटरी नैपकिन का वितरण, मछुआरों की आजीविका सहायता को बढ़ावा देना, स्वच्छता गतिविधियाँ, अस्पतालों को कोविड–19 से लड़ने के लिए राहत सामग्री आदि शामिल हैं। स्कूलों में बापू पर क्विज, डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाओं को बढ़ावा देने और असम व ओडिशा में बाढ़ राहत गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट पर सी.एस.आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट **संलग्नक–4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एवं 4.9** (पृष्ठ सं. 38–50) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 2014–15 से शुरू होने वाले सीएसआर हस्तक्षेपों पर रु. 3.58 करोड़ के अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय के मुकाबले 31.03.2021 तक रु. 4.79 करोड़ खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

स्वयं की सीएसआर गतिविधियों के अलावा, निगम ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कॉनकॉर और कॉनकॉर एयर लिमिटेड से रु. 43.99 लाख की सीएसआर निधि भी जुटाई। कोविड–राहत कार्य के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 38,000 से अधिक गरीबों (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित) को राशन/खाद्य सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि का उपयोग किया गया था।

कोविड–19 के तहत लोगों को राहत प्रदान करने के लिए धारा 80जी के तहत दान जुटाने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए गए। निगम ने 80जी पंजीकृत होने के कारण एक आंतरिक कोविड राहत कोष की स्थापना की है एवं धारा 80–जी के तहत स्वैच्छिक दान के रूप में रू. 28.37 लाख स्वयं अपने कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य नेक दिल दाताओं से जुटाए हैं। इन निधियों को कोविड–19 राहत संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग करने के लिए खर्च किया गया है, जैसे– वंचित निवासियों और प्रवासी श्रमिकों को राशन किट (संख्या 2350), मास्क (संख्या 30,000) और भोजन पैकेट (संख्या 15,000) वितरित किए गए जिसमें राज्य दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 69,000 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को कवर किया गया। कोविड–19 राहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए रु. 26.55 लाख की स्वीकृति के अब तक रु. 23.06 लाख वास्तव में वितरित किए जा चुके हैं।

16. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा–सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षित व्यय इत्यादि निगम की प्रगति के सम्बंध में निम्नानुसार हैः–

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	2017-18 & 2020-21	Cumulative as on 31.03.2021
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**375.40**	**1499.40**
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**2062.97**	**5638.48**
3	Disbursement/ Budgetary support %age)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**5.49**	**3.76**
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**576217**	**2876580**
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**1535.47**	**4002.46**

17. FINANCIAL /OPERATIONAL PERFORMANCE

17.1 Income & Expenditure Account

i) During the year 2020-21, the operating income of Corporation has increased from Rs. 47.50 crore to 55.61 crore

ii) The total expenses including employees cost has decreased from Rs. 24.44 crore to Rs. 23.92 crore.

iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2020-21 is Rs. 34.21 crore as against Rs. 25.74 crore during 2019-20.

17.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs. 1947.45 crore to Rs. 2036.31 crore in 2020-21.

17.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation has received equity support of Rs. 55.40 Cr. from Government of India and has disbursed Rs. 466.71 cr., which means Rs. 411.31 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

The cumulative equity support up to 31.03.2021 is Rs. 1499.40 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 5638.48 cr. covering 28,76,580 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 3.76 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 4139.08 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement (upto 31.03.2021)

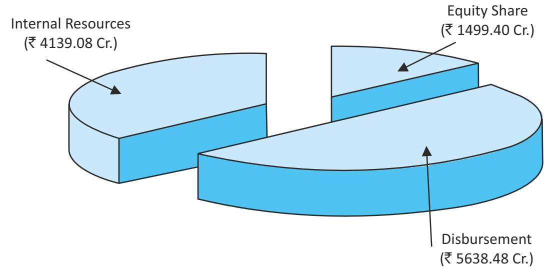

Cumulative Disbursement vs last five years Disbursement (upto 31.03.2021)

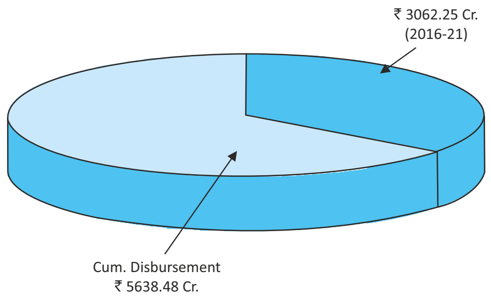

The disbursement over last five years has been 54.30% of the cumulative disbursement over 27 years of existence.

Cumulative Beneficiaries vs last five Years Beneficiaries (upto 31.03.2021)

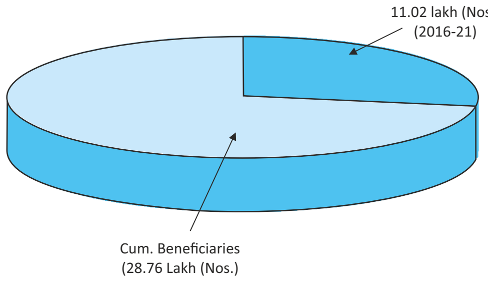

क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992–97	9वीं योजना 1997–02	10वीं योजना 2002–07	11वीं योजना 2007–12	12वीं योजना 2012–17	2017–18 एवं 2020–21	31.03.2021 को सकल
1	बजटीय सहायता (रू. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**375.40**	**1499.40**
2	वितरण (रू. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**2062.97**	**5638.48**
3	वितरण/बजटीय सहायता (%)	0.99	2.32	8.31	3.97	**3.34**	**5.49**	**3.76**
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**576217**	**2876580**
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**23361**	**194636**
6	ऋण की वसूली (रू. करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**1535.47**	**4002.46**

17 वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

17.1 आय एवं व्यय खाता

i) वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम की परिचालन आय रु. 47.50 करोड़ से बढकर 55.61 करोड़ हो गई है।

ii) कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 24.44 करोड़ से घटकर रु. 23.92 करोड़ हो गई है।

iii) वर्ष 2020–21 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य 2019–20 के रु. 25.74 करोड़ की तुलना में रु. 34.21 करोड़ है।

17.2 शुद्ध मूल्य

वर्ष 2020–21 में निगम का शुद्ध मूल्य रु. 1947.45 करोड़ से बढ़कर रु. 2036.31 करोड़ हो गया है।

17.3 सरकार से प्राप्त अंश पूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से रु. 55.40 करोड़ की अंश पूंजी प्राप्त की तथा रु. 466.71 करोड़ का वितरण किया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण एवं निगम के आंतरिक संसाधनों से, बजटीय सहायता से रू 411.31 करोड़ अधिक वितरण किया गया है।

दिनांक 31.03.2021 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1499.40 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 5638.48 करोड़ का संचयी वितरण कर 28,76,580 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 3.76 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 4139.08 करोड़ अधिक की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आंतरिक संसाधन का कुल वितरण (31.03.2021 तक)

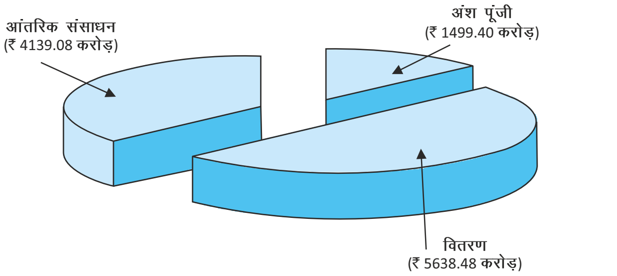

संचयी संवितरण बनाम गत् पाँच वर्षों का संवितरण (31.03.2021 तक)

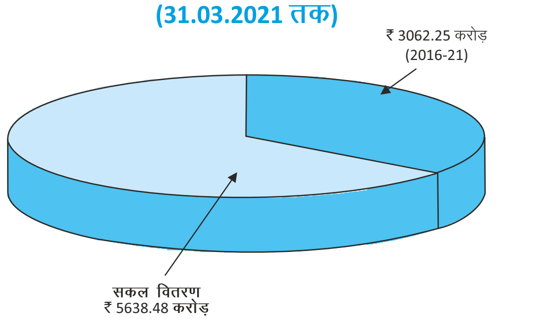

पिछले 5 वर्षों में वितरण अस्तित्व के 27 वर्षों के संचयी वितरण का 54.30% रहा है।

संचयी लाभार्थी बनाम गत पाँच वर्षों के लाभार्थी (31.03.2021 तक)

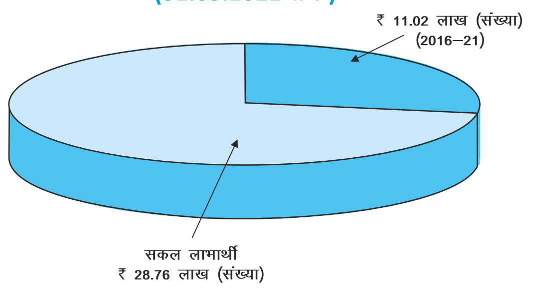

17.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 4002.46 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 4082.83 Cr. as on 31.03.2021. This includes Rs. 98.23 crores of long outstanding. The cumulative amount of recoveries of Rs. 4002.46 Cr. comprises of Rs. 3439.97 Cr. as principal and Rs. 562.49 interest. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 98.03 % as on 31st March, 2021 as against 97.64% on 31.03.2021 with recovery of old overdues being nearly Rs. 18.00Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2021 is available at **Annexure-5** (Page No. 51-53).

Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

17.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is Rs. 55.61 crore.

17.6 Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)

During the year, Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net) of your Corporation stood at 56.97%.

17.7 PAT or Surplus/Average Net Worth

During the year, PAT or Surplus/Average Net Worth of your Corporation stood at 1.69%.

17.8 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your Corporation is 97.57%, which is the best amongst all sister corporations.

17.9 Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement

During the year, the percentage of Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement stood at 64.66%.

17.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/Total loans (Net) of your Corporation is 2.64%,which is the best amongst all sister corporations.

17.11 Percentage of procurement of Goods and Services trough GeM portal of Goods and Services during the previous year i.e FY 2019-20

Procurement of Goods and Services through GeM portal of Goods and Services during the previous year i.e FY 2019-20 stood at level of 23.05%

17.12 Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary (% of total disbursement by 31.12.2020

During the year, the Corporation is able to achieve %age of Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary at the level of 98.73%

17.13 Geographical coverage (No. of States/Uts functional covered)

During the year, the Corporation is able to cover 30 nos of States/Uts for disbursement of loan to ultimate beneficiaries.

17.14 Development and operationalize of Dash board for capturing Loan disbursement to ultimate beneficiaries and amount with intermediary along with period

The Corporation developed and operationalize of Dash board for capturing Loan disbursement to ultimate beneficiaries on dated 10.02.2021

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 34.21 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the

17.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ–साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु. 4082.33 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रू 4002.46 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 98.23 करोड़ सम्मिलित है। रु. 4002.46 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 3439.97 करोड़ तथा ब्याज के रूप में रु. 562.49 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.03.2021 के 98.03% के सापेक्ष पुराने बकाया लगभग 18.00 करोड़ की वसूली के साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 97.64% है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक–5** (पृष्ठ सं. 51–53) पर उपलब्ध है।

आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

17.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु. 55.61 करोड़ है।

17.6 संचालन से लाभ के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के परिचालन (शुद्ध) से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य 56.97% रहा है।

17.7 पीएटी या आधिक्य / औसत शुद्ध मूल्य

वर्ष के दौरान, आपके निगम का पीएटी या आधिक्य/ औसत शुद्ध मूल्य 1.69% रहा है।

17.8 वितरित ऋण/ उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के लिए उपलब्ध ऋण/ कुल धनराशि का प्रतिशत 97.57% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.9 कुल वितरण के % के रूप में लाभार्थियों को वितरित किया गया माइक्रो फाइनेंस ऋण

वर्ष के दौरान, कुल वितरण के रूप में लाभार्थियों को दिए गए माइक्रो फाइनेंस ऋण का प्रतिशत 64.66% रहा है।

17.10 अतिदेय ऋण/ कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण/ कुल ऋण (शुद्ध) का प्रतिशत 2.64% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.11 गत् वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं को GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का प्रतिशत

गत् वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 23.05% के स्तर पर रही

17.12 अंतिम लाभार्थी को श्रेष्ठतम संवितरण (31.12.2020 तक कुल संवितरण का %)

वर्ष के दौरान, अंतिम लाभार्थी को श्रेष्ठतम संवितरण 98.73% के स्तर तक करने में समर्थ हुआ।

17.13 भौगोलिक कवरेज (कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, निगम अंतिम लाभार्थियों को ऋण के वितरण के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने में समर्थ है।

17.14 अंततोगत्वा लाभार्थियों को ऋण वितरण एवं राशि सहित मध्यस्थ व अवधि के अभिलेखन हेतु डैश बोर्ड का विकास एवं परिचालन

निगम ने दिनांक 10.02.2021 को अंतिम लाभार्थियों को ऋण वितरण के अभिलेखन के लिए डैशबोर्ड का विकास और परिचालन किया।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार रु. 34.21 करोड़ की व्यय से अधिक आय की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (1) (ग)

provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Dept. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

18. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

NBCFDC facilitates skill development training programmes in broad conformance to the Common Norms for upgradation of Technical and Entrepreneurial Skills, so that eligible members of target group may engage in developmental activities by way of self-employment or wage employment. During the year 2020-21 Ministry of Social Justice and Empowerment has launched Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojna with an objective to improve the all-round competency and adeptness of artisans, so that they may improve their revenue generation capacities within their practicing vocations; women may enter into self-employment thereby financially empowering themselves without neglecting their domestic activities and youth may acquire long-term training and specialization in employable vocations giving them better standing in the job market. The target group of NBCFDC for skill training programme under PM-DAKSH is as under:

- Other Backward Classes (OBCs) having annual family income below Rs. 3.00 lakh.
- Economically Backward Classes (EBCs) having annual family income below Rs. 1.00 lakh.
- De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) without any income criteria

As per the guidelines of PM-DAKSH, following four categories of training programmes were facilitated by NBCFDC during 2020-21:

- Long Term Training Programmes (6 Months to 1 Year)
- Short Term Training Programmes (up to 500 hours)
- Upskilling programmes (32-80 hours)
- Entrepreneurship Development Programmes (up to 90 hours)

The training programmes are conducted primarily through Govt. Training Institutes and other credible Training Institutes identified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The training programmes are conducted with 100% Grant-in-aid from Govt. of India.

During the year 2020-21, the Standing Finance Committee (SFC) had approved the target of 14,925 trainees. Against the target, Corporation has provided training to 15750 trainees. In addition to above, the Corporation has also facilitated placement for 11007 trainees. In order to achieve the targets, partnership was established by NBCFDC with following Training Institutes and Sector Skill Councils having training centers/partners at various locations in the country. Such as:

Sl. No.	Name of SSC/TI
1	Apparel Training & Design (ATDC), Gurgaon
2	Apollo Medskills, Hyderabad
3	Bright School Samiti, Indore
4	Central Institute for Plastic Engineering and Technology, Chennai
5	CII Logistics, Chennai
6	Dalmia Bharat Foundation, Delhi
7	Domestic SSC, Delhi
8	ESTC- Ramnagar, Uttrakhand
9	Furniture & Fittings SSC, Delhi
10	Gems & Jewellery Skill Council of India, Mumbai
11	Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON), Shimla
12	HARDICON Ltd., Delhi
13	HLFPPT, Delhi
14	IHRD, Kerala
15	Indian Iron Sector Skill Council, Kolkata
16	IIE, Guwahati
17	Indradhanush Welfare Society, Indore
18	JK ITCO, Jammu
19	Logistics Sector Skill Council, Chennai
20	MSME Tool Room Indo-German Toolroom, Ahmedabad
21	MSME Tool Room Central Tool Room and Training Centre, Bhubaneshwar
22	MSME Tool Room Central Tool Room and Training Centre, Kolkata

के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, विधि और न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनों अर्थात नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

18. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. तकनीकी और उद्यमिता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप व्यापक रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है, ताकि लक्षित समूह के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा वेतन रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें। वर्ष 2020–21 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दस्तकारों की सर्वांगीण क्षमता और निपुणता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) योजना शुरू की है, ताकि वे अपने व्यवसाय में राजस्व सृजन क्षमता में सुधार कर सकें; महिलाएं स्व–रोजगार में प्रवेश करें, जिससे उनकी घरेलू कार्यकलापों की उपेक्षा किए बिना स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और युवा रोजगार योग्य व्यवसायों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करें जिससे उन्हें नौकरी के बाजार में बेहतर स्थान मिल सके। पीएम–दक्ष के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लक्षित वर्ग हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है:

- अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख से कम है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 1.00 लाख से कम है।
- गैर–अधिसूचित, घुमंतु एवं अर्ध–घुमंतु जन–जातियाँ (डी.एन.टी.) बिना आय मापदण्ड के।

पीएम–दक्ष के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2020–21 की अवधि में निम्न चार श्रेणियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए:

- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 महीने से 1 वर्ष)
- अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (500 घंटे तक)
- अप.स्किलिंग प्रोग्राम (32–80 घंटे)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (90 घंटे तक)

प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से चिन्हित किए गए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों व विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता के साथ आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) ने 14,925 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य के सापेक्ष निगम ने कुल 11,007 प्रशिक्षुओं को नियोजित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, 15,750 प्रशिक्षुओं को नियोजित करवाया गया है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एन.बीसी.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिलों जिनके देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र/साझेदार हैं, के साथ साझेदारी की है; जैसे कि :

क्र.स.	एसएससी/टीआई का नाम
1	अपरैल ट्रैनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (ए.टी.डी.सी.), गुड़गांव
2	अपोलो मेडस्किल्स, हैदराबाद
3	ब्राइट स्कूल समिति, इंदौर
4	सैन्ट्रल इंस्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट), चेन्नई
5	सी.आई.आई. लॉजिस्टिक्स, चेन्नई
6	डालमिया भारत फाउंडेशन, दिल्ली
7	डॉमेस्टिक एस.एस.सी., दिल्ली
8	ई.एस.टी.सी.– रामनगर, उत्तराखंड
9	फर्नीचर और फिटिंग एस.एस.सी, दिल्ली
10	जेम्स एंड ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई
11	हिमाचल कंसल्टेंसी लिमिटेड (हिमकॉन), शिमला
12	हार्डिकॉन लिमिटेड, दिल्ली
13	एच.एल.एफ.पी.पी.टी., दिल्ली
14	आई.एच.आर.डी., केरल
15	इण्डियन ऑयल सेक्टर स्किल काउंसिल, कोलकाता
16	आई.आई.ई., गुवाहाटी
17	इन्द्रधनुष वेलफेयर सोसाइटी, इंदौर
18	जे.के. आई.टी.सी.ओ., जम्मू
19	लॉजिस्टक सेक्टर स्किल काउंसिल, चेन्नई
20	एम.एस.एम.ई. टूल रूम इंडो–जर्मन टूलरूम, अहमदाबाद
21	एम.एस.एम.ई. टूल रूम सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर
22	एम.एस.एम.ई. टूल रूम सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता

23 MSME, Rohtak
24 MPCON, Bhopal
25 MSME, Visakhapatnam
26 MSME-Durg
27 MSME, Bhopal
28 MSME, Bengaluru
29 IGTR, Indore
30 IDEMI, Mumbai
31 IGTR, Aurangabad
32 MSME, Jalandhar
33 MSME-Guwahati
34 MSME, Ludhiana
35 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), Noida
36 NITCON Ltd., Chandigarh
37 NHFDC Foundation, New Delhi
38 OP Jindal Community College, Raigarh
39 PPDC-Agra
40 PPDC-Meerut
41 Pithampur Cluster, Indore
42 Power Sector Skill Council, New Delhi
43 Rubber Skill Development Council (RSDC), Delhi
44 SSDM, Andhra Pradesh
45 SSDM, Rajasthan
46 SSDM, Karnataka
47 Textile Sector Skill Council, New Delhi
48 CEDMAP, Bhopal
49 Kitco Ltd., Cochin, Kerala
50 MSME, Bhiwadi
51 National Film Development Corporation (NFDC), Chennai

Overall expenditure on skill development utilizing grant-in-aid from Govt., Internal resources and limited CSR grants from other CPSEs stood at Rs. 23.49 crores.

Training Expenditure released as part payment especially on training sanctioned during 2020-21 was Rs. 7.20 crores for 15,750 trainees. Statewise/ Tradewise details of training during the year under report are available at **Annexure – 6** (Page No. 54-63).

The Corporation also completed skill training programmes for 120 members of beggars community during the year on Pilot basis. In addition to this, the Corporation had also sanctioned skill development training programmes for 330 members of transgender community, of which training programmes for around 160 trainees have been commenced. A total of 29 trainees who completed the training have been placed in Amazon, Flipkart, NMRC, NSFDC, WIPRO, SODEXO, Wallmart, Periferry, Tovo Chennai and Franklin Temleton.

19. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2020-21, Corporation has allocated and disbursed 21.25% fund of the total budget allocation received from Govt. of India to the North Eastern States. As per their legitimate demand received during the year 2020-21, loan amounting to Rs. 11.80 Cr. for 2641 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (Rs. 1016.38 Lakh) , Assam (Rs. 156.01 Lakh), Manipur (Rs. 5.50 Lakh), Meghalaya (Rs. 0.17 Lakh), Mizoram (Rs. 1.50 Lakh) and Sikkim (Rs. 0.14 Lakh). This is well above the mandatory requirement to disburse Rs.5.54 Crore (10% of Rs. 55.40 Crore received from GOI) for the financial year 2020-21. Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2020-21 (Rs. in Cr.)	Cum. Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2020-21	Cum. No. of Beneficiaries Assisted
Assam	1.56	76.44	369	49901
Manipur	0.055	26.71	3	19371
Meghalaya	0.002	0.002	1	1
Mizoram	0.015	0.002	2	2
Sikkim	0.001	29.63	1	5463
Tripura	10.16	175.51	2265	47832
TOTAL	**11.793**	**308.294**	**2641**	**122570**

23 एम.एस.एम.ई., रोहतक
24 एमपीकॉन, भोपाल
25 एम.एस.एम.ई., विशाखापत्तनम
26 एम.एस.एम.ई.–दुर्ग
27 एम.एस.एम.ई., भोपाल
28 एम.एस.एम.ई., बेंगलुरु
29 आई.जी.टी.आर., इंदौर
30 टाई.डी.ई.एम.आई., मुंबई
31 आई.जी.टी.आर., औरंगाबाद
32 एम.एस.एम.ई., जालंधर
33 एम.एस.एम.ई.–गुवाहाटी
34 एम.एस.एम.ई., लुधियाना
35 राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा
36 निटकॉन लिमिटेड, चंडीगढ़
37 एन.एच.एफ.डी.सी. फाउंडेशन, नई दिल्ली
38 ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज, रायगढ़
39 पी.पी.डी.सी.–आगरा
40 पी.पी.डी.सी.–मेरठ
41 पिथमपुर क्लस्टर, इंदौर
42 पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
43 रबड़ सेक्टर स्किल काउंसिल (आर.एस.डी.सी.), दिल्ली
44 एस.एस.डी.एम., आंध्र प्रदेश
45 एस.एस.डी.एम., राजस्थान
46 एस.एस.डी.एम., कर्नाटक
47 टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
48 सी.ई.डी.एम.ए.पी., भोपाल
49 किटको लिमिटेड, कोचीन, केरल
50 एम.एस.एम.ई., भिवाडी
51 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.), चेन्नई

सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता, आंतरिक संसाधनों एवं अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों से प्राप्त सीमित सी.एस.आर. अनुदान का उपयोग करते हुए कौशल विकास पर कुल रु. 23.49 करोड़ व्यय किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में 15,750 प्रशिक्षणार्थियों हेतु रु. 7.20 करोड़ जारी किया गया है। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार/ट्रेडवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक–6** (पृष्ठ सं. 54–63) पर दिया गया है।

निगम ने भिखारी समुदाय के 120 सदस्यों के लिए पायलट आधार पर भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने ट्रांसजेंडर समुदाय के 330 सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्वीकृत किए, जिसमें से लगभग 160 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले कुल 29 प्रशिक्षुओं को एमेजॉन, फिलपकार्ट, एनएमआरसी, एनएसएफडीसी, विप्रो, सोडेक्स, वॉलमार्ट, पेरीफेर्री, टोवो चेन्नई एवं फ्रैंकनिन टेमलटॉन में नियोजित किया गया है।

19. उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2020–21 में, निगम ने भारत सरकार से प्राप्त कुल बजट आवंटन की 21.25% राशि उत्तर–पूर्वी राज्यों को आबंटित एवं वितरित की है। वर्ष 2020–21 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों से प्राप्त विधिसंगत मांग के अनुसार 2641 लाभार्थियों हेतु रू. 11.80 करोड़ के ऋण उत्तर–पूर्वी राज्य त्रिपुरा को (रु. 1016.38 लाख), असम (रु. 156.01 लाख), मणीपुर (रु. 5.50 लाख), मेघालय (रु. 0.17 लाख), मिजोरम (रु. 1.50 लाख) एवं सिक्किम (रु. 0.14 लाख़) को वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रु. 5.54 करोड़ की अनिवार्य आवश्यकता से काफी अधिक (भारत सरकार से प्राप्त रु. 55.40 करोड़ का 10%) वितरण किया गया। उत्तर–पूर्वी राज्यों का संचयी विवरण इस प्रकार है–

राज्य	ऋण वितरण 2020–21 (रू. करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रू. करोड़ में)	2020–21 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	1.56	76.44	369	49901
मणीपुर	0.055	26.71	3	19371
मेघालय	0.002	0.002	1	1
मिजोरम	0.015	0.002	2	2
सिक्किम	0.001	29.63	1	5463
त्रिपुरा	10.16	175.51	2265	47832
योग	**11.793**	**308.294**	**2641**	**122570**

20. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs like India International Trade Fair, Dilli Haat, Surajkund International Crafts Mela, Lokotsav etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. The event not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro expenses, etc. Due to COVID 19 Pandemic, NBCFDC could not organize/sponsor any Fair, Exhibition etc., during the year 2020-21.

21. NEW INITIATIVES

21.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web based software (Phase II) for generating MIS & provides easy access to the Channel Partners for ease of business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating training of its channel partners for using SBMS (Social Benefit Management System) developed by NeGD, MeiTY on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping the target groups to apply on line & avail loan facilities of the corporation.

21.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme

In order to facilitate technological upgradation & capacity augmentation to clusters of target groups and to improve quality of the products and productivity thereby & to enable them to face the competition in domestic and international markets, Corporation has introduced Technology Upgradation Scheme. During the year, Corporation has sanctioned an amount of Rs. 90.24 lakh to benefit 327 members of Backward Classes in the States of Assam (Handloom Weaving in Nalbari), Haryana (Pottery in Jhajjar) and UT of J&K (Cutting & Tailoring and Fabric Art) towards financial assistance for Entrepreneurship Development Programme (EDP), Procurement of Machinery and for Development of Common Facility Centre (CFC) under Technology Upgradation of Cluster Scheme of NBCFDC. During 2020-21, Corporation has released an amount of Rs.1.11 Crore to J&K Women's Development Corporation, Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd., Kerala State Backward Classes Finance & Development Corporation, Indian Institute of Entrepreneurship, Indian Institute of Carpet Technology and ni-msme. Cumulatively, your Corporation has sanctioned Rs.3,49,13,548/- and released Rs. 2,05,51,644/- up to 31.03.2021 under this scheme.

21.3 Performance Linked Grant-In-Aid (PLGIA) Scheme

i) In order to strengthen the infrastructure of Channel Partners of National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC). Corporation has been providing grant to the SCA under Performance Linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme.

ii) Quantum of Assistance is normally restricted to 1% of the released funds in a year subject to max. of Rs. 10.00 Lakhs p.a.

During the year, the Corporation has disbursed Rs.106.24 Lakhs to 14 Channel Partners under this scheme.

21.4 Skill Development Training Programme for members of Transgender' community

Ministry of Social Justice and Empowerment has entrusted the sensitive job of Skill Development Training Programme for members' of Transgender' community on pilot basis to NBCFDC, with an objective to upgrade their skills to enable them to start income generating activities of their own or get gainfully employed in wage or self-employment The

20. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हॉट एवं सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले, लोकोत्सव इत्यादि के साथ–साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों / मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन / प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री होती है जो सामान्यतः उनके क्षेत्र में होना कठिन होता।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाज़ारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने–जाने का किराया व्यय इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण निगम किसी मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन / प्रायोजित नहीं कर सका।

21. नई पहल

21.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

आपके निगम ने एम.आई.एस. के सुधार के लिए अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर (द्वितीय चरण) में सुधार किया है और यह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में आसानी के लिए चैनल सहयोगियों को आसान पहुँच प्रदान करता है। एनबीसी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहयोगियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से NeGD, MeiTY द्वारा विकसित एस.बी.एम.एस. (सोशल बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं के ऑन–लाइन आवेदन करने व ऋण सहायता का लाभ उठाने में मदद करना है।

21.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के उद्देश्य के तहत समूहों का प्रौद्योगिकी उन्नयन

लक्षित समूहों के तकनीकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि को सुगम बनाने और उत्पादों और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एवं उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया। वर्ष के दौरान, निगम ने एन.बी.सी. एफ.डी.सी. की क्लस्टर योजना के प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत मशीनरी की खरीद, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) के लिए राज्यों में पिछड़ा वर्ग के 327 सदस्यों जिसमें, असम (नालबाड़ी हस्तकरघा बुनाई), हरियाणा (झज्जर में मिट्टी के बर्तन) एवं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (कटिंग एंड टेलरिंग एण्ड फैब्रिक आर्ट) सम्मिलित हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए रू. 90.24 लाख की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने जम्मू–कश्मीर महिला विकास निगम, असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीजन कॉरपोरेशन, केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय उद्यमिता संस्थान एवं निमस्मे को रू. 1.11 करोड की धनराशि जारी की है। आपके निगम ने इस योजना के अन्तर्गत 31.03.2021 तक सकल रूप से रू. 3,49,13,548 / – स्वीकृति एवं रू. 2,12,90,285 / – जारी किए हैं।

21.3 कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान योजना (पी.एल.जी.आई.ए.)

i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) चैनल सहभागियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, निगम कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान–सहायता (पी.एल.जी.आई.) योजना के तहत एस.सी.ए. को अनुदान प्रदान कर रहा है।

ii) सहायता की मात्रा सामान्य रूप से एक वर्ष में जारी धनराशि के 1% तक सीमित है, अधिकतम रू. 10 लाख प्रति वर्ष की सीमा में।

वर्ष के दारैान निगम ने इस याजेना के अतंगर्त 14 चनैल सहभागियों को रू.106.24 लाख की धनराशि वितरित की है।

21.4 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पायलट आधार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संवेदनशील कार्य एन.बी.सी. एफडी.सी. को सौंपा है ताकि वे अपने कौशल को उन्नत कर सकें तथा वे आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को आरंभ कर सकें अथवा वेतन या स्वरोजगार में लाभप्रद रूप से नियोजित हो सकें। निगम ने मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु,

Corporation sanctioned skill development training for 330 members of Transgender' community in the state of Manipur, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamilnadu, Telangana & Delhi. The training programmes for around 160 trainees have been commenced and so far, a total of 29 trainees who completed the training have been placed in Amazon, Flipkart, NMRC, NSFDC, WIPRO, SODEXO, Wallmart, Periferry, Tovo Chennai and Franklin Temleton.

22. MONITORING &EVALUATION:

The Corporation accords due emphasis on the monitoring & evaluation studies for monitoring purpose and assessing the impact of National backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) schemes on the socio-economic status of the beneficiaries. The Channel Partners are also advised from time to time to strengthen the monitoring mechanism and take action on the observations/recommendations of evaluation studies. On-going-schemes are evaluated from time to time to have an impact assessment through independent agencies.

During the year, the Corporation has assigned the work of evaluation study in credit schemes of NBCFDC to the Dr. Ambedkar Chairs, for a total sample size of 2800 beneficiaries for the state of Kerala (800), Haryana (700), Rajasthan (600) and Assam (700).

During the year, Evaluation Study of 850 units, set up by the beneficiaries of Punjab Backward Classes Land Dev. & Fin. Corpn. (BACKFINCO) - 425 units and Punjab Gramin Bank (PGB) - 425 units were conducted by Dr. Ambedkar Chair, Indian Institute of Public Administration (IIPA) and completed. The Corporation has accepted the Evaluation Study report. Outcomes and action taken on the Evaluation Reports where final reports were received in 2020-21 are enclosed at **Annexure–7** (Page No. 64-72).

23. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its channel partners has sponsored/organized Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, due to COVID-19, NBCFDC and its channel partners have organized 17 Awareness Camps in various States. The officials of the Corporation/channel partners also attended the camps & facilitated the target group in understanding the schemes. During the last six years, NBCFDC and its channel partners have organized 384 such Awareness Camps in various States.

Due to prevailing COVID-19 pandemic, proposals were invited from NBCFDC's Channel Partners for publicity of NBCFDC schemes through Digital Mediums amongst the target group. The Channel Partners of States of Kerala, Himachal Pradesh, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh were sanctioned grant under the Digital Awareness Programme.

NBCFDC also offered a grant of Rs. 1,00,000/- each its to the channel partners (Banks) for publicity and spreading of awareness about its VISVAS Yojana (Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ko Aarthik Sahayata Yojana) through Digital Medium. Aryavart Bank, Punjab Gramin Bank, Madhya Pradesh Gramin Bank and Chhattisgarh Rajya Gramin Bank were sanctioned the grant for the same.

24. MAIN EVENTS DURING 2020-21

24.1 Regional Review Meetings

Due to COVID-19 pandemic restrictions, the Corporation organized 03 Regional Review Meetings for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of Southern Region on 27.05.2020, Eastern & Western Region on 01.06.2020 and for Northern Region on 04.06.2020 through Video Conferencing (VC) to review the performance of SCAs.

In addition, meetings were routinely organized with the State Channelizing Agencies, Banks, Government Training Institutions and Sector Skill Council to update them on our financing & skilling Schemes & also take their feedback.

24.2 Raising Day Celebrations

As a part of its 29th Raising Day Celebrations on 13 January 2021, Corporation conducted various noble activities in the State/UT of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu, Telangana,

तेलंगाना और दिल्ली राज्यों में ट्रांसजेंडर समुदाय के 330 सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 160 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है एवं अब तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले कुल 29 प्रशिक्षुओं को अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, एनएमआरसी, एनएसएफडीसी, विप्रो, सोडेक्सो, वॉलमार्ट, पेरीफेरी, टोवो चेन्नई और फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन में कार्य पर रखा गया है।

22. निगरानी एवं मूल्यांकनः

निगम निगरानी के उद्देश्य से व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की योजनाओं का लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक अवस्था पर प्रभाव के आकलन पर समुचित बल देता है। चैनल सहभागियों को समय–समय पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने और मूल्यांकन अध्ययन की टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने की भी सलाह दी जाती है। स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव के आकलन के लिए समय–समय पर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, निगम द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण योजनाओं के कुल 2800 लाभार्थियों के लिए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य– केरल (800), हरियाणा (700), राजस्थान (600) एवं असम (700) हेतु डॉ० अम्बेडकर चेयर्स को सौंपा गया है।

वर्ष के दौरान, 850 इकाइयों का मूल्यांकन किया गया पंजाब बैकवर्ड लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन (बैकफिनको) के लाभार्थियों द्वारा स्थापित 425 इकाइयों और पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी)–425 इकाइयों का मूल्यांकन अध्ययन डॉ अम्बेडकर चेयर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा संचालित एवं पूरा किया गया। निगम ने मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 2020–21 में प्राप्त अंतिम मूल्याकंन के परिणाम और कार्रवाई **संलग्नक–7** (पृष्ठ सं. 64–72) पर उपलब्ध है।

23. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार एवं जागरूकता :

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, काविड–9 के कारण, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और इसके चैनल सहभागियों ने विभिन्न राज्यों में 17 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। निगम के अधिकारियों एवं चैनल सहभागियों ने भी शिविरों में भाग लिया और योजनाओं को समझने के लिए लक्षित समूहों को सुविधा प्रदान की और उन्हें बैंकों से रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछले छः वर्षों के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं उसके चैनल सहभागियों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के 384 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

व्याप्त कोविड–19 महामारी के कारण, लक्षित समूह के बीच डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के प्रचार के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के चैनल सहयोगियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के चैनल पार्टनर्स को डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी।

एनबीसीएफडीसी ने डिजिटल माध्यमों के माध्यम से अपनी विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गो को आर्थिक सहायता योजना) के बारे में प्रचार एवं जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्रत्येक चैनल भागीदारों (बैंकों) को रूपये 1,00,000/– का अनुदान देने की पेशकश की। इसके लिए आर्यवृत बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य/आर्यवृत बैंक, ग्रामीण बैंक को अनुदान स्वीकृत किया गया।

24. वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य आयोजन

24.1 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें

कोविड–19 महामारी प्रतिबंधों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से रा.चै.ए. को समीक्षा करने के लिए 3 क्षेत्रीय बैठकें 27.05.2020 को दक्षिण क्षेत्र की रा.चै.ए. 01.06.2020 को पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों एवं 04.06.2020 को उत्तरी क्षेत्रों की रा.चै.ए. की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई।

इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्र कौशल परिषद के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें हमारी वित्त पोषण और कौशल योजनाओं पर अद्यतन किया जा सके और उनकी प्रतिक्रिया भी ली जा सके।

24.2 स्थापना दिवस समारोह

निगम ने 13 जनवरी 2021 को अपने 29वें स्थापना दिवस समारोह को एक भाग के रूप में, संबंधित राज्यों में अपने चैनल पार्टनर्स के माध्यम से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न शानदार गतिविधियों का संचालन किया।

Assam and Tripura through its Channel Partners in respective States.

Activities undertaken were for distribution of blankets to the needy and deprived individuals for winter months, ration and sanitary kits at old age home, school kits and bags to poor school going children, dress material for children at foster home for children of sex workers, HIV orphans and children-in conflict with law.

25. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owed by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2020-21.

26. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/data received from SCAs/CPs/Tis.

27. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The Functional Divisions of the Corporation viz. Planning, Project, Finance & Company Affairs Skill Development, Administration / IT Department and Human Resource are operating with bare minimum staff of fifty five (55) employees as on 31.03.2021, which include newly recruited 03 (three) officials, in spite of continued increase in the volume of work of the Corporation able to reach to the gross root level beneficiaries. Out of the total manpower of the Corporation 55 employees of which 09 (nine) belongs to SC category, 01 (one) ST category and 13 belongs to OBC category, 01 (one) Ex- Serviceman and 01 (one) PWD person, there is no backlog vacancy exists in any cadre. Corporation is following the Reservation policy and guidelines issue by Department of Enterprise, Ministry of Heavy Industries, Government of India.

Corporation strongly believes in development of Human Resources in order to achieve the goals, for which the officials were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas. Despite of nominations for various training programs during for the year 2020-2021, only 06 officials completed their training, which include 05 on-line training programs due to COVID-19 pandemic.

27.1 Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the committee consisting of :-

(i) Smt. Anupama Sood, GM (Proj.)	- Presiding Officer
(ii) Shri V. R. Chary, SGM (HR & CSR)	- Member
(iii) Shri Ajit Kumar Samal , GM(Fin.) & C.S	- Member
(iv) Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO Representative	- Member
(v) Smt. Neelam Mudgal, Manager (Proj./Fin.)	- Member
(vi) Smt. Saramma Thomas, Officer	- Member Secretary

The aggrieved women employees to submit her complaints to the committee. During the financial year 2020-21, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

सर्दियों के महीनों हेतु जरूरतमंद एवं वंचित व्यक्तियों को कंबल वितरण, वृद्धाश्रम में राशन एवं सैनिटरी किट, स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को स्कूल किट और बैग, यौनकर्मियों के बच्चों के लिए पालन गृह में बच्चों के लिए ड्रेस सामग्री, एचआईवी अनाथ एवं कानून का सामना कर रहे बच्चों को वितरित किए गए।

25. सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 के अनुसार–अनिवार्य है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के आधिपत्य के एम.एस.ई. से 20% में से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। वर्ष 2012 के सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए आपके निगम ने वर्ष 2020–21 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

26. आधार अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा–7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी की आपूर्ति हेतु दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सीपी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया है, कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी/डेटा प्रदान कर रहा है।

27. मानव संसाधन प्रबंधन

लगातार बढ़ते कार्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर लाभार्थियो तक पहुंच बनाने के लिए निगम के क्रियाशील विभाग जैसे–योजना, परियोजना, वित्त और कम्पनी कार्य, कौशल विकास, प्रशासन/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मानव संसाधन विभाग 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम स्टाफ 55 के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें नए भर्ती किए गए 3 कार्मिक सम्मिलित हैं। निगम के कुल 55 कर्मचारियों में से 09 अनुसूचित जाति वर्ग, 01 अनुसूचित जन जाति और 13 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से, 01 (एक) भूपपूर्व सैनिक एवं 01 (एक) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है। किसी भी कैडर में कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के विकास में दृढ विश्वास रखता है, जिसके लिए कार्मिकों को संबद्ध कार्यात्मक क्षेत्रों में हुए नवीनतम विस्तार से उद्यतन कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन के बावजूद, केवल 06 अधिकारियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें कोविड–19 महामारी के कारण 05 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

27.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतः असहिष्णु है एवं निगम ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं सुधार सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

(i) श्रीमती अनुपमा सूद, महाप्रबन्धक (परि.) - पीठासीन अधिकारी

(ii) श्री वी. आर. चारी, महाप्रबन्धक (मा.स. एवं सी.एस.आर.) - सदस्य

(iii) श्री अजित कुमार सामल, महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव - सदस्य

(iv) श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि - सदस्य

(v) श्रीमती नीलम मुदगल, प्रबन्धक (परि./वित्त) - सदस्य

(iv) श्रीमती सारम्मा थॉमस, अधिकारी - सदस्य सचिव

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

28. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस./आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा

28. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard on 15 June 2018. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

29. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time. During the year, 'Hindi Pakwada' & 'Hindi Diwas' were observed in the month of September. Winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Alongwith Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E and to NARAKAS through online portal or in prescribed format. Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith various Hindi Classes to develop the competencies for working in Hindi. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Subhasini' during the year.

During the reporting year, the Corporation organized 'Hindi Seminar', and Swarachit Hindi Kavita Patha Competition under the aegis of NARAKAS, Delhi (Upkram-2). For these events, the Corporation was awarded Shield by NARAKAS. Beside this, Rajbhasha Adhikari of the Corporation was also awarded for his special contribution for the promotion of Official Language.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2020-21 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

30. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/ Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/ annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC).During the financial year 2020-21, all complaints/applications have been disposed off within the specified time limits.

31. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and also notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Officers & Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

32. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2019-20

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Excellent'. However, due to a

दिनांक 15 जून, 2018 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है, साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढ़ांचे के अधीन क्षमता वृद्ध एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

29. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा नीति एवं निगम के दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय–समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा 'हिन्दी दिवस' मनाए गए थे। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग हेतु हिन्दी सॉफ्टवेयर 'सारांश' के साथ–साथ गूगल इनपुट टूल संचालित किए गए हैं।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नाराकास को तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट ऑन–लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गई। हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ साथ विभिन्न हिन्दी कक्षाएं आयोजित की गई। वर्ष के दौरान निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रकाशन किया गया है।

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के तत्वावधान में 'हिंदी संगोष्ठी' तथा स्व–रचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के लिए निगम को नरकास द्वारा शील्ड प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिकारी को राजभाषा के संवर्धन के लिए उनके विशेष योगदान हेतु भी नराकास द्वारा सम्मानित किया गया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020–21के वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

31. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवम्बर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय–समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

32. समझौता ज्ञापन 2019–20 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी

difference in accounting principle followed at the time of target setting viz-a-viz evaluation, the DPE has, adopting a conservative approach, rated the performance as 'Very Good' for the year 2019-20 giving the Corporation a score of 79.24.

33. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

34. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s M A P & ASSOCIATES (DE2479), Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2020-21. The Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2020-21 and submitted their report.

35. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2020-21 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments as per Companies Act 2013.

36. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure- 8** (Page No. 73-78).

37. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link http://www.nbcfdc.gov.in.

38. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2021, there are five Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took have place in the composition of the Board of Directors:

- Shri Rajnish Kumar Jenaw, CMD, NSFDC appointed as Director and also holding additional charge of MD, NBCFDC w.e.f. 01.04.2021 on completion of tenure of Sh. K. Narayan w.e.f. 31.03.2021.

The Board welcomes Shri Rajnish K. Jenaw, MD, NBCFDC on the Board of NBCFDC. The Board also places on record its appreciation for the valuable guidance given by Sh. K. Narayan, Ex-MD, NBCFDC to the management of your Corporation during his tenure. Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

S.No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Rajnish K. Jenaw, CMD, NSFDC	Managing Director	01.04.2021	Till date
2.	Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED	Director	04.08.2017	-do-
3.	Shri Sanjay Pandey, JS&FA, SJ&E	Director	15.05.2019	-do-
4.	Dr. Subhransu Sekhar Acharya, GM SIDBI	Director	21.11.2018	-do-
5.	Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD	Director	13.01.2020	-do-
6.	Sh. K. Narayan	Managing Director	01.01.2016	31.03.2021

रखा है और आत्म–मूल्यांकन के आधार पर निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा में निगम की उपलब्धि 'उत्कृष्ट' श्रेणी में थी। तथापि, लक्ष्य निर्धारण यथा– मूल्यांकन के समय अपनाए गए लेखांकन सिद्धांत में अंतर के कारण, डीपी.ई. ने अनुदार दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ष 2019–20 के लिए प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' आंका है, जिससे निगम को 79.24 का स्कोर मिला है।

33. ऊर्जा सरंक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गये कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में विवरणों के प्रकटन में नहीं आते हैं; फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

34. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स एम.ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स (डीई2479), चाटर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2020–21 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2020–21 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

36. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, यदि कोई हों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वंय का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद द्वारा कारपोरेट प्रशासन पर जारी किया गया प्रमाण–पत्र **अनुलग्नक–8** (पृष्ठ सं. 73–78) पर प्रस्तुत है।

37. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट http://www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है।

38. निदेशक मण्डल

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में पाँच निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैः

- श्री रजनीश कुमार जैनव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. निदेशक के रूप में नियुक्त हुए एवं श्री के. नारायण का 31.03.2021 को कार्यकाल पूरा होने पर श्री जैनव 01.04.2021 से प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

निदेशक मण्डल श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी का एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में स्वागत करता है। श्री के. नारायण, भूतपूर्व प्र.नि.,एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य सुझावों के लिए निदेशक मण्डल उनकी प्रसंशा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	01.04.2021	अब तक
2	श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	04.08.2017	अब तक
3	श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	15.05.2019	अब तक
4	डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी	निदेशक	21.11.2018	अब तक
5	श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	13.01.2020	अब तक
6	श्री के नारायण, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबन्ध निदेशक	01.01.2016	31.03.2021

39. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

40. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

41. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

42. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

e) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

43. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

39. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

(ii) यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;

(iii) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(iv) निगम के वार्षिक लेखे प्रचलित मानकों के आधार पर निदेशकों द्वारा तैयार किए गए हैं;

(v) निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

(vi) लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त है व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

40. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक), नियम 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

41. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की सीमा में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया।

सदस्यों का ध्यान नोट नंबर 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक–24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

42. सामान्य:

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है :

(क) धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

(ख) धारा 178 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप–धारा (3) में दिया गया है;

(ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

(घ) अनुशंसा की गई राशि, यदि कोई हो, लाभांश के रूप में भुगतान की गई,

(ङ) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मैटेरियल ऑर्डर पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

43. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढने और उकृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदानों के लिए

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils(SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

उनको रिकार्ड करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–	ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE - 1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,
   4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar, NTR Road, Tadigadapa, Vijayawada-521 134
2. Stree Nidhi Credit Co-Operative Federation.
   2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013, Andhra Pradesh.

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.,
   1st floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati, Assam-781 008.
4. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,
   Dr. B.K. Kakoty Road, Gopinath Nagar, Guwahati, Assam-781 016.
5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,
   NEDFi House,G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,
   4th Floor, Sone Bhawan,Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,
   Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,
   T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangan, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh.

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn.
   Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,
    4th Floor, Patto Centre,Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403 001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn.,
    Block NO.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar, Gujarat-382 010.
12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,
    Block No.7, Third Floor, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, GUJARAT-382 010.
13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,
    Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat-382 010.
14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,
    Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,
    SCO No. 813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160 022.

HIMACHAL PRADESH

16. Himachal Backward Classes Finance &Development Corporation,
    Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176 001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
    May to October
    Exchange Road, Near Red Cross Office, Srinagar-190 001.
    Nov. to April
    715-A, Last Morh,Gandhi Nagar,Jammu-180004.
18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation.
    May to October
    Block No.- A, First Floor, Old Secretariat,Srinagar-180001.
    Nov. to April
    Hall No.6-B, 2nd Floor, Auqaf Complex, Gandhi Nagar, Jammu-180004.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,
    1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn.,
    No.16-D, 4th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bund Area,V asanthnagar, Bangalore, Karnataka-560 052.

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध प्रदेश

1. आन्ध प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि
चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कालेज के सामने, पदमजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टडीगड़डपा, विजयवाड़ा – 521134
2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन
द्वितीय मंजिल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा–520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टफेड रेहवरी कॉम्पलेक्स), ए.के. आजाद रोड़, रेहबरी, गुवाहाटी, असम–781008
4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपारेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी–781016, असम
5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि0,
नेडफी हाउस, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी–781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन,
चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001, बिहार

चंडीगढ़

7. चंडीगढ़ एस.सी. /बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एडिशलन टाउन हॉल बिल्डिग, तीसरी तल, सेक्टर –17 सी, चंडीगढ़ –160017

छत्तीसगढ

8. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,
टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर–24, न्यू रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ–492101

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी–403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन
ब्लॉक न. –11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
ब्लॉक न.–7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय सेक्टर–10, गाँधी नगर–382010, गुजरात
13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
ब्लॉक नं.–16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात
14. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ब्लॉक नं.–19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम
एस.सी.ओ. सं. 813–14, सेक्टर–22–ए, चण्डीगढ़ –160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश –176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर:
एक्सचैंज रोड, नियर रेड क्रास ऑफिस, श्रीनगर–190001
नवम्बर से अप्रैल:
715–ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू–180004
18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर:
ब्लाक–ए, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर–180001
नवम्बर से अप्रैल:
हॉल न. 6–बी, द्वितीय तल, एक्वाफ कॉम्पलेक्स, गाँधी नगर, जम्मू–180004

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलैक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड–834008

कर्नाटक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
स. 16–डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बुंद एरिया, बसंतनगर, बैंग्लोर–560052, कर्नाटक

21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,

    16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore-560 052

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.,

    'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.

23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,

    Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695 001.

24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,

    "SENTINEL", 2nd Floor,T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram,Kerala-695 035.

25. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED),

    Kamaleswaram,Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 009.

26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.),

    Near Railway Station, Nagampadom, Kottayam, Kerala-686002.

27. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd.,

    "Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695 122.

28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd., 1st Floor, Transport Bhawan Building, East Fort, Attakulangaru, Thiruvananthapuram, Kerala-695 003.

MAHARASHTRA

29. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.,

    Administrative Building, 4th Floor,Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai,Maharashtra-400 071.

30. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,

    25N,Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W),Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

31. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,

    Qrs. No. A/6, Unit-5,Near Rajib Bhawan,Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

32. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,

    No.1, VIII Cross St.,Anna Nagar, Nellithope,Puducherry-605 005.

PUNJAB

33. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation,

    SCO No. 60-61,Sector-17 A,Chandigarh, Punjab-160 017.

RAJASTHAN

34. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,

    2nd Floor,Nehru Sahkar Bhawan,Nr. 22, Godaam,Jaipur, Rajasthan- 302 005.

SIKKIM

35. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.

    (SABCCO),

    Sonam Tshering Marg (Kazi Road),Gangtok-737 101, Sikkim

TAMIL NADU

36. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,

    1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TELANGANA

37. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd.

    Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B,My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderabad -500063 Telangana

TRIPURA

38. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.,

    Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W),Agartala,Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

39. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,

    4th Floor, (South Wing), PCF Building,32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226 001.

40. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,

    10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

41. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,

    Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

West Bengal

42. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,

    H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1,Salt Lake,Kolkata, West Bengal-700 064.

43. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,

    'AMBER', DD-27/E, Sector-1,Salt Lake City,Kolkata,West Bengal-700 064.

21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सं. 16–डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर–560052, कर्नाटक

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पोओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल
23. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, पो. बाक्स. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम–695001, केरल
24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर, वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल
25. केरल स्टेट को–आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमेंट लि0 (मत्स्यफैड), कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरूअनंतपुरम –695009, केरल
26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटिज लि0, रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम –686002, केरल
27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0 केलपाम,'कुम्भुमविला, अरायूर पो. आ., कोट्टायम–695122, केरल
28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, प्रथम तल, ट्रांसपोर्ट भवन बिल्डिंग, ईस्ट फोर्ट, अट्टाकुलंगरा पो. ऑ., तिरूअनंतपुरम–695003, केरल

महाराष्ट्र

29. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर मार्ग, चैम्बूर(ई), मुम्बई–400071, महाराष्ट्र
30. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 25–एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड़ न. 9, जे.वी.पीडी. स्कीम, विले–पारले स्कीम(वेस्ट), मुम्बई–400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

31. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. ए/6, यूनिट–5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर –751001, ओड़ीसा

पुड्डूचेरी

32. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुड्डूचेरी–605005

पंजाब

33. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. सं. 60–61, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़–160017, पंजाब

राजस्थान

34. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान–302005

सिक्किम

35. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड़), गंगटोक–737101, सिक्किम

तमिलनाडु

36. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गंगूरेड्डी सबवे), चेन्नई–600008, तमिलनाडु

तेलंगना

37. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि. फ्लैट सं, 401, 402, 5–9–22 / बी, माई होम सरोवर प्लाजा, सचिवालय रोड, सैफा बाद, हैदराबाद –500063 तेलंगाना

त्रिपुरा

38. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को–आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा–799001,

उत्तर प्रदेश

39. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0., चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश
40. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0., 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –224001

उत्तराखण्ड

41. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

पश्चिम बंगाल

42. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. वलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एच. ओ. ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर–1, सॉल्ट लेक, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल
43. पश्चिम बंगाल माइनोरिटिज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, 'अम्बेर', डी.डी. 27/ई, सेक्टर–1, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
LIST OF BANKS (RRBs/PSBs)

1. **Saurashtra Gramin Bank**
Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat.

2. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh.

3. **Punjab Gramin Bank**
H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab.

4. **Aryavart Bank**
H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.

5. **Maharashtra Gramin Bank**
Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33, Golwadi Village, Tal-Dist-Aurangabad Near Disha Sankriti Society. 431010

6. **Dakshin Bihar Gramin Bank**
H.O. Sri Vishnu Commericial Complex, Beside National Highway Petrol Pump, Ashochak, NH-30, Patna-800016, Bihar

7. **Sarva Haryana Gramin Bank**
H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana

8. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
H.O. Rajendra Place, 5 Main Road,Near Over Bridge Ranchi-834001,Jharkhand

9. **Telangana Grameena Bank**
2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia, St. No. 9, Shankermutt Road, Hyderabad-500044

10. **Prathama UP Gramin Bank**
Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box No. 446, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

11. **Andhra Pragathi Grameena Bank**
Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram, Kadapa - AP-516003

12. **Assam Gramin Vikash Bank**
Head Office : Guwahati G. S. Road, Bhangagarh Guwahati, Assam-781005

13. **Baroda Gujarat Gramin Bank**
101 ABN Chamber, 1st floor opposite Welcome Hotel, RC Dutta Road, Alkapuri, Baroda-390005

14. **Himachal Pradesh Gramin Bank**
Head Office, HPGB Jail Road, Mandi, Himachal Pradesh - 175001

15. **Rajasthan Marudhara Gramin Bank**
Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan

16. **Uttarakhand Gramin Bank**
H.O.18, New Road, Dehradun-248001, Uttarakhand

17. **Baroda UP Bank**
Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur (U.P.)- 273018

18. **TRIPURA GRAMIN BANK**
V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005, Tripura

19. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**
Mahadevghat Road Sundar Nagar, Raipur-492013, Chhattisgarh

20. **Madhyanchal Gramin Bank**
H.O. Poddar Colony, Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

21. **Manipur Rural Bank**
Keisampat Wahengbam Leikai Rd, Sagolband, Imphal, Manipur 795004

22. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530020

23. **Konoklota Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.**
Head office & Gar-Ali Branch, Sahid Konoklota Baruah Memrial Bhawan, Jorhat Mariani Rd, Gar-Ali, Jorhat, Assam - 785001

24. **Bank Of Baroda**
Baroda Bhawan, 7th Floor, R.C. Dutt Road, Vadodara-390 007, (Gujarat) India.

25. **Punjab National Bank**
Plot No 4, Sector -10, Dwarka, New Delhi -110075

26. **Canara Bank**
H.O. 112, J.C. Road, Banglore-560002, Karnataka

बैंकों की सूची (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)

1. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, विंग–2, प्रथम तल, एल.आई.सी. जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर रोड़, राजकोट–360001, गुजरात

2. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
सी –21, बिजनेस पार्क, सी 21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर. –10, इंदौर –452010, मध्य प्रदेश।

3. **पंजाब ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, जालन्धर रोड़, कपूरथला–146601, पंजाब

4. **आर्यव्रत बैंक**
मुख्यालय, ए–2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

5. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, प्लॉट नंबरः 42, गुट नंबरः 33, गोलवाड़ी गांव, ताल–जिला–औरंगाबाद, दिशा संकृति सोसाइटी के पास–431010

6. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नेशनल हाईवे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोचक, एनएच–30, पटना–800016, बिहार

7. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, एसएचजीबी हाउस, प्लॉट न. 1, सेक्टर–3,रोहतक–124001,

8. **झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, राजेन्द्रा प्लेस, 5, मैंन रोड, ओवर ब्रिज के नजदीक, राँची–834001, झारखण्ड

9. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
2–1–520, द्वितीय तल, विजया श्री साँई सेलेस्टिया, सैट न. 9, शंकरमठ रोड़, हैदराबाद–500044

10. **प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, राम गंगा विहार चरण–II, पो. बॉक्स सं. 446, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश (भारत)।

11. **आन्ध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक**
मरयापुरम चर्च के पास, मरयापुरम, काडपा–516001, आन्ध्र प्रदेश

12. **असम ग्रामीण विकास बैंक**
प्रधान कार्यालयः गुवाहाटी जी.एस. रोड, भंगगढ़ गुवाहाटी, असम–781005

13. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक,**
101 ए.बी.एन. चैंबर, प्रथम तल वैलकम होटल के सामने, दत्ता रोड अलकापुरी बड़ौदा –390005

14. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
आई.टी. विभाग, मुख्यालय, एच.पी.जी.बी. जेल रोड़, मण्डी–175001, हिमाचल प्रदेश

15. **राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक**
तुलसी टावर, 9वां बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर–342003, राजस्थान

16. **उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, 18, न्यू रोड़, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड

17. **बड़ौदा यूपी बैंक**
बौद्ध विहार वाणिज्यिक योजनाए तारामंडलए गोरखपुर (उ.प्र.)–273018

18. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
वी.आई.पी. रोड अभयनगर अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा–799005, त्रिपुरा

19. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
महादेवघाट रोड सुंदर नगर, रायपुर –492013, छत्तीसगढ़

20. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, पोद्दार कालोनी, तिलि रोड़, सागर–470001, मध्य प्रदेश

21. **मणिपुर ग्रामीण बैंक**
कीसमपत वेंगबम लेइकाई रोड, सगोलबंद, इंफाल, मणिपुर–795004

22. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
30–7–24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश–530020

23. **कोनोक्लोटा महिला अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**
प्रधान कार्यालय और गार–अली शाखा, साहिद कोनोक्लोटा बरुआ स्मारक भवन, जोरहाट मरिऐनी रोड, गार–अली, जोरहाट, असम–785001

24. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा भवन, 7 वीं मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा–390 007, (गुजरात) भारत

25. **पंजाब नेशनल बैंक**
प्लाट सं.–4, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

26. **केनरा बैंक**
मुख्यालय, 112, जे.सी. रोड़, बैंगलोर–560002, कर्नाटक

ANNEXURE - 2

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
Lending Institution List for VISVAS Yojana Scheme

1. **Anik Financial Services Pvt. Ltd.**
   Sahyadri Building, Behind Amitesh Hotel, Near Sainaka Ambajogai Road, Latur - 413 512
2. **Bank of India**
   Star House, C-5 G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051, Maharashtra, India
3. **Central Bank of India**
   Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India
4. **State Bank of India**
   C-5, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051
5. **Union Bank of India**
   239, Ground Floor, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021
6. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
   30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530020
7. **Konoklota Mahila Urban Co-operative Bank Ltd.**
   Head office & Gar-Ali Branch, Sahid Konoklota Baruah Memrial Bhawan, Jorhat Mariani Rd, Gar-Ali, Jorhat, Assam-785001
8. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**
   Mahadevghat Road, Sundar Nagar, Raipur-492013, Chhattisgarh
9. **Sarva Haryana Gramin Bank**
   H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana
10. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
    H.O. Rajendra Place, 5 Main Road, Near Over Bridge Ranchi-834001, Jharkhand
11. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
    C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blue, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh
12. **Maharashtra Gramin Bank**
    Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33, Golwadi Village, Tal-Dist- Aurangabad Near Disha Sankriti Society- 431010
13. **Canara Bank**
    H.O. 112 J.C. Road, Banglore-560002, Karnataka
14. **Punjab National Bank**
    Plot No 4, Sector -10, Dwarka, New Delhi -110075
15. **Punjab Gramin Bank**
    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab
16. **Telangana Grameena Bank**
    2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia, St. No. 9, Shankermutt Road, Hyderabad-500044
17. **Tripura Gramin Bank**
    V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005, Tripura
18. **Aryavart Bank**
    H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

अनुलग्नक–2

विस्वास योजना योजना के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं की सूची

1. **अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड**
   सहयाद्री बिल्डिंग, अमितेश होटल के पीछे साइनाका अंबाजोगाई रोड, लातूर के पास–413 512.

2. **बैंक ऑफ इंडिया**
   स्टार हाउस, सी–5 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051, महाराष्ट्र, भारत

3. **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
   चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, महाराष्ट्र, भारत

4. **भारतीय स्टेट बैंक**
   सी–5, जी ब्लॉक बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र–400051

5. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
   239, भूतल, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र–400021

6. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
   30–7–24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश–530020

7. **कोनोकलोटा महिला अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**
   मुख्यालय एवं गर–अली शाखा, साहिद कोनोक्लोटा बरुआ स्मारक भवन, जोरहाट मरियानी रोड, गर–अली, जोरहाट, असम–785001

8. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
   महादेवघाट रोड सुंदर नगर, रायपुर–492013, छत्तीसगढ़

9. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
   एच.ओ.एसएचजीबी हाउस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर –3, रोहतक–124001, हरियाणा

10. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालय राजेंद्र प्लेस, 5 मेन रोड, ओवर ब्रिज के पास रांची–834001, झारखंड

11. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    सी–21, बिजनेस पार्क, सी21 स्क्वायर, सामने होटल रेडिसन ब्लू, एमआर–10, इंदौर–452010, मध्य प्रदेश

12. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालय, प्लॉट नंबरः 42, गुट नंबरः 33, गोलवाड़ी गांव, ताल–जिला–औरंगाबाद, दिशा संकृति सोसाइटी के पास–431010

13. **केनरा बैंक**
    मुख्यालय 112 जे.सी. रोड, बंगलौर–560002, कर्नाटक

14. **पंजाब नेशनल बैंक**
    प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

15. **पंजाब ग्रामीण बैंक**
    मुख्यालय जालंधर रोड, कपूरथला–144601, पंजाब

16. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
    2–1–520, दूसरी मंजिल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, शंकरमुट रोड, हैदराबाद–500044

17. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
    वी.आई.पी रोड अभयनगर अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा–799005, त्रिपुरा

18. **आर्यावर्त बैंक**
    मुख्यालय ए–2 / 46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

ANNEXURE - 3

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
Ministry of Social Justice and Empowerment (M/O SJ & E) 2020-21
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Best in last 5 year	Current Year (Estimated) 2019-20	MOU Target for the year 2020-21				
						Excellent 100%	Very Good 80%	Good 60%	Fair 40%	Poor 20%
PART- A										
i	**Turnover** Revenue from Operations (Net)	Rs. Crore	10	40.78	48.00	48.00	45.00	43.00	42.00	40.00
ii	**Operating Profit/Loss**									
	CPSEs with operating profit (Profit/Surplus before Tax excluding other Income, Extraordinary and Exceptional Items):- Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	45.80	49.00	49.00	46.00	43.00	42.00	41.00
iii	**Return on Investment:**									
	Profit Earning CPSEs with no accumulated losses: PAT or Surplus as a Average Net Worth (%)	%	20	3.07	1.41	3.10	1.41	1.30	1.25	1.20
	Total (Part A)		**50**							
PART- B										
i	Loans disbursed/Total Funds Available	%	10	93.42	96.44	96.50	95.00	93.00	92.00	91.00
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement	%	10	56.39	60.19	61.00	59.00	58.00	57.00	56.00
iii	Overdue loans/Total loans (Principal Net)	%	10	6.27	3.55	3.55	4.75	5.00	5.25	5.50
iv	Percentage of procurement of Goods & services through GeM portal to total procurement of goods & services during the previous year i.e. fy 2019-20	%	5	--	--	25	20	15	10	5
v	Last mile Disbursement to ultimate beneficiary (% of total disbursement by 31.12.2020)	%	5	-	-	100	97	95	94	93
vi	Geographical coverage (no. of state /Uts) functionally covered	Nos.	5	-	-	30	28	26	24	22
vii	Development and operationalize of Dash Board for capturing Loan disbursement to ultimate beneficiaries and amount with intenmediary along with period	Date	5	--	--	15.02.2021	28.02.2021	10.03.2021	20.03.2021	31.03.2021
	Total (Part B)		**50**							
	Total (Part A + Part B)		**100**							

Notes

1. It was agreed that targets recommended by the IMC are based on estimates submitted by CPSE for the year 2019-20. In case of better performance of the CPSE as per final results as compared to estimates, the difference shall be added to the targets for the 2020-21.
2. It was agreed that targets decided in MOU are unconditional and no offset will be allowed . Further evaluation would be subject to compliance of additional eligibility criteria as contained in para 14.2 of MOU Guidelines 2020-21
3. It was agreed that in working out achievements for the tear, quantified qualification of CAG / Statutory Auditors would be adjusted in case of overstatement of Revenue/ Profit/ Surplus or understatement of Loss /deficit, in addition to negative marks prescribed in MOU guidelines.
4. National Backward Classes Finance and Development Corporation and Ministry of Social Justice and Empowerment on the behalf of Government of India agree to the Memorandum of Understanding for 2020-21 and signed on the 16th day of November, 2020.

अनुलग्नक–3

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2020–21

लक्ष्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एवं उनका निर्धारण

भाग–क										
क्र. सं.	वित्तीय कार्य निष्पादन मापदण्ड	इकाई	अंक	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	चालू वर्ष (अनुमानित) 2019–20	वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	संतोष जनक 40%	घटिया 20%
i	**टर्नओवर** संचालन से आय (करों का शुद्ध)	रू. करोड़	10	40.78	48.00	48.00	45.00	43.00	42.00	40.00
ii	**संचालन लाभ/हानि**									
	संचालन आय वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (अन्य आय, असाधारण एवं विशेष मदों को असम्मिलित करते हुए कर से पूर्व लाभ/आधिक्य) :– संचालन लाभ/आधिक्य संचालनों (शुद्ध) से आय प्रतिशत के रूप में	%	20	45.80	49.00	49.00	46.00	43.00	42.00	41.00
iii	**विनिवेश पर वापसी:**									
	हानि का संग्रहण न करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यमों का लाभार्जनः पैट अथवा आधिक्य औसत निवल संपत्ति (%) के रूप में	%	20	3.07	1.41	3.10	1.41	1.30	1.25	1.20
	योग (भाग–क)		**50**							
भाग–ख										
i	वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि	%	10	93.42	96.44	96.50	95.00	93.00	92.00	91.00
ii	कुल वितरण के प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	56.39	60.19	61.00	59.00	58.00	57.00	56.00
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	6.27	3.55	3.55	4.75	5.00	5.25	5.50
iv	गत् वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामान एवं सेवाओं के प्रबंधन का जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं के प्रबंधन का कुल प्रतिशत	%	5	--	--	25	20	15	10	5
v	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि (31.12.2020 तक कुल वितरण का %)	%	5	-	-	100	97	95	94	93
vi	कार्यात्मक रूप से भौगोलिक आच्छादन (राज्यों/संघ रा. क्षेत्रों की सं.)	Nos.	5	-	-	30	28	26	24	22
vii	लाभार्थियों को अंततः ऋण संवितरण करने के लिए डैश बोर्ड का विकास और अवधि के साथ संचालन के साथ–साथ मध्यस्थता राशि	Date	5	--	--	15.02.2021	28.02.2021	10.03.2021	20.03.2021	31.03.2021
	योग (भाग ख)	**50**								
	योग (भाग क + भाग ख)	**100**								

टिप्पणी :

1. यह सहमति हुई थी कि वर्ष 2019–20 के लिए आई.एम.सी. द्वारा संस्तुत लक्ष्य केन्द्रीय लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत अनुमानों पर आधारित हैं। केन्द्रीय लोक उद्यम द्वारा अंतिम परिणामों के आधार पर अनुमानों की तुलना में अच्छे कार्यनिष्पादन की दशा में अंतर को वर्ष 2020–21 के लक्ष्यों में जोड़ा जाएगा।
2. यह सहमति हुई थी समझौता ज्ञापन में विनिश्चित लक्ष्य शर्त रहित हैं तथा इन्हें छिपाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन अतिरिक्त योग्यता मापदण्ड की दशा में होगा जैसा कि समझौता ज्ञापन, 2020–21 के दिशा–निदेशों के पैरा 14.2 में सम्मिलित हैं।
3. यह सहमति हुई थी कि वर्ष की उपलब्धियों के आगणन हेतु सी.ए.जी./सांविधिक अंकेक्षकों की परिमाणित अर्हता को राजस्व/लाभ/हानि के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन की दशा में समझौता ज्ञापन में विनिश्चित नकारात्मक अंकों के अतिरिक्त ठीक किया जाएगा।
4. नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड कॉरपोरेशन एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निमित्त समझौता ज्ञापन 2020–21 पर सहमत हुए हैं एवं दिनाँक 16 नवम्बर, 2020 को हस्ताक्षरित किया गया।

ANNEXURE - 3.1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)

Ministry of Social Justice and Empowerment (M/O SJ & E) 2020-21

PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Best in last 5 year	Current Year (Estimated) 2019-20	MOU Target for the year 2020-21					Achievement as on 31/03/2021	Raw Score
						Excellent 100%	Very Good 80%	Good 60%	Fair 40%	Poor 20%		
PART- A												
i	**Turnover** Revenue from Operations (Net of Taxes)	Rs. Crore	10	40.78	48.00	48.00	45.00	43.00	42.00	40.00	55.61	10.00
ii	**Operating Profit/Loss** CPSEs with operating profit (Profit/ Surplus before Tax excluding other Income, Extraordinary and Exceptional Items):- Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	45.80	49.00	49.00	46.00	43.00	42.00	41.00	56.97	20.00
iii	**Return on Investment:** Profit Earning CPSEs with no accumulated losses: PAT or Surplus as a Average Net Worth (%)	%	20		1.41	3.10	1.41	1.30	1.25	1.20	1.69	16.65
	Total (Part A)		**50**									**46.65**
PART- B												
i	Loans disbursed / Total funds Available	%	10	93.42	96.44	96.50	95.00	93.00	92.00	91.00	97.57	10.00
ii	Loans disbursed to Micro Finance Benificiarires as a % Total Disbursement	%	10	56.39	60.19	61.00	59.00	58.00	57.00	56.00	64.66	10.00
iii	Overdue loans/Total loans (Principal Net)	%	10	6.27	3.55	3.55	4.75	5.00	5.25	5.50	2.64	10.00
iv	Percentage of procurement of Goods & services through GeM portal to toal procurement of goods & services during the previous year i.e. fy 2019-20	%	5	--	--	25	20	15	10	5	23.05	4.61
v	Last mile Disbursement to ultimate beneficiary (% of total disbursement by 31.12.2020	%	5	-	-	100	97	95	94	93	98.73	4.58
vi	Geographical coverage (No. of States/ Uts) functionally covered	Nos.	5	-	-	30	28	26	24	22	30	5
	Total (Part B)		**45**									
C	**HR Parameters :**											
vii	Development and operationalize of Dash Board for capturing Loan disbursement to ultimate beneficiaries and amount with interimediary along with period	Date	5	--	--	15.02.2021	28.02.2021	10.03.2021	20.03.2021	31.03.2021	10.02.2021	5
	Total (Part B)		**50**									**49.19**
	Total (Part A + Part B)		**100**									**95.84**

अनुलग्नक–3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2020–21

लक्ष्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एवं उनका निर्धारण

क्र. स.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मापदण्ड	इकाई	अंक	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	चालू वर्ष (अनुमानित) 2019–20	वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					31.03.2021 को उपलब्धि	अपुष्ट स्कोर
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	संतोषजनक 40%	घटिया 20%		
भाग–क												
i	**टर्नओवर** संचालन से आय (शुद्ध कर)	रु. करोड़	10	40.78	48.00	48.00	45.00	43.00	42.00	40.00	55.61	10.00
ii	**संचालन लाभ/हानि** संचालन आय वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (अन्य आय, असाधारण एवं विशेष मदों को असम्मिलित करते हुए कर से पूर्व लाभ/आधिक्य) :– संचालन लाभ/आधिक्य संचालनों (शुद्ध) से आय के प्रतिशत के रूप में	%	20	45.80	49.00	49.00	46.00	43.00	42.00	41.00	56.97	20.00
iii	**विनिवेश पर वापसी** हानि का संग्रहण न करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यमों का लाभार्जनः पैट अथवा आधिक्य/औसत निवल संपत्ति (%)	%	20		1.41	3.10	1.41	1.30	1.25	1.20	1.69	16.65
	योग (भाग–क)		**50**									**46.65**
भाग–ख												
i	वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि (कौशल विविकास अनुदान को असम्मिलित करते हुए)	%	10	93.42	96.44	96.50	95.00	93.00	92.00	91.00	97.57	10.00
ii	कुल वितरण के प्रतिशत के रूप में लघु वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	56.39	60.19	61.00	59.00	58.00	57.00	56.00	64.66	10.00
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	6.27	3.55	3.55	4.75	5.00	5.25	5.50	2.64	10.00
iv	गत् वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामान एवं सेवाओं के प्रबंधन का जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं के प्रबंधन का कुल प्रतिशत	%	5	--	--	25	20	15	10	5	23.05	4.61
v	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि (31.12.2020 तक कुल वितरण का %)	%	5	-	-	100	97	95	94	93	98.73	4.58
vi	कार्यात्मक रूप से भौगोलिक आच्छादन (राज्यों/संघ रा. क्षेत्रों की सं.)	संख्या	5	-	-	30	28	26	24	22	30	5
	योग (भाग–ख)		**45**									
ग	**मानव संसाधन मापदण्डः**											
vii	लाभार्थियों को अंततः ऋण संवितरण करने के लिए डैश बोर्ड का विकास और अवधि के साथ संचालन के साथ–साथ मध्यस्थता राशि	तिथि	5	--	--	15.02.2021	28.02.2021	10.03.2021	20.03.2021	31.03.2021	10.02.2021	5
	योग (भाग–ख)		**50**									**49.19**
	योग (भाग–क + भाग–ख)		**100**									**95.84**

Annexure-4

STATEMENT SHOWING SCA/RRB/PSB WISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2018-19 TO 2020-21

Financial : ₹ in Lakh
Physical : No. of Beneficiaries

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2018-19	2019-20	2020-21	Cumulative as on 31.03.2021	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**					
1		**Andhra Pradesh**					
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	1500.00	0.00	0.00	20116.74	360543
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	0.00	0.00	50.00	50.00	20
	1.4	Andhra Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		Sub Total (1.1 to 1.4)	**1500.00**	**0.00**	**50.00**	**21450.47**	**366319**
2		**Assam**					
	2.1	Assam (Artfed)	400.00	1180.00	150.00	2410.00	7667
	2.2	Assam (BC)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**400.00**	**1180.00**	**150.00**	**3424.42**	**9211**
3		**Bihar**					
	3.1	Bihar (BC)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		**Chhattishgarh**					
	4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	0.00	0.00	0.00	1867.32	3076
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	0.00	1242.32	410.82	1653.14	953
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**0.00**	**1242.32**	**410.82**	**3520.46**	**4029**
5		Goa (SC/ST/BC)	150.00	130.00	50.00	2527.73	2603
6		**Gujarat**					
	6.1	Gujarat (BC)	500.00	0.00	0.00	8419.77	17281
	6.2	Guajrat (Gopalak)	250.00	200.00	200.00	4222.48	10451
	6.3	Guajrat (Thakor)	450.00	150.00	800.00	5885.00	16954
	6.4	Guajrat (Nomadic)	30.00	0.00	0.00	225.57	753
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	325
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	2500.00	2000.00	1887.49	6387.49	18008
	6.7	Gujarat (Others)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**3730.00**	**2350.00**	**2887.49**	**25685.31**	**64972**
7		**Haryana**					
	7.1	Haryana (BC)	1100.00	1000.00	400.00	11352.42	42948
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	0.00	0.00	0.00	1100.00	2862
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**1100.00**	**1000.00**	**400.00**	**12452.42**	**45810**
8		**Himachal Pradesh**					
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	500.00	499.88	302.00	7779.86	11118
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**500.00**	**499.88**	**302.00**	**9130.86**	**14164**
9		**Jammu & Kashmir**					
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	100.00	300.00	300.00	1121.88	2028
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	200.00	300.00	300.00	2520.60	7544
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**300.00**	**600.00**	**600.00**	**3642.48**	**9572**
10		**Jharkhand**					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	0.00	300.00	0.00	945.30	1748
	10.2	Vananchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	600.00	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**2145.30**	**4497**

अनुलग्नक–4

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षे.ग्रा. बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक–वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

वित्तीयः रू. लाख में
भौतिकः लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	31.03.2021 को संचयी संवितरण	31.03.2021 को संचयी लाभार्थियों की संख्या
I.		राज्य					
1		आंध्र प्रदेश					
	1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	1500.00	0.00	0.00	20116.74	360543
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	0.00	0.00	50.00	50.00	20
	1.4	आंध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		उप योग (1.1 से 1.4)	**1500.00**	**0.00**	**50.00**	**21450.47**	**366319**
2		असम					
	2.1	असम (आर्टफेड)	400.00	1180.00	150.00	2410.00	7667
	2.2	असम (बीसी)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	**400.00**	**1180.00**	**150.00**	**3424.42**	**9211**
3		बिहार					
	3.1	बिहार (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
		उप योग (3.1 से 3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4989.35**	**10651**
4		छत्तीसगढ़					
	4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एएसटी)	0.00	0.00	0.00	1867.32	3076
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	0.00	1242.32	410.82	1653.14	953
		उप योग (4.1 से 4.2)	**0.00**	**1242.32**	**410.82**	**3520.46**	**4029**
5		गोवा(एससी/एएसटी/बीसी)	150.00	130.00	50.00	2527.73	2603
6		गुजरात					
	6.1	गुजरात (बीसी)	500.00	0.00	0.00	8419.77	17281
	6.2	गुजारत (गोपालक)	250.00	200.00	200.00	4222.48	10451
	6.3	गुजारत (ठाकोर)	450.00	150.00	800.00	5885.00	16954
	6.4	गुजारत (नोमेडिक)	30.00	0.00	0.00	225.57	753
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	325
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2500.00	2000.00	1887.49	6387.49	18008
	6.7	गुजरात (अन्य)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		उप योग (6.1 से 6.7)	**3730.00**	**2350.00**	**2887.49**	**25685.31**	**64972**
7		हरियाणा					
	7.1	हरियाणा (बी.सी.)	1100.00	1000.00	400.00	11352.42	42948
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1100.00	2862
		उप योग (7.1 से 7.2)	**1100.00**	**1000.00**	**400.00**	**12452.42**	**45810**
8		हिमाचल प्रदेश					
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	500.00	499.88	302.00	7779.86	11118
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
		उप योग (8.1 से 8.2)	**500.00**	**499.88**	**302.00**	**9130.86**	**14164**
9		जम्मू और कश्मीर					
	9.1	जम्मू और कश्मीर (एससी)	100.00	300.00	300.00	1121.88	2028
	9.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	200.00	300.00	300.00	2520.60	7544
		उप योग (9.1 से 9.2)	**300.00**	**600.00**	**600.00**	**3642.48**	**9572**
10		झारखंड					
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	0.00	300.00	0.00	945.30	1748
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	600.00	910
		उप योग (10.1 से 10.3)	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**2145.30**	**4497**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2018-19	2019-20	2020-21	Cumulative as on 31.03.2021	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
11		**Karnataka**					
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	0.00	1500.00	0.00	41399.19	243090
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	0.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**0.00**	**1500.00**	**0.00**	**42899.19**	**246484**
12		**Kerala**					
	12.1	Kerala (Artisan)	0.00	100.00	150.00	980.29	2866
	12.2	Kerala (BC)	13000.00	14700.00	9800.00	119682.27	492926
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	5000.00	3700.00	2600.00	39109.83	298285
	12.5	Kerala (Handicraft)	100.00	100.00	150.00	1091.50	3648
	12.6	Kerala (Polmarah)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	4042.50	3600.00	3500.00	20238.24	45477
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**22142.50**	**22200.00**	**16200.00**	**182348.66**	**847136**
13		**Madhya Pradesh**					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	3528.06	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	1324.50	5969.63	3499.49	11250.40	11063
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**1324.50**	**5969.63**	**3499.49**	**16634.82**	**30300**
14		**Maharashtra**					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		**Manipur**					
	15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		**Orissa**					
	17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**Punjab**					
	18.1	Punjab (BC)	300.00	500.00	850.00	7545.89	21324
	18.2	Punjab Gramin Bank	1500.00	1000.00	1000.00	6480.87	12807
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**1800.00**	**1500.00**	**1850.00**	**14026.76**	**34131**
19		**Rajasthan**					
	19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	300.00	1700.00	700.00	8766.89	23935
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**300.00**	**1700.00**	**700.00**	**9443.24**	**25148**
20		Sikkim (SC/ST)	50.00	200.00	0.00	2962.86	5462
21		**Tamilnadu**					
	21.1	Tamilnadu (BC)	7500.00	8000.00	10700.00	92711.94	812380
	21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**7500.00**	**8000.00**	**10700.00**	**92767.94**	**812940**

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	31.03.2021 को संचयी संवितरण	31.03.2021 को संचयी लाभार्थियों की संख्या
11		कर्नाटक					
	11.1	डी. देवराज उर्स (बीसी)	0.00	1500.00	0.00	41399.19	243090
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		उप योग (11.1 से 11.2)	**0.00**	**1500.00**	**0.00**	**42899.19**	**246484**
12		केरल					
	12.1	केरल (आर्टीजन)	0.00	100.00	150.00	980.29	2866
	12.2	केरल (बीसी)	13000.00	14700.00	9800.00	119682.27	492926
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्टस)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	5000.00	3700.00	2600.00	39109.83	298285
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	100.00	100.00	150.00	1091.50	3648
	12.6	केरल (पॉलिमर)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	4042.50	3600.00	3500.00	20238.24	45477
		उप योग (12.1 से 12.7)	**22142.50**	**22200.00**	**16200.00**	**182348.66**	**847136**
13		मध्य प्रदेश					
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3528.06	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तिशिल्प)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	1324.50	5969.63	3499.49	11250.40	11063
		उप योग (13.1 से 13.5)	**1324.50**	**5969.63**	**3499.49**	**16634.82**	**30300**
14		महाराष्ट्र					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		उप योग (14.1 से 14.5)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		मणिपुर					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		उप योग (15.1 से 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		ओडिशा					
	17.1	उडीसा (बीसी)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	उडीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		उप योग (17.1 से 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		पंजाब					
	18.1	पंजाब (बीसी)	300.00	500.00	850.00	7545.89	21324
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1500.00	1000.00	1000.00	6480.87	12807
		उप योग (18.1 से 18.2)	**1800.00**	**1500.00**	**1850.00**	**14026.76**	**34131**
19		राजस्थान					
	19.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	300.00	1700.00	700.00	8766.89	23935
		उप योग (19.1 से 19.2)	**300.00**	**1700.00**	**700.00**	**9443.24**	**25148**
20		सिक्किम (एससी/एसटी)	50.00	200.00	0.00	2962.86	5462
21		तमिलनाडु					
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	7500.00	8000.00	10700.00	92711.94	812380
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		उप योग (21.1 से 21.3)	**7500.00**	**8000.00**	**10700.00**	**92767.94**	**812940**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2018-19	2019-20	2020-21	Cumulative as on 31.03.2021	
						Disbursement	No. of Beneficiaries
22		**Telangana**					
	22.1	Telangana Grameena Bank	0.00	0.00	0.00	44.35	32
	22.2	Stree Nidhi Credit Coop. Federation Ltd.	0.00	0.00	2400.00	2400.00	6000
		Sub Total (22.1 to 22.2)	**0.00**	**0.00**	**2400.00**	**2444.35**	**6032**
23		**Tripura**					
	23.1	Tripura (OBC)	2100.00	800.00	300.00	16835.11	46242
	23.2	Tripura Gramin Bank	0.00	0.00	712.92	712.92	1589
		Sub Total (23.1 to 23.2)	**2100.00**	**800.00**	**1012.92**	**17548.03**	**47831**
24		**Uttar Pradesh**					
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	750.00	700.00	400.00	6475.00	16245
	24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
	24.5	Aryavart Bank	2000.00	4000.00	2500.00	11000.00	12155
	24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	535.00	0.00	0.00	1035.00	1225
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		Sub Total (24.1 to 24.7)	**3285.00**	**4700.00**	**2900.00**	**27022.80**	**60192**
25		Uttarakhand (Bahuudeshiya)	100.00	100.00	0.00	555.81	989
26		**West Bengal**					
	26.1	West Bengal (BC)	622.50	600.00	0.00	9679.02	40037
	26.2	West Bengal (Minorities)	150.00	0.00	0.00	1100.00	7564
	26.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		Sub Total (26.1 to 26.3)	**772.50**	**600.00**	**0.00**	**10794.02**	**47901**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**44954.50**	**53771.83**	**44112.72**	**540775.90**	**2837410**
II.		**PSBs**					
27		Dena Bank	0.00	0.00	0.00	100.00	70
28		Bank of Baroda	4842.37	4768.50	1358.18	15122.37	18638
29		Punjab National Bank	500.00	1077.00	1065.57	2642.57	2057
		Sub Total - PSBs (27 - 29)	**5342.37**	**5845.50**	**2423.75**	**17864.94**	**20765**
III.		**UT's**					
30		Chandigarh (SC/BC)	10.00	0.00	0.00	130.37	323
31		Delhi (SC/ST/OBC)	21.62	0.00	134.00	555.38	823
32		**Puducherry**					
	32.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	32.2	Puducherry (BC)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
		Sub Total (32)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4522.13**	**17259**
		TOTAL - UTs (30 - 32)	**31.62**	**0.00**	**134.00**	**5207.88**	**18405**
IV.		**GRAND TOTAL (I+II+III)**	**50328.49**	**59617.33**	**46670.47**	**563848.72**	**2876580**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	31.03.2021 को संचयी संवितरण	31.03.2021 को संचयी लाभार्थियों की संख्या
22		**तेलंगना**					
	22.1	तेलंगना ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	44.35	32
	22.2	स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.	0.00	0.00	2400.00	2400.00	6000
		उप योग (22.1 से 22.2)	**0.00**	**0.00**	**2400.00**	**2444.35**	**6032**
23		**त्रिपुरा**					
	23.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	2100.00	800.00	300.00	16835.11	46242
	23.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	712.92	712.92	1589
		उप योग (23.1 से 23.2)	**2100.00**	**800.00**	**1012.92**	**17548.03**	**47831**
24		**उत्तर प्रदेश**					
	24.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	750.00	700.00	400.00	6475.00	16245
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
	24.5	आर्यावर्त बैंक	2000.00	4000.00	2500.00	11000.00	12155
	24.6	काशी गौमती ग्राम बैंक	535.00	0.00	0.00	1035.00	1225
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		उप योग (24.1 से 24.7)	**3285.00**	**4700.00**	**2900.00**	**27022.80**	**60192**
25		उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	100.00	100.00	0.00	555.81	989
26		**पश्चिम बंगाल**					
	26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	622.50	600.00	0.00	9679.02	40037
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	150.00	0.00	0.00	1100.00	7564
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		उप योग (26.1 से 26.3)	**772.50**	**600.00**	**0.00**	**10794.02**	**47901**
		कुल – राज्य (1 – 26)	**44954.50**	**53771.83**	**44112.72**	**540775.90**	**2837410**
II.		**पीएसबी**					
27		देना बैंक	0.00	0.00	0.00	100.00	70
28		बैंक ऑफ बड़ौदा	4842.37	4768.50	1358.18	15122.37	18638
29		पंजाब नेशनल बैंक	500.00	1077.00	1065.57	2642.57	2057
		उप योग – पीएसबी (27 – 29)	**5342.37**	**5845.5**	**2423.75**	**17864.94**	**20765**
III.		**संघ राज्य क्षेत्र**					
30		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	10.00	0.00	0.00	130.37	323
31		दिल्ली (एससी/एएसटी/ओबीसी)	21.62	0.00	134.00	555.38	823
32		**पुडुचेरी**					
	32.1	पुदुचेरी (आदिद्रविदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	32.2	पुदुचेरी (बीसी)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
		उप योग (32.1 से 32.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4522.13**	**17259**
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (30 – 32)	**31.62**	**0.00**	**134.00**	**5207.88**	**18405**
IV.		कुल योग (I + II + III)	50328.49	59617.33	46670.47	563848.72	2876580

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

Annexure-4.1

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2020-21

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2020-21	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd., 2. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd., 2. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
2.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
3	Chhattisgarh	01	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	SCA has not submitted deemand. Guarantee is not available.
4.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	SCA has not submitted demand. SCA has not submitted demand.
5.	Jharkhand	01	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
6.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
7.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.

अनुलग्नक–4.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2020–21 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि0, 2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि0, 2. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	बिहार	01	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
3	छत्तीसगढ़	01	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई गारंटी की अनुलब्धता।
4.	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लि., 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात नोमेडिक एण्ड डिनोटिफाइड ट्राइब्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 4. गुजरात नोमेडिक एण्ड डिनोटिफाइड ट्राइब्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई
5.	झारखण्ड	01	1. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	1. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
6.	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
7.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछरा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2020-21	Reasons
8.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
9.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
10.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd., 2. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
11.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	SCA has not submitted demand.
12.	West Bengal	02	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	SCA has not submitted demand. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
13.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	SCA has not submitted demand.
14.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & huge overdues.
15.	Sikkim	01	1. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.	1. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.	SCA has not submitted demand.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
8.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि।	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि।	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
			2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि।	2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
9.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
10.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि। 2. यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
11.	उत्तराखण्ड	01	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
12.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी एवं ओबीसी विकास एवं वित्त निगम	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी एवं ओबीसी विकास एवं वित्त निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
			2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
13.	चंडीगढ़	01	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. एवं अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
14.	पुडुचेरी	01	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं बहुत बकाया।
15.	सिक्किम	01	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE - 4.2

SCA/RRB/PSB/STATE WISE & SCHEME WISE LOAN DISBURSEMENT AND BENEFICIARIES ASSISTED DURING THE YEAR 2020-21

Financial : ₹ in Lakh
Physical : No. of Beneficiaries

SL. NO.		NAME OF SCAs/ STATES/Uts/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
I.		**STATES**								
1		**Andhra Pradesh**								
	1.1	Andhra Pradesh Grameen vikas Bank	50.00	20	0.00	0	0.00	0	50.00	20
		Sub Total (1.1)	**50.00**	**20**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**50.00**	**20**
2		**Assam**								
	2.1	Assam (Artfed)	25.00	60	75.00	180	50.00	125	150.00	365
		Sub Total (2.1)	**25.00**	**60**	**75.00**	**180**	**50.00**	**125**	**150.00**	**365**
3		**Chhattisgarh**								
	3.1	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank	174.18	33	236.64	164	0.00	0	410.82	197
		Sub Total (3.1)	**174.18**	**33**	**236.64**	**164**	**0.00**	**0**	**410.82**	**197**
4		**Delhi**								
	4.1	Delhi (Sc/St/Bc)	54.00	69	80.00	100	0.00	0	134.00	169
		Sub Total (4.1)	**54.00**	**69**	**80.00**	**100**	**0.00**	**0**	**134.00**	**169**
5		**Goa**								
	5.1	Goa (SC/ST/BC)	50.00	62	0.00	0	0.00	0	50.00	62
		Sub Total (5.1)	**50.00**	**62**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**50.00**	**62**
6		**Gujarat**								
	6.1	Guajrat (Gopalak)	115.00	218	55.00	85	30.00	60	200.00	363
	6.2	Guajrat (Thakor)	350.00	600	450.00	900	0.00	0	800.00	1500
	6.3	Surashtra Gramin Bank	703.64	344	1183.84	2758	0.00	0	1887.48	3102
		Sub Total (6.1 to 6.3)	**1168.64**	**1162**	**1688.84**	**3743**	**30.00**	**60**	**2887.48**	**4965**
7		**Haryana**								
	7.1	Haryana (BC)	100.00	177	300.00	476	0.00	0	400.00	653
		Sub Total (7.1)	**100.00**	**177**	**300.00**	**476**	**0.00**	**0**	**400.00**	**653**
8		**Himachal Pradesh**								
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	168.00	226	134.00	238	0.00	0	302.00	464
		Sub Total (8.1)	**168.00**	**226**	**134.00**	**238**	**0.00**	**0**	**302.00**	**464**
9		**Jammu & Kashmir**								
	9.1	Jammu & Kashmir (SC/BC)	100.00	125	150.00	375	50.00	125	300.00	625
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	175.00	300	50.00	125	75.00	150	300.00	575
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**275.00**	**425**	**200.00**	**500**	**125.00**	**275**	**600.00**	**1200**
10		**Kerala**								
	10.1	Kerala (Artisan)	125.00	252	25.00	100	0.00	0	150.00	352
	10.2	Kerala (BC)	3300.00	5327	4800.00	15200	1700.00	6820	9800.00	27347
	10.3	Kerala (Fisheries)	300.00	650	1300.00	4450	1000.00	4250	2600.00	9350

अनुलग्नक–4.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2020–21 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/आर.आर.बी./पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

वित्तीय : रू. लाख में
भौतिक : लाभार्थियों की संख्या

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
I.		राज्य								
1		आंध्र प्रदेश								
	1.1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	50.00	20	0.00	0	0.00	0	50.00	20
		उप कुल (1.1)	**50.00**	**20**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**50.00**	**20**
2		असम								
	2.1	असम (आर्टफेड)	25.00	60	75.00	180	50.00	125	150.00	365
		उप योग (2.1)	**25.00**	**60**	**75.00**	**180**	**50.00**	**125**	**150.00**	**365**
3		छत्तीसगढ								
	3.1	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	174.18	33	236.64	164	0.00	0	410.82	197
		उप योग (3.1)	**174.18**	**33**	**236.64**	**164**	**0.00**	**0**	**410.82**	**197**
4		दिल्ली								
	4.1	दिल्ली (एससी/एसटी/बीसी)	54.00	69	80.00	100	0.00	0	134.00	169
		उप योग (4.1)	**54.00**	**69**	**80.00**	**100**	**0.00**	**0**	**134.00**	**169**
5		गोवा								
	5.1	गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	50.00	62	0.00	0	0.00	0	50.00	62
		उप योग (5.1)	**50.00**	**62**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**50.00**	**62**
6		गुजरात								
	6.1	गुजरात (गोपालक)	115.00	218	55.00	85	30.00	60	200.00	363
	6.2	गुजरात (ठाकोर)	350.00	600	450.00	900	0.00	0	800.00	1500
	6.3	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	703.64	344	1183.84	2758	0.00	0	1887.48	3102
		उप–योग (6.1 से 6.3)	**1168.64**	**1162**	**1688.84**	**3743**	**30.00**	**60**	**2887.48**	**4965**
7		हरियाणा								
	7.1	हरियाणा (बी.सी.)	100.00	177	300.00	476	0.00	0	400.00	653
		उप योग (7.1)	**100.00**	**177**	**300.00**	**476**	**0.00**	**0**	**400.00**	**653**
8		हिमाचल प्रदेश								
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	168.00	226	134.00	238	0.00	0	302.00	464
		उप योग (8.1)	**168.00**	**226**	**134.00**	**238**	**0.00**	**0**	**302.00**	**464**
9		जम्मू और कश्मीर								
	9.1	जम्मू और कश्मीर (एससी/बीसी)	100.00	125	150.00	375	50.00	125	300.00	625
	9.2	जम्मू और कश्मीर (महिला)	175.00	300	50.00	125	75.00	150	300.00	575
		उप योग (9.1 से 9.2)	**275.00**	**425**	**200.00**	**500**	**125.00**	**275**	**600.00**	**1200**
10		केरल								
	10.1	केरल (कारीगर)	125.00	252	25.00	100	0.00	0	150.00	352
	10.2	केरल (बी.सी.)	3300.00	5327	4800.00	15200	1700.00	6820	9800.00	27347
	10.3	केरल (मत्स्य पालन)	300.00	650	1300.00	4450	1000.00	4250	2600.00	9350

SL. NO.		NAME OF SCAs/ STATES/Uts/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
	10.4	Kerala (Handicraft)	25.00	50	125.00	280	0.00	0	150.00	330
	10.5	Kerala (Women)	1800.00	3145	700.00	2500	1000.00	3250	3500.00	8895
		Sub Total (10.1 to 10.5)	**5550.00**	**9424**	**6950.00**	**22530**	**3700.00**	**14320**	**16200.00**	**46274**
11		**Madhya Pradesh**								
	11.1	Madhya Pradesh Gramin Bank	2297.77	939	1201.72	3171	0.00	0	3499.49	4110
		Sub Total (11.1)	**2297.77**	**939**	**1201.72**	**3171**	**0.00**	**0**	**3499.49**	**4110**
12		**Punjab**								
	12.1	Punjab (BC)	550.00	915	300.00	700	0.00	0	850.00	1615
	12.2	Punjab Gramin Bank	613.52	560.00	386.48	473	0.00	0	1000.00	1033
		Sub Total (12.1 to 12.2)	**1163.52**	**1475**	**686.48**	**1173**	**0.00**	**0**	**1850.00**	**2648**
13		**Rajasthan**								
	13.1	Rajasthan (BC)	250.00	360	275.00	580	175.00	419	700.00	1359
		Sub Total (13.1)	**250.00**	**360**	**275.00**	**580**	**175.00**	**419**	**700.00**	**1359**
14		**Sikkim**								
	14.1	Sikkim (SC/ST)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		Sub Total (14.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
15		**Tamil Nadu**								
	15.1	Tamilnadu (BC)	1300.00	2600	1800.00	4850	7600.00	24086	10700.00	31536
		Sub Total (15.1)	**1300.00**	**2600**	**1800.00**	**4850**	**7600.00**	**24086**	**10700.00**	**31536**
16		**Tripura**								
	16.1	Tripura (OBC)	150.00	205	130.00	370	20.00	100	300.00	675
	16.2	Tripura Gramin Bank	93.30	51	411.39	973	208.23	565	712.92	1589
		Sub Total (16.1 to 16.2)	**243.30**	**256**	**541.39**	**1343**	**228.23**	**665**	**1012.92**	**2264**
17		**Telangana**								
	17.1	Stree Nidhi Credit Coop. Fed. Ltd.	0.00	0	2400.00	6000	0.00	0	2400.00	6000
		Sub Total (17.1)	**0.00**	**0**	**2400.00**	**6000**	**0.00**	**0**	**2400.00**	**6000**
18		**Uttar Pradesh**								
	18.1	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	200.00	400	75.00	150	125.00	260	400.00	810
	18.2	Aryavart Bank	1000.00	950	1500.00	2650	0.00	0	2500.00	3600
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**1200.00**	**1350**	**1575.00**	**2800**	**125.00**	**260**	**2900.00**	**4410**
		TOTAL - STATES (1 - 18)	**14069.41**	**18638**	**18144.07**	**47848**	**12033.23**	**40210**	**44246.71**	**106696**
II		**PSB's**								
19	19.1	Bank of Baroda	1358.18	3739	0.00	0	0.00	0	1358.18	3739
	19.2	Punjab National Bank	1065.57	826	0.00	0	0.00	0	1065.57	826
		Total PSB's (19)	**2423.75**	**4565**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2423.75**	**4565**
III		**GRAND TOTAL (I+II)**	**16493.16**	**23203**	**18144.07**	**47848**	**12033.23**	**40210**	**46670.46**	**111261**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
	10.4	केरल (हस्तशिल्प)	25.00	50	125.00	280	0.00	0	150.00	330
	10.5	केरल (महिला)	1800.00	3145	700.00	2500	1000.00	3250	3500.00	8895
		उप योग (10.1 से 10.5)	**5550.00**	**9424**	**6950.00**	**22530**	**3700.00**	**14320**	**16200.00**	**46274**
11		**मध्य प्रदेश**								
	11.1	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2297.77	939	1201.72	3171	0.00	0	3499.49	4110
		उप योग (11.1)	**2297.77**	**939**	**1201.72**	**3171**	**0.00**	**0**	**3499.49**	**4110**
12		**पंजाब**								
	12.1	पंजाब (बी.सी.)	550.00	915	300.00	700	0.00	0	850.00	1615
	12.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	613.52	560.00	386.48	473	0.00	0	1000.00	1033
		उप योग (12.1 से 12.2)	**1163.52**	**1475**	**686.48**	**1173**	**0.00**	**0**	**1850.00**	**2648**
13		**राजस्थान**								
	13.1	राजस्थान (बी.सी.)	250.00	360	275.00	580	175.00	419	700.00	1359
		उप योग (13.1)	**250.00**	**360**	**275.00**	**580**	**175.00**	**419**	**700.00**	**1359**
14		**सिक्किम**								
	14.1	सिक्किम (एससी/एसटी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		उप योग (14.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
15		**तमिलनाडु**								
	15.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	1300.00	2600	1800.00	4850	7600.00	24086	10700.00	31536
		उप योग (15.1)	**1300.00**	**2600**	**1800.00**	**4850**	**7600.00**	**24086**	**10700.00**	**31536**
16		**त्रिपुरा**								
	16.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	150.00	205	130.00	370	20.00	100	300.00	675
	16.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	93.30	51	411.39	973	208.23	565	712.92	1589
		उप योग (16.1 से 16.2)	**243.30**	**256**	**541.39**	**1343**	**228.23**	**665**	**1012.92**	**2264**
17		**तेलंगाना**								
	17.1	स्त्री निधि क्रेडिट कॉप. फेड. लिमिटेड	0.00	0	2400.00	6000	0.00	0	2400.00	6000
		उप योग (17.1)	**0.00**	**0**	**2400.00**	**6000**	**0.00**	**0**	**2400.00**	**6000**
18		**उत्तर प्रदेश**								
	18.1	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	200.00	400	75.00	150	125.00	260	400.00	810
	18.2	आर्यावर्त बैंक	1000.00	950	1500.00	2650	0.00	0	2500.00	3600
		उप योग (18.1 से 18.2)	**1200.00**	**1350**	**1575.00**	**2800**	**125.00**	**260**	**2900.00**	**4410**
		कुल – राज्य (1 – 18)	**14069.41**	**18638**	**18144.07**	**47848**	**12033.23**	**40210**	**44246.71**	**106696**
II		**पीएसबी**								
19	19.1	बैंक ऑफ बड़ौदा	1358.18	3739	0.00	0	0.00	0	1358.18	3739
	19.2	पंजाब नेशनल बैंक	1065.57	826	0.00	0	0.00	0	1065.57	826
		कुल पीएसबी (19.1 से 19.2)	**2423.75**	**4565**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2423.75**	**4565**
III		**कुल योग (I+II)**	**16493.16**	**23203**	**18144.07**	**47848**	**12033.23**	**40210**	**46670.46**	**111261**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE - 4.3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Statewise/ Sectorwise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2020-21 (31.03.2021)

(₹ in Lakh)

		Team Loan (TL)												Micro Finance Scheme (MFS)									
S. No	Name of SCA	Agriculture & Allied Activities		Small Business & Traditional Occupation		Transport and Service Sector		Education Loan				New Swarnima		Micro Finance		Mahila Samridhi		NBFC_MFI		Small Loan		Grand Total (TL + MFS)	
								in India		Abroad													
		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.
1	Andhra Pradesh	11.53	25	3.89	2	11.43	7	-	-	-	-	7.50	15	-	-	-	-	-	-	0.98	1	35.33	50
2	Telangana	38.56	30	9.47	5	1.57	1	-	-	-	-	1.18	7	-	-	-	-	2,400.00	6,000	2.29	5	2,453.08	6,048
3	Bihar	2.94	16	43.25	25	12.51	9	-	-	-	-	1.83	1	-	-	-	-	-	-	8.21	10	68.75	61
4	Chhattisgarh	22.21	86	66.74	47	336.61	106	-	-	-	-	3.78	20	-	-	-	-	-	-	45.46	71	474.80	330
5	Goa	-	-	-	-	25.00	12	-	-	-	-	25.00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	62
6	Gujarat	880.46	715	100.00	200	26.77	20	70.00	90	-	-	135.18	230	200.00	500	30.00	60	-	-	1,489.30	3,244	2,931.71	5,059
7	Haryana	50.26	94	27.31	12	50.00	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.39	483	431.96	673
8	Himachal Pradesh	70.00	106	2.32	1	74.28	74	28.00	40	-	-	4.00	8	50.00	125	-	-	-	-	85.13	115	313.73	469
9	Jammu & Kashmir	60.00	120	39.14	72	50.00	25	50.00	50	-	-	80.00	160	150.00	375	125.00	275	-	-	50.83	126	604.97	1,203
10	Jharkhand	0.59	2	25.47	13	18.62	15	-	-	-	-	0.90	1	-	-	-	-	-	-	2.60	3	48.19	34
11	Karnataka	58.70	101	-	-	45.70	55	-	-	-	-	42.77	72	-	-	-	-	-	-	1.03	2	148.21	230
12	Kerala	1,278.59	2,359	960.08	1,666	1,713.01	2,515	550.00	750	200.00	150	883.06	2,020	5,450.00	18,980	3,700.00	14,320	-	-	1,500.00	3,550	16,234.74	46,310
13	Madhya Pradesh	61.49	251	2,143.25	886	297.97	125	-	-	-	-	9.71	37	-	-	-	-	-	-	1,213.52	3,187	3,725.94	4,486
14	Maharashtra	6.43	13	4.06	3	25.35	16	-	-	-	-	2.26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	38.10	38
15	Odisha	1.95	3	14.97	8	31.68	11	-	-	-	-	1.28	1	-	-	-	-	-	-	3.10	5	52.98	28
16	Punjab	250.25	361	189.49	103	335.08	391	10.00	15	-	-	300.30	541	200.00	500	-	-	-	-	584.26	751	1,869.38	2,662
17	Rajasthan	603.83	2,038	89.37	79	31.00	17	-	-	-	-	227.71	553	75.00	250	175.00	419	-	-	212.00	346	1,413.92	3,702
18	Tamil Nadu	7.72	41	120.88	208	257.66	449	-	-	-	-	1,035.60	2,040	1,300.00	3,850	7,600.00	24,086	-	-	501.42	1,003	10,823.28	31,677
19	Uttarakhand	-	-	13.41	8	8.82	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.58	5	25.81	20
20	Uttar Pradesh	644.12	815	334.89	198	647.69	737	-	-	-	-	168.11	335	750.00	1,850	125.00	260	-	-	920.10	1,078	3,589.92	5,273
21	West Bengal	-	-	3.67	3	5.26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22	4	12.15	13
22	Chandigarh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	5	1.30	5
23	Delhi	0.27	1	-	-	23.06	16	10.00	20	-	-	24.00	34	-	-	-	-	-	-	81.06	102	138.39	173
24	Puducherry	-	-	1.59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.58	13	4.17	14
25	Assam	-	-	3.34	2	0.76	1	-	-	-	-	26.91	61	25.00	80	50.00	125	-	-	50.00	100	156.01	369
26	Sikkim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	1	0.14	1
27	Tripura	100.00	175	96.75	52	-	-	50.00	30	-	-	-	-	197.74	590	228.24	665	-	-	343.64	753	1,016.38	2,265
28	Manipur	0.33	1	4.86	1	-	-	-	-	-	-	0.31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	3
29	Meghalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	1	0.17	1
30	Mizoram	-	-	1.48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	1	1.50	2
	Total	**4,150.25**	**7,353**	**4,299.70**	**3,596**	**4,029.83**	**4,699**	**768.00**	**995**	**200.00**	**150**	**2,981.40**	**6,193**	**8,397.74**	**27,100**	**12,033.24**	**40,210**	**2,400.00**	**6,000**	**7,410.34**	**14,965**	**46,670.51**	**111,261**

अनुलग्नक–4.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2020–21 की अवधि में राज्य–वार एवं योजनावार संवितरण और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (31.03.2021) तक

(रू./लाख में)

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	सावधि ऋण												सूक्ष्म ऋण									
		कृषि और संबद्ध क्षेत्र		लघु व्यवसाय/ आर्टीजन एवं पारंपरिक व्यवसाय		सेवा/ परिवहन क्षेत्र		शैक्षिक ऋण				नई स्वर्णिमा		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		एनबीएफसी–एमएफआई		लघु ऋण		उप योग (सावधि ऋण + सूक्ष्म ऋण)	
								भारत में		विदेश में													
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	11.53	25	3.89	2	11.43	7	–	–	–	–	7.50	15	–	–	–	–	–	–	0.98	1	35.33	50
2	तेलंगाना	38.56	30	9.47	5	1.57	1	–	–	–	–	1.18	7	–	–	–	–	2,400.00	6,000	2.29	5	2,453.08	6,048
3	बिहार	2.94	16	43.25	25	12.51	9	–	–	–	–	1.83	1	–	–	–	–	–	–	8.21	10	68.75	61
4	छत्तीसगढ	22.21	86	66.74	47	336.61	106	–	–	–	–	3.78	20	–	–	–	–	–	–	45.46	71	474.80	330
5	गोवा	–	–	–	–	25.00	12	–	–	–	–	25.00	50	–	–	–	–	–	–	–	–	50.00	62
6	गुजरात	880.46	715	100.00	200	26.77	20	70.00	90	–	–	135.18	230	200.00	500	30.00	60	–	–	1,489.30	3,244	2,931.71	5,059
7	हरियाणा	50.26	94	27.31	12	50.00	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	304.39	483	431.96	673
8	हिमाचल प्रदेश	70.00	106	2.32	1	74.28	74	28.00	40	–	–	4.00	8	50.00	125	–	–	–	–	85.13	115	313.73	469
9	जम्मू और कश्मीर	60.00	120	39.14	72	50.00	25	50.00	50	–	–	80.00	160	150.00	375	125.00	275	–	–	50.83	126	604.97	1,203
10	झारखंड	0.59	2	25.47	13	18.62	15	–	–	–	–	0.90	1	–	–	–	–	–	–	2.60	3	48.19	34
11	कर्नाटक	58.70	101	–	–	45.70	55	–	0	–	–	42.77	72	–	–	–	–	–	–	1.03	2	148.21	230
12	केरल	1,278.59	2,359	960.08	1,666	1,713.01	2,515	550.00	750	200.00	150	883.06	2,020	5,450.00	18,980	3,700.00	14,320	–	–	1,500.00	3,550	16,234.74	46,310
13	मध्य प्रदेश	61.49	251	2,143.25	886	297.97	125	–	–	–	–	9.71	37	–	–	–	–	–	–	1,213.52	3,187	3,725.94	4,486
14	महाराष्ट्र	6.43	13	4.06	3	25.35	16	–	–	–	–	2.26	6	–	–	–	–	–	–	–	–	38.10	38
15	उड़ीसा	1.95	3	14.97	8	31.68	11	–	–	–	–	1.28	1	–	–	–	–	–	–	3.10	5	52.98	28
16	पंजाब	250.25	361	189.49	103	335.08	391	10.00	15	–	–	300.30	541	200.00	500	–	–	–	–	584.26	751	1,869.38	2,662
17	राजस्थान	603.83	2,038	89.37	79	31.00	17	–	–	–	–	227.71	553	75.00	250	175.00	419	–	–	212.00	346	1,413.92	3,702
18	तमिलनाडु	7.72	41	120.88	208	257.66	449	–	–	–	–	1,035.60	2,040	1,300.00	3,850	7,600.00	24,086	–	–	501.42	1,003	10,823.28	31,677
19	उत्तराखंड	–	–	13.41	8	8.82	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.58	5	25.81	20
20	उत्तर प्रदेश	644.12	815	334.89	198	647.69	737	–	–	–	–	168.11	335	750.00	1,850	125.00	260	–	–	920.10	1,078	3,589.92	5,273
21	पश्चिम बंगाल	–	–	3.67	3	5.26	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.22	4	12.15	13
22	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.30	5	1.30	5
23	दिल्ली	0.27	1	–	–	23.06	16	10.00	20	–	–	24.00	34	–	–	–	–	–	–	81.06	102	138.39	173
24	पुदुचेरी	–	–	1.59	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.58	13	4.17	14
25	असम	–	–	3.34	2	0.76	1	–	–	–	–	26.91	61	25.00	80	50.00	125	–	–	50.00	100	156.01	369
26	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.14	1	0.14	1
27	त्रिपुरा	100.00	175	96.75	52	–	–	50.00	30	–	–	–	–	197.74	590	228.24	665	–	–	343.64	753	1,016.38	2,265
28	मणिपुर	0.33	1	4.86	1	–	–	–	–	–	–	0.31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.50	3
29	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.17	1	0.17	1
30	मिजोरम	–	–	1.48	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.02	1	1.50	2
	योग	**4,150.25**	**7,353**	**4,299.70**	**3,596**	**4,029.83**	**4,699**	**768.00**	**995**	**200.00**	**150**	**2,981.40**	**6,193**	**8,397.74**	**27,100**	**12,033.24**	**0,210**	**2,400.00**	**6,000**	**7,410.34**	**14,965**	**46,670.51**	**111,261**

ANNEXURE-4.4

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Statement Showing Details of Women Beneficiaries assisted under (New Swarnima Scheme, Mahila Samridhi Yojana) (2020-21)

(Rs. in Lakh)

S.No.	Name of SCA	New Swarnima		Mahila Samridhi	
		Amt.	Benef.	Amt.	Benef.
1	Andhra Pradesh	7.50	15	-	-
2	Telangana	1.18	7	-	-
3	Bihar	1.83	1.00	-	-
4	Chhattisgarh	3.78	20	-	-
5	Goa	25.00	50	-	-
6	Gujarat	135.18	230	30.00	60
7	Haryana	-	-	-	-
8	Himachal Pradesh	4.00	8	-	-
9	Jammu & Kashmir	80.00	160	125.00	275
10	Jharkhand	0.90	1	-	-
11	Karnataka	42.77	72	-	-
12	Kerala	883.06	2,020	3,700.00	14,320
13	Madhya Pradesh	9.71	37	-	-
14	Maharashtra	2.26	6	-	-
15	Odisha	1.28	1	-	-
16	Punjab	300.30	541	-	-
17	Rajasthan	227.71	553	175.00	419
18	Tamil Nadu	1,035.60	2,040	7,600.00	24,086
19	Uttarakhand	-	-	-	-
20	Uttar Pradesh	168.11	335	125.00	260
21	West Bengal	-	-	-	-
22	Chandigarh	-	-	-	-
23	Delhi	24.00	34	-	-
24	Puducherry	-	-	-	-
25	Assam	26.91	61	50	125
26	Sikkim	-	-	-	-
27	Tripura	-	-	228.24	665
28	Manipur	0.31	1	-	-
Total		**2,981.40**	**6,193**	**12,033.24**	**40,210**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

अनुलग्नक–4.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

नई स्वर्णिया, महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों के विवरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण (2020–21)

(रु./लाख में)

क्र.स.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	7.50	15	–	–
2	तेलंगना	1.18	7	–	–
3	बिहार	1.83	1.00	–	–
4	छत्तीसगढ़	3.78	20	–	–
5	गोवा	25.00	50	–	–
6	गुजरात	135.18	230	30.00	60
7	हरियाणा	–	–	–	–
8	हिमाचल प्रदेश	4.00	8	–	–
9	जम्मू और कश्मीर	80.00	160	125.00	275
10	झारखंड	0.90	1	–	–
11	कर्नाटक	42.77	72	–	–
12	केरल	883.06	2,020	3,700.00	14,320
13	मध्य प्रदेश	9.71	37	–	–
14	महाराष्ट्र	2.26	6	–	–
15	उड़ीसा	1.28	1	–	–
16	पंजाब	300.30	541	–	–
17	राजस्थान	227.71	553	175.00	419
18	तमिलनाडु	1,035.60	2,040	7,600.00	24,086
19	उत्तराखंड	–	–	–	–
20	उत्तर प्रदेश	168.11	335	125.00	260
21	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
22	चंडीगढ़	–	–	–	–
23	दिल्ली	24.00	34	–	–
24	पुदुचेरी	–	–	–	–
25	असम	26.91	61	50	125
26	सिक्किम	–	–	–	–
27	त्रिपुरा	–	–	228.24	665
28	मणिपुर	0.31	1	–	–
	योग	**2,981.40**	**6,193**	**12,033.24**	**40,210**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE-4.5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2020-21

1. BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under :

Approach : NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility : The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the whole activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation. This Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

2. **COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:**

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The Composition of the CSR Committee of Directors during the year under report:

Name of Director (S)	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meeting of CSR Committee attended during the year
Mr. K. Narayan, Managing Director	Member	24.03.2021	1
Mr. Sanjay Pandey, JS & FA, M/O SJE	Member		1
Mr. Subranshu Shekhar Acharya GM, SIDBI	Member		--

अनुलग्नक–4.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2019–20 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) इसके तहत एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

पहुंच बनाना: एन. बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस–पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम–विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के "व्यय से अधिक आय का आधिक्य" के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपयुक्त बजट समाप्त नहीं होगा तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व में अन्य सभी मामलों के साथ–साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व अधिनियम की अनुसूची–VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

तथापि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी। सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एनबी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्र: कंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीमिति की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
श्री के. नारायण, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	सदस्य	24.03.2021	1
श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा. न्या. और अधि. मंत्रालय	सदस्य		1
डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सीडबी	सदस्य		–

3. The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en) & Annual Report at the link: (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en)

4. PROVIDE THE DETAILS OF IMPACT ASSESSMENT OF CSR PROJECTS CARRIED OUT IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 8 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014, IF APPLICABLE (ATTACH THE REPORT).

NOT APPLICABLE

5. DETAILS OF THE AMOUNT AVAILABLE FOR SET OFF IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 7 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014 AND AMOUNT REQUIRED FOR SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

6. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2017-18	Rs. 1960.63 lakhs
Financial Year 2018-19	Rs. 2793.68 lakhs
Financial Year 2019-20	Rs. 2574.11 lakhs
Average Surplus	**Rs. 2442.81 lakhs**

7. (a) PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PERCENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): Rs. 48.86 Lakhs. The Board of Directors has approved CSR budget of Rs. 50.00 Lakhs for financial year 2020-21 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

(b) SURPLUS ARISING OUT OF THE CSR PROJECTS OR PROGRAMME OR ACTIVITIES OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS.

NOT APPLICABLE

(c) AMOUNT REQUIRED TO BE SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

(d) TOTAL CSR OBLIGATION FOR THE FINANCIAL YEAR (7a+7b-7c) : Rs. 48.86 lakhs

8. (a) CSR AMOUNT SPENT OR UNSPENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21:

Total Amount Spent for the Financial Year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of Transfter	Name of the Fund	Amount	Date of Transfter
1,36,42,829.46	NA	NA	NA	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Rs.85,86,399/- **(Details at Annexure – 4.6)**

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year 2020-21: Rs.48,73,620.96 **(Details at Annexure – 4.7)**

3. निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन/निगरानी करेगा। निगम की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट लिंकः www.nbcfdc.gov.in (https://nbcfdc.gov.in/cs-policy/en) एवं वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en) पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. **कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें यदि लागू हो, (रिपोर्ट संलग्न करें) :–** लागू नहीं

5. **कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सैट ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि लागू हो :–** लागू नहीं

6. **गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार थाः

वित्तीय वर्ष, 2017–18 रु. 1960.63 लाख

वित्तीय वर्ष, 2018–19 रु. 2793.68 लाख

वित्तीय वर्ष, 2019–20 रु. 2574.11 लाख

औसत आधिक्य रु. 2442.81 लाख

7. (क) **निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई औसत राशि का दो प्रतिशत): रू. 48.86 लाख**

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रू. 50.00 लाख के सी.एस.आर. बजट अनुमादित किया है एवं राजस्व बजट के अन्दर जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी है।

(ख) **सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष**

लागू नहीं

(ग) **वित्तीय वर्ष के लिए वांछित समायोजन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।**

लागू नहीं

(घ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग) : रू. 48.86 लाख**

8. (क) **वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रयुक्त/अप्रयुक्त सीएसआर राशि :**

वित्तीय वर्ष के लिए प्रयुक्त की गई कुल राशि (रू. में)	अप्रयुक्त राशि (रू. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित अप्रयुक्त कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
1,36,42,829.46	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं** के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरणः रू. 85,86,399/–. **(ब्यौरा अनुलग्नक – 4.6 पर है)**

(ग) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए **चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य** पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरणः रू. 48,73,620.96 **(ब्यौरा अनुलग्नक : 4.7 पर है)**

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Rs.182,809.50

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NOT APPLICABLE

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs.1,36,42,829.46.

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	48.86
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	136.43
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	87.57
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programme or activities of the previous financial year, if any	NA
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	87.57

9. (a) DETAILS OF UNSPENT CSR AMOUNT FOR THE PRECEDING THREE FINANCIAL YEARS:

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the fund	Amount (in Rs.)	Date of Transfer	
1.	2017-18	155.86	100.86	NIL			113.07
2.	2018-19	113.07	129.86				29.45
3.	2019-20	29.45	112.63				(33.59)
	Total		**343.35**				

(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR **ONGOING PROJECTS** OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):- **Details at Annexure– 4.8**

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (2020-21)

(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. SPECIFY THE REASON(S), IF THE COMPANY HAS FAILED TO SPEND TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT AS PER SECTION 135(5).

<u>NOT APPLICABLE</u>

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)
Managing Director
(DIN No. 09056584)

Sd/-
(Dr. S. S. Acharya)
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गई राशि : रू.182,809.50

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : रू.1,36,42,829.46

(छ) समायोजन (सैट ऑफ) के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र.स.	विवरण	राशि (रू. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	48.86
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	136.43
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	87.57
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	NA
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	87.57

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सी.एस.आर. राशि का विवरण :

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) की अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी धनराशि को विशिष्ट निधि में अंतरण, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				धनराशि का नाम	राशि (रु. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2017–18	155.86	100.86	शून्य			113.07
2.	2018–19	113.07	129.86				29.45
3.	2019–20	29.45	112.63				(33.59)
	योग		**343.35**				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरणः– ब्यौरा अनुलग्नक – 4.8 पर दिया गया है।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले मेंए वित्तीय वर्ष (2020–21) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

(संपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, उसका पता आदि जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है।

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है

लागू नहीं

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE - 4.6

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR (2020-21)

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District					Direct (Yes/No).	Name	CSR Registration Number
I.	**Safe Water, Health & Hygiene, Sanitation and Slum Development**											
1.	Medical Camps in poor localities (Six states, 13 General Medical Camps & 2707 Registration)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water.	Yes	Bihar, Delhi, Haryana, Kerala, Uttar Pradesh & Uttarakhand	-	One Year	11,43,450	11,43,450	Nil	Yes	-	
2.	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community, 3567 Nos. (Phase - III)		Yes	Haryana	24 Village of District Mewat **(Aspirational District)**	Four Months	4,92,324	4,92,324	Nil	No	Bal Umang Drishya Sanstha (BUDS)	
3.	Provision of Food Kits and Essentials to 200 families affected by floods (1000 Kits)		Yes	Assam	District Dhemaji and Suvasagar	One Month	4,90,500	4,90,500	Nil	No	Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati, Assam	
4.	Distribution of 1000 Ration kits to the flood affected 1000 households (approx 5000 persons)		Yes	Odisha	Village of District Jaipur	One Month	9,24,000	8,81,850	Nil	No	Helpage India, New Delhi	
5.	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community, 3617 Nos. (Phase - IV)		Yes	Haryana	24 Village of District Mewat **(Aspirational District)**	Four Months	5,02,425	3,76,819	Nil	No	Bal Umang Drishya Sanstha (BUDS)	
6.	Distribution of Dinner and donation to foster home children of sex workers, HIV orphans, 10 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Kerala	-	One Day	20,601	20,601	Nil	No	Kerala State Backward Classes Development Corporation (KSBCDC)	
7.	Distribution of Ration for one month to senior citizens at Dashrath Sewashram, 23 nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Madhya Pradesh	-	One Day	23,856	23,856	Nil	No	Madhya Gramin Bank	

अनुलग्नक–4.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष (2020–21) के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था–निय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली–सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
I.	सुरक्षित जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता साफ–सफाई स्वच्छता और स्लम विकास											
1.	गरीब इलाकों में चिकित्सा शिविर (6 राज्य, 13 सामान्य चिकित्सा शिविर एवं 2707 पंजीकरण)।	भूखे गरीबी और कुपोषण का उन्मूलनः निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	बिहार, दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	–	एक वर्ष	11,43,450	11,43,450	शून्य	हाँ	–	
2.	कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, सं. 3567 चरण – III)		हाँ	हरियाणा	मेवात जिले के 24 गाँव (आकांक्षी जिला)	चार माह	4,92,324	4,92,324	शून्य	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था (बड़स)	
3.	बाढ़ से प्रभावित 200 परिवारों को भोजन किट और आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान (1000 किट)		हाँ	असम	जिला धेमाजी और शिवसागरी	एक माह	4,90,500	4,90,500	शून्य	नही	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.ई.ई.), गोवाहटी, असम	
4.	बाढ़ प्रभावित 1000 परिवारों (लगभग 5000 व्यक्ति) को 1000 राशन किट का वितरण		हाँ	उड़ीसा	जयपुर जिले के गाँव	एक माह	9,24,000	8,81,850	शून्य	नहीं	हैल्पएज इण्डिया, नई दिल्ली	
5.	कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, मेवातए हरियाणा, संख्या 3617 (चरण – IV)		हाँ	हरियाणा	मेवात जिले के 24 गाँव (आकांक्षी जिला)	चार माह	5.02,425	3,76,819	शून्य	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था (बड़स)	
6.	यौनकर्मियों, एचआईवी अनाथों के बच्चों को पालने के लिए रात्रिभोज और दान का वितरण (संख्या–10) (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	केरल	–	एक दिन	20.601	20,601	शून्य	नहीं	केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केएसबीसीडीसी)	
7.	दशरथ सेवाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एक माह का राशन वितरण, सं.–23. (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	मध्य प्रदेश	–	एक दिन	23,856	23,856	शून्य	नहीं	मध्य ग्रामीण बैंक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration Number
8.	Distribution of blankets to poor & homeless people, 40 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Assam	-	One Day	20,002	20,002	Nil	No	Assam Appex Weaver Corporation	
9.	Distribution of bags, stationeries and warm clothes to school children, 86 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Punjab	-	One Day	21,923	21,923	Nil	No	Punjab BC Dev & Fin. Corporation	
10.	Distribution of blankets to poor & homeless poor, 100 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	J&K	-	One Day	20,000	20,000	Nil	No	J&K State Women's Dev Corporation	
11.	Distribution of food, clothes, mask & sanitizers to senior citizens at Kakkum Karangal, 30 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Tamil Nadu	-	One Day	19,784	19,784	Nil	No	Tamil Nadu BC	
12.	Distribution of blanket to poor & homeless people at Kangra, 48 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Himachal	-	One Day	20,000	20,000	Nil	No	Himachal BC Fin Dev Corporation	
13.	Distribution of blankets, horlicks, masks and sanitizers to health workers and school children, 153 Nos. (NBCFDC Raising Day)		Yes	Gujarat	-	One Day	19,890	19,890	Nil	No	Gujarat Thakur Kohli Vikas Nigam	
14.	Distribution of blankets to Transgender community at IP Extension, Delhi (100 nos.)		Yes	Delhi	Delhi	One Day	32,500	32,500	Nil	No	Haryana Handloom House	
15.	Prime Minister Care fund		Yes	N/A	-	NA	15,00,000	15,00,000	Nil	Yes	-	
16.	COVID-19 Emergency-Providing of PPE's for Health Care providers in Hospitals (4000 Nos.)		Yes	Uttar Pradesh	Ghaziabad & Noida	One Month	6,52,890	6,47,736	Nil	No	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	
17.	COVID-19 Emergency:-Providing of PPE's for Health care providers (400 Nos.)		Yes	Kerala	Trivandrum	One Month	4,92,800	4,11,587	Nil	No	Kerala Social Security Mission (KSSM), Kerala	
18.	COVID-19 Emergency: - To provide dry ration kits for four hundred vulnerable families of Delhi (2000 Nos.)		Yes	Delhi	Delhi	One Month	3,84,400	3,84,300	Nil	No	Bal Umang Drishya Sanstha (BUDS)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्थानिय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
8.	गरीब और बेघर लोगों को कंबल का वितरण, सं.–40. (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	असम	–	एक दिन	20,002	20,002	शून्य	नहीं	असम एपेक्स वीवर कॉरपोरेशन	
9.	गरीब बच्चों को बैग, स्टेशनरी और गर्म कपड़ों का वितरण, सं.–86. (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	पंजाब	–	एक दिन	21,923	21,923	शून्य	नहीं	पंजाब बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट एण्ड कॉरपोरेशन	
10.	गरीब और बेघर गरीबों को कंबल का वितरण, सं.–100. (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	जम्मू एण्ड कश्मीर	–	एक दिन	20,000	20,000	शून्य	नहीं	जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	
11.	कक्कुम करंगल में वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, कपड़े, मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण, सं.–30. (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	तमिलनाडु	–	एक दिन	19,784	19,784	शून्य	नहीं	तमिलनाडु बी.सी.	
12.	कांगड़ा में गरीब व बेघर लोगों को कंबल का वितरणए सं.–48 (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	हिमाचल	–	एक दिन	20,000	20,000	शून्य	नहीं	हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	
13.	स्वास्थ्य कर्मियों और स्कूली बच्चों को कंबल, हॉर्लिक्स, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण, सं–153 (एनबीसीएफडीसी के स्थापना दिवस पर)		हाँ	गुजरात	–	एक दिन	19,890	19,890	शून्य	नहीं	गुजरात ठाकुर कोली विकास निगम	
14.	आईपी एक्सटेंशन में ट्रांसजेंडर समुदाय को कंबल का वितरण, दिल्ली (सं–100)		हाँ	दिल्ली	दिल्ली	एक दिन	32,500	32,500	शून्य	नहीं	हरियाणा हैण्डलूम हाउस	
15.	प्रधानमंत्री केयर फण्ड		हाँ	लागू नहीं	–	लागू नहीं	15,00,000	15,00,000	शून्य	हाँ	–	
16.	कोविड–19 आपातकाल–अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए पीपीई प्रदान करना (सं.–4000)		हाँ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद एवं नोयडा	एक माह	6,52,890	6,47,736	शून्य	नहीं	हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट (एच.एल.एफ.पी.पी.टी.)	
17.	कोविड–19 आपातकाल–स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए पीपीई प्रदान करना (सं.–400)		हाँ	केरल	त्रिवेन्द्रम	एक माह	4,92,800	4,11,587	शून्य	नहीं	केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन (केएसएसएम), केरल	
18.	कोविड–19 आपातकालः–दिल्ली के चार सौ कमजोर परिवारों को सूखा राशन किट उपलब्ध कराने के लिए (सं.–2000.)		हाँ	दिल्ली	दिल्ली	एक माह	3,84,400	3,84,300	शून्य	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था (बड्स)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District					Direct (Yes/No).	Name	CSR Registration Number
19.	Capacity Building of Caretakers and Homeless Community Volunteers on Basic First Aid and Health Screening and Provision of Kits at 100 Nos. Shelter homes to deal with COVID-19 Pandemic (5,000 Nos.)		Yes	Delhi	Shelter homes in Delhi	One Month	7,50,000	7,50,000	Nil	No	Society for Promotion of Youth & Masses (SPYM), New Delhi	
20.	COVID-19 Emergency:- To provide dry ration kits to three hundred families with /without disabilities from backward classes/other Poor. (1500 Nos.)		Yes	Karnataka	Bangalore	One Month	2,10,000	2,10,000	Nil	No	Samarthanam Trust for the Disabled, Bangalore	
21.	COVID-19 Emergency: - Hunger Relief Programme, distribution of hygiene items and protective gear to families and frontline Warriors. (10000 Nos.)		Yes	Delhi	Delhi	One Month	10,36,500	7,77,375	Nil	No	Mahavir International, New Delhi (MID)	
22.	COVID-19 Emergency;- Mask making and distribution by Transgender persons for transgender community & Poor people (3700 Nos. of people)		Yes	Bihar	Patna	16 Days	2,10,000	1,57,500	Nil	No	Dostanasafar. Patna, Bihar	
					Sub Total (I)		**89,87,845.00**	**84,21,997.00**				
II.	**Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children;**											
1.	Monitoring services for the Project "Promotion of Sport Education and Skills in Five Schools	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;	Yes	Haryana	Mewat	NA	50,000	50,000	Nil	No	Bal Umang Drishya Sanstha (BUDS)	
2.	Transgender CSR overheads	Distribution of Blankets and Ration kits	Yes	Delhi	Delhi	One Week	1,14,402	1,14,402	Nil	Yes		
					Sub Total (II)		**1,64,402.00**	**1,64,402.00**				
	Total (I+II)						**91,52,247.00**	**85,86,339.00**				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था–निय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
19.	बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच और किट के प्रावधान पर केयरटेकर और बेघर सामुदायिक स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण सं.–100. कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए आश्रय गृह (सं.–5000)		हाँ	दिल्ली	दिल्ली में आश्रय गृह	एक माह	7,50,000	7,50,000	शून्य	नहीं	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मैसेस (एमपीवाईएम), नई दिल्ली	
20.	कोविड–19 आपातकाल :– पिछड़ा वर्ग / अन्य गरीबों के विकलांग / मेरे–विकलांग तीन सौ परिवारों को सूखा राशन किट प्रदान करना (सं.–5000)		हाँ	कनार्टक	बैंग्लोर	एक माह	2,10,000	2,10,000	शून्य	नहीं	विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट, बैंगलोर	
21.	कोविड–19 आपातकाल :– भूख राहत कार्यक्रम, परिवारों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को स्वच्छता सामग्री और सुरक्षात्मक उपकरण का वितरण (सं.–10000)		हाँ	दिल्ली	दिल्ली	एक माह	10,36,500	7,77,375	शून्य	नहीं	महावीर इंटरनेशनल, नई दिल्ली (एमआईडी)	
22.	कोविड–19 आपातकाल :– ट्रांसजेंडर समुदाय और गरीब लोगों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा मास्क बनाना और वितरण करना (सं.–3700 व्यक्ति)		हाँ	बिहार	पटना	16 दिन	2,10,000	1,57,500	शून्य	नहीं	दोस्तानासफ़र, पटना, बिहार	
					उप योग (I)		**89,87,845.00**	**84,21,997.00**				
II.	**विशेष रूप से बच्चों के बीच रोजगार बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना :**											
1.	परियोजना के लिए निगरानी सेवाएं ''पांच स्कूलों में खेल शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना''	शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाली व्यावसायिक शिक्षाए विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों की आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	हाँ	हरियाणा	मेवात	लागू नहीं	50,000	50,000	शून्य	नहीं	बाल उमंग दृश्य संस्था (बड्स)	
2.	ट्रांसजेंडर सी.एस.आर. ओवरहेडस्	कम्बल एवं राशन किट का वितरण	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	एक सप्ताह	1,14,402	1,14,402	शून्य	हाँ		
					उप योग (II)		**1,64,402.00**	**1,64,402.00**				
	योग (I+II)						**91,52,247.00**	**85,86,399.00**				

ANNEXURE - 4.7

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST OTHER THAN ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR (2020-21)

Amount in ₹

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	**Name of the Project**	**Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.**	**Local area (Yes/ No)**	**Location of the project.**		**Amount spent in for the Project (in Rs.)**	**Mode of Implementation Direct (Yes/No).**	**Mode of Implementation - Through Implementing Agency**	
				State	**District**			**Name**	**CSR Registration Number**
I.	**Safe Water, Health & Hygiene, Sanitation and Slum Development**								
(1)	Installation of Sanitary Napkin Vending & Incinerator Machine & Sanitary Napkin with Five Cases- 1620 Pads), 50 nos.	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water.	Yes	Uttar Pradesh	BSP Education Society, Jattari, Alilgarh	36,933	No	HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram	
(2)	Installation of Sanitary Napkin Vending Machine & Incinerators for Adolescent girls in ten Schools located (6200 nos.)		Yes	Madhya Pradesh (04 Nos.) and Jammu & Kashmir (06 Nos.).	Chhindwara, M.P. and Jammu, Kathua, Kupwara, Udhampur & Baramulla, J&K.	2,37,500	No	MPCON Ltd., Bhopal, M.P.	
(3)	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community (93 visits, 7129 registrations and 5489 health education to children, total 12618 nos.), (Phase -II)		Yes	Haryana	24 Village of District Mewat **(Aspirational District)**	3,11,287	No	Bal Umang Drishya Sanstha (BUDS), Green Park, New Delhi	
(4)	Emergency Health Support: Awareness and Preventive Action' in 20 villages, 1000 Nos. covered)		Yes	Bihar	Muzaffarpur	1,79,941	No	Helpage India, New Delhi	
(5)	Installation of Sanitary Napkin Vending Machine and Incinerator Machine & Free Sanitary Napkin with Five Cases - 1620 pads) at All India Confederation of the Blind Braille Bhawan (50 nos. covered)		Yes	Delhi	Rohini, North West Delhi	65,695.46	No	HLL life care Limited, Thiruvananthapuram	
(6)	Covid-19 Emergency: Nutrition Support to provide 500 Nutrition care kits to most vulnerable waste pickers families (500 families)		Yes	Karnataka.	Nayandahalli Bangalore	69,500.00	No	Hasiru Dala, Banglore, Karnataka	
(7)	COVID-19 Disease Emergency Cleanliness and Hygiene Support for maintaining seventy rescue shelters for homeless (70 shelters)		Yes	Delhi	Delhi	2,74,750.00	No	Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM), New Delhi	
					Sub Total (I)	**11,75,606.00**			
II	**Promotion and Development of Traditional arts and handicrafts;**								
(1)	Development of an improved pottery kilns for the potter's community. (180 families)	Promotion & Development of Traditional arts & handicrafts.	Yes	Haryana	Village- Khurrampur, Gurugram	6,492.00	No	Indian Institute of Technology, Delhi	
					Sub Total (II)	**6,492.00**			

अनुलग्नक–4.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

₹ राशि में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था–निय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु खर्च की गई धनराशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
I.	सुरक्षित जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, साफ–सफाई और स्लम विकास								
(1)	पांच मामलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसीनरेटर मशीन और सेनेटरी नैपकिन की स्थापना – 1620 पैड), सं.–50	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलनः निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	उत्तर प्रदेश	बी.एस.पी. एजुकेशन सोसाइटी, जट्टारी, अलीलगढ़	36,933	नहीं	एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड, थिरूनन्तपुरम	
(2)	दस स्कूलों में लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और भस्मक की स्थापना (सं.–6200)		हाँ	मध्य प्रदेश (सं.–04) एवं जम्मू एण्ड कश्मीर (सं.–06)	छिंदवाड़ा, एम.पी. तथा जम्मू, कठुआ, कुपवाड़ा, ऊधमपुर और बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर	2,37,500	नहीं	एमपीकॉन लि., भोपाल, मध्य प्रदेश	
(3)	कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार (93 विजिट्स, 7129 पंजीकरण एवं 5489 बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, कुल सं.–12618), (फेस -II)		हाँ	हरियाणा	मेवात जिले के 24 गाँव (आकांक्षी जिला)	3,11,287	नहीं	बाल उमंग संस्था (बड्स), ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	
(4)	आपातकालीन स्वास्थ्य सहायताः 20 गांवों में जागरूकता और निवारक कार्रवाई, सं.–1000 लाभान्वित)		हाँ	बिहार	मुजफ्फरपुर	1,79,941	नहीं	हैल्पऐज इण्डिया, नई दिल्ली	
(5)	पांच मामलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर मशीन और मुफ्त सेनेटरी नैपकिन की स्थापना – 1620 पैड) ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ब्रेल भवन में (सं.–50 लाभान्वित)		हाँ	दिल्ली	रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली	65,695.46	नहीं	एच.एल.एल. लाइफ केयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम	
(6)	आपातकालीन कोविड–19 : अति कमजोर कचरा बीनने वाले 500 परिवारों को पोषण देखभाल किट प्रदान करने के लिए पोषण सहायता (500 परिवार)		हाँ	कनार्टक	नयनदहल्ली बैंगलोर	69,500.00	नहीं	हसीरू डाला, बंगलौर, कर्नाटक	
(7)	आपातकालीन कोविड–19 : रोग सफाई और बेघरों के लिए सत्तर बचाव आश्रयों की देख–रेख के लिए स्वच्छता सहायता (70 आश्रय)		हाँ	दिल्ली	दिल्ली	2,74,750.00	नहीं	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम), नई दिल्ली	
					उप योग (I)	**11,75,606.00**			
II	**पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास;**								
(1)	कुम्हार समुदाय के लिए उन्नत मिट्टी के बर्तनों का विकास (180 परिवार)	पारंपरिक कला व हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास	हाँ	हरियाणा	ग्राम–खुर्रमपुर, गुरुग्राम	6,492	नहीं	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	
					उप योग (II)	**6,492.00**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Amount spent in for the Project (in Rs.)	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration Number
III	**Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children;**								
(1)	Promotion of Sports Education and skills in Rural Areas, 2000 nos. (Phase-II)	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects.	Yes	Haryana	District Mewat	12,88,919	No	KSR Sportseed pvt. Ltd.	
(2)	Upgradation of Science Lab (Physics Laboratory) (300 Nos.)		Yes	Uttar Pradesh	Inter College, District Aligarh	2,20,576	No	Bhagwati Sarla Paliwal Sikhsa Samiti, Jattari, Distt- Aligarh, UP	
(3)	Up' gradation of computer lab of Govt. High School (115 Nos.)		Yes	Punjab	Majri Thekdara Distt. Ropar	95,350	No	Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation	
(4)	Promotion of Sports Education and skills in Rural Areas of Taoru Block of Mewat District, Haryana. 1000 nos. (Phase - I)		Yes	Haryana	District Mewat	1,65,571	No	Sports, Physical Education, Fitness & Leisure Skills Council (SPEFL-SC), New Delhi	
					Sub Total (III)	**17,70,416.00**			
IV	**Protection of national heritage, art and culture;**								
(1)	Promoting Awareness about Gandhian values amongst DNT community & Public	Protection of national heritage, art and culture	Yes	Gujrat	Surat	50,000	No	Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation	
(2)	Making wide publicity of Dr. Ambedkar teachings among Children & Youth (Approx. 5000 Nos.)		Yes	PAN India basis		2,04,927.50	No	Dr. Ambedkar International Centre, Janpath, New Delhi	
					Sub Total (IV)	**2,54,927.50**			
V	**Promoting of livelihood enhancement Project;**								
(1)	Promotion of Chironji Decortication Machines designed by RuTAG IITB for Livelihood generation (80 Household (400 Nos)	Promoting of livelihood enhancement projects.	Yes	Madhya Pradesh & Maharashtra	Katni Dist., MP & Chandrapur Dist. of Maharashtra	2,55,200	No	Indian Institute of Technology, Bombay	
(2)	Construction of Fish drying yard and Administrative Building for the Fisheries Community, 2100 Nos. (420 families) (Phase – 1)		Yes	Tamil Nadu	Mudasalodai Village of Cuddalore District	4,31,679	No	The Chair Associate Professor, Dr. Ambedkar Chair, Annamalai University	
(3)	Upgradation of Fish Drying Yard for the Fisheries community, (110 Nos. covered) (Phase - II)		Yes	Tamil Nadu.	Mudasalodia Village of Cuddalore District	5,59,300	No	"The Chair Associate Professor, Dr. Ambedakar Chair, Annamalai University	
					Sub Total (V)	**12,46,179.00**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्थानिय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु खर्च की गई धनराशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
III.	**विशेष रूप से बच्चों के बीच रोजगार बढ़ाने वाले विशेष शिक्षा व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना;**								
(1)	ग्रामीण क्षेत्रों में खेल शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देनाए सं.– 2000 (फेस-II)	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाली व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों व विकलांगों और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं को बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना	हाँ	हरियाणा	जिला मेवात	12,88,919	नहीं	के.एस.आर. स्पोर्ट्ससीड प्रा. लिमिटेड	
(2)	विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन (भौतिकी प्रयोगशाला) (सं.–300)		हाँ	उत्तर प्रदेश	इंटर कॉलेज, जिला अलीगढ़	2,20,576	नहीं	भगवती सरला पालीवाल शिक्षा समिति, जट्टारी, जिला– अलीगढ़, यूपी	
(3)	सरकारी हाई स्कूल की कम्प्यूटर लैब का उन्नयन (सं.–115)		हाँ	पंजाब	माजरी ठेकदरा जिला–रोपड़	95,350	नहीं	पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम	
(4)	हरियाणा के मेवात जिले के ताओरू विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना सं.–1000 (फेस - I)		हाँ	हरियाणा	जिला मेवात	1,65,571	नहीं	स्पोर्ट, फिजिकल एजूकेशन, फिटनेश एण्ड लेजर स्किल्स़ काउंसिल (एसपीईएफएल–एससी), नई दिल्ली	
					उप योग (III)	**17,70,416.00**			
IV.	**राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण;**								
(1)	डीएनटी समुदाय और जनता के बीच गांधीवादी मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	हाँ	गुजरात	सुरत	50,000	नहीं	गुजरात नोमेडिक एण्ड डिनोटीफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	
(2)	बच्चों और युवाओं के बीच डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार करना (सं.–5000 लगभग)		हाँ	पैन इंडिया आधार		2,04,927.50	नहीं	डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली	
					उप योग (IV)	**2,54,927.50**			
V.	**आजीविका वृद्धि परियोजना को बढ़ावा देना;**								
(1)	जीविका सृजन के लिए RuTAG आईआईटीबी द्वारा डिजाइन की गई चिरौंजी डेकोर्टिकेशन मशीनों का प्रचार (80 हाउसहोल्ड (सं.–400)	आजीविका वृद्धि परियोजनाओं को बढ़ावा देना	हाँ	मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र	कटनी जिला, एमपी एवं चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र	2,55,200	नहीं	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	
(2)	मात्स्यिकी समुदाय के लिए मत्स्य सुखाने वाले यार्ड और प्रशासनिक भवन का निर्माण, सं.– 2100 (420 परिवार) (फेस – 1)		हाँ	तमिलनाडु	कुड्डालोर जिले के मुदासलोदई गांव	4,31,679	नहीं	दि चेयर एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. अम्बेडकर पीठ, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	
(3)	मात्स्यिकी समुदाय के लिए मत्स्य सुखाने वाले यार्ड का उन्नयन, (सं.–110 लाभान्वित (फेस –II)		हाँ	तमिलनाडु	कुड्डालोर जिले के डॉ. अम्बेडकर	5,59,300	नहीं	दि चेयर एसोसिएट प्रोफेसर, मुदासलोदई गांवपीठ, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	
					उप योग (V)	**12,46,179.00**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project.		Amount spent in for the Project (in Rs.)	Mode of Implementation Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration Number
V	**Promoting of livelihood enhancement Project;**								
(1)	Programme for Rescue and Care of Homeless from the Streets	Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups	Yes	Delhi	Delhi	4,20,000	No	Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM), New Delhi	
					Sub Total (VI)	**4,20,000.00**			
	Total (I+II+III+IV+V+VI)					**48,73,620.96**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्था– निय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु खर्च की गई धनराशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली– सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली–क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी.एस.आर. पंजीकृत सं.
VI.	**वृद्धाश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय;**								
(1)	सड़कों से बेघरों के बचाव और देखभाल के लिए कार्यक्रम	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम बनाना, वरिष्ठ नागरिकों हेतु डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	4,20,000	नहीं	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम), नई दिल्ली	
					उप योग (VI)	**4,20,000.00**			
	योग (I+II+III+IV+V+VI)					**48,73,620.96**			

ANNEXURE - 4.8

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	**Project ID**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Project Duration**	**Total amount allocated for the project (in Rs.)**	**Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)**	**Status of the project-Completed/ Ongoing.**
1.	NBCFDC/CSR-15	Development of an improved pottery kilns for the potter's community, Village-Khurrampur, Gurugram, Haryana (180 families)	2017-18	Nine months	12,15,000.00	6,492.00	10,41,492.00	Completed
2.	NBCFDC/CSR-26	Construction of Fish drying yard and Administrative Building for the Fisheries Community, 2100 Nos. (Phase-I)	2018-19	Six months	10,79,600.00	4,31,679.00	10,79,439.00	Completed
3.	NBCFDC/CSR-30	Promotion of Sports Education and skills in Rural Areas of Taoru Block of Mewat District, Haryana. 1000 nos. (Phase - I)	2018-19	Six months	11,03,802.00	1,65,571.00	11,03,802.00	Completed
4.	NBCFDC/CSR-28	Installation of Sanitary Napkin Vending Machine & Incinerators for Adolescent girls in ten Schools located in Madhya Pradesh (04 Nos.) and Jammu & Kashmir (06 Nos.) (6200 nos.)	2018-19	Three months	9,50,000.00	2,37,500.00	9,50,000.00	Completed
5.	NBCFDC/CSR-32	Upgradation of Science Lab (Physics Laboratory) Bhagwati Sarla Paliwal Kanya Inter College, Jartauli Road, Jattari, Distt- Aligarh, UP (300 Nos.)	2018-19	Three months	4,21,199.00	2,20,576.00	3,46,936.00	Completed
6.	NBCFDC/CSR-31	Installation of Sanitary Napkin Vending & Incinerator Machine & Sanitary Napkin in School at Jattari, Distt- Aligarh, UP'	2019-20	One week	65,695.00	36,933.00	69,780.73	Completed
7.	NBCFDC/CSR-34	Emergency Health Support: Awareness and Preventive Action' in 20 villages, of Kanti, Motipur and Meenapur Block of Muzaffarpur, Bihar (1000 Nos. covered)	2019-20	One month	566,500.00	1,79,941.00	519,841.00	Completed
8.	NBCFDC/CSR-48	Up gradation of Fish Drying Yard for the Fisheries community in Mudasalodai Village of Cuddalore District, Tamil Nadu., Tamil Nadu. (110 Nos. covered) (Phase - II)	2019-20	Three months	5,59,300.00	5,59,300.00	5,59,300.00	Completed
9.	NBCFDC/CSR-51	Installation of Sanitary Napkin Vending Machine and Incinerator Machine & Free Sanitary Napkin with Five Cases - 1620 pads) at All India Confederation of the Blind Braille Bhawan, Rohini, Delhi (50 nos. covered)	2019-20	15 Days	65,695.46	65,695.46	65,695.46	Completed

अनुलग्नक–4.8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1) क्र. स.	(2) परियोजना आई. डी.	(3) परियोजना का नाम	(4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	(5) परियोजना अवधि	(6) परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	(7) संदर्भित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रू. में)	(8) संदर्भित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रू. में)	(9) परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–15	कुम्हार समुदाय के लिए ग्राम–खुर्रमपुर, गुरुग्राम, हरियाणा के लिए एक उन्नत मिट्टी की भट्ठी का विकास (180 परिवार)	2017–18	9 माह	12,15,000.00	6,492.00	10,41,492.00	पूर्ण
2.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–26	मात्स्यिकी समुदाय के लिए मत्स्य सुखाने वाले यार्ड एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण, सं. 2100 (फेस-I)	2018–19	6 माह	10,79,600.00	4,31,679.00	10,79,439.00	पूर्ण
3.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–30	हरियाणा के मेवात जिले के ताओरू ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना–सं. 1000 (फेस - I)	2018–19	6 माह	11,03,802.00	1,65,571.00	11,03,802.00	पूर्ण
4.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–28	मध्य प्रदेश में स्थित दस स्कूलों में किशोरियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर्स की स्थापना (सं.– 04) एवं जम्मू एण्ड कश्मीर (सं.–06) (सं.–6200)	2018–19	3 माह	9,50,000.00	2,37,500.00	9,50,000.00	पूर्ण
5.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–32	भगवती सरला पालीवाल कन्या इंटर कॉलेज, जरतौली रोड, जट्टारी, जिला–अलीगढ़, यूपी में विज्ञान प्रयोगशाला (भौतिकी प्रयोगशाला) का उन्नयन (सं.–300)	2018–19	3 माह	4,21,199.00	2,20,576.00	3,46,936.00	पूर्ण
6.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–31	जट्टारी, जिला–अलीगढ़, यूपी के स्कूल में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसीनरेटर मशीन और सेनेटरी नैपकिन की स्थापना	2019–20	1 सप्ताह	65,695.00	36,933.00	69,780.73	पूर्ण
7.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–34	आपातकालीन स्वास्थ्य सहायताः बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटीए मोतीपुर और मीनापुर ब्लॉक के 20 गांवों में जागरूकता और निवारक कार्रवाई (1000 लोग आच्छादित)	2019–20	1 माह	566,500.00	1,79,941.00	519,841.00	पूर्ण
8.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–48	तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के मुदासलोदई गांव में मत्स्य समुदाय के लिए मछली सुखाने वाले यार्ड का उन्नयन (सं–110 कवर) (फेस – II)	2019–20	3 माह	5,59,300.00	5,59,300.00	5,59,300.00	पूर्ण
9.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–51	सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर मशीन की स्थापना और पांच मामलों में मुफ्त सेनेटरी नैपकिन–1620 पैड, अखिल भारतीय नेत्रहीन ब्रेल भवन, रोहिणी, दिल्ली में (सं.–50 कवर)	2019–20	15 दिन	65.695.46	65,695.46	65,695.46	पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	**Project ID**	**Name of the Project**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Project Duration**	**Total amount allocated for the project (in Rs.)**	**Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.)**	**Status of the project-Completed/ Ongoing.**
10.	NBCFDC/CSR-33	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community in 24 village of dist. Mewat, Haryana (12618 nos), (Phase -II)	2019-20	Twelve months	18,01,170.00	3,11,287.00	17,52,223.00	Completed
11.	NBCFDC/CSR-43	Promotion of Sports Education and skills in Rural Areas of Taoru Block of Mewat District, Haryana 2000 nos. (Phase-II)	2019-20	Four months	13,14,933.00	12,88,919.00	12,88,919.00	Completed
12.	NBCFDC/CSR-46	Up' gradation of computer lab of Govt. High School, Majri Thekdara Distt-Ropar, Punjab (115 Nos.)	2019-20	Three months	489,900.00	95,350.00	487,270.00	Completed
13.	NBCFDC/CSR-37	Promoting Awareness about Gandhian values amongst DNT community & Public in Gujarat.	2019-20	One month	1,00,000.00	50,000.00	1,00,000.00	Completed
14.	NBCFDC/CSR-41	Making wide publicity of Dr. Ambedkar teachings among Children & Youth in School, Colleges and different institution's all over India (Pan India Basis) (Approx. 5000 Nos.)	2019-20	24 Months	5,00,000.00	2,04,927.50	4,59,205.00	Ongoing
15.	NBCFDC/CSR-36	Promotion of Chironji Decortication Machines designed by RuTAG IITB for Livelihood generation in Tribal Areas of MP & Maharashtra (80 Household (400 Nos)	2019-20	12 Months	795,024.00	2,55,200.00	5,10,400.00	Ongoing
16.	NBCFDC/CSR-47	Programme for Rescue and Care of Homeless from the Streets of Delhi	2019-20	12 months	840,000.00	4,20,000.00	840,000.00	Completed
17.	NBCFDC/CSR-50	Covid-19 Emergency: Nutrition Support to provide 500 Nutrition care kits to most vulnerable waste pickers families in Nayandahalli, Bangalore, Karnataka (500 families)	2019-20	68 days	2,78,000.00	69,500.00	2,78,000.00	Completed
18.	NBCFDC/CSR-49	COVID-19 Disease Emergency Cleanliness and Hygiene Support for maintaining seventy rescue shelters for homeless (70 shelters) in Delhi	2019-20	65 Days	5,49,500.00	2,74,750.00	5,49,500.00	Completed
		Total			**1,26,95,318.46**	**48,73,620.96**	**1,20,01,803.19**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. स.	परियोजना आई. डी.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रू. में)	संदर्भित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रू. में)	संदर्भित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रू. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
10.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–33	थ्जला–मेवात, हरियाणा के 24 गांवों में कमजोर बच्चोंए युवाओं एवं समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। (सं.–12618), (फेस–II)	2019–20	12 माह	18,01,170.00	3,11,287.00	17,52,223.00	पूर्ण
11.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–43	हरियाणा के मेवात जिले के ताओरू ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना सं.–2000 (फेस–II)	2019–20	4 माह	13,14,933.00	12,88,919.00	12,88,919.00	पूर्ण
12.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–46	गर्वनमेंट हाई स्कूल, माजरी थेकदरा जिला–रोपड़, पंजाब की कंप्यूटर लैब का उन्नयन। (सं.–115)	2019–20	3 माह	489,900.00	95,350.00	487,270.00	पूर्ण
13.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–37	गुजरात में डीएनटी समुदाय और जनता के बीच गांधीवादी मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना	2019–20	1 माह	1,00,000.00	50,000.00	1,00,000.00	पूर्ण
14.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–41	पूरे भारत में स्कूलए कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में बच्चों और युवाओं के बीच डॉ अम्बेडकर की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार करना (अखिल भारतीय स्तर पर) (संख्या लगभग 5000)	2019–20	24 माह	5,00,000.00	2,04,927.50	4,59,205.00	चालू
15.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–36	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों (80 घरेलू) में आजीविका उत्पादन के लिए आरयूटीएजी आईआईटीबी द्वारा डिजाइन किए गए चिरोंजी डेकोर्टिकेशन मशीनों की प्रोन्नति (संख्या–400)	2019–20	12 माह	795,024.00	2,55,200.00	5,10,400.00	चालू
16.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–47	दिल्ली की सड़कों से बेघरों के बचाव और देखभाल के लिए कार्यक्रम	2019–20	12 माह	840,000.00	4,20,000.00	840,000.00	पूर्ण
17.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–50	कोविड–19 आपातकालः नयनदहल्ली, बैंगलोर, कर्नाटक में अति कमजोर कचरा बीनने वाले परिवारों को 500 पोषण देखभाल किट प्रदान करने के लिए पोषण सहायता (500 परिवार)	2019–20	68 दिन	2,78,000.00	69,500.00	2,78,000.00	पूर्ण
18.	एनबीसीएफडीसी/ सीएसआर–49	कोविड–19 आपातकालीन बीमारीः दिल्ली में बेघरों के बचाव के लिए 70 शेल्टर्स में साफ–सफाई एवं स्वास्थ्य की देख–रेख हेतु	2019–20	65 दिन	5,49,500.00	2,74,750.00	5,49,500.00	पूर्ण
		योग			**1,26,95,318.46**	**48,73,620.96**	**1,20,01,803.19**	

ANNEXURE- 4.9

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

1. **Promoting preventive Health Care, Sanitation & Education:**

a) Interventions in Aspirational District of Mewat, Haryana:

- **Mobile Health Van Project :** A Project towards improving the access of Health Care Services through Mobile Health Van for vulnerable children, youth and community has been implemented by Bal Umang Drishya Sanstha (Implementing Agency) for treating 7184 beneficiaries (including 3613 children) in two blocks covering 24 villages.

b) **Medical Camps:-** During the year, 13 Free Eye and Medical Check-up camps were organized in 6 States in collaboration with our implementing partners. Overall in these Camps, about 2707 patients have availed benefit of 4511 OPD check-ups and 961 free spectacles were distributed to the poor people.

Convergence with INDIAN Postal Department: As part of some medical camps, services for making of New Aadhar card and opening of postal saving schemes were provided to poor households by NBCFDC in collaboration with Postal Deptt, GoI.

c) Distribution of blankets, food kits, Ration etc. Poor homeless/ heath workers/ School children/TGs to benefit about 590 persons in the state of Assam, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J& K Kerala, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu as part of Raising Day of NBCFDC.

2. **Protection of National Heritage and Value Education:** Taking Gandhi Heritage to youth/Students" an online Quiz was conducted in collaboration with National Gandhi Museum (NGM) and 29 schools were covered benefiting approx. 2175 students on pan India basis.

3. **Other Support Activities during COVID-19/other Natural Disasters**

- NBCFDC contributed Rs.15 lakhs to the Prime Ministers CARES Fund.
- Providing of PPE's for Health Care providers in Hospitals in U.P. to benefited 4000 persons.
- Providing of PPE's for Health care providers in the Kerala state to 400 persons.
- COVID-19 Emergency:- To provide dry ration kits for four hundred vulnerable families of Delhi 2000 persons benefited including distribution of 100 nos. Mask & 100 nos. Sanitary Pads.
- Capacity Building of Caretakers and Homeless Community Volunteers on Basic First Aid and Health Screening and Provision of Kits at 100 Nos. Shelter homes in Delhi to deal with COVID-19 Pandemic to 5000 community health workers.
- COVID-19 Emergency:- Provided dry ration kits to three hundred families with /without disabilities from backward classes/other Poor in Karnataka and covered 1500 persons including distribution of Mask.
- COVID-19 Emergency: - Under hunger Relief Programme, Food Packets and Masks, PPE kits, & Sanitary Pads and protective gear provided to families and frontline Warriors covered 10,000 persons.

अनुलग्नक–4.9

वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सीएसआर पहलें की है। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

1. **निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा देना:**

क) मेवात, हरियाणा के आकांक्षी जिले में हस्तक्षेप:

➢ **मोबाइल स्वास्थ्य वैन परियोजना:** बाल उमंग दृश्य संस्था (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार की दिशा में 24 गांवों को कवर करने वाले दो ब्लॉकों में 7184 लाभार्थियों (3613 बच्चों सहित) की चिकित्सा के लिए एक परियोजना लागू की गई है।

ख) चिकित्सा शिविर:– वर्ष के दौरान, हमारे कार्यान्वयन सहभागियों के सहयोग से 6 राज्यों में 13 निःशुल्क नेत्र और चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल मिलाकर 2707 रोगियों न लाभ उठाया; 4511 द्वारा ओपीडी जांच का लाभ उठाया और गरीब रोगियों को 961 निःशुल्क चश्में वितरित किए गए।

भारतीय डाक विभाग के साथ अभिसरण: कुछ चिकित्सा शिविरों के हिस्से के रूप में, एनबीसीएफडीसी द्वारा डाक विभाग, भारत सरकार के सहयोग से गरीब परिवारों को नया आधार कार्ड बनाने और डाक बचत योजनाओं को खोलने की सेवाएं प्रदान की गईं।

ग) असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्य में लगभग 590 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए गरीब बेघर/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्कूली बच्चे/ट्रांसजेंडरों को कंबल, भोजन किट, राशन आदि का वितरण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया।

2. **राष्ट्रीय विरासत और आदर्श शिक्षा का संरक्षण:** गाँधी विरासत को युवाओं/छात्रों तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय (एन.जी.एम.) के सहयोग से एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई तथा अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 2175 छात्रों को लाभान्वित करते हुए 29 स्कूलों को कवर किया गया।

3. **कोविड–19/अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य सहायता कार्यक्रम**

➢ एनबीसीएफडीसी ने प्रधान मंत्री केयर्स फंड में रू.15 लाख का योगदान दिया।

➢ 4000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए पीपीई प्रदान की।

➢ केरल राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए 400 व्यक्तियों को पीपीई प्रदान की।

➢ कोविड–19 आपातकाल:– 100 मास्क व 100 सैनेटरी पैड्स के वितरण सहित दिल्ली के चार सौ कमजोर परिवारों के लिए सूखा राशन किट प्रदान कर 2000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

➢ 5000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए दिल्ली में 100 आश्रय गृहों में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच और किट के प्रावधान के लिए केअर टेकर और बेघर समुदाय के स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण।

➢ कोविड–19 आपातकाल: – कर्नाटक में पिछड़े वर्गों/अन्य गरीबों, विकलांग/गैर–विकलांग के तीन सौ परिवारों को शुष्क राशन किट उपलब्ध कराई गई एवं मास्क वितरण सहित 1500 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया।

➢ कोविड–19 आपातकाल: – भूख राहत कार्यक्रम के खाद्य पैकेट और मास्क, पीपीई किट, और सेनेटरी पैड व परिवारों को सामग्री प्रदान की गई तथा 10,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया।

- COVID-19 Emergency:-Mask making and distribution Masks by Transgender persons for transgender community & Poor people in Patna, Bihar.
- **Flood Relief in Assam:** Provision for 200 Kits containing Dry Ration & other relief items to 200 flood affected families in Dhemaji and Sivasagar districts of Assam to benefit 1000 flood affected persons.
- **Flood Relief in Odisha:** Distribution of 1000 Kits containing Dry Ration to flood affected 1000 families in Jajpur district of Odisha to benefit about 5000 flood affected persons.

4. Promotion of Traditional Crafts and Livelihood Projects for target groups:

- Projects for Development of 'Pottery Common Facility Centre' in Bijnor (UP) by NIESBUD and development of Chironji Decortification Machines were taken up IIT(Mumbai) under their RuTAG programme in Madhya Pradesh were sanctioned. A project for supporting fishermen in Tamil Nadu was also sanctioned for improving their 'drying yard facility' to improve their productivity and earnings capacity.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

- कोविड–19 आपातकालः – पटना, बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय और गरीब लोगों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा मास्क तैयार किए गए एवं वितरित किए गए।
- **असम में बाढ़ राहतः** असम के धेमाजी और शिवसागर जिलों में 200 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 200 किट का प्रावधान किया गया जिसमें और अन्य राहत सामग्री थी, जिससे 1000 व्यक्तियों को लाभ हुआ।
- **ओडिशा में बाढ़ राहतः** ओडिशा के जाजपुर जिले में बाढ़ प्रभावित 1000 परिवारों के 5000 प्रभावित व्यक्तियों के लिए शुष्क राशन युक्त 1000 किट का वितरण किया गया।

4. लक्षित समूहों के लिए पारंपरिक शिल्प और आजीविका प्रदान करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देनाः

- एनआईईएसबीयूडी द्वारा बिजनौर (यूपी) में 'पोटरी कॉमन फैसिलिटी सेंटर' के विकास के लिए और मध्य प्रदेश में उनके आरयूटीएजी कार्यक्रम के तहत चिरौंजी डेकोर्टीफिकेशन मशीनों के विकास को आईआईटी (मुंबई) को मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु में मछुआरों को उनकी उत्पादकता और आय क्षमता में सुधार के लिए 'ड्राईंग यार्ड सुविधा' में सुधार के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई थी।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

	ह0/–	ह0/–
	(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
स्थानः नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक	निदेशक
दिनांकः 28.07.2021	(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

Annexure-5

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2021

(₹ in Lakh)

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		**STATES**				
1		**Andhra Pradesh**				
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	17442.29	16912.97	529.32	97
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
		Sub Total (1.1 to 1.3)	**19035.07**	**18505.75**	**529.32**	**97**
2		**Assam**				
	2.1	Assam (BC)	852.59	733.94	118.65	86
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	Assam (Artfed)	1037.60	919.34	118.26	89
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**2257.27**	**2020.36**	**236.91**	**90**
3		**Bihar**				
	3.1	Bihar (BC)	5436.42	2275.35	3161.07	42
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	416.12	416.12	0.00	100
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**5852.54**	**2691.47**	**3161.07**	**46**
4		**Chhattishgarh**				
	4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	1589.28	1286.16	303.12	81
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	62.77	62.77	0.00	100
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**1652.05**	**1348.93**	**303.12**	**82**
5		Goa (SC/ST/BC)	2188.68	2188.68	0.00	100
6		**Gujarat**				
	6.1	Gujarat (BC)	9826.72	9826.72	0.00	100
	6.2	Guajrat (Gopalak)	2997.29	2997.29	0.00	100
	6.3	Guajrat (Thakor)	3759.31	3759.31	0.00	100
	6.4	Guajrat (Nomadic)	137.04	137.04	0.00	100
	6.5	Bank of Baroda Gujarat Gramin Bank	24.99	24.99	0.00	100
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	1065.04	1065.04	0.00	100
	6.7	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**17857.33**	**17857.33**	**0.00**	**100**
7		**Haryana**				
	7.1	Haryana (BC)	7614.69	7614.69	0.00	100
	7.2	Sarva Haryana Gramin Bank	49.61	49.61	0.00	100
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**7664.30**	**7664.30**	**0.00**	**100**
8		**Himachal Pradesh**				
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	5980.86	5980.86	0.00	100
	8.2	Himachal Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**6036.53**	**6036.53**	**0.00**	**100**
9		**Jammu & Kashmir**				
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	417.21	398.59	18.62	96
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	1658.54	1652.22	6.32	100
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**2075.75**	**2050.81**	**24.94**	**99**

अनुलग्नक–5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2021 तक एस.सी.ए.वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रू./लाख)

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया (1)	सकल वसूली (2)	अतिदेय (3)	वसूली का प्रतिशत (4 = 2/1*100)
I.		राज्य				
1		आंध्र प्रदेश				
	1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	17442.29	16912.97	529.32	97
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	आंध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 to 1.3)	**19035.07**	**18505.75**	**529.32**	**97**
2		असम				
	2.1	असम (बीसी)	852.59	733.94	118.65	86
	2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (आर्टफेड)	1037.60	919.34	118.26	89
		उप योग (2.1 to 2.3)	**2257.27**	**2020.36**	**236.91**	**90**
3		बिहार				
	3.1	बिहार (बीसी)	5436.42	2275.35	3161.07	42
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	416.12	416.12	0.00	100
		उप योग (3.1 to 3.2)	**5852.54**	**2691.47**	**3161.07**	**46**
4		छत्तीसगढ़				
	4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	1589.28	1286.16	303.12	81
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	62.77	62.77	0.00	100
		उप योग (4.1 to 4.2)	**1652.05**	**1348.93**	**303.12**	**82**
5		गोवा(एससी/एसटी/बीसी)	2188.68	2188.68	0.00	100
6		गुजरात				
	6.1	गुजरात (बीसी)	9826.72	9826.72	0.00	100
	6.2	गुजारत (गोपालक)	2997.29	2997.29	0.00	100
	6.3	गुजारत (ठाकोर)	3759.31	3759.31	0.00	100
	6.4	गुजारत (नोमेडिक)	137.04	137.04	0.00	100
	6.5	बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	24.99	24.99	0.00	100
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1065.04	1065.04	0.00	100
	6.7	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 to 6.7)	**17857.33**	**17857.33**	**0.00**	**100**
7		हरियाणा				
	7.1	हरियाणा (बीसी)	7614.69	7614.69	0.00	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	49.61	49.61	0.00	100
		उप योग (7.1 to 7.2)	**7664.30**	**7664.30**	**0.00**	**100**
8		हिमाचल प्रदेश				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	5980.86	5980.86	0.00	100
	8.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 to 8.2)	**6036.53**	**6036.53**	**0.00**	**100**
9		जम्मू और कश्मीर				
	9.1	जम्मू और कश्मीर (एससी)	417.21	398.59	18.62	96
	9.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	1658.54	1652.22	6.32	100
		उप योग (9.1 to 9.2)	**2075.75**	**2050.81**	**24.94**	**99**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues (1)	Cumulative Recoveries (2)	Overdues (3)	% age of Recoveries (4 = 2/1*100)
10		**Jharkhand**				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	603.36	587.08	16.28	97
	10.2	Vananchal Gramin Bank	211.24	211.24	0.00	100
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	161.75	161.75	0.00	100
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**976.35**	**960.07**	**16.28**	**98**
11		**Karnataka**				
	11.1	Karnataka (BC)	38169.82	38169.82	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	601.40	187.52	413.88	31
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**38771.22**	**38357.34**	**413.88**	**99**
12		**Kerala**				
	12.1	Kerala (Artisan)	664.01	664.01	0.00	100
	12.2	Kerala (BC)	84126.60	84126.60	0.00	100
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	31552.86	31552.86	0.00	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	627.38	627.38	0.00	100
	12.6	Kerala (Polymer)	164.76	79.62	85.14	48
	12.7	Kerala (Women)	9287.54	9287.54	0.00	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**127551.96**	**127466.82**	**85.14**	**100**
13		**Madhya Pradesh**				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1551.02	1393.17	157.85	90
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4621.87	4398.23	223.64	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	19.01	18.87	0.14	99
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	1570.55	1570.55	0.00	100
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**8386.19**	**8004.56**	**381.63**	**95**
14		**Maharashtra**				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2276.05	2204.49	71.56	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	8216.10	8171.04	45.06	99
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**28085.51**	**27968.89**	**116.62**	**100**
15		**Manipur**				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**Orissa**				
	17.1	Orissa (BC)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	Orissa (Others)	41.76	29.55	12.21	71
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**2329.49**	**2317.28**	**12.21**	**99**
18		**Punjab**				
	18.1	Punjab (BC)	5562.96	5562.96	0.00	100
	18.2	Punjab (Gramin Bank)	2156.92	2156.92	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**7719.88**	**7719.88**	**0.00**	**100**
19		**Rajasthan**				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	5459.26	5359.51	99.75	98
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**5922.07**	**5822.32**	**99.75**	**98**
20		Sikkim (SC/ST)	3303.96	3050.56	253.40	92

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया (1)	सकल वसूली (2)	अतिदेय (3)	वसूली का प्रतिशत (4 = 2/1*100)
10		**झारखंड**				
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	603.36	587.08	16.28	97
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	211.24	211.24	0.00	100
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	161.75	161.75	0.00	100
		उप योग (10.1 to 10.3)	**976.35**	**960.07**	**16.28**	**98**
11		**कर्नाटक**				
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	38169.82	38169.82	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	601.40	187.52	413.88	31
		उप योग (11.1 to 11.2)	**38771.22**	**38357.34**	**413.88**	**99**
12		**केरल**				
	12.1	केरल (आर्टीजन)	664.01	664.01	0.00	100
	12.2	केरल (बीसी)	84126.60	84126.60	0.00	100
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्टस)	1128.81	1128.81	0.00	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	31552.86	31552.86	0.00	100
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	627.38	627.38	0.00	100
	12.6	केरल (पॉलिमर)	164.76	79.62	85.14	48
	12.7	केरल (वीमेन)	9287.54	9287.54	0.00	100
		उप योग (12.1 to 12.7)	**127551.96**	**127466.82**	**85.14**	**100**
13		**मध्य प्रदेश**				
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1551.02	1393.17	157.85	90
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	4621.87	4398.23	223.64	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तिशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	19.01	18.87	0.14	99
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	1570.55	1570.55	0.00	100
		उप योग (13.1 to 13.5)	**8386.19**	**8004.56**	**381.63**	**95**
14		**महाराष्ट्र**				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2276.05	2204.49	71.56	97
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	8216.10	8171.04	45.06	99
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.94	3.94	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	17564.34	17564.34	0.00	100
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14.1 to 14.5)	**28085.51**	**27968.89**	**116.62**	**100**
15		**मणिपुर**				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	6533.36	6533.36	0.00	100
17		**ओडिशा**				
	17.1	उड़ीसा (बीसी)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	41.76	29.55	12.21	71
		उप योग (17.1 to 17.2)	**2329.49**	**2317.28**	**12.21**	**99**
18		**पंजाब**				
	18.1	पंजाब (बीसी)	5562.96	5562.96	0.00	100
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	2156.92	2156.92	0.00	100
		उप योग (18.1 to 18.2)	**7719.88**	**7719.88**	**0.00**	**100**
19		**राजस्थान**				
	19.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	5459.26	5359.51	99.75	98
		उप योग (19.1 to 19.2)	**5922.07**	**5822.32**	**99.75**	**98**
20		सिक्किम (एससी/एसटी)	3303.96	3050.56	253.40	92

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues (1)	Cumulative Recoveries (2)	Overdues (3)	% age of Recoveries (4 = 2/1*100)
21		**Tamilnadu**				
	21.1	Tamilnadu (BC)	70575.41	70550.38	25.03	100
	21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	Tamilnadu (Others)	6.43	6.43	0.00	100
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**70634.52**	**70609.49**	**25.03**	**100**
22		**Tripura**				
	22.1	Tripura (OBC)	8718.20	7503.38	1214.82	86
	22.2	Tripura Gramin Bank	35.60	35.60	0.00	100
		Sub Total (21.1 to 21.2)	**8753.80**	**7538.98**	**1214.82**	**86**
23		**Telangna**				
		Stree Nidhi Credit Coop	9.86	9.86	0.00	100
24		**Uttar Pradesh**				
	24.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	4041.28	4041.28	0.00	100
	24.3	Sarva U.P Gramin Bank	17.06	17.06	0.00	100
	24.4	Purvanchal Gramin Bank	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	Kashi Goumti Grmain Bank	337.00	337.00	0.00	100
	24.6	Aryavart Bank	1870.43	1870.43	0.00	100
	24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.50	0.50	0.00	100
		Sub Total (23.1 to 23.7)	**17120.19**	**17120.19**	**0.00**	**100**
25		Uttarakhand (Bahuudeshiya)	323.76	309.02	14.74	95
26		**West Bengal**				
	26.1	West Bengal (BC)	7616.07	7616.07	0.00	100
	26.2	West Bengal (Minorities)	799.09	714.55	84.54	89
	26.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
		Sub Total (25.1 to 25.3)	**8431.48**	**8346.94**	**84.54**	**99**
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**400249.10**	**393275.70**	**6973.40**	**98**
II.		**UT's**				
27		Chandigarh (SC/BC)	110.02	110.02	0.00	100
28		Delhi (SC/ST/OBC)	413.41	411.43	1.98	100
29		**Puducherry**				
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	Puducherry (BC)	3580.02	2583.98	996.04	72
		Sub Total (29.1 to 29.2)	**3757.67**	**2761.63**	**996.04**	**73**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**4281.10**	**3283.08**	**998.02**	**77**
III.		**PSB's**				
30		Bank of Baroda	3491.44	3490.70	0.74	100
31		Punjab National Bank	259.53	196.00	63.53	76
32		Dena Bank	0.62	0.62	0.00	100
		Sub Total (30 to 32)	**3751.59**	**3687.32**	**64.27**	**98**
III.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**408281.79**	**400246.10**	**8035.69**	**98**

Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
21		**तमिलनाडु**				
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	70575.41	70550.38	25.03	100
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	6.43	6.43	0.00	100
		उप योग (21.1 to 21.3)	**70634.52**	**70609.49**	**25.03**	**100**
22		**त्रिपुरा**				
	22.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	8718.20	7503.38	1214.82	86
	22.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	35.60	35.60	0.00	100
		उप योग (22.1 to 22.2)	**8753.80**	**7538.98**	**1214.82**	**86**
23		**तेलगंना**				
		स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिवफेडरेशन लि.	9.86	9.86	0.00	100
24		**उत्तर प्रदेश**				
	24.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	10845.53	10845.53	0.00	100
	24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि।	4041.28	4041.28	0.00	100
	24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	17.06	17.06	0.00	100
	24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	8.39	0.00	100
	24.5	काशी गौमती ग्राम बैंक	337.00	337.00	0.00	100
	24.6	आर्यवर्त बैंक	1870.43	1870.43	0.00	100
	24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.50	0.50	0.00	100
		उप योग (24.1 to 24.7)	**17120.19**	**17120.19**	**0.00**	**100**
25		उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	323.76	309.02	14.74	95
26		**पश्चिम बंगाल**				
	26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	7616.07	7616.07	0.00	100
	26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	799.09	714.55	84.54	89
	26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
		उप योग (26.1 to 26.3)	**8431.48**	**8346.94**	**84.54**	**99**
		कुल – राज्य (1–26)	**400249.10**	**393275.70**	**6973.40**	**98**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**				
27		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	110.02	110.02	0.00	100
28		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	413.41	411.43	1.98	100
29		**पुडुचेरी**				
	29.1	पुदुचेरी (आदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	पुदुचेरी (बीसी)	3580.02	2583.98	996.04	72
		उप योग (29.1 to 29.2)	**3757.67**	**2761.63**	**996.04**	**73**
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (27–29)	**4281.10**	**3283.08**	**998.02**	**77**
III.		**पीएसबी**				
30		बैंक ऑफ बड़ौदा	3491.44	3490.70	0.74	100
31		पंजाब नेशनल बैंक	259.53	196.00	63.53	76
32		देना बैंक	0.62	0.62	0.00	100
		उप योग (30 to 32)	**3751.59**	**3687.32**	**64.27**	**98**
III.		**कुल योग (I+II+III)**	**408281.79**	**400246.10**	**8035.69**	**98**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

Annexure-6

National Backward Classes Finance and Development Corporation
State-wise Sanction Disbursement Chart 2020-21

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
1	Andhra Pradesh	Vishakhapatnam	MSME, Visakhapatnam	CNC Operator-Turning	300 Hrs./3 Months	11	193710	77055
			MSME, Visakhapatnam	CNC Operator-Vertical Machining Centre (VMC)	300 Hrs./3 Months	12	211320	84060
		Krishna	SSDM, Andhra Pradesh	Asst. Electrcian	400 Hrs/3 Months	23	512440	221093
				Asst. Beauty Therapist	250 Hrs/2 Months	22	277200	121880
		Vishakhapatnam		CRM Domestic Non-Voice	400 Hrs/3 Months	20	392000	173280
		Guntur		Retail Sales Associates	280 Hrs/3 Months	20	296000	124096
		Chittor		Casting Operator-Metal Handicraft	80 Hrs.	100	652000	200548
		West Godavari		Traditional Hand Embroiderer		142	925840	284778
		Prakasham (changed from Dam & Diu)		Textile Sector Skill Council-1st phase Fabric Cheker (changed from Ring Frame Tenter)	300 Hrs/3 Months	30	528300	210150
		Prakasham		Cone Winding Operator	80 Hrs.	30	257280	85140
	State Total					**410**	**4246090**	**1582079.72**
2	Assam	Darrang	Furniiture SSC Carried-forward	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	753600	316800
		Barpeta		Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	90	1130400	475200
		Dhubri (60 Changed from Baksa to Goalpara and Goalpara to Dhubari)		Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	753600	310080
		Barpeta		Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	659040	329520
		Goalpara	Rubber Skill Development Council (RSDC) Carried-forward	Latex harvest Technician	80 Hrs.	60	299520	149760
		Kamrup	IIE, Guwahati-1st Phase	Pickle Making Technician	240 Hrs/2 Months	30	414240	160872
				Traditional Snack and Savoury Maker	240 Hrs/2 Months	30	414240	160872
				Airline Cabin Crew	480 Hrs/4 Months	30	810480	321744
		Guwahati	IIE, Guwahati	EDP	10 Days	68	387600	54400
		Sivsagar				30	171000	24000
		Tinsukia				57	324900	45600
		Dibrugarh				33	188100	26400
		North Lakhimpur				58	330600	46400
		Guwahati	MSME-Guwahati	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	20	702816	174845
				Certificate Course in CNC Milling		20	702816	174845
				Master Certificate Course in CAD/CAM		20	702816	174845
	State Total					**786**	**8745768**	**2946182**
3	Bihar	Araria (Changed from Kottyam)	KITCO Ltd.	Houshkeeping Supervisor	220 Hrs (2 Months)	30	324000	146256
		Katihar (Changed from Alappuzha)		Houshkeeping Supervisor	220 Hrs (2 Months)	30	324000	146256
		Muzaffarpur		Houshkeeping Supervisor	220 Hrs (2 Months)	30	324000	146256
		Patna	Apollo Med Skills (carried-forward)	Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	43	954600	412800
			Apollo Med Skills (1st Phase)	Geriatric Aide	480 Hrs./3 Months	60	1368000	525600
		Vaishali	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	80	2033280	777984
		Gaya	Domestics SSC 1st Phase	Housekeeper cum cook	80 Hrs	143	1154868	370084
		Nawada	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	90	730800	234900
		Nalanda			80 Hrs.	60	487200	156600

अनुलग्नक–6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राज्य–वार स्वीकृत संवितरण चार्ट 2020–21

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम	एम.एस.एम.ई., विशाखापटनम	सी.एन.सी. आपरेटर –टर्निंग	300 घन्टे / 3 माह	11	193710	77055
			एम.एस.एम.ई., विशाखापटनम	सी.एन.सी. आपरेटर–वर्टीकल मैचिंग सेन्टर (वी.एम.सी.)	300 घन्टे / 3 माह	12	211320	84060
		कृष्णा	एस.एस.डी.एम., आन्ध्र प्रदेश	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे / 3 माह	23	512440	221093
				असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे / 2 माह	22	277200	121880
		विशाखापटनम		सी.आर.एम. डॉमेस्टिक नॉन–वोइस	400 घन्टे / 3 माह	20	392000	173280
		गुन्तुर		रिटेल सेल्स एसोशिएट्स	280 घन्टे / 3 माह	20	296000	124096
		चित्तौड़		कॉस्टिंग आपरेटर–मेटल हैण्डीक्राफ्ट	80 घन्टे	100	652000	200548
		पश्चिम गोदावरी		ट्रेडिशनल हैंड इम्ब्रोइडर		142	925840	284778
		प्रकाशम (दमन और दीव से परिवर्तित)	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल फेस–1	फेब्रिक चैकर (रिंग फ्रेम से परिवर्तित)	300 घन्टे / 3 माह	30	528300	210150
		प्रकाशम		कॉन वाइंडिंग आपरेटर	80 घन्टे	30	257280	85140
	राज्य योग					**410**	**4246090**	**1582079.72**
2	असम	दरांग	फर्नीचर एस.एस.सी.–आगे लाए गए	असिस्टेंटकारपेंटर– वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	753600	316800
		बारपेटा		असिस्टेंट कारपेंटर– वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	90	1130400	475200
		धुबरी (60 बक्सा से गोलपारा और गोलपारा से धुबरी परिवर्तित)		असिस्टेंटकारपेंटर– वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	753600	310080
		बारपेटा		लीड कारपेंटर– वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	659040	329520
		गोलपाड़ा	रबर स्किल डेवलपमैंट काउसिंल (आर.एस.डी.सी.)– आगे लाए गए	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	60	299520	149760
		कामरूप	आई.आई.ई.,गुवाहाटी–फेस–1	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	240 घन्टे / 2 माह	30	414240	160872
				ट्रेडिशनल स्नैक एण्ड सवोरी मेकर	240 घन्टे / 2 माह	30	414240	160872
				एयरलाइन केबिन क्रू	480 घन्टे / 4 माह	30	810480	321744
		गुवाहाटी	आई.आई.ई., गुवाहाटी	ई.डी.पी.	10 दिन	68	387600	54400
		शिवसागरी				30	171000	24000
		तिनसुकिया				57	324900	45600
		डिब्रूगढ़				33	188100	26400
		उत्तर लखीमपुर				58	330600	46400
		गुवाहाटी	एम.एस.एम.ई.– गुवाहाटी	सी.एन.सी. टर्निग में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	20	702816	174845
				सी.एन.सी. मिल्लिग में सर्टीफिकेट कोर्स		20	702816	174845
				सी.ए.डी. / सी.ए.एम. में मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स		20	702816	174845
	राज्य योग					**786**	**8745768**	**2946182**
3	बिहार	अररिया (कोट्टयम सेपरिवर्तित)	किटको लिमिटेड	हाउसकिपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे (2 माह)	30	324000	146256
		कटिहार (अलाप्पुझा से परिवर्तित)		हाउसकिपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे (2 माह)	30	324000	14625
		मुजफ्फरपुर		हाउसकिपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे (2 माह)	30	324000	146256
		पटना	अपोलो मेड स्किल्स (आगे लालाए गए)	जेरियेटिक एइड	480 घन्टे / 3 माह	43	954600	412800
			अपोलो मेड स्किल्स (फेस–11)	जेरियेटिक एइड	480 घन्टे / 3 माह	60	1368000	525600
		वैशाली	सिपेट फेस–1	एम.ओ.ए.–पी.पी., आई.एम., बी.एम. एण्ड पी.ई.	480 घन्टे / 3 माह	80	2033280	777984
		गया	डोमेस्टिक एसएससी प्रथम चरण	हाउसकीपर कम कुक	80 घन्टे	143	1154868	370084
		नवादा	फर्नीचर एस.एस.सी. फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंट कारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	90	730800	234900
		नालंदा			80 घन्टे	60	487200	156600

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Katihar	NITCON Ltd.-1st Phase	Beauty Therapist	80 Hrs.	30	228600	78446
		Araria		Assistant Electrician		30	257280	94335
		Buxer	NIESBUD	EDP	90Hrs/15 days	30	198000	27000
		Banka		EDP		30	198000	27000
		Saharsa		EDP		60	396000	54000
		Siwan		EDP		30	198000	27000
		Khagaria	NIESBUD 1st Phase	Self Employed Tailor	340Hrs./3 Months	50	973900	388170
		Saharsa		Self Employed Tailor	80 Hrs	177	1517952	502326
	State Total					**1003**	**11668480**	**4115013.52**
4	Chhattisgarh	Bilaspur	CEDMAP	Asst. Electrician	400 Hrs.(3 Months)	30	650400	288382
		Raipur	Domestics SSC 1st Phase	Housekeeper cum cook	80 Hrs	90	726840	232920
		Durg	MSME, Durg-1st Phase	Auto CAD	80 Hrs.	19	155344	53922
				Solidsworks (CAD)		14	114464	39732
				CATIA (CAD)		20	163520	56760
				CNC-Programming		22	179872	62436
				Computer Hardware & Networking		25	204400	70950
		Durg	MPCON 1st phase	Pickle Making Technician	240 Hrs./ 2 Months	30	411240	160872
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Rajnandangoan		Pickle Making Technician	240 Hrs./ 2 Months	30	411240	160872
				Asst. Beauty Therapist	250 Hrs/2 Months	30	375000	150000
		Raigarh	OP Jindal Community College	Asst. Electrician	400 Hrs./3 Months	30	668400	288381.6
		Raipur	ATDC-Long Term	Fashion Designer	720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Bhilai	NIESBUD	EDP	15 Days	50	330000	45000
	State Total					**440**	**5630044**	**2004524.4**
5	Delhi	Delhi (changed from Aligarh)	NIESBUD(carried-forward)	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	60	1132680	465804
		Delhi	NIESBUD 2nd Phase	Beauty Therapist	350 Hrs./ 3 Months	100	1700000	700000
			Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340(3 Months)	30	584340	232902
			Apollo MedSkills Ltd.	Geriatric Aide (for 30 trainees each changed from Jammu & Chittoor)	480 Hrs./ 3 Months	54	1198800	473040
	State Total					**244**	**4615820**	**1871746**
6	Gujarat	Surat (20 trainees changed from Saharsa)	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340 (3 Months)	50	973900	388170
		Ahmedabad		Sewing Machine Operator	270 (2 Month)	30	456270	173481
		Surat		Fashion Designer	720 Hrs/ 06 Months	25	822480	201744
		Rajkot	Domestics SSC 1st Phase	Housekeeper cum cook	80 Hrs	100	807600	258800
		Rajkot (changed from Ahmedabad)	IGTR, Ahmedabad	Master Certificate Course in CAD/ CAM (changed from Master Certificate Course in Mechatronics)	780 Hrs (6 Months)	25	1060650	423195
		Ahmedabad		Certificate Course in CNC Milling	780 Hrs (6 Months)	11	466686	186206
		Ahmedabad	IGTR-Ahmedabad-Long-term	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	30	1054224	262267
				Certificate Course in CNC Milling	781 Hrs./6 Months	30	1054224	262267
		Bhuj	Textile Sector Skill Council	Two Shaft Handloom weaver	80 hrs	72	408672	204336
		Rajkot	Textile Sector Skill Council-1st phase	Two Shaft Handloom Weaver	80 Hrs.	90	771840	255420
		Rajkot (changed from Tamilnadu)		Two Shaft Handloom Weaver (changed from Soft Flow Dyeing Machine Operator)	80 Hrs.	40	343040	113520
		Ahmedabad	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	80	2033280	777984

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
		कटिहार	निटकॉन लि.–फेस–1	ब्यूटी थेरेपिस्ट	80 घन्टे	30	228600	78446
		अररिया		असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन		30	257280	94335
		बक्सर	निसबड	ई.डी.पी.	90घन्टे / 15 दिन	30	198000	27000
		बांका		ई.डी.पी.		30	198000	27000
		सहरसा		ई.डी.पी.		60	396000	54000
		सिवान		ई.डी.पी.		30	198000	27000
		खगरिया	निसबड– फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे्3माह	50	973900	388170
		सहरसा		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	177	1517952	502326
	राज्य योग					**1003**	**11668480**	**4115013.52**
4	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सैडमैप	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे (3 माह)	30	650400	288382
		रायपुर	डॉमेस्टिक एस.एस.सी. फेस–1	हाउसकीपर कम कुक	80 घन्टे	90	726840	232920
		दुर्गा	एम.एस.एम.ई., दुर्ग–फेस–1	आटो सी.ए.डी.	80 घन्टे	19	155344	53922
				सालिड्स वर्क्स् (सी.ए.डी.)		14	114464	39732
				कैटिया(सीएए.डी.)		20	163520	56760
				सी.ए.सी.–प्रोग्रामिंग		22	179872	62436
				कम्प्यूटर हॉर्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग		25	204400	70950
		दुर्गा	एपीकॉन फेस–1	पिकल मेकिंग	240 घन्टे / 2 माह	30	411240	160872
				सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	581340	232902
		राजनंदनगांव		पिकल मेकिंग	240 घन्टे / 2 माह	30	411240	160872
				असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे / 2 माह	30	375000	150000
		रायगढ़	ओ.पी. जिन्दल कम्युनिटी कॉलेज	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे / 3 माह	30	668400	288381.6
		रायपुर	ए.टी.डी.सी.–लॉंग टर्म	फैशियन डिजाइनर	720 घन्टे / 06 माह	20	657984	161395
		भिलाई	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	50	330000	45000
	राज्य योग					**440**	**5630044**	**2004524.4**
5	दिल्ली	दिल्ली (अलीगढ़ से परिवर्तित)	निसबड (आगे लाए गए)	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1132680	465804
		दिल्ली	निसबड फसे–2	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे / 3 माह	100	1700000	700000
			अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	30	584340	232902
			अपोलो मेडिस्किल्स लि.	जेरियेट्रिक एड (30 प्रशिक्षु जम्मू और चित्तूर से परिवर्तित)	480 घन्टे / 3 माह	54	1198800	473040
	राज्य योग					**244**	**4615820**	**1871746**
6	गुजरात	सूरत (20 प्रशिक्षु सहरसा से परिवर्तित)	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	50	973900	388170
		अहमदाबाद		सेविंग मशीन आपरेटर	270 (2 माह)	30	456270	173481
		सूरत		फैशियन डिजाइनर	720 घन्टे / 06 माह	25	822480	201744
		राजकोट	डॉमेस्टिक्स एस.एस.सी. फेस–1	हाउसकीपर कम कुक	80 घन्टे	100	807600	258800
		राजकोट (अहमदाबाद से परिवर्ति)	आई.जी.टी.आर., अहमदाबाद	सीएडी / सीएएम में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स (मेक्ट्रोनिक्स से मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स परिवर्तित)	780 घन्टे (6 माह)	25	1060650	423195
		अहमदाबाद		सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे (6 माह)	11	466686	186206
		अहमदाबाद	आई.जी.टी.आर., अहमदाबाद लॉंग–टर्म	सीएनसी टर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	30	1054224	262267
				सीएनसी मीलिंग में सर्टीफिकेट कोर्स	781 घन्टे / 6 माह	30	1054224	262267
		भुज	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल	टू सॉफ्ट हैण्डलूम वीवर	80 घन्टे	72	408672	204336
		राजकोट	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल	टू सॉफ्ट हैण्डलूम वीवर	80 घन्टे	90	771840	255420
		राजकोट (तमिलनाडु से परिवर्तित)		टू सॉफ्ट हैण्डलूम वीवर (सॉफ्ट फ्लो से डाइंग मशीन आपरेटर में परिवर्तित)	80 घन्टे	40	343040	113520
		अहमदाबाद	सीपेट– फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	80	2033280	777984

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Banaskantha	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	120	974400	313200
		Dwarka	NIESBUD	EDP	15 days	50	330000	45000
		Anand			16 days	50	330000	45000
	State Total					**803**	**11887266**	**3910590.2**
7	Haryana	Murthal	CIPET 1st Phase	MOA- PP, IM, BM &PE	480 Hrs./3 Months	40	1016640	388992
		Nuh	Rubber Skill Development Council (RSDC) CSR - CWC	Tyre Fitter	350 Hrs	60	890400	445200
		Mewat	Himachal Consulatancy Ltd. Carried forward 2019-20	Sewing Machine Operator	270 (3 Months)	30	468270	173481
		Palwal		Sewing Machine Operator	270 (3 Months)	60	936540	346962
		Nuh	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Sewing Machine Operator	270 Hrs/ 2 Months	25	380225	144567.5
		Sirsa	HARDICON Ltd.	Self Employed Tailor	80 Hrs.	59	505984	167442
				Mobile Phone Hardware Technician	80 Hrs.	40	343040	113520
				Helper Electrician	80 Hrs.	55	471680	156090
		Rohtak	MSME, Rohtak	Draughtsman MechanicalCSC/Q0402	300 Hrs./3 Months	20	352200	140100
				CNC Operator-TurningCSC/Q0115	301 Hrs./3 Months	20	352200	140100
				CNC Operator-VMCCSC/Q0116	302 Hrs./3 Months	20	352200	140100
		Karnal	MSME-Ludhiana	Advance CNC Programming using Master CAM	480 Hrs. (4 Months)	25	660400	298382
		Ballbhagarh (20 trainees changed from Saharsa)	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340 (3 Months)	20	389560	155268
		Gurugram	ATDC-Long Term	Production Supervisor Sewing	720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Faridabad			720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Ambala	NIESBUD	EDP	15 Days	60	396000	54000
		Yamuna Nagar				60	396000	54000
		Ambala				30	198000	27000
	State Total					**664**	**9425307**	**3267994.5**
8	Himachal Pradesh	Bilaspur	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Pickle Making Technician	240 Hrs/ 2 Months	40	552320	214496
		Kangra	NIESBUD 1st Phase	Food & Beverage Services Stewart	80 Hrs	30	228600	70800
		Sirmaur	NIESBUD	EDP	15 days	50	330000	45000
	State Total					**120**	**1110920**	**330296**
9	Jharkhand	Ramgarh	OP Jindal Community College	Asst. Electrician	400 Hrs./3 Months	25	557000	240318
				Welder (Manual Metal Arc Welding/ Shielded Metal Arc Welding Welder)	500 Hrs./4 Months	25	698750	306648
			Gems & Jewellery Skill Council of India 1st phase	Frame Maker	80 Hrs.	150	1286400	425700
	State Total					**200**	**2542150**	**972665.5**
10	Jammu & Kashmir	Jammu	JKITCO carried-forward 2019-20	Field Technician-Computing and Peripherals	300 Hrs./ 3Months	60	1020600	465692
		Jammu		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	60	1132680	517249
		Jammu		Field Technician-AC	300 Hrs./ 3Months	60	1020600	465692
		Udhampur		Domestic Data Entry Operator	400 Hrs./ 3Months	60	1140000	519840
		Poonchh	JKITCO 1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	40	779120	344832
		Kishtwar		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	584340	258624
		Jammu	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	50	406000	130500
		Srinagar	PPDC-Agra 1st Phase (Long-term)	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	30	1054224	262267
		Kathua	NIESBUD	EDP	15 days	50	330000	45000
	State Total					**440**	**7467564**	**3009698**

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
		बनासकांठा	फर्नीचर एस.एस.सी. फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंट कारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	974400	313200
		द्वारका	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	50	330000	45000
		आनंद			16 दिन	50	330000	45000
	राज्य योग					803	11887266	3910590.2
7	हरियाणा	मुरथल	सीपेट फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	40	1016640	388992
		नूह	रबर स्किल डेवलपमेंट काउसिंल (आरएसडीसी) सी.एस.आर.–सी.डब्ल्यू.सी.	टायर फिटर	350 घन्टे	60	890400	445200
		मेवात	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. (हिमकॉन) आगे से लाए गए 2019–20	सेविंग मशीन आपरेटर	270 (3 माह)	30	468270	173481
		पलवल		सेविंग मशीन आपरेटर	270 (3 माह)	60	936540	346962
		नूह	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. (हिमकॉन) फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 घन्टे / 2 माह	25	380225	144567.5
		सिरसा	हार्डीकॉन लि.	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	59	505984	167442
				मोबाइल फोन हॉर्डवेयर टेक्नीशियन	80 घन्टे	40	343040	113520
				हेल्पर इलेक्ट्रीशियन	80 घन्टे	55	471680	156090
		रोहतक	एम.एस.एम.ई., रोहतक	ड्रग्स्ट्समैन मैकेनिकल सी.एस.सी. / क्यू0402	300 घन्टे / 3 माह	20	352200	140100
				सी.एन.सी. आपरेटर–टर्निंग सी.एस.सी. / क्यू0115	301 घन्टे / 3 माह	20	352200	140100
				सी.एन.सी. आपरेटर–वी.एम.सी. सी.एस.सी. / क्यू 0116	302 घन्टे / 3 माह	20	352200	140100
		करनाल	एम.एस.एम.ई.–लुधियाना	एडवाँस सी.एन.सी. प्रोग्रामिंग मास्टर कैम उपयोग हेतु	480 घन्टे (4 माह)	25	660400	298382
		बल्लभगढ़ (20 प्रशिक्षु सहरसा से परिवर्तित)	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	20	389560	155268
		गुरूग्राम	ए.टी.डी.सी. –लॉग टर्म	प्रोडक्सन सुपरवाइजर सेविंग	720 घन्टे / 06 माह	20	657984	161395
		फरीदाबाद			720 घन्टे / 06 माह	20	657984	161395
		अंबाला	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	60	396000	54000
		यमुना नगर				60	396000	54000
		अंबाला				30	198000	27000
	राज्य योग					664	9425307	3267994.5
8	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. (हिमकॉन) फेस–1	पिकल मेकिंग	240 घन्टे / 2 माह	40	552320	214496
		कांगड़ा	निसबड फेस–1	फूड एण्ड वेबरेज सर्विसेज स्टेवार्ट	80 घन्टे	30	228600	70800
		सिरमौरी	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिने	50	330000	45000
	राज्य योग					120	1110920	330296
9	झारखण्ड	रामगढ़	ओपी. जिन्दल कम्युनिटी कॉलेज	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे / 3 माह	25	557000	240318
				वेल्डर (मैनुवल मेटल आर्क वेल्डिंग / शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर)	500 घन्टे / 4 माह	25	698750	306648
			जेम्स एण्ड ज्वैलरी स्किल काउसिंल ऑफ इण्डिया फेस–1	फ्रेम मेकर	80 घन्टे	150	1286400	425700
	राज्य योग					200	2542150	972665.5
10	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	जेकेइटको आगे लाए गए 2019–20	फिल्ड टेक्नीशियन–कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स	300 घन्टे / 3 माह	60	1020600	465692
		जम्मू		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1132680	517249
		जम्मू		फिल्ड टेक्नीशियन दृ .सी.	300 घन्टे / 3 माह	60	1020600	465692
		उधमपुर		डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	60	1140000	519840
		पुंछ	जेकेइटको फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	40	779120	344832
		किश्तवाड़		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	584340	258624
		जम्मू	फर्नीचर एस.एस.सी.फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंट कारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	50	406000	130500
		श्रीनगर	पी.पी.डी.सी.–आगरा फेस–1 (लॉग.टर्म)	सीएनसी टर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	30	1054224	262267
		कठुआ	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	50	330000	45000
	राज्य योग					440	7467564	3009698

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
11	Laddakh	Laddakh	Power Sector Skill Council (2nd Phase)	Consumer Energy Meter Technician	350Hrs./3 Months	60	1160700	474210
	State Total					**60**	**1160700**	**474210**
12	Karnataka	Tumkur	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340(3 Months)	30	584340	232902
		Bengaluru	MSME, Begaluru-1st Phase	Auto CAD	80 Hrs.	15	122640	47168
				Solidsworks (CAD)		15	122640	47168
				CATIA (CAD)		15	122640	47168
		Bagalkot	Textile Sector Skill Council-1st phase	Power Loom Operator	80 Hrs.	30	257280	85140
		Rauchur	SSDM, Karnatka	CCTV Installation Technician	360 Hrs/3 Months	16	326592	128698
				Solar Panel Installation Technician	400 Hrs/3 Months	16	356480	137664
		Shivmoga		Manual Metal ARC Welding	500 Hrs/4 Months	49	1369550	539245
		Dakshin Kannada		Genral Duty Assistant	420 Hrs/4 Months	25	535000	210000
		Chikaballapur		Fitter-Electrical and Electronic Assembly	80 Hrs.	50	428800	141900
		Bidar		Bar Benders & Steel Fixer		40	343040	113520
		Ramnagar		Plumbing Mason		29	234204	75052
		Dharwad		Plumber (General) Helper		58	468408	150104
		Bengaluru Urban	ATDC-Long Term	Production Supervisor Sewing	720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Bengaluru	NIESBUD	EDP	15 Days	50	330000	45000
	State Total					**458**	**6259598**	**2162122.48**
13	Kerala	Kottyam	KITCO Ltd.	Beauty Therapist	350 Hrs.(3 Months)	30	510000	232680
		Alappuzha		Beauty Therapist	350 Hrs.(3 Months)	30	510000	232680
		Ernakulam	IHRD	Solar Panel Technician	400 (3 Month)	30	668400	288382
		Thissur		Electrician Domestic Solution	350(3 Months)	30	528000	232680
		Malappuram		Domestic Data Entry Operator	400 (3 Month)	30	588000	259920
		Kozhikode		Account Executive	350(3 Months)	30	458700	194288
		Ernakulam		Post Graduation Diploma in Computer Application (PGDCA)	600 Hrs/12 Months	30	723000	192222
				Diploma in Computerised Financial Accounting	600 Hrs/6 Months	30	571500	138591
		Malappuram		Post Graduation Diploma in Computer Application (PGDCA)	600 Hrs/12 Months	30	723000	192222
				Diploma in Computerised Financial Accounting	600 Hrs/6 Months	30	571500	138591
		Kannaur	Rubber Skill Development Corporation-1st phase	Tyre Fitter Services and Maintenance	80 Hrs.	89	763264	252582
		Kasaragod			80 Hrs.	100	857600	283800
		Malappuram	NIESBUD	EDP	15 days	30	198000	27000
	State Total					**519**	**7670964**	**2665637**
14	Madhya Pradesh	Narshighpur	MPCON 1st phase	Sewing Machine Operator	270 Hrs/2 Months	30	453270	173481
		Hoshangabad		Asst. Beauty Therapist	250 Hrs/2 Months	30	375000	150000
		Bhopal		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Raisen		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Damoh		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Panna		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Betul		Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Sehore	CEDMAP	Asst. Electrician	400 Hrs.(3 Months)	30	650400	288382
		Bhopal	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	30	243600	78300
		Chhindwara	Gems & Jewellery Skill Council of India 1st phase	Frame Maker	80 Hrs.	148	1269248	420024

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी/ प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
11	लद्दाख	लद्दाख	पॉवर सैक्टर स्किल काउसिंल (फेस–22)	कंज़ूमर एर्नजी मीटर तकनीशियन	350घन्टे/3 माह	60	1160700	474210
	राज्य योग					**60**	**1160700**	**474210**
12	कर्नाटक	तुमकुर	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	30	584340	232902
		बेंगलुरु	एम.एस.एम.ई., बैंगलुरु–फेस–1	ऑटो कैड	80 घन्टे	15	122640	47168
				सॉलिडवर्क (कैड)		15	122640	47168
				केटिया (कैड)		15	122640	47168
		बागलकोट	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल	पावरलूम आपरेटर	80 घन्टे	30	257280	85140
		रायचुर शिमोगा	एस.एस.डी.एम., कर्नाटक	सीसीटीवी इनस्टालेशन तकनीशियन	360 घन्टे/3 माह	16	326592	128698
				सोलर पैनल इनस्टालेशन तकनीशियन	400 घन्टे/3 माह	16	356480	137664
		दक्षिण कन्नड़		मैनुअल मेटल ए.आर.सी. वेल्डिंग	500 घन्टे/4 माह	49	1369550	539245
		चिकबलपुर		जनरल डयूटी असिस्टेंट	420 घन्टे/4 माह	25	535000	210000
		बीदरी		फिटर–इलेक्ट्रीशियन एण्ड इलेक्ट्रोनिक एसेंम्बली	80 घन्टे	50	428800	141900
		रायचुर		बार वेन्डर्स एण्ड स्टील फिक्सर		40	343040	113520
		रामनगर		प्लम्बिग मेसन		29	234204	75052
		धारवाड़		प्लम्बर (जनरल) हेल्पर		58	468408	150104
		बेंगलुरु अर्बन	ए.टी.डी.सी.–(लॉग.टर्म)	प्रोडक्सन सुपरवाइजर सेविंग	720 घन्टे/ 06 माह	20	657984	161395
		बेंगलुरु	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	50	330000	45000
	राज्य योग					**458**	**6259598**	**2162122.48**
13	केरल	कोट्ट्यम्	किटको लिमिटेड	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे (3 माह)	30	510000	232680
		अलपुझा		ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे (3 माह)	30	510000	232680
		एर्नाकुलम	आईएचआरडी	सोलर पैनलटेक्नीशियन	400 (3 माह)	30	668400	288382
		थिसुर		इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सॉल्यूशन	350 (3 माह)	30	528000	232680
		मलप्पुरम		डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 (3 माह)	30	588000	259920
		कोझिकोड		अकाउन्ट एक्जीक्यूटिव	350 (3 माह)	30	458700	194288
		एर्नाकुलम		कंप्टूर अप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा (पीजीडीसीए)	600 घन्टे/12 माह	30	723000	192222
				कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखा में डिप्लोमा	600 घन्टे/6 माह	30	571500	138591
		मलप्पुरम		कंप्यूटर अप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुशन डिप्लोमा (पीजीडीसीए)	600 घन्टे/12 माह	30	723000	192222
				कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखा में डिप्लोमा	600 घन्टे/6 माह	30	571500	138591
		कन्नौरी	रबर स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन–फेस–1	टायर फिटर सर्विसेज एण्ड मैंटनेंस	80 घन्टे	89	763264	252582
		कासरगोड			80 घन्टे	100	857600	283800
		मलप्पुरम	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	30	198000	27000
	राज्य योग					**519**	**7670964**	**2665637**
14	मध्य प्रदेश	नरसीघपुर	एपीकॉन फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 घन्टे/2 माह	30	453270	173481
		होशंगाबाद		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	375000	150000
		भोपाल		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	581340	232902
		रायसेन		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	581340	232902
		दमोह		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	581340	232902
		पन्ना		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	581340	232902
		बेतुल		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	581340	232902
		सीहोर	सेडमैप	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे (3 माह)	30	650400	288382
		भोपाल	फर्नीचर एस.एस.सी.फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर/ असिस्टेंटकारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	30	243600	78300
		छिंदवाड़ा	जेम्स एण्ड ज्वैलरी स्किल काउसिंल ऑफ इण्डिया फेस–1	फ्रेम मेकर	80 घन्टे	148	1269248	420024

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Bhopal	MSME, Bhopal-1st Phase	Auto CAD	80 Hrs.	15	122640	42570
				Solidsworks (CAD)	80 Hrs.	12	98112	34056
				CNC-Programming	80 Hrs.	18	147168	51084
				PLC-Programming	80 Hrs.	8	65408	22704
				Embedded Systems	80 Hrs.	10	72200	23600
		Indore	MSME, Indore-1st Phase	Master CAM	80 Hrs.	54	441504	153252
				Certificate Course in VLSI design	80 Hrs.	30	245280	85140
				Solar Power Installation & Technician	80 Hrs.	28	214928	72464
		Bhind	NIESBUD 1st Phase	Sewing Machine Operator	80 Hrs	82	703232	232716
		Balaghat	NIESBUD	EDP	15 Days	129	851400	116100
		Rewa		EDP	15 Days	60	396000	54000
		Indore		EDP	15 Days	60	396000	54000
		Nagda	NHFDC	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	40	779120	344832
		Indore		Domestic Data Entry Operator	400 Hrs./3 Months	20	392000	173280
				Retail Sales Associates	280 Hrs./3 Months	20	296000	124096
		Ujjain		Handset Repair Engineer	300 Hrs./3 Months	40	624000	265920
		Indore	Bright School Samiti	Medical Record & Health Information Technician	1000 Hrs./8 Months	60	2601600	672480
				Medical Laboratory Technician	2000 Hrs/12 Months	60	3442200	924660
			Indradhanus Welfare Society, Indore	Medical Record & Health Information Technician	1000 Hrs./8 Months	90	3902400	1008720
			Pithampur Cluster	Welding Technician	1448 Hrs/11 Months	29	1644769.8	441231
				Medical Record & Health Information Technician	1000 Hrs./8 Months	30	1300800	336240
	State Total					**1313**	**24634979.8**	**7507842.02**
15	Meghalya	Tura	Rubber Skill Development Council (2nd Phase)	Latex harvest Technician	80 Hrs.	60	299520	149760
	State Total					**60**	**299520**	**149760**
16	Manipur	Imphal East	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	1075200	427560
		Imphal East (Changed from Sikkim)	Apparel Training And Design Centre (ATDC) Carried-forward	AMT - Knits	520Hrs / 4 Months	24	737472	288442
		Imphal East	Himachal Consulatancy Ltd. C/F	Hand Embroider	200 Hrs. (2 Months)	25	307000	127100
		Imphal West	Himachal Consulatancy Ltd. C/F	Hand Embroider	200 Hrs. (2 Months)	25	307000	127100
		Imphal West	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Handloom Entrepreneur	600 Hrs/ 5 Months	30	1008600	402180
		Imphal East	Textile Sector Skill Council-1st phase	Two Shaft Handloom Weaver	80 Hrs.	27	231552	76626
	State Total					**181**	**3666824**	**1449007.6**
17	Maharashtra	Chandrapur	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	40	1016640	388992
		Aurangabad	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	40	1016640	388992
		Pune	Domestics SSC 1st Phase	Housekeeper cum cook	80 Hrs	95	767220	245860
		Kolhapur	PPDC-Agra 1st Phase	Goods & Services Tax (GST)	80 Hrs	30	215130	64065
		Kolhapur	PPDC-Agra 1st Phase	Account Executive (Pay Roll)	80 Hrs	30	215130	64065
		Latur	Gems & Jewellery Skill Council of India 1st phase	Jewellery Retail Sales Associates	80 Hrs.	77	552167	164434
		Mumbai	IDEMI, Mumbai-1st Phase	Auto CAD	80 Hrs.	57	466032	179237
				CREO Parametrics		33	269808	103769
				Solidsworks (CAD)		30	245280	94335

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
		भोपाल	एम.एस.एम.ई., भोपाल–फेस–1	आटो कैड	80 घन्टे	15	122640	42570
				सॉलिडवर्क्स (कैड)	80 घन्टे	12	98112	34056
				सी.एन.सी.–प्रोग्रामिंग	80 घन्टे	18	147168	51084
				पी.एल.सी.–प्रोग्रामिंग	80 घन्टे	8	65408	22704
				इम्बेडेड सिस्ट्म्स	80 घन्टे	10	72200	23600
		इंदौर	एम.एस.एम.ई., इन्दौर–फेस–1	मास्टर कैम	80 घन्टे	54	441504	153252
				वीएलएसआई डिजाइन में सर्टिफिकेट कोर्स	80 घन्टे	30	245280	85140
				सोलर पॉवर इन्स्टॉलेशन एण्ड टेक्नीशियन	80 घन्टे	28	214928	72464
		भिंड	निसबड फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	80 घन्टे	82	703232	232716
		बालाघाटी	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	129	851400	116100
		रेवा		ई.डी.पी.	15 दिन	60	396000	54000
		इंदौर		ई.डी.पी.	15 दिन	60	396000	54000
		नागदा	एन.एच.एफ.डी.सी.	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	40	779120	344832
		इंदौर		डॉमेस्टिकडाटा एन्ट्रीआपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	20	392000	173280
				रिटेल सेल्स एसोशिएट्स	280 घन्टे / 3 माह	20	296000	124096
		उज्जैन		हैण्डसैट रिपेयर इंजीनियर	300 घन्टे / 3 माह	40	624000	265920
		इंदौर	ब्राइट स्कूल समिति	मेडिकल रिकॉर्ड एण्ड हेल्थ इन्फारमेशन टेक्नीशियन	1000 घन्टे / 8 माह	60	2601600	672480
				मेडीकल लेबोट्री टेक्नीशियन	2000 घन्टे / 12 माह	60	3442200	924660
			इन्द्रधनुस वेलफेयर सोसाइटी, इंदौर	मेडिकल रिकॉर्ड एण्ड हेल्थ इन्फारमेशन टेक्नीशियन	1000 घन्टे / 8 माह	90	3902400	1008720
			पीथमपुर क्लस्टर	वेल्डिंग टेक्नीशियन	1448 घन्टे / 11 माह	29	1644769.8	441231
				मेडिकल रिकॉर्ड एण्ड हेल्थ इन्फारमेशन टेक्नीशियन	1000 घन्टे / 8 माह	30	1300800	336240
	राज्य योग					**1313**	**24634979.8**	**7507842.02**
15	मेघालय	तुरा	रबर स्किल डेवलपमेंट काउसिंल (फेस–22)	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	60	299520	149760
	राज्य योग					**60**	**299520**	**149760**
16	मणीपुर	इंफाल पूर्व	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सैम्पलिंग कॉ–आरडिनेअर	360 घन्टे / 3 माह	50	1075200	427560
		इंफाल पूर्व (सिक्किम से परिवर्तित)	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) आगे बढ़ाया	ए.एम.टी. – निट्स	520घन्टे /4 माह	24	737472	288442
		इंफाल पूर्व	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. आगे बढ़ाया	हैण्ड इम्ब्रोइडर	200 घन्टे (2 माह)	25	307000	127100
		इंफाल पश्चिम	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. आगे बढ़ाया	हैण्ड इम्ब्रोइडर	200 घन्टे (2 माह)	25	307000	127100
		इंफाल पश्चिम	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. फेस–1	हैण्डलूम एन्टरप्रिन्यौर	600 घन्टे / 5 माह	30	1008600	402180
		इंफाल पूर्व	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल	टू सॉफ्ट हैण्डलूम वीवर	80 घन्टे	27	231552	76626
	राज्य योग					**181**	**3666824**	**1449007.6**
17	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	सीपेट फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	40	1016640	388992
		औरंगाबाद	सीपेट फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	40	1016640	388992
		पुणे	डॉमेस्टिक एस.एस.सी. फेस–1	हाउसकीपर कम कुक	80 घन्टे	95	767220	245860
		कोल्हापुर	पीपीडीसी–आगरा फेस–1	गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी)	80 घन्टे	30	215130	64065
		कोल्हापुर	पीपीडीसी–आगरा फेस–1	अकाउन्ट एक्जिक्यूटिव (पे रॉल)	80 घन्टे	30	215130	64065
		लातूर	जेम्स एण्ड ज्वैलरीस्किल काउसिंल ऑफ इण्डिया फेस–1	ज्वैलरी रिटेल सेल्स एसोशिएट्स	80 घन्टे	77	552167	164434
		मुंबई	आई.डी.ई.एम.आई.,मुम्बई–फेस–1	आटो कैड	80 घन्टे	57	466032	179237
				क्रेओ पैरामीट्रिक		33	269808	103769
				सॉलिडवर्क्स (कैड)		30	245280	94335

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Master CAM		7	57232	22012
				Del CAM		8	65408	25156
				Unigraphics		14	114464	44023
				CATIA (CAD)		30	245280	94335
				CNC-Programming		30	245280	94335
			IDEMI, Mumbai-Long-term	Ceritificate Course in CNC Milling	780 Hrs./6 Months	25	878520	214913
				Advance Web Designer & Animator	780 Hrs./6 Months	22	773097.6	166429
		Jalgaon	Indian Iron Sector Skill Council-1st phase	Fitter: Leveling Alignment and Balancing	80 Hrs.	90	771840	255420
		Gondia	NIESBUD 1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	50	973900	388170
		Nagpur		Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	50	973900	388170
		Jalgaon		Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	49	954422	380407
		Latur	NIESBUD	EDP	15 days	120	792000	108000
		Nashik		EDP	16 days	80	528000	72000
		Aurangabad	IGTR-Aurangbad-Long-term	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	20	702816	206316.864
				Master Certificate Course in CAD/CAM	781 Hrs./6 Months	20	702816	206316.864
	State Total					**1047**	**13543022.6**	**4359751.501**
18	Odisha	Nayagarh	HLFPPT-1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	60	1168680	465804
		Bhuvneshwar	MSME- Bhuvneashwar	Advance Dip in Machine Maintenance & Automation (ADMMA)	780 Hrs/ 6 Months	17	721242	287773
		Angul	OP Jindal Community College	Mason General	80 Hrs.	75	643200	235838
				Formwork Carpenter (FWC)	80 Hrs.	75	643200	235838
		Cuttack	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	60	487200	156600
		Khorda	ATDC-Long Term	Production Supervisor Sewing	720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Balangir	NIESBUD	EDP	15 days	50	330000	45000
	State Total					**357**	**4651506**	**1588247.4**
19	Punjab	Moga	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Sewing Machine Operator	270 Hrs/ 2 Months	40	608360	231308
		Hoshiarapur	NITCON Ltd.-1st Phase	Engraving/Carving/Etching Assistant	80 Hrs.	60	460260	158588
		Hoshiarapur		Gluing, Joining, Nailing Assembler		60	460260	158588
		Ludhiana	NIESBUD-1st phase	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	60	1168680	465804
				Beaty Therapist	350 Hrs./3 Months	30	528000	210000
		Amritsar	NIESBUD	EDP	15 days	159	1049400	143100
		Pathankot				30	198000	27000
		Jalandhar				60	396000	54000
		Jalandhar	MSME-Jalandhar-Long-term	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	20	702816	206317
				Master Certificate Course in CAD/CAM		20	702816	206317
				Master Certificate Course in Mechatronics		20	702816	206317
		Ludhiana	MSME-Ludhiana	Arise Hand Held Products	460 Hrs. (4 Months)	14	356748	146224
				Advance CNC Programming using Master CAM	480 Hrs. (4 Months)	15	396240	179029
	State Total					**588**	**7730396**	**2392592**
20	Rajasthan	Alwar	MSME- Bhiwadi	Master Certificate Course in Computer Aided Tool Engineering (MCCTE)	780 Hrs./5 Monnths	7	289982	111495
				Certificate Course in CNC Turning (CCCT) (19 changed from Master Certificate Course in Product Design (MCTD))	780 Hrs./5 Monnths	19	787094	302628

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
				मास्टर कैम		7	57232	22012
				डेल कैम		8	65408	25156
				यूनिग्राफिक्स		14	114464	44023
				केटिया (कैड)		30	245280	94335
				सी.एन.सी.–प्रोग्रामिंग		30	245280	94335
			आई.डी.ई.एम.आई.,मुम्बई–लाँग–टर्म	सी.एन.सी. मीलिंग में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	25	878520	214913
				एडवाँस वेब डिजाइनर एवं एनीमेटर	780 घन्टे / 6 माह	22	773097.6	166429
		जलगांव	इण्डियन आइरन सैक्टर स्किल काउसिंल–फेस–1	फिल्टरः लिविंग एलाइंजमेंट एण्ड बैलेसिंग	80 घन्टे	90	771840	255420
		गोंदिया	निसबड फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	50	973900	388170
		नागपुर		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	50	973900	388170
		जलगांव		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	49	954422	380407
		लातूर	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	120	792000	108000
		नासिक		ई.डी.पी.	16 दिन	80	528000	72000
		औरंगाबाद	आई.जी.टी.आर., औरंगाबाद–लाँग–टर्म	सी.एन.सी. टर्निंग में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	20	702816	206316.864
				कैड / कैम में मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स	781 घन्टे / 6 माह	20	702816	206316.864
	राज्य योग					**1047**	**13543022.6**	**4359751.501**
18	ओडिसा	नयागढ़	एच.एल.एफ.पी.पी.टी. –फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1168680	465804
		भुवनेश्वर	एम.एस.एम.ई.– भुवनेश्वर	मशीन मैंनटनेंस एण्ड आटोमेंशन (एडीएमएमए) में एडवाँस डिप्लोमा	780 घन्टे / 6 माह	17	721242	287773
		अंगुल	ओपी. जिन्दल कम्युनिटी कॉलेज	मेसन जनरल	80 घन्टे	75	643200	235838
				फ्रेमवर्क कारपेंटर (एफ.डब्ल्यू.सी.)	80 घन्टे	75	643200	235838
		कटक	फर्नीचर एस.एस.सी.फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंटकारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	60	487200	156600
		खोरदा	ए.टी.डी.सी.–लाँग टर्म	प्रोडक्सन सुपरवाइजर सेविंग	720 घन्टे / 06 माह	20	657984	161395
		बलांगीर	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	50	330000	45000
	राज्य योग					**357**	**4651506**	**1588247.4**
19	पंजाब	मोगा	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 घन्टे / 2 माह	40	608360	231308
		होशियारपुर	निटकॉन लिमिटेड–फेस–1	एंग्रेविंग / कार्विंग / इचिंग असिस्टेंट	80 घन्टे	60	460260	158588
		होशियारपुर		ग्लूइंग, जॉइनिंग, नेलिंग एसेम्बलर		60	460260	158588
		लुधियाना	निसबड–फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1168680	465804
				ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे / 3 माह	30	528000	210000
		अमृतसर	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	159	1049400	143100
		पठानकोट				30	198000	27000
		जालंधर				60	396000	54000
		जालंधर	एम.एस.एम.ई.–जलन्धर–लाँग–टर्म	सी.एन.सी. टर्निंग में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	20	702816	206317
				कैड / कैम में मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स		20	702816	206317
				मेक्ट्रोनिक्स में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स		20	702816	206317
		लुधियाना	एम.एस.एम.ई.–लुधियाना	अराइज हैण्ड हेल्ड प्रोडक्ट्स	460 घन्टे (4 माह)	14	356748	146224
				एडवाँस सी.एन.सी. प्रोग्रामिंग में मास्टर कैम उपयोग	480 घन्टे (4 माह)	15	396240	179029
	राज्य योग					**588**	**7730396**	**2392592**
20	राजस्थान	अलवर	एम.एस.एम.ई.– भीवाड़ी	कम्प्यूअर एडेड टूल इंजीनियरिंग (एम.सी.सी.टी.ई.) में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 5 माह	7	289982	111495
				सी.एन.सी. टर्निंग में सर्टीफिकेट कोर्स (सी.सीसी.सी.टी.) (19 प्रोडक्ट डिजाइन में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स (एम.सी.टी.डी.) में परिवर्तन	780 घन्टे / 5 माह	19	787094	302628

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Advance Diploma in Machine Maintenance & Automation.	780 Hrs./5 Monnths	12	497112	191134
				Certificate Course in CNC Milling (CCCM) (08 & 01 changed from Master Certificate Course in Computer Aided Tool Engineering (MCCTE) & MCTD)	780 Hrs./5 Monnths	33	1367058	525617
				Auto CAD	80 Hrs.	50	408800	148030
				Solidsworks (CAD)		10	81760	31445
				Unigraphics		10	81760	31445
				CATIA (CAD)		20	163520	59825
				PLC Programming		30	245280	89738
				CNC Machining-Lathe		10	81760	31445
				CNC Machining-Milling		10	81760	31445
		Jaipur	MPCON 1st phase	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
		Dausa		Asst. Electrician	400 Hrs/3 Months	30	665400	258120
		Jhunjhunu	NIESBUD 1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	60	1168680	465804
				Retail Sales Associates	280 Hrs./3 Months	30	444000	168000
		Dausa	NIESBUD	EDP	15 days	89	389400	53100
		Jaisalmer				30	198000	27000
		Alwar				30	198000	27000
		Bandikui				30	396000	54000
		Bharatpur				70	462000	63000
		Jodhpur	SSDM, Rajasthan-1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	27	525906	209612
				Retail Sales Associates	280 Hrs./3 Months	30	444000	168000
		Alwar		General Duty Assistant	80 Hrs.	47	358140	110920
		Ajmer		Sewing Machines Operator		92	788992	261096
		Jaipur		Sampling Tailor	720 Hrs/ 06 Months	40	1315968	322790
	State Total					**846**	**12021712**	**3975591**
21	Sikkim	East sikkim	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	AMT - Knits	520Hrs / 4 Months	25	768200	300460
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	25	511900	206070
		South Sikkim	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Hand Rolled Agarbatti Maker	300 Hrs/ 3 Months	50	780000	300000
		West Sikkim	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	60	487200	156600
	State Total					**160**	**2547300**	**963130**
22	Tamilnadu	Cuddalore	Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Sewing Machine Operator	270 (2 Month)	30	456270	173481
		Chennai	CII Logistics-1st phase	Warehouse Picker	80 Hrs.	150	1211400	388200
				Warehouse Packer		150	1211400	388200
		Salem	Logistics Sector Skill Council 1st Phase	Warehouse Packer	270 Hrs. (3 Months)	50	780450	315225
		Coimbatore	Textile Sector Skill Council (carried-forward)	Ring Frame Tener	300 hrs/3 Months	25	425250	175125
				Auto Coner Tenter	300 hrs/3 Months	11	187110	77055
		Tripur	Textile Sector Skill Council-1st phase	Knitting Machine Operator Circular Knitting	80 Hrs.	80	686080	227040
		Chennai	NFDC (Carried-forward)	Editor	240 Hrs/ 2 Months	100	1160000	531840
				Graphic Designer	430 Hrs./ 4 Months	100	2120000	952880
			Apollo Medskills Ltd. (1st Phase)	Geriatric Aide	480 Hrs./3 Months	60	1368000	525600
	State Total					**756**	**9605960**	**3754646**

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
				मशीन मैंनटेनेंस एण्ड ऑटोमेशन में एडवाँस डिप्लोमा	780 घन्टे / 5 माह	12	497112	191134
				सी.एन.सी. टर्निग में सर्टीफिकेट कोर्स (एम.सी.सी.टी.ई.) (08 और 01 कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स में परिवर्तन (एम.सी.सी. टी.ई एण्ड एम.टी.टी.डी.)	780 घन्टे / 5 माह	33	1367058	525617
				आटो कैड	80 घन्टे	50	408800	148030
				सॉलिडवर्क्स (कैड)		10	81760	31445
				यूनिग्राफिक्स		10	81760	31445
				केटिया (कैड)		20	163520	59825
				पी.एल.सी. प्रोग्रामिंग		30	245280	89738
				सी.एन.सी. मशीनिंग–लैदर		10	81760	31445
				सी.एन.सी. मशीनिंग –मिलिंग		10	81760	31445
		जयपुर	एमपीकॉन फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	581340	232902
		दौसा		असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे / 3 माह	30	665400	258120
		झुंझुनू	निसबड फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1168680	465804
				रिटेल सेल्स एसोशिएट्स	280 घन्टे / 3 माह	30	444000	168000
		दौसा	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	89	389400	53100
		जैसलमेर				30	198000	27000
		अलवर				30	198000	27000
		बांदीकुई				30	396000	54000
		भरतपुर				70	462000	63000
		जोधपुर	एस.एस.डी.एम., राजस्थान– फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	27	525906	209612
				रिटेल सेल्स एसोशिएट्स	280 घन्टे / 3 माह	30	444000	168000
		अलवर		जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	80 घन्टे	47	358140	110920
		अजमेर		सेविंग मशीन आपरेटर		92	788992	261096
		जयपुर		सैम्पलिंग टेलर	720 घन्टे / 06 माह	40	1315968	322790
	राज्य योग					**846**	**12021712**	**3975591**
21	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	ए.एम.टी. दृ निट्स	520घन्टे / 4 माह	25	768200	300460
				सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	25	511900	206070
		दक्षिण सिक्किम	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. फेस–1	हैण्ड रोल्ड अगरबत्ती मेकर	300 घन्टे / 3 माह	50	780000	300000
		पश्चिम सिक्किम	फर्नीचर एस.एस.सी.फेस–1	लीड कारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंटकारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	60	487200	156600
	राज्य योग					**160**	**2547300**	**963130**
22	तमिलनाडु	कुड्डालोर	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 (2 माह)	30	456270	173481
		चेन्नई	सी.आई.आई. लॉजिस्टिक्स–फेस–1	वेयरहाउस पिकर	80 घन्टे	150	1211400	388200
		सलेम		वेयरहाउस पिकर		150	1211400	388200
		कोयंबटूर	लॉजिस्टिक्स सैक्टर स्किल काउसिंल फेस–1	वेयरहाउस पिकर	270 घन्टे (3 माह)	50	780450	315225
		तिरुपुर	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल (आगे बबबढ़ाया)	रिंग फ्रेम टेनर	300 घन्टे / 3 माह	25	425250	175125
		चेन्नई		आटो कॉनर टेंटर	300 घन्टे / 3 माह	11	187110	77055
		सलेम	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउसिंल	बुनाई मशीन आपरेटर सरक्यूलर बुनाई	80 घन्टे	80	686080	227040
		चेन्नई	एन.एफ.डी.सी. (आगे बबबढ़ाया)	एडिटर	240 घन्टे / 2 माह	100	1160000	531840
				ग्राफिक्स डिजाइनर	430 घन्टे / 4 माह	100	2120000	952880
			अपोलो मेडिकिल्स लि. (फेस.11)	जेरेटिक ऐड	480 घन्टे / 3 माह	60	1368000	525600
	राज्य योग					**756**	**9605960**	**3754646**

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
23	Telangana	Hyderabad	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	40	1016640	388992
		Suryapet	Rubber Skill Development Corporation-1st phase	Tyre Fitter Services and Maintenance	80 Hrs.	60	514560	170280
		Bhadradei Kothaguden	Rubber Skill Development Corporation-1st phase	Tyre Fitter Services and Maintenance	80 Hrs.	50	428800	141900
		Hyderabad	NIESBUD	EDP	15 days	100	660000	90000
	State Total					**250**	**2620000**	**791172**
24	Tripura	Dhalai	NITCON Ltd.-1st Phase	Mason General	80 Hrs.	30	257280	94335
	State Total					**30**	**257280**	**94335**
25	Uttrakhand	Haridwar	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Sewing Machine Operator	270 Hrs/ 2 Months	30	456270	173481
		Deharadun (chnged from Bikaner)	NIESBUD carried forward	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	30	566340	232902
				Beauty Therapist	350 Hrs./ 3 Months	30	510000	210000
		Deharadun	NIESBUD 1st Phase	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	30	584340	232902
				Self Employed Tailor	80 Hrs	60	514560	170280
		Haldawani (changed from South 24 Prgns.)		Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	60	1168680	465804
		Deharadun	NIESBUD	EDP	15 days	120	792000	108000
		Sitarganj				60	396000	54000
		Laskar				60	396000	54000
		Rudraprayag				30	198000	27000
		Haridwar				30	198000	27000
		Tehri Garhwal				90	594000	81000
		Uttarkashi				60	396000	54000
		Ramnagar	ESTC-Uttrakhnad-Long-term	Certificate Course in Machining	780 Hrs./6 Months	30	1054224	309475
				Certificate Course in Electrical Equipment Repairing & Maintenance	780 Hrs./6 Months	30	1054224	309475
	State Total					**750**	**8878638**	**2509320**
26	Uttar Pradesh	Raebareily	Apparel Training And Design Centre (ATDC)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	25	495300	201090
			Apparel Training And Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340(3 Months)	30	584340	232902
		Lucknow	CIPET 1st Phase	MOA- PP,IM,BM &PE	480 Hrs./3 Months	80	2033280	777984
		Agra	Domestics SSC 1st Phase	Housekeeper cum cook	80 Hrs	120	969120	310560
		Shahjajapur	Furniiture SSC 1st phase	Lead Carpenter-Wooden Furniture/ Assistant Carpenter-Wooden Furniture	80 Hrs.	90	730800	234900
		Saharnpur	Himachal Consulatancy Ltd. 1st Phase	Sewing Machine Operator	270 Hrs/ 2 Months	60	912540	346962
				Hand Embroiderer	200 Hrs/ 2 Months	30	358200	140100
		Varanasi	HARDICON Ltd.	Self Employed Tailor	80 Hrs.	28	240128	79464
				Traditional Hand Embrodiery	80 Hrs.	29	235480	75690
		Gonda		Self Employed Tailor	80 Hrs.	30	257280	85140
				Mobile Phone Hardware Technician	80 Hrs.	30	257280	85140
				Dairy Farmer Entreprenure	80 Hrs.	29	234204	75052
		Moradabad	Indian Iron Sector Skill Council-1st phase	GTAW	80 Hrs.	90	771840	255420
		Amroha	MPCON 1st phase	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	581340	232902
				Hand Embroiderer	200 Hrs/ 2 Months	30	355200	140100
		Noida	NIESBUD(carried-forward)	Beauty Therapist	350 Hrs./ 3 Months	30	510000	210000

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
23	तेनगंना	हैदराबाद	सीपेट फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	40	1016640	388992
		सूर्यापेट	रबर स्किल डेवलपमैंट काउसिंल –फेस–1	टायर फिटर सर्विसेज एण्ड मैंटनेंस	80 घन्टे	60	514560	170280
		भद्रदेई कोठागुदेन	रबर स्किल डेवलपमैंट काउसिंल –फेस–1	टायर फिटर सर्विसेज एण्ड मैंटनेंस	80 घन्टे	50	428800	141900
		हैदराबाद	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	100	660000	90000
	राज्य योग					**250**	**2620000**	**791172**
24	त्रिपुरा	धलाई	निटकॉन लिमिटेड–फेस–1	मेसन जनरल	80 घन्टे	30	257280	94335
	राज्य योग					**30**	**257280**	**94335**
25	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 घन्टे / 2 माह	30	456270	173481
		देहरादून (बीकानेर सेपरिवर्तित)	निसबड (आगे बबबढ़ाया)	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	566340	232902
				ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे / 3 माह	30	510000	210000
		देहरादून	निसबड फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	584340	232902
				सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	60	514560	170280
		हल्द्वानी (दक्षिण 24 प्रगना दक्षिण से परिवर्तित)		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1168680	465804
		देहरादून	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	120	792000	108000
		सितारगंज				60	396000	54000
		लस्कर				60	396000	54000
		रुद्रप्रयाग				30	198000	27000
		हरिद्वार				30	198000	27000
		टिहरी गढ़वाल				90	594000	81000
		उत्तरकाशी				60	396000	54000
		रामनगर	ई.एस.टी.सी.–उत्तराखण्ड–लॉंग –टर्म	मशिनींग में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	30	1054224	309475
				इलेक्ट्रीकल इक्यूपमैंट रिपेयरिंग एण्ड मैंटनेंस में सर्टीफिकेट कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	30	1054224	309475
	राज्य योग					**750**	**8878638**	**2509320**
26	उत्तर प्रदेश	रायबरेली लखनऊ	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.)	सैम्पलिंग कॉ–आर्डीनेटर	360 घन्टे / 3 माह	25	495300	201090
			अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	30	584340	232902
		आगरा	सीपेट फेस–1	एमओए–पीपी, आईएम, बीएम एण्ड पीई	480 घन्टे / 3 माह	80	2033280	777984
		शाहजहांपुर	डॉमेस्टिक एस.एस.सी. फेस–1	हाउसकीपर कम कुक	80 घन्टे	120	969120	310560
		सहारनपुर	फर्नीचर एस.एस.सी.फेस–1	लीडकारपेंटर–वुडन फर्नीचर / असिस्टेंटकारपेंटर–वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	90	730800	234900
		रायबरेली	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. फेस–1	सेविंग मशीन आपरेटर	270 घन्टे / 2 माह	60	912540	346962
				हैण्ड इम्ब्रोइडरमत	200 घन्टे / 2 माह	30	358200	140100
		वाराणसी	हॉर्डीकॉन	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	28	240128	79464
				ट्रेडिशनल हैण्ड इम्ब्रोइडरी	80 घन्टे	29	235480	75690
		गोंडा		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	30	257280	85140
				मोबाइल फोन हॉर्डवेयर टेक्नीशियन	80 घन्टे	30	257280	85140
				डेयरी फार्मर इन्टरप्रिन्यौर	80 घन्टे	29	234204	75052
		मुरादाबाद	इण्डियन आइरन सैक्टर स्किल काउसिंल–फेस–1	जी.टी.ए.डब्ल्यू.	80 घन्टे	90	771840	255420
		अमरोहा	एमपीकॉन फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	30	581340	232902
				हैण्ड इम्ब्रोइडरमत	200 घन्टे / 2 माह	30	355200	140100
		नोएडा	निसबड (आगे बढ़ाया)	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे / 3 माह	30	510000	210000

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Noida	NIESBUD 1st Phase	Beaty Therapist	350 Hrs./3 Months	30	528000	210000
		Firozabad		Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	57	1110246	442514
		Noida		Self Employed Tailor	80 Hrs	50	428800	141900
		Amethi		Self Employed Tailor	80 Hrs	99	849024	280962
		Lucknow (Changed from Malda)	NIESBUD-1st phase	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	60	1168680	465804
		Lucknow	NIESBUD	EDP	15 days	159	1049400	143100
		Firozabad				90	594000	81000
		Bahraich				60	396000	54000
		Gorakhpur				60	396000	54000
		Chaundauli				30	198000	27000
		Amethi				60	396000	54000
		Muzaffarnagar				60	396000	54000
		Noida				30	198000	27000
		Kanpur	NITCON Ltd.-1st Phase	Field Technician-Computing and Peripherals	80 Hrs	30	228600	78446
				Assistant Electrician	80 Hrs	60	514560	188670
		Agra	PPDC-Agra	Computer Hardware and Networking	360Hrs./3 Months	60	1080000	432000
				Domestic Data Enry Operator	400 Hrs./3 Months	30	588000	234000
				Goods & Services Tax (GST)	80 Hrs	40	286840	85420
				Foundary Assistant	80 Hrs	30	257280	85140
				Jewellery Appraiser and Valuer	80 Hrs	30	215130	64065
				Goldsmith Frame Maker	80 Hrs	30	257280	85140
				Account Executive (Pay Roll)	80 Hrs	40	286840	85420
				CNC Machine Operator	80 Hrs	30	257280	85140
		Agra	PPDC-Agra-Lonng-term	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs./6 Months	30	1054224	262267
		Meerut	PPDC Meerut 1st phase	CNC Operator-Turning	300Hrs./3 Months	20	352200	140100
				Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	20	389560	155268
				Domestic Data Enry Operator	400 Hrs./3 Months	20	392000	156000
				Certificate in Cricket Bat Manufacturing	80 Hrs	75	643200	212850
				Certificate in Cricket Ball Manufacturing	80 Hrs	75	643200	212850
				Helper Upper Making	80 Hrs	50	428800	141900
		Baghpat	NHFDC	Self Employed Tailor	340 Hrs./3 Months	20	389560	172416
				Domestic Data Entry Operator	400 Hrs./3 Months	20	392000	173280
		Noida		Domestic Data Entry Operator	400 Hrs./3 Months	20	392000	173280
				Handset Repair Engineer	300 Hrs./3 Months	20	312000	132960
		Kannauj		Handset Repair Engineer	300 Hrs./3 Months	20	312000	132960
				Plumber General	410 Hrs/4 Months	20	474940	195561
		Bareily	Rubber Skill Development Corporation-1st phase	Tyre Fitter Services and Maintenance	80 Hrs.	46	394496	130548
		Chaundauli			80 Hrs.	46	394496	130548
		Gajipur			80 Hrs.	48	411648	136224
		Lucknow	Apollo Med Skills (carried-forward)	Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	25	555000	219000
		Lucknow	Apollo Medskills Ltd. (1st Phase)	Geriatric Aide	480 Hrs./3 Months	30	684000	262800
		Kanpur Nagar	ATDC-Long Term	Production Supervisor Sewing	720 Hrs/ 06 Months	25	822480	201744
	State Total					**2616**	**30644096**	**10284684**
27	West Bengal	North 24 Parganas	Apparel Training and Design Centre (ATDC) Carried forwatd	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	13	257556	104566.8
		Jalpaiguri	Apparel Training and Design Centre (ATDC) 1st Phase	Self Employed Tailor	340(3 Months)	30	584340	232902

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
		नोएडा	निसबड फेस–1	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे / 3 माह	30	528000	210000
		फिरोजाबाद		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	57	1110246	442514
		नोएडा		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	50	428800	141900
		अमेठी		सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	80 घन्टे	99	849024	280962
		लखनऊ (मालदा से बदला गया)	निसबड–फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	60	1168680	465804
		लखनऊ	निसबड	ई.डी.पी.	15 दिन	159	1049400	143100
		फिरोजाबाद				90	594000	81000
		बहराइच				60	396000	54000
		गोरखपुर				60	396000	54000
		चौंदौली				30	198000	27000
		अमेठी				60	396000	54000
		मुजफ्फरनगर				60	396000	54000
		नोएडा				30	198000	27000
		कानपुर	निटकॉन लिमिटेड–फेस–1	फिल्ड टेक्नीशियन–कम्प्यूटिंग एण्ड पेरिफेरल्स	80 घन्टे	30	228600	78446
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	80 घन्टे	60	514560	188670
		आगरा	पी.पी.डी.सी.–आगरा	कम्प्यूअर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	360 घन्टे / 3माह	60	1080000	432000
				डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	30	588000	234000
				गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी.एएस.टी.)	80 घन्टे	40	286840	85420
				फाउंडरी असिस्टेंट	80 घन्टे	30	257280	85140
				ज्वैलरी अप्राइजर एण्ड वैलूवर	80 घन्टे	30	215130	64065
				गोल्डस्मिथ फ्रेम मेकर	80 घन्टे	30	257280	85140
				अकाउन्ट एक्जिक्यूटिव (पे रॉरोलस)	80 घन्टे	40	286840	85420
				सी.एन.सी. मशीन आपरेटर	80 घन्टे	30	257280	85140
		आगरा	पी.पी.डी.सी.–आगरा दृकृँटर्म	सी.एन.सी. टर्निग में सर्टीफिकेशन कोर्स	780 घन्टे / 6 माह	30	1054224	262267
		मेरठ	पी.पी.डी.सी. मेरठ फेस–1	सी.एन.सी. आपरेटर–टर्निग	300 घन्टे / 3 माह	20	352200	140100
				सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	20	389560	155268
				डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	20	392000	156000
				क्रिकेट बैट मैंयूफैक्चरिंग में सर्टीफिकेट	80 घन्टे	75	643200	212850
				क्रिकेट बॉल मैंयूफैक्चरिंग में सर्टीफिकेट	80 घन्टे	75	643200	212850
				हेल्पर अपर मेकिंग	80 घन्टे	50	428800	141900
		बागपत	एन.एच.एफ.डी.सी.	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 घन्टे / 3 माह	20	389560	172416
				डॉमेस्टिकडाटा एन्ट्रीआपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	20	392000	173280
		नोएडा		डॉमेस्टिकडाटा एन्ट्रीआपरेटर	400 घन्टे / 3 माह	20	392000	173280
				हैण्डसैट रिपेयर इंजीनियर	300 घन्टे / 3 माह	20	312000	132960
		कन्नौज बरेली		हैण्डसैट रिपेयर इंजीनियर	300 घन्टे / 3 माह	20	312000	132960
				जनरल प्लम्बर	410 घन्टे / 4 माह	20	474940	195561
		चंदौली	रबर स्किल डेवलपमैंट कॉरपोरेशन –फेस–1	टायर फिटर सर्विसेज एण्ड मैंटनेंस	80 घन्टे	46	394496	130548
		गाजीपुर			80 घन्टे	46	394496	130548
		लखनऊ			80 घन्टे	48	411648	136224
		लखनऊ	अपोलो मेड स्किल्स (आगे बढ़ाया)	जेरिएटिक ऐड	480 घन्टे / 3 माह	25	555000	219000
		कानपुर नगर	अपोलो मेडिस्किल्स लि. (फेस–11)	जेरिएटिक ऐड	480 घन्टे / 3 माह	30	684000	262800
		कन्नौज	ए.टी.डी.सी.–लॉंग टर्म	प्रोडक्सन सुपरवाइजर सेविंग	720 घन्टे / 06 माह	25	822480	201744
	राज्य योग					**2616**	**30644096**	**10284684**
27	वेस्ट बंगाल	उत्तर 24 परगना	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) आगे बढ़ाया	सैंम्पलिंग कॉ–आर्डीनेटर	360 घन्टे / 3 माह	13	257556	104566.8
		जलपाईगुड़ी	अपैरल टैनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) फेस–1	सेल्फ इम्पलॉयड टेलर	340 (3 माह)	30	584340	232902

Sl. No.	State	District	Name of SSC/TI	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Train-ees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		North 24 Parganas		Sewing Machine Operator	270 (2 Month)	30	456270	173481
		Kolkatta	ATDC-Long Term	Production Supervisor Sewing	720 Hrs/ 06 Months	20	657984	161395
		Noth 24 Paraganas	MSME Tool Room Central Tool Room and Training Centre, KolkataC/F	Arise room air conditioner & Home Appliances (RACHA)	610 Hrs/5 Months	22	736714	298014
		Noth 24 Paraganas		Arise Audio Vido (AV)	460 Hrs/4 Months	5	127410	52223
		West Medinipur	Dalmia Bharat Foundation 1st Phase	General Duty Assistant	420 (4 Month)	30	642000	252000
				Home Health Aide	360(3 Months)	30	540000	216000
		Kolkatta	Gems & Jewellery Skill Council of India 1st phase	Frame Maker	80 Hrs.	50	428800	141900
		Howrah			80 Hrs.	49	420224	139062
		West Medinipur			80 Hrs.	100	857600	283800
		Dakshin Dinajpur	NITCON Ltd.-1st Phase	Bamboo Mat weaver	80 Hrs.	30	243600	86756
				Two Shaft Handloom Weaver		30	257280	94335
				Assistant Electrician		30	257280	94335
		Malda		Assistant Electrician		30	257280	94335
				Two Shaft Handloom Weaver		30	257280	94335
		Uttar Dinajpur		Multi-Skilled Technician		30	228600	78446
				Bamboo Mat weaver		30	243600	86756
		Bankura		Two Shaft Handloom Weaver		30	257280	94335
				Field Technician-Others Home Appliances		30	257280	94335
	State Total					**649**	**7968378**	**2873314**
	Grand Total					**15750**	**211500283**	**72006152**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र. स.	राज्य	जिला	एसएससी / प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जॉब रोल	अवधि (घन्टे / माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	वितरित राशि
		उत्तर 24 परगना		सेविंग मशीन आपरेटर	270 (2 माह)	30	456270	173481
		कोलकाता	ए.टी.डी.सी.–लॉंग टर्म	प्रोडक्सन सुपरवाइजर सेविंग	720 घन्टे / 06 माह	20	657984	161395
		उत्तर 24 परगना	एम.एस.एम.ई. टूल रूम सेन्ट्रल टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, कोलकटा (आगे बबबढ़ाया)	अराइज रूम एयर कंडीसनर एण्ड होम अप्लाइंसेज(आर.ए.सी.एच.ए.)	610 घन्टे / 5 माह	22	736714	298014
		उत्तर 24 परगना		अराइज आडियो विडियों (ए.वी.	460 घन्टे / 4 माह	5	127410	52223
		पश्चिम मेदिनीपुर	डालमिया भारत फाउन्डेशन फेस–1	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	420 (4 माह)	30	642000	252000
				होम हैल्थ ऐड	360 (3 माह)	30	540000	216000
		कोलकाता	जेम्स एण्ड ज्वैलरी स्किल काउसिंल ऑफ इण्डिया फेस–1	फ्रेम मेकर	80 घन्टे	50	428800	141900
		हावड़ा			80 घन्टे	49	420224	139062
		पश्चिम मेदिनीपुर			80 घन्टे	100	857600	283800
		दक्षिण दिनाजपुर	निटकॉन लिमिटेड–फेस–1	बम्बो मैट वीवर	80 घन्टे	30	243600	86756
				टू शॉफ्ट हैण्डलूम वीवर		30	257280	94335
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन		30	257280	94335
		मालदा		असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन		30	257280	94335
				टू शॉफ्ट हैण्डलूम वीवर		30	257280	94335
		उत्तर दिनाजपुर		मल्टी–स्किल्ड टेक्नीशियन		30	228600	78446
				बम्बो मैट वीवर		30	243600	86756
		बांकुड़ा		टू शॉफ्ट हैण्डलूम वीवर		30	257280	94335
				फिल्ड टेक्नीशियन–अदर होम अप्लाइंसेज		30	257280	94335
	राज्य योग					**649**	**7968378**	**2873314**
	उप योग					**15750**	**211500283**	**72006152**

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / –
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0 / –
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE-7

A. EVALUATION STUDY OF CREDIT SCHEMES OF NBCFDC CONDUCTED IN THE STATE OF PUNJAB FOR PUNJAB BACKWARD CLASSES LAND DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION (BACKFINCO)

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
Recommendations of Evaluating Agency in respect of BACKFINCO and Comments/Action Taken by NBCFDC		
1.	The results of the study call for launching of different women centric schemes by NBCFDC. A proper gap analysis must be done regarding the expectation of women in the region and the actual delivery intended by these schemes. The new schemes should be designed keeping in mind the current market trends and should be reviewed periodically.	NBCFDC implements women oriented loan schemes under Term Loan and Microfinance Loan schemes namely i.e. New Swarnima and Mahila Samridhi respectively. In addition, under education loan scheme a rebate of 0.5% on interest is given to girl student.
2.	Assistance should be provided for forward linkages. For example, a person who avails loan for carpentry should also be provided necessary training and financial assistance on package, brand and sale of the produce at competitive rates in the market.	NBCFDC under its Skill Development Program nominates SCA members to attend Skill Development meetings and also encourage beneficiaries to undertake various skill development programs conducted by NBCFDC.
3.	In view of the growing population of the backward classes in all the districts, it is advisable to increase the financial assistance. Further based on the budget of the project proposal, or business plan, the General Term Loan (GTL) amount should be increased depending upon the market value of the document of immovable property submitted by the beneficiary.	Term Loan limits have been raised to Rs. 15.00 Lakh per beneficiary and Micro Finance Loan limit has been raised to Rs. 1.25 Lakh per beneficiary. Loan limits are reviewed periodically based on input of channel partners and market trends.
4.	The beneficiaries were of the opinion that the rate of interest of the loan amount should be reduced to bring down the list of defaulters. Most of the people who availed loan are from poor background and hence find it difficult to repay loan. It is pertinent to mention that economy of Punjab heavily relies on agriculture with inconsistent income throughout the year, making it nearly impossible or difficult to repay their monthly loan instalments.	Already the loans provided under NBCFDC schemes are at concessional rate keeping in mind the financial conditions of its target beneficiaries. At the same time SCAs are also advised to do their due diligence while sanctioning to prevent wilful defaulters from taking loan.
5.	Majority of the loan was taken for Agriculture/allied sector and not much employment has been generated through the scheme. Out of 459 beneficiaries of PBCLDFC, around 14% beneficiaries contributed to employment generation. To uplift the economy, it is advisable that NBCFDC should give special preference to those ventures which generate further employment.	NBCFDC provides concessional financing to encourage OBC members to start up their ventures or create self-employment opportunities. Employment Generation is an offshoot of such activities that happens only once their business activities get stable and start earning more.
6.	NBCFDC should promote skill development training especially for SHG members. It is observed that business failure is one of the prominent reasons for irregularity in the repayment of loan. Therefore, possible help should be provided for training and nurturing local skills particularly in women centric business activities. Further, skills of SHG members of all the villages by and large remain untapped. Attempt should be made to utilise their skills in a proper way for their economic development.	Skill Development Selection committee meetings members comprise of SCA representatives too. Skill Development Institutes usually provide information on NBCFDC loan schemes through them. Also, at times project officials from SCA and NBCFDC on request of Skill Development Institutes, provide information on NBCFDC schemes to trainees.

अनुलग्नक–7

क. पंजाब राज्य में पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन (बैकफिनको) के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित क्रेडिट योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई / टिप्पणियाँ
बैकफिनको के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें और एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई / टिप्पणियां		
1.	अध्ययन के परिणाम एनबीसीएफडीसी को विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं को शुरू करने का आह्वान करते हैं। इन योजनाओं के द्वारा अपेक्षित वास्तविक वितरण एवं क्षेत्र में महिलाओं के वांछित वितरण के मध्य वास्तविक अंतर का विश्लेषण किया जाना चाहिए। बाजार के मौजूदा रुझानों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं को डिजाइन किया जाना चाहिए और आवधकि समीक्षा की जानी चाहिए।	एनबीसीएफडीसी सावधि ऋण और माइक्रो फाइनेंस ऋण योजनाओं अर्थात् क्रमशः नई स्वर्णिमा और महिला समृद्धि के तहत महिला उन्मुख ऋण योजनाओं को लागू करता है। साथ ही, शिक्षा ऋण योजना के तहत छात्राओं को ब्याज पर 0.5% की छूट दी जाती है।
2.	फॉरवर्ड लिंकेज के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बढ़ईगीरी के लिए ऋण प्राप्त करता हैए उसे बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद के पैकेज, ब्रांड और बिक्री पर आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	एनबीसीएफडीसी अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को कौशल विकास बैठकों में भाग लेने के लिए नामित करता है और लाभार्थियों को एनबीसीएफडीसी द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
3.	सभी जिलों में पिछड़े वर्गों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आर्थिक सहायता बढ़ाने की सलाह दी जाती है। आगे परियोजना प्रस्तावए या व्यवसाय योजना के बजट के आधार परए लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति के दस्तावेज के बाजार मूल्य के आधार पर सामान्य सावधि ऋण (जीटीएल) राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।	सावधि ऋण की सीमा को रु. 15.00 लाख प्रति लाभार्थी और सूक्ष्म वित्त ऋण की सीमा को रु. 1.25 लाख प्रति लाभार्थी तक बढ़ाया गया है। चैनल सहभागियों एवं बाजार के रुझानों के इनपुट के आधार पर ऋण सीमा की आवधिक समीक्षा की जाती है।
4.	लाभार्थियों का मत था कि ऋण राशि की ब्याज दर कम की जानी चाहिए ताकि चूककर्त्ताओं की सूची को छोटा किया जा सके। ऋण लेने वाले अधिकांश लोग गरीब पृष्ठभूमि से हैं और इसलिए उन्हें ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष अनियमित आय के साथ कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करती हैए जिससे उनकी मासिक ऋण किस्त चुकाना लगभग असंभव या मुश्किल हो जाता है।	अपने लक्षित लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे ऋण रियायती दर पर हैं। साथ ही, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जानबूझकर चूक करने वालों को ऋण लेने से रोकने के लिए मंजूरी देते समय समुचित सावधानी बरतें।
5.	अधिकांश ऋण कृषि / संबद्ध क्षेत्र के लिए लिया गया था और योजना के माध्यम से ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हुए हैं। पीबीसीएलडीएफसी के 459 लाभार्थियों में से लगभग 14% लाभार्थियों ने रोजगार सृजन में योगदान दिया। अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यह सलाह दी जाती है कि एनबीसीएफडीसी को उन कार्यों को विशेष वरीयता देनी चाहिए जो आगे रोजगार पैदा करते हैं।	एनबीसीएफडीसी ओबीसी सदस्यों को अपना कार्य शुरू करने या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रियायती वित्त पोषण प्रदान करता है। रोजगार सृजन ऐसी गतिविधियों की एक शाखा है जो तभी होती है जब उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थिर हो जाती हैं और अधिक कमाई शुरू हो जाती है।
6.	एनबीसीएफडीसी को विशेष रूप से एसएचजी सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। यह देखा गया है कि व्यवसाय की विफलता ऋण की अदायगी में अनियमितता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए, स्थानीय कौशलों में प्रशिक्षण और पोषण के लिए विशेष रूप से महिला केंद्रित व्यावसायिक गतिविधियों में संभावित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावाए सभी गांवों के एसएचजी सदस्यों के कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है और बड़ी संख्या में वे छूट जाते हैं। उनके आर्थिक विकास के लिए उनके कौशल का उचित तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।	कौशल विकास चयन समिति की बैठकों के सदस्यों में राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। कौशल विकास संस्थान आमतौर पर उनके माध्यम से एनबीसीएफडीसी ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही, कौशल विकास संस्थानों के अनुरोध पर राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों और एनबीसीएफडीसी के परियोजना अधिकारी प्रशिक्षुओं को एनबीसीएफडीसी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
7.	The beneficiaries were looking forward to Insurance for their group members, business and livestock.	SCAs in various management development programs are advised to devise adequate security features in their loan portfolio to take care of any distress related loan failures. Scheme implemented to provide distress relief has already been shared with all SCAs.
8.	NBCFDC needs to improve awareness level regarding other schemes through placing big hoardings of their schemes in the premises of SCAs. Further an advertising pamphlet may be given to all beneficiaries at the time of sanctioning the loan so that they can be acquainted with the other schemes.	The Corporation has taken pro-active steps for generating awareness and organized "Awareness Camps" with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with channels partners. During the last five years, since 2015-16, more than 367 Camps were held in various States, in which large number of beneficiaries attended and were informed of various schemes of the Corporation and counselled to avail the same. Grant of Rs.2.00 lakh p.a is given to SCAs for such camps to identify viable schemes and corresponding training needs of the target group, so that loan schemes have desired impact on the economic and social status of the beneficiaries. In addition, during covid-19 pandemic, digital publicity is being encouraged at state level for which a grant of about Rs.1.00 lakh may be considered by this Corporation.
9.	The analysis of repayment schedule revealed the mismatch of agreed and actual payment schedule. NBCFDC should scrutinise the schedule at periodic intervals so as to curb the possibility of non-performing assets.	NBCFDC requests SCAs to Strengthen the Recovery Mechanism. Notices to be followed with regular visit to defaulter in order to strengthen the recovery at SCA level. It is emphasized time and again, the improvement in recovery leads to speedy recycling of funds to other deprived prospective beneficiaries. The SCA have also been asked to consider linking/ Reporting to CIBIL details of such defaulters.
10.	NBCFDC should make attempt to simplify the procedures. For this training should be imparted to official staff of SCAs to overcome practical difficulties of clients.	To simplify the process SCAs are encouraged to use SBMS for loan application. At the same time SCA officials are provided training through sessions in Management Development Program conducted yearly. Further to this SCAs are provided with performance linked grant-in aid also whose portion can be used by SCAs to train their officials in loan procedures.
11.	The beneficiaries feel that the process involved in sanctioning the loan is very time consuming. Some of the respondents even mentioned that they got the sanction after around 3-4 months. NBCFDC should ensure standardized speedy timeline. The loans must be sanctioned within two months from the date of applying and disbursed within one month from the date of sanctioning so that the beneficiaries may start their activities in time. Further the application and their enclosures should be simple which will ease the loan process.	To reduce the time gap and visits of beneficiary to office of channel partner, SCAs are continually being advised to use SBMS. The system allows uploading requisite documents from remote place without the need of visiting office. Once such application is submitted in portal, district official checks document online. Also, SCA can seek clarification online only if the documents are incomplete and beneficiary can upload/ enter data for which clarification is sought. Once all such checks are completed then only District official conducts interview of applicant at site wherein he checks original documents without the need of multiple visits to office of SCA.

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई / टिप्पणियाँ
7.	लाभार्थी अपने समूह के सदस्यों, व्यवसाय और पशुधन के लिए बीमा की प्रतीक्षा कर रहे थे।	विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऋण पोर्टफोलियो में पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं हेतु योजनाएं बनाएं ताकि ऋण पोर्टफोलियो में ऋण विफलताओं से संबंधित किसी भी आपदा का ध्यान रखा जा सके। आपदा राहत प्रदान करने के लिए लागू की गई योजना को पहले ही सभी राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के साथ साझा किया जा चुका है।
8.	एनबीसीएफडीसी को राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के परिसरों में अपनी योजनाओं के बड़े होर्डिंग लगाकर अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता के स्तर में सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा सभी लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करते समय एक विज्ञापन पुस्तिका दी जानी चाहिए ताकि वे अन्य योजनाओं से परिचित हो सकें।	निगम ने जागरूकता पैदा करने एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए अति–सक्रिय कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य है निगम की योजनाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार करना एवं लक्षित वर्ग को चैनल स्हभागियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करना। पांच वर्षों के दौरान, 2015–16 से, विभिन्न राज्यों में 367 से अधिक शिविर आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया और उन्हें निगम की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया और उनका लाभ उठाने के लिए परामर्श दिया गया। ऐसे शिविरों के लिए लक्षित समूह की व्यवहार्य योजनाओं और संबंधित प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को रु. 2.00 लाख प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता हैए ताकि ऋण योजनाओं का लाभार्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर वांछित प्रभाव पड़े। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य स्तर पर डिजिटल प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा हैए जिसके लिए इस निगम द्वारा लगभग रू. 1.00 लाख के अनुदान पर विचार किया जा सकता है।
9.	भुगतान समय–सारिणी के विश्लेषण से यह पता चला है कि वास्तविक भुगतान समय–सारिणी में बेमेल है। एनबीसीएफडीसी को समय–समय पर भुगतान समय–सारिणी की जांच करनी चाहिए ताकि बेकार परिसंपत्तियों की संभावना पर अंकुश लगाया जा सके।	एनबीसीएफडीसी ने राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने का अनुरोध किया। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों स्तर पर वसूली को मजबूत करने के लिए चूककर्ता को नोटिस जारी करने के साथ नियमित दौरे किए जाते हैं। इस बात पर बार–बार जोर दिया जाता है कि वसूली में सुधार से अन्य वंचित संभावित लाभार्थियों को धन का तेजी से पुनर्चक्रण हो। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को ऐसे चूककर्ताओं को विवरण का सिबिल से जोड़ने / रिपोर्ट करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है।
10.	एनबीसीएफडीसी को प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ग्राहकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के कार्यालयी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को ऋण आवेदन के लिए 'एसबीएमएस' का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के अधिकारियों को आयोजित वार्षिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम में सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती हैए जिसका एक भाग राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों द्वारा अपने अधिकारियों को ऋण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
11.	लाभार्थियों को लगता है कि ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें लगभग 3–4 महीनों के बाद स्वीकृति मिली है। एनबीसीएफडीसी को मानकीकृत त्वरित समय–सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए। आवेदन करने की तारीख से दो महीने के भीतर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और मंजूरी की तारीख से एक महीने के भीतर वितरित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी समय पर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकें। इसके अलावा, आवेदन का और उनके संलग्नक सरल होने चाहिए जो ऋण प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।	चैनल पार्टनर के कार्यालय में लाभार्थी के समय अंतराल और यात्राओं को कम करने के लिए, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को लगातार एसबीएमएस का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। यह तंत्र कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना दूरस्थ स्थान से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति है। एक बार इस तरह के आवेदन को पोर्टल में जमा करने के बाद, जिला अधिकारी ऑनलाइन दस्तावेज़ की जाँच करता है। साथ ही, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी मात्र तभी ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकता है जब दस्तावेज अधूरे हों और लाभार्थी उस डेटा को अपलोड / प्रविष्ट कर सकता है जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक बार इस तरह की सभी जांच पूरी हो जाने के बाद ही जिला अधिकारी साइट पर आवेदक का साक्षात्कार आयोजित करता है, जिसमें राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के कार्यालय में बार–बार जाने की आवश्यकता के बिना वह मूल दस्तावेजों की जांच करता है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
12.	Since a significant number of beneficiaries in the study were from rural areas it was suggested that the household income limit should be revised so that maximum people can avail the loan boosting up self-employment avenues.	Annual Family income limits to avail loan facilities are decided by Ministry of Social Justice and Empowerment keeping in mind the inclusion of those OBC members who are utmost deprived.
13.	The widows and physically challenged members desired special considerations like low rate of interest and subsidy for the loan amount.	NBCFDC provides rebate of 0.25% for persons with disability (40% and above)
14.	Education is a catalyst for social transformation and social change. It is noted that there were no takers for education loan barring few exceptions. There is need to create awareness to avail the education loan and develop related skills among the beneficiaries to increase the scope of employability in different sectors.	As mentioned under S.N.8 above, publicity and awareness are being done to encourage beneficiaries to avail loans under different schemes including education loan and undergo skill development.
15.	The study finds that the loan amount taken by the population under scope of study is not adequate enough to bring out marked improvement in the lifestyles of beneficiaries. NBCFDC may reconsider the loan amount extended to the schemes under the present study to experience perceptible change by the beneficiaries in their lives.	NBCFDC loan limits are decided based on market trends, input from channel partners, capital requirement for starting various business opportunities and repayment capacity of eligible loanees.
16.	SCAs constitute an effective link between NBCFDC and its beneficiaries. NBCFDC should arrange for interaction of the beneficiaries with SCAs at periodic intervals, as this could strengthen rapport between the two which is important for successful execution and realisation of objectives of schemes NBCFDC.	The Corporation has provided a portal on its Web-site for use by prospective beneficiaries to apply online for availing loan and/or skill development training under NBCFDC Schemes. Their proposals are forwarded to the concerned Channel Partners for further action. The Corporation is also making available the Social Benefits Management System (SBMS) to the States, which are not having online application system. SBMS enable online loan application, processing & sanction of loan.
17.	NBCFDC should document the success stories of beneficiaries for wider dissemination so as to carry forward its vision and mission in a meaningful way. The success stories can serve as an inspiration and motivation for those who want to avail the loan.	The success stories are being documented and uploaded in the Corporation's website.
18.	NBCFDC can institute awards for best performing units across sectors based on certain criteria to expand the outreach of the schemes.	NBCFDC awards its best performing Channel Partners in its raising day celebrations held every year.
Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at State Channelising Agency (SCA) / Channel Partner (CP)Level		
19.	The study noted that majority (around 91%) of the beneficiaries of Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation (PBCLDFC) availing the benefits of term loan schemes were males (Figure.3.1). As similar trend is observed in other districts, PBCLDFC should take initiative to make more women aware of various schemes of NBCFDC. Sincere efforts are required for creating awareness in Fazilka, Jalandhar, Moga and Sangrur districts.	SCA (PBCLDFC) has been advised for necessary action.

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई / टिप्पणियाँ
12.	चूंकि अध्ययन में बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे, यह सुझाव दिया गया था कि घरेलू आय सीमा को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोग ऋण का लाभ उठा सकें।	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वार्षिक पारिवारिक आय सीमा यह ध्यान में रखते हुए तय की जाती है कि अत्यधिक वंचित ओबीसी सदस्य ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
13.	विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों ने ऋण राशि के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी जैसे विशेष उपायों को चाहते हैं।	एनबीसीएफडीसी विकलांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत और अधिक) के लिए 0.25% की छूट प्रदान करता है।
14.	शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक रूपांतरण का उत्प्रेरक है। यह संज्ञान में आया कि कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षा ऋण लेने वाले कोई नहीं थे। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के दायरे को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों में शिक्षा ऋण लेने और संबंधित कौशल विकसित करने के लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।	जैसा कि उपरोक्त क्र.स. 8 के तहत उल्लेख किया गया हैए लाभार्थियों को शिक्षा ऋण सहित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लेने और कौशल विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार–प्रसार जागरूकता की जा रही है।
15.	अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन के दायरे के अंतर्गत प्रयुक्त व्यक्तियों द्वारा ली गई ऋण राशि लाभार्थियों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लाभार्थियों द्वारा उनके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन का अनुभव करने के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा याजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि पर पुनः विचार करना चाहिए ।	एनबीसीएफडीसी ऋण सीमा बाजार के रुझान, चैनल स्हभागियों से प्राप्त इनपुट, विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता और पात्र ऋणग्राहियों की चुकौती क्षमता के आधार पर तय की जाती है।
16.	एनबीसीएफडीसी और इसके लाभार्थियों के बीच एक प्रभावी कड़ी का गठन राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों करती हैं। एनबीसीएफडीसी को आवधिक अंतराल पर राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के साथ लाभार्थियों की बातचीत की व्यवस्था करनी चाहिएए क्योंकि यह दोनों के बीच संबंध मजबूत करे सकता है जो एनबीसीएफडीसी योजनाओं के उद्देश्यों के सफल निष्पादन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।	निगम ने एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत ऋण और/या कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संभावित लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल उपलब्ध कराया है। उनके प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित चैनल पार्टनर्स को अग्रेषित किए जाते हैं। निगम उन राज्यों को सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) भी उपलब्ध करा रहा है, जिनके पास ऑनलाइन आवेदन प्रणाली नहीं है। एसबीएमएस ऑनलाइन ऋण आवेदन, प्रक्रमण और ऋण की मंजूरी को सक्षम बनाता है।
17.	एनबीसीएफडीसी को व्यापक प्रसार के लिए लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए ताकि अपने विजन और मिशन को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। सफलता की कहानियां उन लोगों को जो ऋण लेना चाहते हैं के लिए प्रेरणा और अभिप्रेरणा के रूप में काम कर सकती हैं।	सफलता की कहानियों का वृत्तचित्रित किया जा रहा है एवं इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
18.	एनबीसीएफडीसी, योजनाओं के विस्तार के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के लिए पुरस्कार प्रदान कर सकता है।	एनबीसीएफडीसी द्वारा स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रतिवर्ष चैनल पार्टनर्स को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कार प्रदान करता है।
स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी (एससीए), चैनल पार्टनर (सीपी) स्तर पर लागू मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु		
19.	अध्ययन में पाया गया है कि पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम (पीबीसीएलडीएफसी) के अधिकांश (लगभग 91%) सावधि ऋण योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थी पुरुष थे। इसी प्रकार से अन्य जिलों में समान प्रवृत्ति देखी गई हैए पीबीसीएलडीएफसी को एनबीसीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहल करनी चाहिए। फाजिल्का, जालंधर, मोगा और संगरूर जिलों में जागरूकता पैदा करने के लिए सत्यनिष्ठ प्रयासों की आवश्यकता है।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (पीबीसीएलडीएफसी) को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
20.	The schemes of NBCFDC can be better availed to establish own ventures like carpentry, tailoring shop, artisan work, small daily need kiryana shops which have greater scope for improvement and progress in urban regions. But the findings reveal that the majority of beneficiaries are from rural region. In some of districts like Hoshiarpur, Mohali, Pathankot and TaranTaran all the beneficiaries reside in rural areas. Therefore, SCAs must make sincere efforts to popularise and extend the schemes in urban region too.	SCA has been advised for necessary action.
21.	Most of the respondents have linkage of mobile and aadhar number but SCAs must ensure complete adherence to the norms.	SCA has been advised for necessary action.
22.	SCAs should conduct special advertisement campaigns to promote the schemes of NBCFDC as some respondents expressed dissatisfaction regarding the information furnished by SCA officials.	SCA has been advised for necessary action.
23.	SCA should have regular programmes to create awareness about different financing schemes, particularly for the unemployed youth. SCAs may work with employment agencies for advertising the schemes of NBCFDC and can place hoardings at employment agencies.	SCA has been advised for necessary action.
24.	SCA may consider online portal for filling of loan forms and disbursement of loans to avoid cumbersome procedures. Further, a detailed mechanism should be devised by SCAs to speed up the processing and disbursement of the loans by specific time-line i.e., a period of maximum three months.	SCA has been advised for necessary action.
25.	The study found that the women centric schemes are not popular among the beneficiaries of PBCLDFC. It was noted that all the respondents availed General Term Loan scheme. New Swarnima Scheme and Mahila Samriddhi Yojna are not availed by any of the beneficiaries of PBCLDFC in the entire state. The agency must adequately encourage women centric schemes in the region. New Swarnima Scheme and Mahila Samriddhi Yojna should be promoted in all the districts as it will have direct bearing on women empowerment.	SCA has been advised for necessary action.
26.	The study observed that around 63% of the beneficiaries of Punjab Backward Class Land Development and Finance Corporation (PBCLDFC) were aware and around 37% of the beneficiaries were not aware about other schemes of NBCDFC (Fig.3.17). Analysis of different districts revealed that the level of awareness about other schemes of NBCFDC is very poor in four districts viz., Bhatinda, Jalandhar, Kapurthala and Moga. Hence, efforts should be made to create awareness about the schemes of NBCFDC.	SCA has been advised for necessary action.
27.	The analysis of repayment schedule revealed that most of the beneficiaries repaid the loan amount regularly. A mismatch of agreed and actual payment schedule was observed in Mohali district wherein three beneficiaries of PBCLDFC reported to be irregular and three more were observed defaulters. This calls for action by the SCA to avoid financial loss.	SCA has been advised for necessary action.

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई कार्रवाई / टिप्पणियाँ
20.	बढ़ईगीरी, सिलाई की दुकान, दस्तकारी कार्य, दैनिक जरूरत की छोटी किरयाना दुकानों जैसे स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए एन.बी.सी. एफ.डी.सी. की योजनाओं का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिनमें शहरी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की अधिक गुंजाइश है। लेकिन निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। होशियारपुर, मोहाली, पठानकोट और तरनतारन जैसे कुछ जिलों में सभी लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को शहरी क्षेत्र में भी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और उनका विस्तार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
21.	अधिकांश उत्तरदाता का मोबाइल और आधार नंबर एवं लिंकेज है; किन्तु राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को मानदंडों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
22.	राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को एनबीसीएफडीसी की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष विज्ञापन अभियान चलाना चाहिए क्योंकि कुछ उत्तरदाताओं ने राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के कार्मिकों द्वारा दी गई जानकारी के बारे में असंतोष व्यक्त किया।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
23.	राज्य चैनेलाइजिंग ए एजेंसी के पास विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित कार्यक्रम होने चाहिए। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियाँ एनबीसीएफडीसी की योजनाओं के प्रचार के लिए रोजगार एजेंसियों के साथ काम कर सकते हैं और रोजगार एजेंसियों में होर्डिंग लगा सकते हैं।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
24.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी जटिल प्रक्रियाओं से बचने के लिए ऋण फॉर्म भरने और ऋणों के वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर विचार कर सकता है। इसके अलावाए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों द्वारा विशिष्ट समय–सीमा अर्थात अधिकतम तीन महीने की अवधि में ऋणों के प्रक्रियागत करने और वितरण में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
25.	अध्ययन में पाया गया कि पीबीसीएलडीएफसी के लाभार्थियों के बीच महिला केंद्रित योजनाएं लोकप्रिय नहीं हैं। यह नोट किया गया कि सभी उत्तरदाताओं ने सामान्य सावधि ऋण योजना का लाभ उठाया। नई स्वर्णिमा योजना और महिला समृद्धि योजना का लाभ पीबीसीएलडीएफसी का कोई भी लाभार्थी पूरे राज्य में नहीं उठा रहा है। एजेंसी को क्षेत्र में महिला केंद्रित योजनाओं को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। नई स्वर्णिमा योजना और महिला समृद्धि योजना को सभी जिलों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर महिला सशक्तिकरण पर पड़ेगा।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
26.	अध्ययन में पाया गया कि पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम (पीबीसीएलडीएफसी) के लगभग 63% लाभार्थी जागरूक थे और लगभग 37% लाभार्थियों को एन.बी.सी.डी.एफ.सी. की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। विभिन्न जिलों के विश्लेषण से पता चला कि चार जिलों भटिंडा, जालंधर, कपूरथला और मोगा में एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर बहुत खराब है। इसलिए, एनबीसीएफडीसी की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाने चाहिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
27.	चुकौती समय–सारणी अनुसूची के विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश लाभार्थियों ने नियमित रूप से ऋण राशि का भुगतान किया। मोहाली जिले में सहमत और वास्तविक भुगतान समय–सारणी में अंतर पाया गया जिसमें पीबीसीएलडीएफसी के तीन लाभार्थियों ने भुगतान में अनियमित होने की सूचना दी और तीन अन्य को चूककर्ता पाया गया। यह वित्तीय नुकसान से बचने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी स्तर पर कार्रवाई की मांग करता है।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

B. EVALUATION STUDY OF CREDIT SCHEMES OF NBCFDC CONDUCTED IN THE STATE OF PUNJAB FOR PUNJAB GRAMIN BANK (PGB)

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
	Recommendations of Evaluating Agency in respect of PGB and Comments/Action Taken by NBCFDC	
1.	Assistance should be provided for forward linkages. For example, a person who avails loan for carpentry should also be provided necessary training and financial assistance on package, brand and sale of the product at competitive rates in the market.	NBCFDC under its Skill Development Program nominates channel partners to attend Skill Development meetings and also encourage beneficiaries to undertake various skill development programs conducted by NBCFDC.
2.	The beneficiaries were of the opinion that the rate of interest of the loan amount should be reduced to bring down the list of defaulters. Most of the people who avail loan are from poor background and hence find it difficult to repay loan. It is pertinent to mention that economy of Punjab heavily relies on agriculture with inconsistent income throughout the year, making it nearly impossible or difficult to repay their monthly loan instalments.	Already the loans provided under NBCFDC schemes are at concessional rate keeping in mind the financial conditions of its target beneficiaries. At the same time channel partners are also advised to do their due diligence while sanctioning to prevent wilful defaulters from taking loan.
3.	Majority of the loan was taken for small business (Figure. 3.21) and not much employment has been generated through the scheme. Out of 407 beneficiaries of PGB, only 97 i.e. around 24% of the beneficiaries contributed to further employment generation` (Table 3.10). To uplift the economy, it is advisable that NBCFDC should give special preference to those ventures which generate further employment.	NBCFDC provides concessional financing to encourage OBC members to start up their ventures or create self-employment opportunities. Employment Generation is an offshoot of such activities that happens only once their business activities get stable and start earning more.
4.	NBCFDC should promote skill development training especially for SHG members. It is observed that business failure is one of the prominent reasons for irregularity in the repayment of loan. Therefore, possible help should be provided for training and nurturing local skills particularly in women centric business activities. Further, skills of SHG members of all the villages, by and large, remain untapped. Attempt should be made to utilise their skills in a proper way for their economic development.	NBCFDC under its Skill Development Program nominates RRB members to attend Skill Development meetings and also encourage beneficiaries to undertake various skill development programs conducted by NBCFDC.
5.	At present the age limit for the SHG member is 60 years which may further be extended.	NBCFDC doesn't prescribe any maximum age for loan. The same is decided by RRB considering the business venture for which loan is sought and the repayment capability of the beneficiary. This is being specifically advised to SCA.
6.	The beneficiaries were looking forward to secure insurance for their group members, their business and livestock.	RRBs in various management development programs are advised to devise adequate security features in their loan portfolio to take care of any distress related loan failures etc. Scheme already implemented by some channel partners to provide distress relief has already been shared with all SCAs/RRBs.

ख) पंजाब राज्य में पंजाब ग्रामीण बैंक(पीजीबी) के लिएं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आयोजित क्रेडिट योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
पीजीबी के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें और एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियां/कार्रवाई		
1.	फॉरवर्ड लिंकेज के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिएए बढ़ईगीरी के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति को बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद के पैकेजए ब्रांड और बिक्री पर आवश्यक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	एनबीसीएफडीसी अपने चैनल सहभागियों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कौशल विकास बैठकों में भाग लेने के लिए नामित करता है और लाभार्थियों को एनबीसीएफडीसी द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
2.	लाभार्थियों का मत था कि ऋण राशि की ब्याज दर कम की जानी चाहिए ताकि बकाएदारों की सूची को छोटा किया जा सके। ऋण लेने वाले अधिकांश लोग गरीब पृष्ठभूमि से हैं और इसलिए ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष अनियमित आय के साथ कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करती हैए जिससे उन्हें मासिक ऋण किस्त चुकाना लगभग असंभव या मुश्किल हो जाता है।	अपने लक्षित लाभार्थियों की वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए गए ऋण रियायती दर पर हैं। साथ ही चैनल स्हभागियों को भी सलाह दी जाती है कि वे जानबूझ कर चूक करने वालो को ऋण लेने से रोकने के लिए अपनी मंजूरी देते समय समुचित सतर्कता बरतें।
3.	अधिकांश ऋण छोटे व्यवसायों के लिए लिए गए थे और योजना के माध्यम से ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हुआ है। पीजीबी के 407 लाभार्थियों में से केवल 97 यानी लगभग 24% लाभार्थियों ने आगे रोजगार सृजन में योगदान दिया (तालिका 3.10)। अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यह सलाह दी जाती है कि एनबीसीएफडीसी को उन कार्यों को विशेष वरीयता देनी चाहिए जो आगे रोजगार पैदा करते हैं।	एनबीसीएफडीसी ओबीसी सदस्यों को अपना व्यवसाय शुरू करने या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रियायती दरों पर वित्तपोषण करता है। रोजगार सृजन ऐसी गतिविधियों की एक शाखा है जो तभी होती है जब उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थिर हो जाती हैं और अधिक कमाई शुरू कर देती हैं।
4.	एनबीसीएफडीसी को विशेष रूप से एसएचजी सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। यह देखा गया है कि व्यवसाय की विफलता ऋण की अदायगी में अनियमितता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए स्थानीय कौशलों में प्रशिक्षण और पोषण के लिए विशेष रूप से महिला केंद्रित व्यावसायिक गतिविधियों में संभावित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी गांवों के एसएचजी सदस्यों के कौशल, का उपयोग नहीं किया जाता है और बड़ी संख्या में छूट जाते हैं। उनके आर्थिक विकास के लिए उनके कौशल का उचित तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।	एनबीसीएफडीसी अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कौशल विकास बैठकों में भाग लेने के लिए आरआरबी सदस्यों को नामित करता है और लाभार्थियों को एनबीसीएफडीसी द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
5.	वर्तमान में एसएचजी सदस्य के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।	एनबीसीएफडीसी ऋण के लिए कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं करता है। जिस व्यावसायिक उद्यम के लिए ऋण मांगा गया है और लाभार्थी की चुकौती क्षमता को देखते हुए आरआरबी द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। यह सलाह विशेष रूप से राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को दी जा रही है।
6.	लाभार्थी अपने समूह के सदस्यों, अपने व्यवसाय और पशुधन के लिए सुरक्षित बीमा की उम्मीद कर रहे थे।	विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संकट के समय में ऋण विफलता आदि से निपटने के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो में पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं को विकसित करें। संकट राहत प्रदान करने के लिए कुछ चैनल स्हभागियों द्वारा पहले ही लागू की गई योजना को सभी एससीए/आरआरबी के साथ साझा किया जा चुका है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
7.	Since the awareness level regarding other schemes of NBCFDC is not good, NBCFDC must place big hoardings of their schemes in the premises of SCAs. Further an advertising pamphlet may be given to all beneficiaries at the time of sanctioning the loan so that they can be acquainted with other schemes.	The Corporation has taken pro-active steps for generating awareness and organized "Awareness Camps" with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with channels partners. During the last five years, since 2015-16, more than 367 Camps were held in various States, in which large number of beneficiaries attended and were informed of various schemes of the Corporation and counselled to avail the same. Grant of Rs.2.00 lakh p.a is given to SCAs for such camps to identify viable schemes and corresponding training needs of the target group, so that loan schemes have desired impact on the economic and social status of the beneficiaries. In addition, during covid-19 pandemic, digital publicity is being encouraged at state level for which a grant of about Rs.1.00 lakh may be considered by this Corporation.
8.	The analysis of repayment schedule revealed the mismatch of agreed and actual loan payment schedule. NBCFDC should scrutinise the schedule at periodic intervals so as to curb non-performing assets.	NBCFDC requests SCAs to Strengthen the Recovery Mechanism. Notices to be followed with regular visit to defaulter in order to strengthen the recovery at SCA level. It is emphasized time and again, the improvement in recovery leads to speedy recycling of funds to other deprived prospective beneficiaries. The SCA have also been asked to consider linking/Reporting to CIBIL details of such defaulters.
9.	Around 32% of the respondents of PGB shared that they experienced difficulties in getting the loan. The primary difficulty as mentioned by the beneficiaries was – 'different legal formalities to be complied with'. Since majority of the beneficiaries of different schemes is not much educated, NBCFDC should make attempt to simplify the procedures. For this, training should be imparted to official staff of SCAs to overcome practical difficulties of clients.	To simplify the process SCAs are encouraged to use SBMS for loan application. At the same time SCA officials are provided training through sessions in Management Development Program conducted yearly. Further to this SCAs are provided with performance linked grant-in aid also whose portion can be used by SCAs to train their officials in loan procedures.
10.	The beneficiaries feel that the process of sanctioning the loan is very lengthy. Some of the respondents even mentioned that they got the sanction only after 3-4 months. NBCFDC should ensure standardised and speedy timelines for the same. The loans must be sanctioned within two months from the date of applying and disbursed within one month from the date of sanction so that the beneficiaries may start their activities in time. Further, the application and their enclosures should be simplified so as to ease the loan process.	To reduce the time gap and visits of beneficiary to office of channel partner, RRBs are continually being advised to use SBMS. The system allows uploading requisite documents from remote place without the need of visiting office. Once such application is submitted in portal, district official checks document online. Also, RRB can seek clarification online only if the documents are incomplete and beneficiary can upload/ enter data for which clarification is sought. Once all such checks are completed then only bank official conducts interview of applicant at site wherein he checks original documents without the need of multiple visits to office of RRB.
11.	Since a significant number of beneficiaries in the study were from rural areas, it was suggested that the household income limit should be revised so that maximum people can avail the loan boosting up self-employment avenues.	Annual Family income limits to avail loan facilities are decided by Ministry of Social Justice and Empowerment keeping in mind the inclusion of those OBC members who are utmost deprived.

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
7.	चूंकि एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए एनबीसीएफडीसी को अपनी योजनाओं के बड़े होर्डिंग राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के परिसरों में लगाना चाहिए। इसके अलावा, सभी लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करते समय एक विज्ञापन पुस्तिका दी जानी चाहिए ताकि वे अन्य योजनाओं से परिचित हो सकें।	निगम ने जागरूकता पैदा करने के लिए अग्र–सक्रिय कदम उठाए हैं और निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और चैनल स्हभागियें के साथ इंटरफेस रखने के लिए लक्षित समूह को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "जागरूकता शिविर" आयोजित किए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, 2015–16 से, विभिन्न राज्यों में 367 से अधिक शिविर आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया और उन्हें निगम की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया और उनका लाभ उठाने के लिए परामर्श दिया गया। ऐसे शिविरों के लिए लक्षित समूह की व्यवहार्य योजनाओं और संबंधित प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को रु. 2.00 लाख प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता है, ताकि ऋण योजनाओं का लाभार्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर वांछित प्रभाव पड़े। इसके अलावा कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य स्तर पर डिजिटल प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके लिए इस निगम द्वारा लगभग रू. 1.00 लाख के अनुदान पर विचार किया जा सकता है।
8.	भुगतान समय–सारिणी के विश्लेषण से यह पता चला है कि निर्धारित व वास्तविक ऋण भुगतान समय–सारिणी बेमेल होने का पता चला। एनबीसीएफडीसी को समय–समय पर समय–सारिणी की जांच करनी चाहिए ताकि बेकार परिसम्पतियों की संभावना पर अंकुश लगाया जा सके।	एनबीसीएफडीसी ने राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने का अनुरोध किया है। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के स्तर पर वसूली को मजबूत करने के लिए चूककर्ता को नोटिस जारी करने के साथ–साथ नियमित दौरे किए जाते हैं। इस बात पर बार–बार जोर दिया जाता है कि वसूली में सुधार से अन्य वंचित संभावित लाभार्थियों को धन का तेजी से पुनर्चक्रण हो। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को ऐसे चूककर्ताओं के विवरण को सिबिल से जोड़ने/रिपोर्ट करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है।
9.	पीजीबी के लगभग 32% उत्तरदाताओं ने जानकारी दी है कि उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लाभार्थियों द्वारा बताई गई प्राथमिक कठिनाई थी–'विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना'। चूंकि विभिन्न योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी अधिक शिक्षित नहीं हैं, इसलिए एनबीसीएफडीसी को प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ग्राहकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को ऋण आवेदन के लिए एसबीएमएस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के कार्मिकों को सालाना आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसका अंश राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों द्वारा अपने कार्मिकों को ऋण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
10.	लाभार्थियों को लगता है कि ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें 3–4 महीने के बाद ही मंजूरी मिली थी। एनबीसीएफडीसी को इसके लिए मानकीकृत और त्वरित समय–सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए। आवेदन करने की तारीख से दो महीने के भीतर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और स्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर वितरित किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी समय पर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकें। इसके अलावाए आवेदन–पत्र और उनके संलग्नकों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि ऋण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।	चैनल पार्टनर के कार्यालय में लाभार्थी के समय अंतराल और यात्राओं को कम करने के लिएए आरआरबी को लगातार एसबीएमएस का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। यह तंत्र सिस्टम कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना दूरस्थ स्थान से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। एक बार इस तरह के आवेदन को पोर्टल में जमा करने के बादए जिला अधिकारी ऑनलाइन दस्तावेज़ की जाँच करता है। साथ ही, आरआरबी मात्र तभी ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकता है जब दस्तावेज अधूरे हों और लाभार्थी उस डेटा को अपलोड/प्रविष्ट कर सकता है जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक बार जब ऐसी सभी जाँच चेक पूरी हो जाते हैं तो केवल बैंक अधिकारी ही साइट पर आवेदक का साक्षात्कार आयोजित करता है, जिसमें आरआरबी के कार्यालय में बार–बार जाने की आवश्यकता के बिना मूल दस्तावेजों की जांच करता है।
11.	चूंकि अध्ययन में बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे, यह सुझाव दिया गया था कि घरेलू आय सीमा को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोग ऋण का लाभ उठा सकें।	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वार्षिक पारिवारिक आय सीमा यह ध्यान में रखते हुए तय की जाती है कि अत्यधिक वंचित ओबीसी सदस्य ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
12.	The widows and physically challenged members desired special considerations like low rate of interest and subsidy for the loan amount to be extended.	NBCFDC provides rebate of 0.25% for persons with disability (40% and above)
13.	Education is a catalyst for social transformation and social change. It is noted that there were no takers for education loan, barring few exceptions. There is a need to create awareness for availing the education loan and develop related skills among the beneficiaries to increase the scope of employability in different sectors.	The Corporation has taken pro-active steps for generating awareness and organized "Awareness Camps" with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with channels partners. During the last five years, since 2015-16, more than 367 Camps were held in various States, in which large number of beneficiaries attended and were informed of various schemes of the Corporation and counselled to avail the same. Grant of Rs.2.00 lakh p.a is given to SCAs for such camps to identify viable schemes and corresponding training needs of the target group, so that loan schemes have desired impact on the economic and social status of the beneficiaries. In addition, during covid-19 pandemic, digital publicity is being encouraged at state level for which a grant of about Rs.1.00 lakh may be considered by this Corporation.
14.	The study finds that the loan amount taken by the population under study is not adequate enough to bring out marked improvement in the lifestyles of beneficiaries. NBCFDC may reconsider the loan amount extended to the schemes to experience perceptible change in the lives of beneficiaries.	Term Loan limits have been raised to Rs. 15.00 Lakh per beneficiary and Micro Finance Loan limit has been raised to Rs. 1.25 Lakh per beneficiary. Loan limits are reviewed periodically based on input of channel partners and market trends.
15.	SCA constitute an effective linkage between NBCFDC and its beneficiaries. NBCFDC should arrange interaction of beneficiaries with the SCA at periodic intervals to strengthen rapport between the two which is important for successful execution and realisation of objectives of NBCFDC schemes.	The Corporation has provided a portal on its Web-site for use by prospective beneficiaries to register online for availing loan and/or skill development training under NBCFDC Schemes from different Channel Partners. Their details are forwarded to the concerned Channel Partners for further action. The Corporation is also making available the Social Benefits Management System (SBMS) to the States, which are not having online application system. SBMS enable online loan application, processing & sanction of loan. SCAs are being advised to increase rapport/interaction with current and prospective beneficiaries.
16.	NBCFDC should document the success stories of beneficiaries for wider dissemination so as to carry forward its vision and mission in a meaningful way. The success stories can serve as an inspiration and motivation for those who want to avail the loan.	The success stories are being documented and uploaded in the Corporation's website.
17.	NBCFDC can institute awards for best performing units across sectors based on certain criteria to expand the reach of the schemes.	NBCFDC awards its best performing Channel Partners from time to time both by way of recognition in functions by dignitaries & financially through the PLGIA Scheme.

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
12.	विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों ने ऋण राशि के लिए कम ब्याज दर और सब्सिडी जैसे विशेष उपायों को चाहते हैं।	एनबीसीएफडीसी विकलांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत और अधिक) के लिए 0.25% की छूट प्रदान करता है।
13.	शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक रूपांतरण का उत्प्रेरक है। यह संज्ञान में आया कि कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षा ऋण लेने वाले कोई नहीं थे। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के दायरे को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों में शिक्षा ऋण लेने और संबंधित कौशल विकसित करने के लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।	निगम ने जागरूकता पैदा करने एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए अति–सक्रिय कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य है निगम की योजनाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार करना एवं लक्षित वर्ग को चैनल स्हभागियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करना। पांच वर्षों के दौरान, 2015–16 से, विभिन्न राज्यों में 367 से अधिक शिविर आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया और उन्हें निगम की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया और उनका लाभ उठाने के लिए परामर्श दिया गया। ऐसे शिविरों के लिए लक्षित समूह की व्यवहार्य योजनाओं और संबंधित प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को रु. 2.00 लाख प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता है, ताकि ऋण योजनाओं का लाभार्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर वांछित प्रभाव पड़े। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य स्तर पर डिजिटल प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा हैए जिसके लिए इस निगम द्वारा लगभग रू. 1.00 लाख के अनुदान पर विचार किया जा सकता है।
14.	अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन के दायरे के अंतर्गत प्रयुक्त व्यक्तियों द्वारा ली गई ऋण राशि लाभार्थियों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लाभार्थियों द्वारा उनके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन का अनुभव करने के लिए एनबीसीएफडीसी द्वारा याजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि पर पुनः विचार करना चाहिए ।	सावधि ऋण की सीमा को प्रति लाभाथी रू. 15.00 लाख और सूक्ष्म वित्त ऋण की सीमा को रु. 1.25 लाख प्रति लाभार्थी तक बढ़ाया गया है। चैनल स्हभागियें और बाजार के रुझानों के इनपुट के आधार पर आवधिक तौर पर ऋण सीमा की समीक्षा की जाती है।
15.	एनबीसीएफडीसी और इसके लाभार्थियों के बीच एक प्रभावी कड़ी का गठन राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों करती हैं। एनबीसीएफडीसी को आवधिक अंतराल पर राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों के साथ लाभार्थियों की बातचीत की व्यवस्था करनी चाहिएए क्योंकि यह दोनों के बीच संबंध मजबूत करे सकता है जो एनबीसीएफडीसी योजनाओं के उद्देश्यों के सफल निष्पादन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।	निगम ने एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत ऋण और/या कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संभावित लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल उपलब्ध कराया है। उनके प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित चैनल पार्टनर्स को अग्रेषित किए जाते हैं। निगम उन राज्यों को सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस) भी उपलब्ध करा रहा है, जिनके पास ऑनलाइन आवेदन प्रणाली नहीं है। एसबीएमएस ऑनलाइन ऋण आवेदन, प्रक्रमण और ऋण की मंजूरी को सक्षम बनाता है। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को सलाह दी जा रही है कि वे वर्तमान और संभावित लाभार्थियों के साथ तालमेल/बातचीत बढ़ाएं।
16.	एनबीसीएफडीसी को व्यापक प्रसार के लिए लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए ताकि अपने विजन और मिशन को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। सफलता की कहानियां उन लोगों को जो ऋण लेना चाहते हैं के लिए प्रेरणा और अभिप्रेरणा के रूप में काम कर सकती हैं।	सफलता की कहानियों का वृत्तचित्रित किया जा रहा है एवं इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
17.	एनबीसीएफडीसी, योजनाओं के विस्तार के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के लिए पुरस्कार प्रदान कर सकता है।	एनबीसीएफडीसी सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले चैनल पार्टनर्स को समय–समय पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा तथा पीएलजीआईए योजना के माध्यम से कार्यो कीं मान्यता हेतु वित्तीय रूप से पुरस्कृत करता है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at State Channelising Agency (SCA) / Channel Partner (CP)Level		
18.	The study noticed that majority [around 71 % (Figure. 3.1)] of the beneficiaries availing the benefits of the schemes of PGB are women. The women beneficiaries were in majority across different districts (except in Pathankot). In Pathankot 51.43 %(Table 3.1) of beneficiaries are men. The finding calls for the action on the part of channelizing agency to increase awareness among women in Pathankot to access benefits from various schemes of NBCFDC.	CP (Channel Partner of PGB) has been advised for necessary action.
19.	The majority of beneficiaries are from rural region. PGB must make sincere efforts to popularise and extend the schemes in urban region too.	CP has been advised for necessary action.
20.	Most of the respondents have linkage of Mobile to Aadhar number but SCAs must ensure complete adherence to the norms.	SCA has been advised for necessary action.
21.	PGB should conduct special advertisement campaigns to promote the schemes of NBCFDC as some respondents expressed dissatisfaction regarding the information furnished by officials.	SCA has been advised for necessary action.
22.	PGB should have regular programmes to create awareness about different financing schemes particularly for the unemployed youth. It may work with employment agencies for advertising the schemes of NBCFDC by placing hoardings at appropriate places.	SCA has been advised for necessary action.
23.	PGB may consider online portal for filling of loan forms and disbursement of loans. Further, a detailed mechanism should be devised by SCA to speed up the processing and disbursement of the loans by specific time-line i.e., a period of maximum three months.	SCA has been advised for necessary action.
24.	340 respondents out of 407 i.e. 84% of the total respondents were aware about other schemes of NBCFDC, however, remaining 16% of were not aware about other schemes (Figure. 3.18). An analysis of different districts revealed that the level of awareness about other schemes of NBCFDC is not satisfactory in three districts viz., Hoshiarpur, Jalandhar and Kapurthala. There is a need to create awareness through different programmes in these three districts.	SCA has been advised for necessary action.
25.	The analysis of repayment schedule revealed that most of the beneficiaries repaid the loan amount regularly. But still the numbers of defaulter / irregular beneficiaries are quite significant. The mismatch of agreed and actual payment schedule in Gurdaspur revealed that three beneficiaries are defaulters and two are making payment on irregular basis. In Ferozpur also the study observed five irregular/ defaulter beneficiaries. In Fazilka 21% of the beneficiaries i.e. 9 out of 42 are not making payment on regular basis (Table 3.9). This calls for action by the SCA to avoid financial loss.	SCA has been advised for necessary action.

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी(एससीए)/चैनल पार्टनर (सीपी) स्तर पर लागू मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु		
18.	अध्ययन में पाया गया कि पीजीबी की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले अधिकांश लगभग 71% महिलाएं हैं। विभिन्न जिलों (पठानकोट को छोड़कर) में महिला लाभार्थी बहुसंख्यक थीं। पठानकोट में 51.43% (तालिका 3.1) लाभार्थी पुरुष हैं।परिणाम बताते हैं कि एनबीसीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पठानकोट में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी के स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।	चैनल सहयोगी (पीजीबी के चैनल पार्टनर) को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
19.	अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। पीजीबी को शहरी क्षेत्र में भी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और उनका विस्तार करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
20.	अधिकांश उत्तरदाताओं का मोबाइल आधार नंबर से जुड़ा है किन्तु राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों को मानदंडों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
21.	पीजीबी को एनबीसीएफडीसी की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष विज्ञापन अभियान चलाना चाहिए क्योंकि कुछ उत्तरदाताओं ने अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के बारे में असंतोष व्यक्त किया है।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
22.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के पास विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित कार्यक्रम होने चाहिए। राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियाँ एनबीसीएफडीसी की योजनाओं के प्रचार के लिए रोजगार एजेंसियों के साथ काम कर सकते हैं और रोजगार एजेंसियों में होर्डिंग लगा सकते हैं।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
23.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी जटिल प्रक्रियाओं से बचने के लिए ऋण फॉर्म भरने और ऋणों के वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसियों द्वारा विशिष्ट समय–सीमा अर्थात अधिकतम तीन महीने की अवधि में ऋणों के प्रक्रियागत करने और वितरण में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
24.	407 में से 340 उत्तरदाताओं यानी कुल उत्तरदाताओं में से 84% एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जानते थे, हालांकि, शेष 16% अन्य योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। विभिन्न जिलों के विश्लेषण से पता चला कि एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्तर तीन जिलों होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में संतोषजनक नहीं है। इन तीनों जिलों में अलग–अलग कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
25.	पुनर्भुगतान समय–सारिणी के विश्लेषण से पता चला है कि अधिकांश लाभार्थियों ने नियमित रूप से ऋण राशि का भुगतान किया। लेकिन फिर भी चूककर्ताओं/अनियमित लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है। गुरदासपुर में सहमत और वास्तविक पुनर्भुगतान समय–सारिणी के बेमेल होने का पता चला कि तीन लाभार्थी चूककर्ता हैं और दो अनियमित आधार पर भुगतान कर रहे हैं। फिरोजपुर में भी, अध्ययन में पांच अनियमित/चूक करने वाले लाभार्थी पाए गए। फाजिल्का में 21% लाभार्थी अर्थात 42 में से 9 नियमित आधार पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। यह वित्तीय नुकसान से बचने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एसेंसी स्तर पर कार्रवाई की मांग करता है।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
26.	Around 6.9% of the respondents of PGB were found neither satisfied nor dissatisfied with the query handling mechanism. PGB officials should ensure healthy and cooperative query handling mechanism wherein the doubts and queries of beneficiaries could be resolved within two working days. They must also seek feedback from their clients for the possible improvement in their framework.	SCA has been advised for necessary action.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
26.	पीजीबी के लगभग 6.9% उत्तरदाताओं को पूँछ–तांछ नियत्रंण तंत्र ये न तो संतुष्ट और न ही असंतुष्ट पाया गया। पीजीबी कार्मिकों को स्वस्थ और सहकारी पूँछ–तांछ नियत्रंण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें लाभार्थियों के संदेह और प्रश्नों को दो कार्य दिवसों के भीतर हल किया जा सके। उन्हें अपने ढांचे में संभावित सुधार के लिए अपने ग्राहकों से फीडबैक भी लेना चाहिए।	चैनल सहयोगी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
(डॉ. एस. एस. आचार्य)
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE-8

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders.

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/Union Territories. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board of the Corporation strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, channel partners and the society at large. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships **
K. Narayan* (DIN 03561648)	Executive	4/4	Yes	4
Sh. Rajnish Kumar Jenaw** (DIN 09056584)	Non-Executive	1/4	No	2
Sanjay Pandey*** (DIN 08453230)	Non-Executive	4/4	No	3
Pravir Krishna (DIN 06519104)	Non-Executive	0/4	No.	3
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939)	Non-Executive	3/4	No	2
Vivek Krishna Sinha$$ (DIN 08667163)	Non-Executive	2/4	No	2

Note: * Ceased to be Directors w.e.f.01.04.2021

** Appointed as Director w.e.f 01.01.2021 and holding additional charge of MD w.e.f. 01.04.2021

***Nominees of Govt. of India

$ Other than NBCFDC

$$ Appointed as Director w.e.f. 13.01.2020

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

अनुलग्नक–8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चत किया जाता है कि इसके समस्त लेन–देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, विधि, प्रक्रिया का अनुपालन करना एवं समस्त अशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए जबकि शेष सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारकों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/गैर–कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निगम का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे अंशधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों एवं वृहत स्तर पर समाज के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। निदेशक मंडल नीतियां एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (एस./महोदय/महोदया/डा.)	श्रेणी	निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति/कुल बैठकें	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया (हाँ/नहीं)	संख्या जिसमें निदेशक हैं**
श्री के. नारायण* (डिन 03561648)	कार्यकारी	4/4	हाँ	4
श्री रजनीश कुमार जैनव** (डिन 09056584)	गैर–कार्यकारी	1/4	नहीं	2
श्री संजय पाण्डेय*** (डिन 08453230)	गैर–कार्यकारी	4/4	नहीं	3
श्री प्रवीर कृष्ण (डिन 06519104)	गैर–कार्यकारी	0/4	नहीं	3
डा0 सुभ्राशु शेखर आचार्य (डिन 06727939)	गैर–कार्यकारी	3/4	नहीं	2
श्री विवेक कृष्ण सिन्हा$$ (डिन 08667163)	गैर–कार्यकारी	2/4	नहीं	2

नोटः *दिनांक 01.04.2021 के निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

**दिनांक 01.01.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्ति एवं 01.04.2021 से प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया

***भारत सरकार द्वारा नामित

$एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अतिरिक्त

$$दिनांक 13.01.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक अनुसूची इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु होती है जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट के कार्य–निष्पादन की समीक्षा, संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2020-21, Four Board meetings were held. The maximum interval between any two meetings was well within the permissible gap of 120 days. Attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
121	19.06.2020	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI VIVEK KRISHNA SINHA,GM, NABARD	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED
122	29.07.2020	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI VIVEK KRISHNA SINHA,GM, NABARD	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED
123	24.12.2020	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI VIVEK KRISHNA SINHA,GM, NABARD
124	24.03.2021	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD,NSFDC	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI VIVEK KRISHNA SINHA,GM, NABARD

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता–ज्ञापन के सबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ–साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेंण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती है। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार–विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गई। किन्ही भी दो बैठकों के मध्य अधिकतम अन्तराल 'अनुज्ञेय' 120 दिनों के अंदर था। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही।

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
121	19.06.2020	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड
122	29.07.2020	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड
123	24.12.2020	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड
124	24.03.2021	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री रजनिश कुमार, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड डॉ0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड

3.3. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. **www.nbcfdc.gov.in**. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee of the Board (ACB)

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 19.06.2020. During the financial year four meetings of the audit committee was held on 19.06.2020, 29.07.2020, 24.12.2020 & 24.03.2021.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of Audit Committee as on 31.03.2021 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Chairperson	Official Director
Vivek Krishna Sinha, Member	Director
K. Narayan, Member	Managing Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 CSR Committee of the Board

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has constituted CSR Committee on 19.06.2020. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met once during the year under review on 24.03.2021. The composition of CSR committee as on 31.03.2021 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Member	Official Director
Dr. Subranshu Sekhar Acharya	Director
K. Narayan, Member	Managing Director

4.3 Remuneration Committee of the Board

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट i.e. **www.nbcfdc.gov.in** पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल में निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 निदेशक मण्डल की लेखा–परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 19.06.2020 को किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र चार बैठक दिनांक 19.06.2020, 29.07.2020,24.12.2020 एवं 24.03.2021 को हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री / श्री / श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पांडे, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, सदस्य	निदेशक
श्री के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को–टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2 निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची–VII एवं कंपनी के नियम, 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के अनुसार कंपनी ने दिनांक 19.06.2020 को सी.एस. आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यों के साथ–साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित हैः

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख–रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की एक बार दिनांक 24.03.2021 को बैठक हुई। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में समिति का गठन निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम (सुश्री / श्री / श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पांडे, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री सुभ्रांशू शेखर आचार्य, सदस्य	निदेशक
श्री के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

4.3. निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय–समय पर किया गया। प्रशासनिक

Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. Administrative ministry has yet to appoint/extend tenure of Independents Directors after 1st February 2020. During the financial year only one meeting of the Remuneration Committee was held on 28.07.2020. The composition of Remuneration committee as on 31.03.2021 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Member	Official Director
K. Narayan, Member	Managing Director

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of eth Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed to the Directors' Report and also uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

S. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2017-2018	25.09.2018 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2018-2019	20.09.2019 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3	2019-2020	30.12.2020 1400 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.

8. Disclosures

a) There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c) There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d) The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.3.2021 is Rs. 1499.40 Crore. The Corporation received Rs. 55.40 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the

मंत्रालय ने 1 फरवरी 2020 पश्चात् अभी तक स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की नियुक्त/विस्तार नहीं किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 28.07.2020 को हुई थी। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पांडे, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा–शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें।

5.1 सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन–देन नहीं किया गया।

5.2 वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश में निदेशकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है एवं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में उपयुक्त रूप से जोखिम आकलन को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, ढाचे को लघुतम करने, व्यवसाय के साथ समेकित एवं संरेखित करने हेतु जोखिम प्रबंधन को एन.बी.सी. एफ.डी.सी.के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती है। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2017-2018	25.09.2018 1100 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए–विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली–110001
2	2018-2019	20.09.2019 1130 बजे	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए–विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली–110001
3	2019-2020	20.12.2020 1400 hours	विडियो कांफ्रेसिंग माध्यम, निगम के पंजीकृत कार्यालय

8. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा होता हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2021 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1499.40 करोड़ है। संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. 55.40 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000/– प्रत्येक के 14,99,399 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000/– मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता

paid up capital received from Govt. of India, 14,99,399 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-
(Rajnish Kumar Jenaw)	**(Dr. S. S. Acharya)**
Managing Director	Director
(DIN No. 09056584)	(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 28.07.2021

मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट i.e. **www.nbcfdc.gov.in** पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य–निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय–समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय–समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/–	ह0/–
(रजनीश कुमार जैनव)	**(डॉ. एस. एस. आचार्य)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डिन सं. 09056584)	(डिन सं. 06727939)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 - 9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2021, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the abovementioned DPE Guidelines, except the following provisions:

1. As per DPE guidelines, at least one-third of the Board Members should be Independent Directors. However, there is no Independent Directors on the Board since 01.02.2020.
2. The time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, on perusal of records of the Company, we observed that the time gap between Board Meetings dated 29.07.2020 and 24.12.2020 is exceeding 3 (three) months.
3. The Audit Committee shall have two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. The Chairman of the Audit Committee shall be an Independent Director. However, on perusal of records of the Company, we observed that there is no Independent Directors on the Board since 01.02.2020.
4. Time gap between two Audit Committee Meetings shall not be more than four months. However, on perusal of records of the Company, we observed that the time gap between Audit Committee Meetings dated 29.07.2020 and 24.12.2020 is exceeding 4 (Four) months.
5. Each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of at least three Directors, all of whom should be part-time Directors (i.e Nominee Directors or Independent Directors). The Committee should be headed by an Independent Director. However, the Remuneration Committee comprises only Two Directors and there is no Independent Directors on the Board since 01.02.2020.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Parul Jain
Proprietor
CP No. 13901
M.No. F8323

Place: Ghaziabad
Date: 23.07.2021

VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 - 9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण–पत्र

सदस्यगण
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी)
नई दिल्ली।

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा–निर्देशों और इसके आगे संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005–जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में ग्राह्य उक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यय करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि निगम द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित समस्त दशाओं का अनुपालन किया गया है; निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर:

1. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। तथापि, 01.02.2020 से बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि बोर्ड की बैठकों दिनांक 29.07.2020 एवं 24.12.2020 के बीच का समय 3 (तीन) महिने से अधिक है।
3. अंकेक्षण समिति में दो–तिहाई अंकेक्षण समिति के सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर, हमने पाया कि 01.02.2020 से बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
4. लेखापरीक्षा समिति की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल चार महीने से अधिक नहीं होगा। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर, हमने पाया कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.07.2020 एवं 24.12.2020 के बीच का समय अंतराल 4 (चार) महीने से अधिक है।
5. प्रत्येक सीपीएसई एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक (अर्थात नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि, पारिश्रमिक समिति में केवल दो निदेशक शामिल हैं और 01.02.2020 से बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

आगे हम यह व्यक्त करते है कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए ना तो भविष्य की व्यवहारिकता के रूप मे आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव

ह0/–
पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323

स्थान: गाज़ियाबाद
दिनांक: 23.07.2021

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

गोपनीय

No. : AMG-2/4-15/PSU/NBCFDC/2021-22/606 Dated : 25.10.2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,
5वीं मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110 016

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

प्रवीति सक्सेना

संलग्नः यथोपरि

उप निदेशक (ए.एम.जी.–2)

Ph.: 91-11-23702254
Fax: 91-11-23702271
DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : pdahwrd@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्याः एएमजी–2/4-15/पीएसयू/एन.बी.सी.एफ.डी.सी./2021-22/606 दिनांकः 25.10.2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,
5वीं मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली –110 016

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

प्रवीन सक्सेना

उप निदेशक (ए.एम.जी.–2)

संलग्नः यथोपरि

Ph.: 91-11-23702254
Fax: 91-11-23702271

DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : pdahwrd@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021.

The preparation of financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28th July, 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)** for the year ended 31 March, 2021. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment or supplement to statutory auditor's report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Ashok Sinha)
Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)

Place: New Delhi
Dated: 25.10.2021

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सावंधिक लेखा परीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपार्ट दिनांक 28 जुलाई, 2021 के द्वारा की गई है।

मैंने, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)** का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों की पहुंच के बिना की गई है एवं सांवधिक लेखा परीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी/अनुपुरक टिप्पणी की जाय।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.10.2021

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone IND AS financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2021**, the Statement of Income and Expenditure, statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by **the Companies Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2021**, its **profit/surplus** and cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the separate Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (''एक कंपनी'') के अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य, उसी समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की स्थिति के में 31 मार्च, 2021 की एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार विभिन्न भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत के आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होता है

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व–इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने एवं धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी/त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी प्रबंधन का दायित्व है कि चिंता के विषय को सतत् रखने की क्षमता का आकलन करने, खुलासा करने, प्रकटन करने, जैसा भी लागू हो, लेखाकरण से संबंधित मामलों में चिंता के विषय को सतत् बनाए रखने जब–तक कि प्रबंधन कंपनी के पास कम्पनी को समाप्त करने अथवा कार्यों को रोकने या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भीः

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानों के चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों की पहचान और आकलन किया है उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और उन जोखिमों के जिम्मेदार लेखापरीक्षा प्रक्रिया को किया है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय के लिए एक आधार

detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2016** ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1.As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखेबाजी के कारण भौतिक गलत बयानबाजी का परिणाम त्रुटि का पता नहीं लगने के परिणाम से उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत जालसाजी जानबूझकर चूक गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं, लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदल हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सततता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुतिकरण करते हैं।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में प्रभारित किया गया है और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां सम्मिलित हैं जिनकी अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं हम संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

(d) In our opinion, the aforesaid standalone Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

(f) With respect to the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the **Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014**, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B**, our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Rajesh Wadehra
Partner
M.No : 087808
UDIN : 21087808AAAAAV3109

Place: New Delhi
Date: 28/07/2021

क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन–पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक–मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में, अनुलग्नक–'क' पर हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

छ) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः–

i) कंपनी के पास मुकदमेबाजी का कोई भी लंबित मामला नहीं है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर होगा।

ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

iii) विलंब से संबंधित उपनियम के सम्बंध में कम्पनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन एण्ड फण्ड अंतरित धनराशि अंतरित करने, वांछित यदि कोई हो, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा (8) की कंपनी होने के कारण लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक–ख के रूप में संलग्न है।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0/–
सी.ए. राजेश वडेरा
पार्टनर
सदस्य सं.: 087808
यू.डी.आई.एन. 21087808AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Backward Classes Finance And Development Corporation** ("the Corporation") as of **March 31, 2021** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my/our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय विवरणी पर समसख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा–143 की उप–धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडंस नोट में वर्णित (दिशा निर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और

financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Rajesh Wadehra
Partner
M.No : 087808
UDIN : 21087808AAAAAV3109

Place: New Delhi
Date: 28/07/2021

प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन—देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन—देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ—गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया को क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में सभी मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0 / —
सी.ए. राजेश वडेरा
पार्टनर
सदस्य सं.: 087808
यू.डी.आई.एन. 21087808AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2021

Report on direction issued under section 143(5)of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

With reference letter No. AMG-II/4-13/PSU Appt. of Int. Auditor/2020-21/621 dated 29.01.2021 of the office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development), Indraprastha Estate, New Delhi-110002.

S.No.	Directions	Reply
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of the accounting transactions outside IT system on the integrity of ther accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, all accounting transactions are being made through IT System i.e. the tally/customized software except Management Information System Report
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No borrowing was made during the year, hence, not applicable to the Corporation.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, the funds received for the specific schemes Central/State agencies were properly accounted as per terms and there is no case of deviation.

For MAP & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No : 004143C

Sd/-
CA Rajesh Wadehra
Partner
M.No : 087808
UDIN : 21087808AAAAAV3109

Place: New Delhi
Date: 28/07/2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान, निदेशक लेखा परीक्षक (स्वास्थ्य, कल्याण और ग्रामीण विकास), इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110002 के पत्र सं. एएमजी–।।/4–13/पीएसयू आ.ले.प.नियु./2020–21/621 दिनांक 29.01.2021 के संदर्भ में।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं।	हाँ, समस्त लेखाकरण लेन–देन आई.टी. तंत्र अर्थात टैली/प्रबंध सूचना तंत्र रिपोर्ट के अतिरिक्त कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ माफी के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	वर्ष के दौरान किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया गया अतः निगम के लिए लागू नहीं है।
3.	क्या केंद्र /राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को उसकी सेवा और शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से आगणन किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि को शर्तों के अनुसार उपयुक्त रूप से आगणन किया गया और विचलन का कोई मामला नहीं है।

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 004143सी

ह0/–
सी.ए. राजेश वडेरा
पार्टनर
सदस्य सं.: 087808
यू.डी.आई.एन. 21087808AAAAAV3109

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2021

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	97.38	46.39
	(b) Other intangible assets	4	16.83	10.50
	(i) Intangible asset under development		3.54	-
	(c) Right of Use Assets	3.1	39.36	39.95
	(d) Financial assets			
	(i) Loans	6	1,45,729.94	1,34,009.66
	(ii) Others	7	633.83	649.08
	(e) Other non-current assets	8	86.43	70.87
			1,46,607.31	**1,34,826.45**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Trade Receivable/Debtors	5	2.97	7.14
	(ii) Cash and cash equivalents	9	4,117.36	2,514.01
	(iii) Grant Fund	9 (a)	6,124.70	4,664.46
	(iv) Bank balances other than (i) above	10	-	-
	(v) Loans	6	51,352.51	55,829.61
	(vi) Others	7	2,042.85	2,377.27
	(b) Current tax asset (Net)	11	28.10	55.71
	(c) Other current assets	8	14.32	56.12
			63,682.81	**65,504.32**
	Total Assets		**2,10,290.12**	**2,00,330.77**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	12	1,49,940.00	1,44,400.00
	(b) Other equity	13	53,690.03	50,345.04
			2,03,630.03	**1,94,745.04**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	Financial Liability			
	(a) Provisions	14	8.80	6.83
			8.80	**6.83**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Others	15	6,208.92	5,099.14
	- Total outstanding dues of Grants & Creditors other than micro enterprises and small enterprises			
	- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		4.47	1.92
	(b) Other Current Liabilities	16	76.36	87.19
	(c) Provisions	14	361.54	390.65
			6,651.29	**5,578.90**
	Total Equity and Liabilities		**2,10,290.12**	**2,00,330.77**
III.	**See accompanying notes to the financial statements**			

As per our Report of even date attached

For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Partner: Rajesh Wadehra
M. No. 087808
UDIN : 210 87 808 AAAAAV3109
Place : New Delhi
Date : July 28, 2021

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M. (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
I.	**परिसंपत्तियाँ**			
1.	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	97.38	46.39
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	16.83	10.50
	(i) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	–	–	–
	(ग) सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार	3.1	3.54	39.95
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	39.36	–
	(i) ऋण	6	145,729.94	134,009.66
	(ii) अन्य	7	633.83	649.08
	(ङ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	86.43	70.87
			146,607.31	**134,826.45**
2.	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) प्राप्य व्यवसाय/देनदार	5	2.97	7.14
	(ii) नकद एवं नकदी समकक्ष	9	4,117.36	2,514.01
	(iii) अनुदान निधि	9(a)	6,124.70	4,664.46
	(iv) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त बैंक अवशेष	10	–	–
	(v) ऋण	6	51,352.51	55,829.61
	(vi) अन्य	7	2,042.85	2,377.27
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	28.10	55.71
	(ग) अन्य वर्तमान देएताएं	8	14.32	56.12
			63,682.81	**65,504.32**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**210,290.12**	**200,330.77**
II.	**इक्विटी व देएताएं**			
1.	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	149,940.00	144,400.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	53,690.03	50,345.04
			203,630.03	**194,745.04**
2.	**देएताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) प्रावधान	14	8.80	6.83
			8.80	**6.83**
(ii)	वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देएताएं			
	(i) अन्य			
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अनुदानों एवं उधारदाताओं के देय कुल बकाया		6,208.92	5,099.14
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल देय बकाया	15	4.47	1.92
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	4.47	1.92
	(ग) प्रावधान	14	361.54	390.65
			6,651.29	**5,578.90**
	कुल इक्विटी व देएताएं		**210,290.12**	**200,330.77**
III.	वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियाँ देखें			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
अजित कुमार सामल
महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0/–
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/–
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0/–
भागीदारः राजेश वडेरा
सदस्य सं. 087808
यू.डी.आई.एन. : 210 87 808 AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 28, 2021

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Income & Expenditure Statement for year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
I.	Revenue from operations	17	5,560.73	4,749.49
II	Other Income	18	233.60	272.40
III	**Total Revenue (I+II)**		**5,794.33**	**5,021.89**
IV	**Expenses**			
	Allowance for Loans & advances	19		
	Penal Interest waived off and others	20	37.16	79.21
	Employee Benefit Expense	21	1,210.91	1,040.69
	Depreciation and Amortization Expense	22	35.77	25.70
	Training & Development Expenses	23	602.71	774.61
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	11.41	12.05
	Other Expenses	25	357.44	399.40
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	136.43	112.63
	Total Expenses (IV)		**2,391.83**	**2,444.29**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		3,402.50	2,577.60
VI	Exceptional Items	27	(21.80)	(12.75)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		3,424.30	2,590.35
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		3,424.30	2,590.35
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		3,424.30	2,590.35
XIV	**Other Comprehensive Income / (Expenses)**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	(3.05)	(16.24)
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		3,421.25	2,574.11
XVI	**Earning Per Equity share:**			
	(1) Basic (₹)	29	23.06	18.80
	(2) Diluted (₹)		23.01	18.70
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (₹)		-	-
	(2) Diluted (₹)		-	-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (₹)	29	23.06	18.80
	(2) Diluted (₹)		23.01	18.70
XIX	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached

For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Partner: Rajesh Wadehra
M. No. 087808
UDIN : 210 87 808 AAAAAV3109
Place : New Delhi
Date : July 28, 2021

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M. (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	17	5,560.73	4,749.49
II	अन्य आय	18	233.60	272.40
III	**कुल व्यय (I+II)**		**5,794.33**	**5,021.89**
IV	**व्यय**			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति	19		
	माफ किया गया दण्ड ब्याज माफ एवं अन्य	20	37.16	79.21
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,210.91	1,040.69
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	35.77	25.70
	प्रशिक्षण और विकास व्यय	23	602.71	774.61
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रिमों पर छूट	24	11.41	12.05
	अन्य खर्चे	25	357.44	399.40
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	28	136.43	112.63
	कुल व्यय (IV)		**2,391.83**	**2,444.29**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)**		**3,402.50**	**2,577.60**
VI	असाधारण मदें	27	(21.80)	(12.75)
VII	**कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)**		3,424.30	2,590.35
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**3,424.30**	**2,590.35**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		-	-
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य (X – XI)		-	-
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**3,424.30**	**2,590.35**
XIV	**अन्य व्यापक आय / (व्यय)**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	26	(3.05)	(16.24)
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते के लिए पुनर्परिभाषित नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**अवधि में कुल व्यापक आय (XIII- XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं अन्य समग्र आय से निर्मित)**		**3,421.25**	**2,574.11**
XVI	**प्रति साम्य अंश अर्जन:**			
	(1) मूलभूत (₹)	29	23.06	18.80
	(2) तनुकृत (₹)		23.01	18.70
XVII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद संचालन एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तनुकृत (₹)		-	-
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद संचालन एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	29	23.06	18.80
	(2) तनुकृत (₹)		23.01	18.70
XIX	वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0 / –
अजित कुमार सामल
महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0 / –
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 / –
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

ह0 / –
भागीदारः राजेश वडेरा
सदस्य सं. 087808
यू.डी.आई.एन. : 210 87 808 AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 28, 2021

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2021		For the Year ended March 31, 2020	
A. Cash flow from Operating Activities				
Net Profit before Extraordinary Items and Tax		3,402.50		2,577.60
Adjustments for :				
Exceptional Items	21.80		12.75	
Depreciation & Amortization	35.77		25.70	
Other Comprehensive Income/(Expense)	(3.05)		(16.24)	
Adjustment for General Reserve	(76.26)			
		(21.74)		22.21
Operating Profit Before Working Capital Changes		**3,380.76**		**2,599.81**
Changes in working capital:				
Decrease / (Increase) in Current Trade receivable	4.17		(7.14)	
Decrease / (Increase) in Non-Current loans	(11,720.28)		(13,585.78)	
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets	15.25		(122.57)	
Decrease / (Increase) in Current loans	4,477.10		(7,275.96)	
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others	334.42		1,309.89	
Decrease / (Increase) in other non current assets	(15.56)		9.59	
Decrease / (Increase) in current tax assets	27.61		(2.23)	
Decrease / (Increase) in other current assets	41.80		6.53	
(Decrease) / Increase in other current financial liability	1,112.33		1,179.57	
(Decrease) / Increase in other current liability	(10.83)		(26.01)	
(Decrease)/ Increase in non current Financial Liability	1.97		(28.14)	
Changes in Other Bank Balances				
(Decrease)/ Increase in Current provisions	(29.10)	(5,761.12)	190.13	(18,352.12)
Cash generated from operations		**(2,380.37)**		**(15,752.31)**
Net Income Tax (Paid) net of Refunds		-		-
Net Cash Flow from / (used in) Operating Activities (A)		**(2,380.37)**		**(15,752.31)**
B. Cash Flow from Investing Activities				
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	0.35		1.01	
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(96.39)		(8.42)	
		(96.04)	-	(7.41)
Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)		**(96.04)**		**(7.41)**
C. Cash Flow from Financing Activities				
Issue of Share Capital	5,540.00		13,000.00	
Adjustment in Other Equity				
Increase in share application money pending allotment				
Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities (C)		**5,540.00**		**13,000.00**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		**3,063.59**		**(2,759.71)**
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 9&9.1)		7,178.47		9,938.18
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year		**10,242.06**		**7,178.47**

Components of Cash & Cash Equivalents as at the end of the year: (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2021	For the Year ended March 31, 2020
Cash - in - hand	-	-
Saving Bank Accounts	4,117.36	2,514.01
Other Bank Balance (Grant Funds)-Saving Bank	6,124.70	4,664.46
Share Application Money Pending allotment	-	-
Cash & Bank Balances	**10,242.06**	**7,178.47**
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Cash Equivalent at the end of the year	**10,242.06**	**7,178.47**

Notes:

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2. Amendment to Ind-As 7

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached

For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

For and on behalf of the Board of Directors
National Backward Classes Finance and Development Corporation

Sd/-
Partner: Rajesh Wadehra
M. No. 087808
UDIN : 210 87 808 AAAAAV3109
Place : New Delhi
Date : July 28, 2021

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M. (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ		3,402.50		2,577.60
समायोजन हेतु :				
असाधारण मदें	21.80		12.75	
अवमूल्यन और परिशोधन	35.77		25.70	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(3.05)		(16.24)	
सामान्य आरक्षित समायोजन के लिए	(76.26)			
		(21.74)		22.21
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**3,380.76**		**2,599.81**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :				
वर्तमान व्यवसायिक प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	4.17		(7.14)	
गैर–वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)	(11,720.28)		(13,585.78)	
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	15.25		(122.57)	
वर्तमान ऋण में कमी/(वृद्धि)	4,477.10		(7,275.96)	
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	334.42		1,309.89	
अन्य गैर.वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(15.56)		9.59	
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	27.61		(2.23)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	41.80		6.53	
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी)/(वृद्धि)	1,112.33		1,179.57	
अन्य वर्तमान देयताएं में (कमी)/(वृद्धि)	(10.83)		(26.01)	
गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी)/(वृद्धि)	1.97		(28.14)	
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन				
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/(वृद्धि)	(29.10)	(5,761.12)	190.13	(18,352.12)
संचालन से सृजित नकदी		**(2,380.37)**		**(15,752.31)**
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया) शुद्ध वापसी		-		-
परिचालन गतिविधियाँ (ए) /(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		**(2,380.37)**		**(15,752.31)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों की बिक्री/निपटान	0.35		1.01	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों की खरीद	(96.39)		(8.42)	
		(96.04)	-	(7.41)
निवेश कार्यकलापों (बी) शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)		**(96.04)**		**(7.41)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी का निर्गम	5,540.00		13,000.00	
अन्य इक्विटी में समायोजन				
अंश अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन में वृद्धि				
वित्तीय कार्यकलापों (सी) से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)		**5,540.00**		**13,000.00**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध बढ़ोतरी/(कमी) (क+ख+ग)		**3,063.59**		**(2,759.71)**
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष (टिप्पणीः – 9 और 9.1 देखे)		7,178.47		9,938.18
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष		**10,242.06**		**7,178.47**

वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष के घटक : (₹ in Lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पास में नकदी	-	-
बचत खातों में	4,117.36	2,514.01
अन्य बैंक अवशेष(अनुदान निधि)–बचत खाता	6,124.70	4,664.46
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
नकद एवं बैंक अवशेष	**10,242.06**	**7,178.47**
घटाएं: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियां		
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	**10,242.06**	**7,178.47**

टिप्पणियाँ

1. **इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक–7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।**
2. **भारतीय लेखाकरण मानक–7 में संशोधन** को 1 अप्रैल, 2017 से अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण कार्यकलापो से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक शेष और अंतःशेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता है।संशोधन की ग्राह्यता का कोई भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0/–
भागीदारः राजेश वडेरा
सदस्य सं. 087808
यू.डी.आई.एन. : 210 87 808 AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 28, 2021

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
अजित कुमार सामल
महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0/–
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/–
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March , 2021

A. Equity share capital (₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	14,440,000.00	144,400.00
Issue of equity shares capital during the year	554,000.00	5,540.00
Balance at the end of the year	**14,994,000.00**	**149,940.00**

B. Other Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Reserve		Retained Earnings	Total
		Special	General		
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00	47,844.04	-	50,344.04
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy (Refer note no. 36).	-	-	1.00	-	1.00
- Adjustment of depreciation	-	-	(76.26)	-	(76.26)
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**2,500.00**	**47,768.78**	**-**	**50,268.78**
Profit for the year	-	-	-	3,424.30	**3,424.30**
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	(3.05)	(3.05)
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**3,421.25**	**3,421.25**
Transfer to general reserve	-	-	3,421.25	(3,421.25)	-
Others				-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-
- Addition During The Year	5,540.00				
- Share Capital issued during the year	(5,540.00)				
Balance at the end of the year	**-**	**2,500.00**	**51,190.03**	**-**	**53,690.03**

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2020

A. Equity share capital (₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at April 1, 2019	1,31,40,000.00	1,31,400.00
Issue of equity shares capital during the year	13,00,000.00	13,000.00
Balance at March 31, 2020	**1,44,40,000.00**	**1,44,400.00**

B. Other Equity

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00	45,270.81	-	47,770.81
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-	(24.03)	-	(24.03)
Adjustment of Depreciation			24.15		24.15
Restated balance at the beginning of the year	-	**2,500.00**	**45,270.93**	-	**47,770.93**
Profit for the year restated	-	-	-	2,590.35	**2,590.35**
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	(16.24)	(16.24)
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**2,574.11**	**2,574.11**
Others					-
- Adjustment of depreciation	-			-	-
Transfer to General Reserve	-	-	2,574.11	(2,574.11)	-
Addition During The Year	13,000.00				
Share Capital issued during the year	(13,000.00)				
Balance at the end of the year	**-**	**2,500.00**	**47,845.04**	**-**	**50,345.04**

As per our Report of even date attached

For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Partner: Rajesh Wadehra
M. No. 087808
UDIN : 210 87 808 AAAAAV3109
Place : New Delhi
Date : July 28, 2021

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M. (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूँजी (₹ लाख में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	14,440,000.00	144,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	554,000.00	5,540.00
वर्ष के अंत में अवशेष	**14,994,000.00**	**149,940.00**

ख. अन्य साम्य (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	आरक्षित – विशेष	आरक्षित – सामान्य	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	2,500.00	47,844.04	-	50,344.04
पूर्वावधि समायोजन / लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखे)	-	-	1.00	-	1.00
– मूल्यह्रास का अवमूल्यन	-	-	(76.26)	-	(76.26)
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	-	**2,500.00**	**47,768.78**	-	**50,268.78**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	3,424.30	**3,424.30**
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	-	(3.05)	(3.05)
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	-	**3,421.25**	**3,421.25**
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-	3,421.25	(3,421.25)	-
अन्य				-	-
– अवमूल्यन का समायोजन	-	-	-	-	-
– वर्ष के दौरान जुड़ा	5,540.00				
– वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(5,540.00)				
वर्ष के अंत में अवशेष	-	**2,500.00**	**51,190.03**	-	**53,690.03**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूँजी (₹ लाख में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2019 को अवशेष	1,31,40,000.00	1,31,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	13,00,000.00	13,000.00
31 मार्च, 2020 को अवशेष	**1,44,40,000.00**	**1,44,400.00**

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	2,500.00	45,270.81	-	47,770.81
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखे)	-	-	(24.03)	-	(24.03)
मूल्यह्रास का समायोजन			24.15		24.15
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	-	**2,500.00**	**45,270.93**	-	**47,770.93**
पुर्नवर्णित वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,590.35	**2,590.35**
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	-	(16.24)	(16.24)
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	-	**2,574.11**	**2,574.11**
अन्य					-
- मूल्यह्रास का समायोजन	-			-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-	2,574.11	(2,574.11)	-
वर्ष के दौरान जोड़े	13,000.00				
वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(13,000.00)				
वर्ष के अंत में अवशेष	-	**2,500.00**	**47,845.04**	-	**50,345.04**

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

ह0 / –
भागीदारः राजेश वडेरा
सदस्य सं. 087808
यू.डी.आई.एन. : 210 87 808 AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 28, 2021

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0 / –
अजित कुमार सामल
महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0 / –
डॉ0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0 / –
रजनीश कुमार जैनव
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 09056584)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)
(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

NOTES TO ACCOUNTS

Note :- 1 Corporate Information

National Backward Classes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Note :- 2 Accounting Policies

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2021 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018."

b) Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(b) Certain financial assets and liabilities

c) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby excess of income over expenditures before exceptional items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा निर्दिष्ट स्थान भारत है, की स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं उनके समूहों में अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्मीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीड्डत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में स्थित है।

टिप्पणी 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 एवं 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है:

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

(ख) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपए में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ङ) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन–देन की नकदी रहित प्रड्डति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities , including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) Revenue recognition

a) Corporation recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind As-115 :-.

(i) Identify contracts with a customer :- A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.

(ii) Identify performance obligations in the contract : A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.

(iii) Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.

(iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract : For a contract that has more than one performance obligation , the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

(v) Recognise revenue when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

II Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

निगम ने भारतीय लेखा मानक–7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन–पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतः शेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ–साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्यय विवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन–पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक–115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता हैः

(i) **एक ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचानः** एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) **अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचानः** अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तानांतरण का एक वादा है।

(iii) **लेन–देन की कीमत का निर्धारणः** लेन–देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

(iv) **अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करनाः** एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन–देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।

(v) **मान्य राजस्वः** निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है तो एक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

II राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर–वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

ख) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ग) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना–वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collectability is uncertain.

f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.

g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method"

i) Revenue Grant from Government

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.

* Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.

- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j) Corporate Social Responsibility (CSR) expenses, as per company act, 2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k) Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company."

l) Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- AS 8

m) Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

ङ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक–18 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इस की वसूली अनिश्चित है।

च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) अन्य राजस्व मान्यता

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय–व्यय विवरणी में संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज को वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।
- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान प्राप्त हुई है, की आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व(सीएसआर) व्यय एवं अन्य अनुदान को आय एवं व्यय के विवरण में रिपोर्टिंग के लिए वितरण के आधार पर माना गया है।

ट) आय कर

आय कर निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) भारतीय लेखाकरण मानक–8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता है।

ड) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित ह्रास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते हैः

i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।

ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Fixture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period

On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

n) Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o) Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल–पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण के एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य ह्रास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

ह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

वर्ष के दौरान ली गई/निस्तारण की गई मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो–रेटा आधार पर ली गई/निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

ढ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए प्रवाह करेंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में बराबर अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तोपरिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ण) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक–109 अपेक्षा करता है।

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p) Employee Benefits

a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q) Earnings per Share

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event.

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

यदि अनुबंध परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्रेडिट जोखिम पर इसकी आरंभिक मान्यता से काफी अधिक खर्च हुआ है, इसकी प्रारंभिक पहचान सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीनों की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि या ईसीएल के जीवन समय के बराबर की राशि पर मापा जाना चाहिए।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुत्क्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी के आय/व्यय के रूप में अवधि के दौरान माना गया है।

(ii) गैर–वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में लिया जाता है।

त) कर्मचारी लाभ

(i) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

(ii) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और रूपांतरित अवकाश) खाते मे प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

(iii) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

(iv) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

(v) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

(vi) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

(vii) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) प्रति अंश आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके की गई है। गैर–मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जबकि

i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व के रूप मे

ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

I. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

Ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

s) Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(I) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:

i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा

ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii) एक संभव दायित्व, जब–तक कि संसाधन का बहिर्गमन की संभाव्यता सुदूर हो

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का बहिर्गमन संभाव्य हो।

ध) वित्तीय उपकरण / साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन–देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

(i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

लिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हो:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों–संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना गया है। तथापि, कंपनी आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

t) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. आदि को पूरा करता है परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नहीं माना है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर माना गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने एफ.वी.टी.पी.एल. पर किसी भी वित्तीय दायित्वों का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

न) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन–देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तोः

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैः

स्तर 1 – समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

u) Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

* expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.
* expected to be realised with in twelve months after the reporting period.
* held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non -current.

A Liability is treated as current when :

* it is expected to be settled in normal operating cycle.
* it is held for the purpose of trading/business.
* it is due to be settled within twelve months after the reporting period. or
* there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

u) LEASE :

The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ–प्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रड्डति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

प) वर्तमान एवं गैर वर्तमान वर्गीकरण

निगम परसिंपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान एवं गैर वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य परसिंपत्तियों के संबंध में, इस वर्तमान के रूप में माना जाता हैः

* सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
* समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।
* प्रमुखतः व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।

अन्य सभी परसिंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जबः

* इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,
* इसे व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,
* इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा
* रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) पट्टा

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुर्नस्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116. the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of Use Assets" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. A lease is no longer enforceable when the lessee and the lessor each have the right to terminate the lease without permission from the other party with no more than an insignificant penalty.

ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

(V) ''MCA had issued the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2021 vide notification dated 18th June 2021.In the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2021, amendments has been made in following standards:-

1. First-time Adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS-101)
2. Share-based Payment (Ind AS-102)
3. Business Combinations (Ind AS-103)
4. Insurance Contracts1 (Ind AS-104)
5. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Ind As-105)
6. Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Ind AS-106)
7. Financial Instruments: Disclosures (Ind AS-107)
8. Financial Instruments (Ind AS-109)
9. Joint Arrangements (Ind AS-111)
10. Regulatory Deferral Accounts (Ind AS-114)

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्रास किया जाता है। संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अनुमानित उपयोगी जीवन उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है। संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन–पत्र शीट में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को एवं संक्षिप्त अवधि के पट्टों के लिए दायित्व जिसकी समयावधि 12 महीने अथवा उससे कम से एवं व्यय मूल्य को परिसंपत्तियों की मान्यता को नहीं चुना है। जब पट्टाधारी एवं पट्टादाता प्रत्येक पट्टे को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना और कम से कम दण्ड के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है, तब पट्टा को आगे लागू नहीं किया जाता है।

ii. पद पट्टेदार के रूम में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नही ंतो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनके प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर–लीज़ घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक–115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टा भुगतान की पहचान करती है।

ब) एम.सी.ए. ने भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचना दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से जारी किया था। भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन नियम, 2021 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किया गया है।

1. भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना (भारतीय लेखाकरण मानक –101)
2. शेयर आधारित भुगतान (भारतीय लेखाकरण मानक –102)
3. व्यापार संयोजन (भारतीय लेखाकरण मानक –103)
4. बीमा अनुबंध 1 (भारतीय लेखाकरण मानक –104)
5. बिक्री एवं बंद परिचालन हेतु धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (भारतीय लेखाकरण मानक–105)
6. खनिज संसाधनों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन (भारतीय लेखाकरण मानक –106)
7. वित्तीय दस्तावेज प्रकटीकरण (भारतीय लेखाकरण मानक –107)
8. वित्तीय लिखत (भारतीय लेखाकरण मानक –109)
9. संयुक्त व्यवस्था (भारतीय लेखाकरण मानक –111)
10. विनियामक आस्थगित खाते (भारतीय लेखाकरण मानक –114)

11. Revenue from Contracts with Customers (Ind AS-115)
12. Leases (Ind AS-116)
13. Presentation of Financial Statements (Ind AS-1)
14. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Ind AS-8)
15. Income Taxes (Ind AS-12)
16. Property, Plant and Equipment (Ind AS-16)
17. Consolidated and Separate Financial Statements (Ind AS-27)
18. Investments in Associates and Joint Ventures (Ind AS-28)
19. Interim Financial Reporting (Ind AS-34)
20. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Ind AS-37)
21. Intangible Assets (Ind AS-38)
22. Investment Property (Ind As-40)

'The effective date of these amendments is annual periods beginning on or after 1st April 2021. The Company is currently evaluating the impact of the amendments and has not yet determined the impact on the financial statements.

11. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (भारतीय लेखाकरण मानक –115)
12. पट्टे (भारतीय लेखाकरण मानक –116)
13. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (भारतीय लेखाकरण मानक –1)
14. लेखांकन नीतियांए लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (भारतीय लेखाकरण मानक –8)
15. आयकर (भारतीय लेखाकरण मानक –12)
16. संपत्तिए संयंत्र और उपकरण (भारतीय लेखाकरण मानक –16)
17. समेकित और पृथक वित्तीय विवरण (भारतीय लेखाकरण मानक –27)
18. एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक –28)
19. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (भारतीय लेखाकरण मानक –34)
20. प्रावधानए आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (भारतीय लेखाकरण मानक –37)
21. अमूर्त संपत्ति (भारतीय लेखाकरण मानक –38)
22. निवेश संपत्ति (भारतीय लेखाकरण मानक –40)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है एवं अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE: 3 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT'S

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost								
At 1 April 2019	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	262.24
Additions during the year	-	-	2.57	-	-	0.15	5.71	8.43
Disposals/Adjustments	-	-	0.96	-	2.44	-	-	3.40
At 31 March 2020	**47.94**	**54.33**	**60.89**	**8.60**	**20.63**	**3.81**	**71.07**	**267.27**
At 1 April 2020	47.94	54.33	60.89	8.60	20.63	3.81	71.07	267.27
Additions during the year	-	45.14	0.32	-	19.07	-	14.16	78.69
Disposals/Adjustments	-	0.01	0.02	-	-	-	0.32	0.35
At 31 March 2021	**47.94**	**99.46**	**61.18**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**84.91**	**345.61**
Depreciation and Impairment								
At 1 April 2019	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	203.15
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.73	3.32	5.65	1.17	1.75	0.06	7.46	20.14
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	0.92	-	1.49	-	-	2.41
At 31 March 2020	**34.19**	**44.56**	**52.29**	**5.96**	**16.27**	**3.48**	**64.13**	**220.88**
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.69	8.54	3.64	0.81	6.01	0.04	7.62	27.35
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
At 31 March 2021	**34.88**	**53.10**	**55.93**	**6.77**	**22.28**	**3.52**	**71.75**	**248.23**
Net book value								
At 31 March 2021	**13.06**	**46.36**	**5.25**	**1.83**	**17.42**	**0.29**	**13.16**	**97.38**
At 31 March 2020	**13.75**	**9.77**	**8.60**	**2.64**	**4.36**	**0.33**	**6.94**	**46.39**

Note :- 3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी – 3 संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (फ्रिहोल्ड)	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडीशनर	ई.पी.ए.बी.एक्स	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	कुल
लागत या मानी गई लागत								
1 अप्रैल, 2019 को	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	262.24
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	2.57	-	-	0.15	5.71	8.43
निपटान/समायोजन	-	-	0.96	-	2.44	-	-	3.40
31 मार्च, 2020 को	**47.94**	**54.33**	**60.89**	**8.60**	**20.63**	**3.81**	**71.07**	**267.27**
1 अप्रैल, 2020 को	47.94	54.33	60.89	8.60	20.63	3.81	71.07	267.27
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	45.14	0.32	-	19.07	-	14.16	78.69
निपटान/समायोजन	-	0.01	0.02	-	-	-	0.32	0.35
31 मार्च, 2021 को	**47.94**	**99.46**	**61.18**	**8.60**	**39.70**	**3.81**	**84.91**	**345.61**
मूल्य ह्रास एवं क्षति								
1 अप्रैल, 2019 को	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	203.15
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.73	3.32	5.65	1.17	1.75	0.06	7.46	20.14
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	0.92	-	1.49	-	-	2.41
31 मार्च, 2020 को	**34.19**	**44.56**	**52.29**	**5.96**	**16.27**	**3.48**	**64.13**	**220.88**
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.69	8.54	3.64	0.81	6.01	0.04	7.62	27.35
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को	**34.88**	**53.10**	**55.93**	**6.77**	**22.28**	**3.52**	**71.75**	**248.23**
शुद्ध अंकित मूल्य								
31 मार्च, 2021 को	**13.06**	**46.36**	**5.25**	**1.83**	**17.42**	**0.29**	**13.16**	**97.38**
31 मार्च, 2020 को	**13.75**	**9.77**	**8.60**	**2.64**	**4.36**	**0.33**	**6.94**	**46.39**

टिप्पणी 3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया गया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE: 3 (i) Right of Use Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings (Mumbai Flat)	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2019	52.66	52.66
Adjustment of Transition of IND AS 116		-
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2020	**52.66**	**52.66**
At 1 April 2020	52.66	52.66
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2021	**52.66**	**52.66**
Depreciation and Impairment		
At 1 April 2019	36.27	36.27
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	0.59
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	24.15	24.15
At 31 March 2020	**12.71**	**12.71**
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment (Refer Note-22)		-
Disposals/Adjustments		-
At 31 March 2021	**13.30**	**13.30**
Net book value		
At 31 March 2021	**39.36**	**39.36**
At 31 March 2020	**39.95**	**39.95**

Note :-3.i Depreciation Amount of ₹ 24.15 lakh is adjusted from opening balance of retained earning as per note 13.3.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी – 3(i) संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (मुम्बई फ्लैट)	योग
लागत या मानी गई लागत		
1 अप्रैल, 2019 को	52.66	52.66
भारतीय लेखाकरण मानकों 116 के परिवर्तन का समायोजन		-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2020 को	**52.66**	**52.66**
1 अप्रैल, 2020 को	52.66	52.66
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2021 को	**52.66**	**52.66**
मूल्य ह्रास एवं क्षति		
31 मार्च, 2019 को	36.27	36.27
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (संदर्भ टिप्पणी–22)	0.59	0.59
क्षति	-	-
निपटान / समायोजन	24.15	24.15
31 मार्च, 2020 को	**12.71**	**12.71**
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार	0.59	0.59
क्षति (संदर्भ टिप्पणी–22)		-
निपटान / समायोजन		-
31 मार्च, 2021 को	**13.30**	**13.30**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च, 2021 को	**39.36**	**39.36**
31 मार्च, 2020 को	**39.95**	**39.95**

टिप्पणी 3.(i) मूल्यह्रास राशि रू. 24.15 लाख का समायोजन आरंभिक अवशेष की प्रतिधारित आय से टिप्पणी 13.03 के अनुसार किया गया है।

NOTE: 4 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under Development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2019	48.78	-	48.78
Addition during the year	-	-	-
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2020	**48.78**	**-**	**48.78**
Addition during the year	14.16	3.54	17.70
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2021	**62.94**	**3.54**	**66.48**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2019	33.28	-	33.28
Amortization during the year (Refer Note-22)	5.00	-	5.00
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2020	**38.28**	**-**	**38.28**
Amortization during the year (Refer Note-22)	7.83	-	7.83
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2021	**46.11**	**-**	**46.11**
Net book value			
As at 31 March 2021	**16.83**	**3.54**	**20.37**
As at 31 March 2020	**10.50**	**-**	**10.50**

टिप्पणी 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकास के लिए अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल
1 अप्रैल, 2019 को लागत अथवा मानी गई लागत	48.78	-	48.78
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन / विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को अंतशेष	**48.78**	**-**	**48.78**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	14.16	3.54	17.70
वर्ष के दौरान समायोजन / विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतशेष	**62.94**	**3.54**	**66.48**
परिशोधन एवं क्षति			
1 अप्रैल, 2019 को आरंभिक अवशेष	33.28	-	33.28
वर्ष के दौरान परिशोधन (संदर्भ टिप्पणी–22)	5.00	-	5.00
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2020 को अंतशेष	**38.28**	**-**	**38.28**
वर्ष के दौरान परिशोधन (संदर्भ टिप्पणी–22)	7.83	-	7.83
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतशेष	**46.11**	**-**	**46.11**
शुद्ध अंकित मूल्य			
31 मार्च, 2021 को	**16.83**	**3.54**	**20.37**
31 मार्च, 2020 को	**10.50**	**-**	**10.50**

NOTE: 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		Total	As at March 31, 2020		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
Considered Good-Secured	-	-	-	-	-	-
Considered Good-UnSecured	-	2.97	2.97	-	7.14	7.14
Significant Increase in Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Less : Allowance for loans & advances	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	2.97	2.97	-	7.14	7.14

NOTE: 6 FINANCIAL ASSETS - LOANS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		Total	As at March 31, 2020		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) General loans	66,459.23	21,622.91	88,082.15	58,692.58	23,559.53	82,252.11
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) General loans	1,281.73	457.83	1,739.56	1,346.14	386.42	1,732.56
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	67,740.96	**22,080.74**	**89,821.71**	**60,038.72**	**23,945.95**	**83,984.67**
Considered Good-UnSecured						
General loans	31,628.27	6,628.09	38,256.36	31,527.83	4,975.84	36,503.66
Significant Increase in Credit Risk						
General loans	-	170.07	170.07	-	323.75	323.75
Less : Allowance for loans & advances #	-	(170.07)	(170.07)	-	(323.75)	(323.75)
Sub Total (1)	**99,369.23**	**28,708.83**	**1,28,078.06**	**91,566.55**	**28,921.79**	**1,20,488.33**

टिप्पणी: 5

प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर–वर्तमान अंश को 'गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है एवं प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के वर्तमान अंश को 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों – ऋण' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		योग	31 मार्च, 2020 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
अच्छे माने गए–सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
अच्छे माने गए–असुरक्षित	-	2.97	2.97	-	7.14	7.14
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि	-	-	-	-	-	-
घटाए: ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस	-	-	-	-	-	-
योग	-	2.97	2.97	-	7.14	7.14

टिप्पणी: 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

विवरण	31 मार्च, 2021 को		योग	31 मार्च, 2020 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सामान्य ऋण						
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
(क) सामान्य ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	66,459.23	21,622.91	88,082.15	58,692.58	23,559.53	82,252.11
(ख) सामान्य ऋण (सामान्य जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	1,281.73	457.83	1,739.56	1,346.14	386.42	1,732.56
	67,740.96	**22,080.74**	**89,821.71**	**60,038.72**	**23,945.95**	**83,984.67**
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
सामान्य ऋण	31,628.27	6,628.09	38,256.36	31,527.83	4,975.84	36,503.66
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि						
सामान्य ऋण	-	170.07	170.07	-	323.75	323.75
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस#	-	(170.07)	(170.07)	-	(323.75)	(323.75)
उप योग (1)	**99,369.23**	**28,708.83**	**1,28,078.06**	**91,566.55**	**28,921.79**	**1,20,488.33**

Particulars	As at March 31, 2021		Total	As at March 31, 2020		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) Micro Finance Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	32,712.14	21,887.01	54,599.15	36,267.81	26,214.68	62,482.49
(b) Micro Finance Loan (Against lien of Fixed Deposit Receipts)	3,111.99	32.40	3,144.39	741.87	48.59	790.46
	35,824.12	**21,919.41**	**57,743.54**	**37,009.68**	**26,263.27**	**63,272.95**
Considered Good-UnSecured						
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	10,430.23	685.95	11,116.18	5,288.29	626.04	5,914.33
Significant Increase in Credit Risk						
Micro Finance Loan	-	22.76	22.76	-	5.83	5.83
Less : Allowance for loans & advances #	-	(22.76)	(22.76)	-	(5.83)	(5.83)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (2)	**46,254.35**	**22,605.37**	**68,859.72**	**42,297.98**	**26,889.31**	**69,187.28**
(3) Loans to Managing Director	-	-	-	-	1.29	1.29
Sub Total (3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.29**	**1.29**
(4) Loans to Employees						
Loans & Interest accrued						
Considered Good-Secured	67.24	10.15	77.39	110.78	13.15	123.93
Considered Good-UnSecured	39.12	28.16	67.28	34.35	4.08	38.43
Sub Total (4)	106.36	38.31	144.66	145.13	17.23	162.37
Grand Total (1+2+3+4)	**1,45,729.94**	**51,352.51**	**1,97,082.45**	**1,34,009.66**	**55,829.61**	**1,89,839.27**

\# Allowance for Loan & Advances to respective State Channel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

Note 6.1 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 6.2 The Corporation has a policy approved by the Board of Directors for refinance of loans to Regional rural banks (RRBs), PSU Banks and Finance Institutions without taking any guarantees. As on 31.03.2021, ₹ 47,629.05 lakh (Previous year 37,473.01 lakh) is outstanding and disclosed as " Unsecured and considered good" as the repayment is regular.

Note 6.3 Out of the total Loans of 1,99,959.10 Lakhs (as at 31.03.2020, 1,91,771. 71 Lakhs), out of which 1,77,409.79 Lakhs (as at 31.03.2020 1,50,947.06 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers

Note No. 6.4 The Utilization Certificates of 8,139.84 Lakhs are pending to be received from borrowing institutions. Out of which 4,609.01 Lakhs (9,360.58 Lakhs as at 31.03.2020) are more than six months old as at year end.

विवरण	31 मार्च, 2021 को		योग	31 मार्च, 2020 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(2) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सूक्ष्म ऋण						
अच्छे माने गए–सुरक्षित						
(क) सूक्ष्म वित्त ऋण (सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)	32,712.14	21,887.01	54,599.15	36,267.81	26,214.68	62,482.49
(ख) सूक्ष्म वित्त ऋण (सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	3,111.99	32.40	3,144.39	741.87	48.59	790.46
	35,824.12	**21,919.41**	**57,743.54**	**37,009.68**	**26,263.27**	**63,272.95**
अच्छे माने गए–असुरक्षित						
सूक्ष्म वित्त ऋण (असुरक्षित अच्छे माने गए)	10,430.23	685.95	11,116.18	5,288.29	626.04	5,914.33
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि						
सूक्ष्म वित्त ऋण	-	22.76	22.76	-	5.83	5.83
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस#	-	(22.76)	(22.76)	-	(5.83)	(5.83)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (2)	**46,254.35**	**22,605.37**	**68,859.72**	**42,297.98**	**26,889.31**	**69,187.28**
(3) प्रबन्ध निदेशक को ऋण	-	-	-	-	1.29	1.29
उप योग (3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.29**	**1.29**
(4) कर्मचारियों को ऋण						
उपार्जित ऋण पर ब्याज						
अच्छे माने गए–सुरक्षित	67.24	10.15	77.39	110.78	13.15	123.93
अच्छे माने गए–असुरक्षित	39.12	28.16	67.28	34.35	4.08	38.43
उप योग (4)	**106.36**	**38.31**	**144.66**	**145.13**	**17.23**	**162.37**
कुल योग (1+2+3+4)	**1,45,729.94**	**51,352.51**	**1,97,082.45**	**1,34,009.66**	**55,829.61**	**1,89,839.27**

संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (रा.चै.ए.)/चैनल सहभागियों के लिए ऋण एवं अग्रिम का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया जाता है।

टिप्पणी 6.1 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसा कि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम के लिए लागू नहीं हैं, इसके कारण निदेशक मण्डल ने कुछ बकाया ऋणों/उस पर ब्याज प्रावधान के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधान के लिए अपने स्वयं के नियम बनाये हैं।

टिप्पणी 6.2 निगम के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोक उद्यम की बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु ऋणों के लिए गारण्टी रहित निदेशक मण्डल से अनुमोदित एक नीति है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 47,629.05 लाख (गत् वर्ष ₹ 37,473.01 लाख) बकाया है और चूंकि भुगतान नियमित है अतः इसे 'असुरक्षित एवं अच्छा माना गया' है।

टिप्पणी 6.3 कुल बकाया ₹ 1,99,959.10 लाख (31.03.2020 को ₹ 1,91,771.71 लाख) में से ₹ 1,77,409.79 लाख (31.03.2020 को ₹ 1,50,947.06 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 6.4 उधार लेने वाले संस्थानों से ₹ 8,139.84 लाख के उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने हैं, जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर ₹ 4,609.01 लाख (31.03.2020 को ₹ 9,360.58 लाख) छः माह से अधिक पुराने हैं।

NOTE: 6.5

As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees as given below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021			As at March 31, 2020		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
House Building Advance	48.20	59.70	107.90	56.25	65.01	121.26
Vehicle Loan	11.49	0.95	12.43	3.45	0.84	4.30
General Purpose Advance	67.59	-	67.59	72.14	-	72.14
Grand Total (1+2+3)	**127.27**	**60.64**	**187.92**	**131.85**	**65.85**	**197.70**

As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

NOTE: 6.6 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

NOTE 6.7 Details of Loan and Advances as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriation	Recovered	Closing Balance
General Loan	1,20,812.09	16,493.17	876.38	(11,483.36)	19,664.10	1,28,248.14
Funded Interest	-	-	-	-	-	-
Micro Finance	69,193.13	30,177.31	1,077.44	11,483.36	17,927.15	68,882.49
Funded Interest	-	-	-	-	-	-
Total	**1,90,005.22**	**46,670.48**	**1,953.82**	-	**37,591.25**	**1,97,130.63**
Loan Due	6,745.14	(1,536.91)		-		5,208.23
Loan Not due (31.03.2021)	1,83,260.08	8,662.33		-		1,91,922.41
Previous year	**1,69,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	-	**38,875.67**	**1,90,005.22**

NOTE 6.7.1 Details of Loan and Advances as on 31.03.2020

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Adjustment/ reapropriation	Recovered	Closing Balance
General Loan	1,11,711.59	25,766.91	354.38	(3,755.83)	20,067.86	1,20,812.09
Funded Interest	-	-	-	-	-	-
Micro Finance	57,337.91	34,650.44	231.58	3,755.83	18,807.81	69,193.13
Funded Interest	-	-	-	-	-	-
Total	**1,69,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	-	**38,875.67**	**1,90,005.22**
Loan Due	10,591.02	(3,845.88)		-		6,745.14
Loan Not due (31.03.2020)	1,58,458.48	24,801.60		-		1,83,260.08
Previous year	**1,51,737.67**	**52,428.51**	**831.91**	**-**	**34,284.82**	**1,69,049.45**

NOTE 6.7.2 Details of Rescheduled Loan & Advances

The Corporation has rescheduled Loans aggregating to 4,558.12 Lakh (Previous year Nil) in respect of following SCA :

Particulars	Goa SC/ST/BC Dev. Corpo.	Kerala BC Dev. Corpo.	Tripura BC Dev. Corpo.
Principal	86.54	2,455.64	2,015.94
Previous Year	-	-	-

टिप्पणी 6.5

भारतीय लेखाकरण मानक – 109 के अनुसार कर्मचारी ऋण और अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर–रियायती ऋण विवरण में मूल और ब्याज दोनों घटक शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	मूल	ब्याज	योग	मूल	ब्याज	योग
गृह निर्माण एडवांस	48.20	59.70	107.90	56.25	65.01	121.26
वाहन ऋण	11.49	0.95	12.43	3.45	0.84	4.30
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	67.59	-	67.59	72.14	-	72.14
कुल	**127.27**	**60.64**	**187.92**	**131.85**	**65.85**	**197.70**

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी 6.6 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया साधारण ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए है

टिप्पणी 6.7 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त्	वापसी	समायोजन/पुर्नगृहित अंत अवशेष	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
सामान्य ऋण	1,20,812.09	16,493.17	876.38	(11,483.36)	19,664.10	1,28,248.14
निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म वित्त	69,193.13	30,177.31	1,077.44	11,483.36	17,927.15	68,882.49
निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
योग	**1,90,005.22**	**46,670.48**	**1,953.82**	-	**37,591.25**	**1,97,130.63**
देय ऋण	6,745.14	(1,536.91)		-		5,208.23
अदेय ऋण (31.03.2021)	1,83,260.08	8,662.33		-		1,91,922.41
गत् वर्ष	**1,69,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	-	**38,875.67**	**1,90,005.22**

टिप्पणी 6.7.1 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त्	वापसी	समायोजन/पुर्नगृहित अंत अवशेष	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
सामान्य ऋण	1,11,711.59	25,766.91	354.38	(3,755.83)	20,067.86	1,20,812.09
निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म वित्त	57,337.91	34,650.44	231.58	3,755.83	18,807.81	69,193.13
निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
योग	**1,69,049.50**	**60,417.35**	**585.96**	-	**38,875.67**	**1,90,005.22**
देय ऋण	10,591.02	(3,845.88)		-		6,745.14
अदेय ऋण (31.03.2020)	1,58,458.48	24,801.60		-		1,83,260.08
गत् वर्ष	**1,51,737.67**	**52,428.51**	**831.91**	**-**	**34,284.82**	**1,69,049.45**

टिप्पणी 6.7.2 पुनर्निर्धारित ऋण और अग्रिम का विवरण

निगम ने निम्नलिखित एस.सी.ए. के संबंध में कुल 4,558.12 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) के ऋणों को पुनर्निर्धारित किया हैः

(₹ लाख में)

विवरण	गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	केरल बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	त्रिपुरा बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
मूल	86.54	2,455.64	2,015.94
गत् वर्ष	-	-	-

Note 6.8 Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2021.

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 20-21	Closing Balance
Loans & Advances-General loan	323.75	-	153.68	170.07
Loans & Advances-Micro finance	5.83	16.93	-	22.76
Total	**329.58**	**16.93**	**153.68**	**192.83**
Previous year	**228.61**	**103.17**	**2.2**	**329.58**

Note 6.9 Allowances on Loan and advances to respective chennal partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33)

Note 7 Other financial assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021			As at March 31, 2020		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) Interest Receivable :						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan	-	1,502.00	1,502.00	-	1,710.61	1,710.61
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
- Interest on Micro Finance		300.81	300.81	-	83.96	83.96
	-	**1,802.81**	**1,802.81**	**-**	**1,794.57**	**1,794.57**
Unsecured, considered good						
Interest on General Loan	-	383.92	383.92	-	390.34	390.34
Interest on Micro Finance	-	4.69	4.69	-	9.40	9.40
	-	**388.61**	**388.61**	**-**	**399.74**	**399.74**
Doubtful						
Interest on General Loan	-	360.15	360.15	-	304.84	304.84
Interest on Micro Finance	-	0.70	0.70	-	3.41	3.41
Penal Interest on General Loan	264.75		264.75	264.75		264.75
Penal Interest on Micro Finance	3.52		3.52	3.56		3.56
	268.27	360.85	629.12	268.31	308.25	576.56
Less : Allowance for loans & advances	(268.27)	(360.85)	(629.12)	(268.31)	(308.25)	(576.56)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	**-**	**1,830.57**	**1,830.57**	**-**	**1,886.06**	**1,886.06**
(2) Interest accrued but not due						
General Loan	608.31	147.72	756.03	649.02	121.19	770.21
Micro Finance		56.21	56.21		30.42	30.42
Sub Total (2)	**608.31**	**203.93**	**812.24**	**649.02**	**151.61**	**800.63**
(3) 'Interest accrued but not due - Saving Bank		8.35	8.35		0.73	0.73
(4) Security Deposits - Unsecured Considered Good	0.47		0.47	0.06	5.61	5.67
(5) Other Receivables						
Amount recoverable/adjustable from employees	16.17		16.17		1.57	1.57
Amount recoverable from parties -considered good - Secured						
Amount recoverable from parties -considered good - Unsecured	8.88		8.88		327.22	327.22
Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk						-
Amount recoverable from parties - Credit impaired						-
Form banks (others)					4.46	4.46
Sub Total (3)	**25.52**	**8.35**	**33.87**	**0.06**	**339.59**	**339.65**
Grand Total (1+2+3)	**633.83**	**2,042.85**	**2,676.68**	**649.08**	**2,377.27**	**3,026.34**

टिप्पणी 6.8 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2020–2021 की अवधि में पीछे से लाए गए/वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
ऋण एवं अग्रिम–सामान्य ऋण	323.75	-	153.68	170.07
ऋण एवं अग्रिम–सूक्ष्म वित्त	5.83	16.93	-	22.76
योग	**329.58**	**16.93**	**153.68**	**192.83**
गत वर्ष	**228.61**	**103.17**	**2.2**	**329.58**

टिप्पणी: 6.9 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है (सन्दर्भ टिप्पणी–33)

टिप्पणी: 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) प्राप्य ब्याज:						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	1,502.00	1,502.00	-	1,710.61	1,710.61
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)		300.81	300.81	-	83.96	83.96
	-	**1,802.81**	**1,802.81**	**-**	**1,794.57**	**1,794.5**
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	383.92	383.92	-	390.34	390.34
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	4.69	4.69	-	9.40	9.40
	-	**388.61**	**388.61**	**-**	**399.74**	**399.74**
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	360.15	360.15	-	304.84	304.84
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	0.70	0.70	-	3.41	3.41
सामान्य ऋण पर दण्ड ब्याज	264.75		264.75	264.75		264.75
सूक्ष्म ऋण पर दण्ड ब्याज	3.52		3.52	3.56		3.56
	268.27	**360.85**	**629.12**	**268.31**	**308.25**	**576.56**
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस	(268.27)	(360.85)	(629.12)	(268.31)	(308.25)	(576.56)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	**-**	**1,830.57**	**1,830.57**	**-**	**1,886.06**	**1,886.06**
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	608.31	147.72	756.03	649.02	121.19	770.21
सूक्ष्म ऋण		56.21	56.21		30.42	30.42
उप योग (2)	**608.31**	**203.93**	**812.24**	**649.02**	**151.61**	**800.63**
(3) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं – बचत बैंक		8.35	8.35		0.73	0.73
(4) सुरक्षित जमा– असुरक्षित अच्छे माने गए	0.47		0.47	0.06	5.61	5.67
(5) अन्य प्राप्य						
कर्मचारियों से प्राप्य धनराशि	16.17		16.17		1.57	1.57
पार्टियों से प्राप्य धनराशि–अच्छे माने गए–सुरक्षित						
पार्टियों से प्राप्य धनराशि–अच्छे माने गए–असुरक्षित	8.88		8.88		327.22	327.22
पार्टियों से प्राप्य धनराशि–क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						-
पार्टियों से प्राप्य धनराशि–उधारी क्षति						-
(6) बैंक से (अन्य)					4.46	4.46
उप योग (3)	**25.52**	**8.35**	**33.87**	**0.06**	**339.59**	**339.65**
कुल योग (1+2+3)	**633.83**	**2,042.85**	**2,676.68**	**649.08**	**2,377.27**	**3,026.34**

Note 7.1 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2021 to 31.03.2021 have not been raised upto 31.03.2021. However, interest for that period amounting to 97.60 Lakhs (94.40 Lakhs as at 31.03.2020) has been included in interest accrued but not due.

Note 7.2 An adjustment of 76.26 Lakh been made towards Interest Accrued but not Due on Education Loan for previous years through retained earnings and 54.60 Lakh for the previous year 2019-20

Note 7.3 Detail of allowance for Interest on Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2021.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 2019-2020	Closing Balance
Penal Interest	268.31		0.04	268.27
Interest on loan - General Loan	304.84	55.31	-	360.15
Interest on loan - Micro Finance	3.41	-	2.71	0.70
Total	**576.56**	**55.31**	**2.75**	**629.12**
Previous Year	**979.16**	-	**402.59**	**576.56**

Note 7.4 Allowances on Loan and advances in respective channel partners is made as per the Corporation policy

Note :- 8 Other current & non current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021			As at March 31, 2020		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Samples	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:14.1)	58.96	-	58.96	17.49	20.54	38.03
Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	21.47	13.56	41.03	34.04	32.02	66.06
Stamps in hand	-	0.01	0.01	-	0.27	0.27
Capital Advances	-	-	-	19.34	-	19.34
IGST cenvat	-	-	-	-	2.99	2.99
Advance Receivable	-	0.45	0.45	-	-	-
Total	**86.43**	**14.32**	**100.75**	**70.87**	**56.12**	**127.00**

Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

टिप्पणी 7.1 वर्ष के दौरान, 16.02.2021 से 31.03.2021 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2021 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, अवधि की 97.60 लाख (31.03.2020 को ₹ 94.40 लाख) की ब्याज धनराशि को उपार्जित ब्याज में सम्मिलित किया गया है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी 7.2 गत् वर्ष के शिक्षा ऋण पर उपर्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं, में प्रतिधारित आय में ₹ 76.26 लाख व गत वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 54.60 लाख का समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 7.3 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान / वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त्	2019–2020 की अवधि में पीछे से लाए गए / वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
दण्ड ब्याज	268.31		0.04	268.27
ऋण पर ब्याज – सामान्य ऋण	304.84	55.31	-	360.15
ऋण पर ब्याज – सूक्ष्म वित्त	3.41	-	2.71	0.70
योग	**576.56**	**55.31**	**2.75**	**629.12**
गत् वर्ष	**979.16**	**-**	**402.59**	**576.56**

टिप्पणी 7.4 गत् वर्ष संबंधित चैनल सहभागियों के ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 8 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		योग	31 मार्च, 2020 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
नमूने	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियाँ (सन्दर्भ टिप्पणी–14.1)	58.96	-	58.96	17.49	20.54	38.03
पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी–8.1 देखें)	21.47	13.56	41.03	34.04	32.02	66.06
उपलब्ध स्टैम्प	-	0.01	0.01	-	0.27	0.27
पूंजी अग्रिम	-	-	-	19.34	-	19.34
आई.जी.एस.टी. सेनवैट	-	-	-	-	2.99	2.99
अग्रिम प्राप्य	-	0.45	0.45	-	-	-
उप योग (1+2+3)	**86.43**	**14.32**	**100.75**	**70.87**	**56.12**	**127.00**

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम या वित्तीय संपत्तियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर के प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

Note 9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand		
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	4,117.36	2,514.01
Total	**4,117.36**	**2,514.01**

Note 9.1 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

Note 9. (a) Cash and cash equivalent-Grant Fund

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
(c) Other Bank Balances (Grant Funds)		
- Saving Account	6,124.70	4,664.46
Total	**6,124.70**	**4,664.46**

Note 9.a Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant (Interest Subvention Scheme VISVAS & other CSR Funds)

Note 10 Bank balances other than cash & cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Term deposits having maturity of 12 months or less	-	-
Total	-	-

Note: 11 Current Tax Asset (Net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Income Tax/TDS Receivable	28.10	55.71
Total	**28.10**	**55.71**

Note: 12 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Authorized share capital (150,00,000 Equity shares of ₹ 1,000/- each) (As at 31st March 2020, 150,00,000 Equity shares of ₹ 1,000/- each)	1,50,000.00	1,50,000.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital (1,49,94,000 Equity shares of ₹ 1,000/- each) (As at 31st March 2020, 1,44,40,000 Equity shares of ₹ 1,000/- each)	1,49,940.00	1,44,400.00
Total	**1,49,940.00**	**1,44,400.00**

टिप्पणी 9 नकद एवं नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा - पास में नकद (ख) बैंक के पास अवशेष - बचत खाते में	4,117.36	2,514.01
योग	**4,117.36**	**2,514.01**

टिप्पणी 9.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी 9.(क) नकद एवं नकदी समकक्ष–अनुदान राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान राशि) - बचत खाता	6,124.70	4,664.46
योग	**6,124.70**	**4,664.46**

टिप्पणी 9.क अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं (विस्वास ब्याज सबवेंशन योजना एवं अन्य सी.एस.आर. राशि) ।

टिप्पणी 10 नकद एवं नकदी समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अवशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
12 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधि जमा आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
योग	-	-

टिप्पणी 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	28.10	55.71
योग	**28.10**	**55.71**

टिप्पणी 12 अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्राधिकृत अंश पूंजी (₹ 1000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2020 को, ₹ 1000/– प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	150,000.00	150,000.00
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी (₹ 1000/– प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2020 को, ₹ 1000/– प्रत्येक के 1,44,40,000 साम्य अंश)	1,49,940.00	144,400.00
कुल	**1,49,940.00**	**144,400.00**

Note: - 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	1,44,40.000.00	1,44,400.00	1,31,40,000.00	1,31,400.00
Add: Shares Issued during the year	5,54,000.00	5,540.00	13,00,000.00	13,000.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**1,49,94,000.00**	**1,49,940.00**	**1,44,40,000.00**	**1,44,400.00**

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹ 1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

Note: - 13 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Special Reserve	2,500.00	2,500.00
General Reserve	51,190.03	47,845.04
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**53,690.03**	**50,345.04**

Note 13.1 Special Reserve

Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Balance as at the beginning of the year	2500.00	2500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Closing Balance	**2,500.00**	**2,500.00**

Note 13.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Balance as at the beginning of the year	47,845.04	45,246.78
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	3,344.99	2,598.26
Closing Balance	**51,190.03**	**47,845.04**

टिप्पणी 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	1,44,40.000.00	1,44,400.00	1,31,40,000.00	1,31,400.00
जोड़ेः वर्ष के दौरान निर्गत अंश	5,54,000.00	5,540.00	13,00,000.00	13,000.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**1,49,94,000.00**	**1,49,940.00**	**1,44,40,000.00**	**1,44,400.00**

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹ 1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

टिप्पणी 13 अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विशेष आरक्षित	2,500.00	2,500.00
सामान्य आरक्षित	51,190.03	47,845.04
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**53,690.03**	**50,345.04**

टिप्पणी 13.1 विशेष आरक्षित

अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2500.00	2500.00
जोड़ेः सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
अंतः अवशेष	**2,500.00**	**2,500.00**

टिप्पणी 13.2 सामान्य आरक्षित

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	47,845.04	45,246.78
जोड़ेः सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में	3,344.99	2,598.26
अंतः अवशेष	**51,190.03**	**47,845.04**

Note 13.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.1)	-	24.15
Add/Less : Other Adjustment (refer Note No.7.2 & Note 3.1 (Right of use Assets)	(76.26)	-
Add/Less : Other adjustment	-	-
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	3,424.30	2,590.35
	3,348.04	**2,614.50**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	(3.05)	(16.24)
Less : Transferred to General Reserve	3,344.99	2,598.26
Closing Balance	-	-

Note 3.1 Depreciation adjustment on Right of Use Assets (Leasehold Property) for 24.15 Lakh is adjusted from Retained Earning FY 2019-20.

Note 13.4 Share application money pending allotment

Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	5,540.00	13,000.00
Less: Shares alloted during the year	(5,540.00)	(13,000.00)
Closing Balance	-	-

Note 13.5 Special Reserve of ₹ 2500 lakhs (₹ 2500 lakhs as at 31.03.2020) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry

Note 13.6 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve

Note 14 Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021			As at March 31, 2020		
	Non-Current	Current	Total	Non-Current	Current	Total
(a) Provision for Retirement Benefits to Employees :-						
- Gratuity	-	-	-	-	-	-
- Leave Benefits	-	-	-	-	-	-
- Medical Scheme	-	-	-	-	-	-
Sub Total (a)	-	-	-	-	-	-
(b) Provision for Performance Related Pay :						
- - Managing Director	-	45.31	45.31	-	67.58	67.58
- - Other Employees	-	243.02	243.02	-	178.68	178.68
Sub Total (b)	-	**288.33**	**288.33**	-	**246.26**	**247.27**
(c) Leave Travel Concession	8.80	17.60	26.40	6.83	9.10	15.93
(d) Performance linked Incentive Grant to Channel Partners	-	55.52	55.52	-	135.29	135.29
(e) House Tax	-	0.09	0.09	-	-	-
Total	**8.80**	**361.54**	**370.34**	**6.83**	**390.65**	**398.48**

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े / घटाएः मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.1 देखें)	-	24.15
जोड़े / घटाएः अन्य समायोजन (सन्दर्भ टिप्पणी 7.2 एवं टिप्पणी 3.1 देखें) (सम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार)	(76.26)	-
जोड़े / घटाएः अन्य समायोजन	-	-
जोड़ेः आय व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	3,424.30	2,590.35
	3,348.04	**2,614.50**
जोड़ेः परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य–व्यापक आय	(3.05)	(16.24)
घटाएः सामान्य आरक्षित को अंतरित	3,344.99	2,598.26
अंतः अवशेष	-	-

टिप्पणी 3.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रतिधारित आय से उपयोगी संपत्ति के अधिकार पर मूल्यह्रास ₹ 24.15 लाख का समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि

अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ेः वर्ष के दौरान प्राप्त	5,540.00	13,000.00
घटाएंः वर्ष के दौरान आवंटित अंश	(5,540.00)	(13,000.00)
अंतः अवशेष	-	-

टिप्पणी 13.5 ₹ 2500 लाख (31.03.2020 को ₹ 2500 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि / भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित सहित कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।

टिप्पणी 13.6 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों का वितरण एवं भविष्य के खर्चो जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इसी प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी 14 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर–वर्तमान	वर्तमान	योग
(क) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान :-						
- उपदान	-	-	-	-	-	-
- अवकाश लाभ	-	-	-	-	-	-
- चिकित्सा योजना	-	-	-	-	-	-
उप योग (क)	-	-	-	-	-	-
(ख) कार्य निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान :-						
- प्रबन्ध निदेशक	-	45.31	45.31	-	67.58	67.58
- अन्य कर्मचारी	-	243.02	243.02	-	178.68	178.68
उप योग (ख)	-	**288.33**	**288.33**	-	**246.26**	**247.27**
(ग) यात्रा अवकाश रियायत	8.80	17.60	26.40	6.83	9.10	15.93
(घ) चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन के संबद्ध में प्रोत्साहन अनुदान	-	55.52	55.52	-	135.29	135.29
(ड.) गृह कर	-	0.09	0.09	-	-	-
योग	**8.80**	**361.54**	**370.34**	**6.83**	**390.65**	**398.48**

Note 14.1 Details of provisions (FY 2020-21)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2020	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2020-2021	Written back during 2020-21	As at 31st March, 2021
Gratuity (refer note no. 8)	(15.11)	(17.91)	-	-	(33.03)
Leave Benefits (refer note no. 8)	(22.91)	(3.03)	-	-	(25.94)
House tax	-	0.09	-	-	0.09
Performance linked incentive	135.29	161.76	227.54	13.99	55.52
Grant to Channel Partners					
Leave Travel Concession	15.93	11.09	0.62	-	26.40
Performance Related Pay	247.27	166.86	122.88	2.92	288.33
Total	**360.45**	**318.86**	**351.03**	**16.91**	**311.38**

Note 14.1 Details of provisions (FY 2019-20)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2019	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2019-2020	Written back during 2019-2020	As at 1st April 2020
Gratuity	35.15	(50.26)	-	-	(15.11)
Leave Benefits (refer note no. 7)	(42.75)	19.83	-	-	(22.91)
House tax	-	-	-	-	-
Performance linked incentive	-	135.29	-	-	135.29
Grant to Channel Partners					
Leave Travel Concession	14.83	2.63	1.53	-	15.93
Performance Related Pay	184.91	125.19	50.27	12.57	247.27
Total	**192.14**	**232.69**	**51.80**	**12.57**	**360.45**

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of 26.40 Lakhs (14.83 Lakhs as at 31.03.2020) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of 166.86 (124.19 Lakhs as at 31.03.2020) has been made on the basis of 'Excellent rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU,which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2020–21)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2020–21 के दौरान उपभोग / भुगतान	वर्ष 2020–21 की अवधि में पीछे से लाए	31 मार्च, 2021 को
उपदान (सन्दर्भ टिप्पणी 8)	(15.11)	(17.91)	-	-	(33.03)
अवकाश लाभ (सन्दर्भ टिप्पणी 8)	(22.91)	(3.03)	-	-	(25.94)
गृह कर	-	0.09	-	-	0.09
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन के संबद्ध में प्रोत्साहन अनुदान	135.29	161.76	227.54	13.99	55.52
यात्रा अवकाश रियायत	15.93	11.09	0.62	-	26.40
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	247.27	166.86	122.88	2.92	288.33
योग	**360.45**	**318.86**	**351.03**	**16.91**	**311.38**

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2019–20)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2019–2020 के दौरान उपभोग / भुगतान	वर्ष 2019–2020 की अवधि में पीछे से लाए	31 मार्च, 2020 को
उपदान	35.15	(50.26)	-	-	(15.11)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(42.75)	19.83	-	-	(22.91)
गृह कर	-	-	-	-	-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	135.29	-	-	135.29
यात्रा अवकाश रियायत	14.83	2.63	1.53	-	15.93
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	184.91	125.19	50.27	12.57	247.27
योग	**192.14**	**232.69**	**51.80**	**12.57**	**360.45**

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश ₹ 26.40 लाख (31.03.2020 को ₹ 14.83 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन ₹ 166.86 लाख (31.03.2020 को ₹ 124.19 लाख) प्रावधान कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा–स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय'' एवं ''निगम'' के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात–खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. सं. 2(14)12–DPE&GL&IV / 14 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध–वेतन अवकाश सेवाकी अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं, तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध–अर्जित अवकाश को साथ–साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान. अवकाश भुगतान) भारतीय लेखाकरण मानक–19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येकपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेज्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित है।

Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary, appointed for the purpose, in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (Ind As) Rule, 2015.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(I) Key Assumption of actuarial				
Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
Discount Rate	6.94%	6.94%	6.70%	6.70%
Salary rise (p.a) *	6%	6%	6%	6%
Expected rate of return on assets	6.94%	6.94%	6.70%	6.70%
Demographic Assumptions				
Employee Turnover	2%	2%	2%	2%
Retirement Age	60 years	60 years	60 years	60 years
* first 7 year 6% & for 1 year after 7 year 12% & for 10 years after that 6%				
(II) Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End				
Defined Benefit Obligation	411.19	316.91	377.41	297.16
Fair Value of Plan Assets	444.21	342.85	392.52	320.07
	(33.03)	(25.94)	(15.11)	(22.91)
Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**(33.03)**	**(25.94)**	**(15.11)**	**(22.91)**
(III) Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End				
Service Cost	17.35	23.34	14.24	20.07
Net Interest Cost	(0.81)	(1.07)	2.87	(2.56)
Past Service Cost	-		-	
Remeasurements	-	31.21		24.76
Administration Expenses	-			
(Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments	-			
Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**16.54**	**53.48**	**17.11**	**42.27**
(IV) Current /Non Current Bifurcation				
Current Benefit Obligation	31.92	29.10	11.16	9.39
Non- Current Benefit Obligation	379.26	287.81	366.25	287.77
(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**411.19**	**316.91**	**377.41**	**297.16**
(V) Actual return on Plan assets				
Interest Income on Plan Assets	26.30		20.83	
Expected Return on Plan Assets	-	21.44		22.41
Remeasurements of Plan assets	(12.12)	1.33	15.76	3.73
Actual Return on Plan Assets	**14.18**	**22.78**	**36.59**	**26.14**

जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय लेखाकरण मानक–19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व बीमांकिक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है।

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एव दीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन–पत्र के साथ–साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
आर्थिक पूर्वानुमान				
छूट दर	6.94%	6.94%	6.70%	6.70%
वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6%	6%	6%	6%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	6.94%	6.94%	6.70%	6.70%
जनांकिकी पूर्वानुमान				
कर्मचारी कारोबार	2%	2%	2%	2%
सेवानिवृत्ति आय	60 years	60 years	60 years	60 years
*पहले 10 वर्षों में 6% एवं 10 वर्षों के बाद 1 वर्ष में 12%				
(II) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	411.19	316.91	377.41	297.16
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	444.21	342.85	392.52	320.07
अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(33.03)	(25.94)	(15.11)	(22.91)
परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर–मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति				
शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**(33.03)**	**(25.94)**	**(15.11)**	**(22.91)**
(III) वर्ष की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत/(आय)				
सेवा लागत	17.35	23.34	14.24	20.07
शुद्ध ब्याज लागत	(0.81)	(1.07)	2.87	(2.56)
पिछली सेवा लागत	-		-	
पुनः मापन	-	31.21		24.76
प्रशासन व्यय	-			
निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि	-			
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषिक लाभ लागत/(आय)	**16.54**	**53.48**	**17.11**	**42.27**
(IV) वर्तमान/गैर–वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	31.92	29.10	11.16	9.39
गैर–वर्तमान लाभ बाध्यता	379.26	287.81	366.25	287.77
तुलन–पत्र में लिए गए (परिसंपत्तियां)/दायित्व	**411.19**	**316.91**	**377.41**	**297.16**
(V) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	26.30		20.83	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	-	21.44		22.41
योजना परिसंपत्तियों का पुनः–मापन	(12.12)	1.33	15.76	3.73
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**14.18**	**22.78**	**36.59**	**26.14**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
	PUC Method		PUC Method	
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End				
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	1.01	-	(15.23)	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	(6.32)	-	25.31	
Effect of Change in demographic assumptions	-	-	-	
Effect of experience adjustments	(2.75)	-	6.68	
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	12.12	-	(15.76)	
Change in asset ceiling	3.05	-	16.23	
Total remeasurements recognized in OCI				
Amount Recognized in OCI	**4.06**	**-**	**1.01**	
(VII) Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period Premeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions		(4.93)		16.21
Effect of Change in demographic assumptions		-		-
Effect of experience adjustments		37.47		12.28
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements		-		-
Return on Plan assets(excluding interest)		(1.33)		(3.73)
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized (gains)/losses		**31.21**		**24.76**
(VIII) Changes in defined Benefit Obligation during the Period				
Defined Benefit Obligations Beginning of period	377.41	297.16	307.48	250.21
Interest cost on DBO	25.49	23.34	23.70	20.06
Current service cost	17.35	20.38	14.24	19.85
Benefit paid (if any)	-	(56.51)	-	(21.47)
Benefit paid by the Insurer (if any)	-	-	-	-
Past Service cost	-	-	-	-
Actuarial (gain)/loss	(9.06)	32.54	31.99	28.50
Defined Benefit Obligation at the end of the period	**411.19**	**316.91**	**377.41**	**297.15**
(IX) Change in Fair Value of Plan Assets during the Period				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	392.52	320.07	272.33	292.96
Interest Income on Plan assets	26.30	21.44	20.83	22.41
Contributions	37.50	-	83.61	1.55
Benefits paid	-	-	-	(0.58)
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(12.12)	1.33	15.76	3.73
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**444.21**	**342.85**	**392.53**	**320.07**
(X) Reconciliation of Balance Sheet Amount				
Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	16.54	53.48	17.11	42.27
Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	3.05		16.24	
Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(37.50)	(56.51)	(83.61)	(22.43)
Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**(33.02)**	**(25.94)**	**(15.11)**	**(22.91)**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक (आय)/हानि में माने गए धनराशि का विश्लेषण	पी.यू.सी.पद्धति		पी.यू.सी.पद्धति	
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	1.01	-	(15.23)	
पुनः–मापन के कारणः				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	(6.32)	-	25.31	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	
व्यय समायोजन का प्रभाव	(2.75)	-	6.68	
निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज के अतिरिक्त)	12.12	-	(15.76)	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन	3.05	-	16.23	
ओ.सी.आई. में माने गए कुल पुनः मापन				
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**4.06**	**-**	**1.01**	
(VII) अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्ति)के पुनः–मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण				
पूर्व मापन के कारण				
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		(4.93)		16.21
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		-		-
किए गए समायोजन का प्रभाव		37.47		12.28
कांट–छांट/निपटान पर (प्राप्ति)/हानि		-		-
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(1.33)		(3.73)
परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
कुल पुनः मापन में(प्राप्ति)/हानि		**31.21**		**24.76**
(VIII) अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	377.41	297.16	307.48	250.21
डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	25.49	23.34	23.70	20.06
वर्तमान सेवा लागत	17.35	20.38	14.24	19.85
भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हो)	-	(56.51)	-	(21.47)
बीमाकर्त्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्राप्त लाभ	-	-	-	-
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(9.06)	32.54	31.99	28.50
अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**411.19**	**316.91**	**377.41**	**297.15**
(IX) अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	392.52	320.07	272.33	292.96
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	26.30	21.44	20.83	22.41
अंशदान	37.50	-	83.61	1.55
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	(0.58)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	(12.12)	1.33	15.76	3.73
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**444.21**	**342.85**	**392.53**	**320.07**
(X) तुलन–पत्र धनराशि का मिलान				
अवधि के आरंभ में, तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	16.54	53.48	17.11	42.27
ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः–मापन	3.05		16.24	
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता अंशदान लाभ	(37.50)	(56.51)	(83.61)	(22.43)
अवधि के अंत में तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	**(33.02)**	**(25.94)**	**(15.11)**	**(22.91)**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
	PUC Method		PUC Method	
(XI) Sensitivity Analysis				
Defined Benefit Obligation-Discount Rate+100 base points	(26.52)	(20.69)	(25.32)	(20.07)
Defined Benefit Obligation-Discount Rate - 100 base points	28.84	22.93	27.52	21.56
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	19.68	23.95	18.31	22.54
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(18.83)	(22.99)	(17.35)	(21.53)
(XI) Expected Cashflows for the Next Ten Years				
Year - 2021	33.01		11.52	-
Year - 2022	12.94		31.61	-
Year - 2023	13.65		12.14	-
Year - 2024	32.69		12.78	-
Year - 2025	59.52		31.24	-
Year - 2026- 2030	336.45		300.87	-

Note 14.6 Estimates of future salary increse considered in acturial valuation taken in to account inflation, seniorty, promotion and other relevent factors.

Note 15 Other financial liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Amount payable/adjustable to SCA	1.59	86.76
Security deposit & retention money (Unsecured Considerd Good)	1.38	7.99
Grant from government/Financial Institutions (including interest of Rs. 323.85 & 402.26 for FY 2019-20 & FY 2020-21 respectively)	6,124.70	4,664.46
Donations	5.24	-
Sub Total (1)	**6,132.91**	**4,759.21**
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro entreprises and small entreprises	76.01	339.93
Total outstanding dues of micro entreprises and small entreprises (refer note - 41)	4.47	1.92
Sub Total (2)	**80.48**	**341.85**
Total	**6,213.39**	**5,101.06**

Note 15.1 Security Deposit includes deposits received from various vendors/ suppliers for services.

Note 15.2 Corporation received various grants/funds from administrative ministry for implementing various scheme of ministry as well as other CPSEs for specific purpose. Corporation has maintained separate account for such funds/grants and it has been shown as liability till the fund is utilized for the purpose it was received. After disbursing the same has been adjusted from the PIA (Project Implementing Agencies) balances.

Note 15.3 During the year an amount of 2353.69 lakhs (previous year 4,274.06 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, 2045.82 lakhs (Previous year 3602.46 lakhs) was released to the training institutions and recognised during the financial year as revenue grant. The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2021 are as under :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
	पी.यू.सी.पद्धति		पी.यू.सी.पद्धति	
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण				
परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर+100 आधार अंक	(26.52)	(20.69)	(25.32)	(20.07)
परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर–100 आधार अंक	28.84	22.93	27.52	21.56
परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर+100 आधार अंक	19.68	23.95	18.31	22.54
परिभाषित लाभ दायित्व–वेतन प्रसार दर–100 आधार अंक	(18.83)	(22.99)	(17.35)	(21.53)
(XII) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष –2021	33.01		11.52	-
वर्ष – 2022	12.94		31.61	-
वर्ष – 2023	13.65		12.14	-
वर्ष – 2024	32.69		12.78	-
वर्ष – 2025	59.52		31.24	-
वर्ष – 2026–2030	336.45		300.87	-

टिप्पणी 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य	1.59	86.76
प्रतिपूर्ति जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	1.38	7.99
सरकार/वित्तीय संस्थानों से अनुदान (वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ब्याज सहित क्रमशः रू. 323.85 लाख और 402.26 लाख)	6,124.70	4,664.46
दान	5.24	-
उप योग (1)	**6,132.91**	**4,759.21**
अन्य देय:		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं का कुल देय बकाया	76.01	339.93
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 41 देखें)	4.47	1.92
उप योग (2)	**80.48**	**341.85**
कुल योग (1+2)	**6,213.39**	**5,101.06**

टिप्पणी 15.1 सुरक्षा जमा में विभिन्न विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जमा सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 15.2 निगम प्रशासनिक मंत्रालय से विभिन्न अनुदान/निधियाँ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त करता है एवं साथ ही साथ अन्य सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त करता है। निगम ने इस प्रकार की निधियों/अनुदान के लिए अलग से खाता तैयार किया है एवं इसे दायित्व के तौर पर दर्शाया गया है, जब तक कि इनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु न कर लिया जाए जिसके लिए ये प्राप्त हुए थे। इनका वितरण करने के उपरांत पी.आई.ए. (परियोजनाओं क्रियान्वयन एजेंसी) अवशेष में समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 15.3 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में ₹ 2353.69 लाख की धनराशि (गत वर्ष ₹ 4274.06 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि में से ₹ 2045.82 लाख (गत् वर्ष ₹ 3602.46 लाख) की अवमुक्ति प्रशिक्षण संस्थानों को की गई थी एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	75.09	13.15	88.24		5.46	5.46	75.09	18.61	93.70	5.55		5.55	69.54	18.61	88.15
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 18-19 (North Eastern Region)	0.00	13.72	13.72		0.74	0.74	0.00	14.46	14.46	-	14.46	14.46	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19	0.00	70.83	70.83		3.83	3.83	0.00	74.66	74.66	-	74.66	74.66	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IV)of 18-19	0.00	68.06	68.06		3.68	3.68	-	71.74	71.74	-	71.74	71.74	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 18-19 (North Eastern Region)	479.68	62.62	542.30		32.46	32.46	479.68	95.08	574.76	161.08	-	161.08	318.60	95.08	413.68
Ministry of SJ&E (Grant-VI)of 18-19	(0.00)	23.89	23.89		1.29	1.29	-0.00	25.18	25.18		25.18	25.18	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VII)of 18-19 (Transgender)	90.00	6.16	96.16		6.07	5.49	90.01	12.23	102.23	8.98	-	8.98	81.02	12.23	93.24
Ministry of SJ&E (Grant-VIIa)of 18-19 (Transgender)	10.00	0.69	10.69		0.57	0.57	10.00	1.26	11.26	2.24		2.24	7.76	1.26	9.02
Ministry of SJ&E (Grant-VIII)of 19-20	1,193.21	53.64	1,246.85		46.23	46.23	1,193.21	99.87	1,293.08	1,193.21	-	1,193.21	0.00	99.87	99.87
Ministry of SJ&E (Grant-IX)of 19-20 (Transgender) -Training	73.99	2.69	76.68	(73.33)	0.96	-72.37	0.66	3.65	4.31		0.66	0.66	1.67	1.98	3.65
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 19-20 (Drug Demand Reduction)	150.00	3.89	153.89		9.92	9.92	150.00	13.81	163.81	-	-	-	150.00	13.81	163.81
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 19-20 (for Beggars)	70.00	0.50	70.50		4.54	4.54	70.00	5.04	75.04	-	-	-	70.00	5.04	75.04
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 19-20	400.00	0.08	400.08		25.79	25.79	400.00	25.87	425.87	-	-	-	400.00	25.87	425.87
Ministry of SJ&E (Grant-XIII) of 19-20	300.00	0.06	300.06		19.34	19.34	300.00	19.40	319.40	-	-	-	300.00	19.40	319.40
Ministry of SJ&E (Grant-XIV) of 19-20 (NER)	1,200.00	1.19	1,201.19		69.41	69.41	1,200.00	70.60	1,270.60	144.30	-	144.30	1055.70	70.60	1,126.30
Ministry of SJ&E (Grant-XV) of 19-20 (Transgender)-Heath Check up oth	60.24	2.69	62.93	73.33	2.22	75.55	133.57	4.91	138.47	107.74	-	107.74	25.83	4.91	30.74
MIN.OF SJE SDTP GRANT-XVI (2020-21)-1-ACCOUNT	-	-	-	250.00	9.95	259.95	250.00	9.95	259.95	-			250.00	9.95	259.95
MIN.OF SJE SDTP GRANT-XVII (2020-21)-II ACCOUNT	-	-	-	250.00	9.26	259.26	250.00	9.26	259.26	-			250.00	9.26	259.26
MIN.OF SJE SDTP GRANT-XVIII (2020-21)-III ACCOUNT	-	-	-	250.00	8.03	258.03	250.00	8.03	258.03	-			250.00	8.03	258.03
MIN.OF SJE [SDTP GRANT-XIX 2020-21]-PM DAKSH-1 ACCOUNT	-	-	-	639.00	6.30	645.30	639.00	6.30	645.30	-			639.00	6.30	645.30
Central warehouse Corporation	5.12	-	5.12	36.16		36.16	41.28	-	41.28	6.84	-	6.84	34.44	0.00	34.44
Concor corporation of India Ltd.	21.33	-	21.33			-	21.33	-	21.33	-	-	-	21.33	0.00	21.33
Development Commissioner (Handicraft)	4.54	1.78	6.32		0.15	0.15	4.54	1.93	6.46	4.54	0.46	5.00	0.00	1.47	1.46
IFCI Social Foundation	12.22	-	12.22			-	12.23	-	12.23	-	-	-	12.23	0.00	12.23
Indian Railway Finance Corporation ltd.	20.22	-	20.22	131.30		131.30	151.51	-	151.51	16.34	-	16.34	135.17	0.00	135.17
Engineers India Ltd.	173.18	-	173.18	103.49		103.49	276.67	-	276.67	173.18	-	173.18	103.49	0.00	103.49
CONCOR AIR LIMITED - COVID 19 GRANT ACCOUNT	-		-	9.32		9.32	9.32		9.32	9.32		9.32	0.00	0.00	-
MIN.OF SJE [SDTP GRANT-XX 2020-21] PM-DAKSK-2 ACCOUNT	-		-	639.00	0.07	639.07	639.00	0.07	639.07			-	639.00	0.07	639.07
MINISTRY OF SJ&E [FAIR & EXIHIBITION] ACCOUNT	-		-	20.10		20.10	20.10	-	20.10			-	20.10	0.00	20.10
CONCOR COVID 19 CSR GRANT				25.33		25.33	25.33	-	25.33	25.33		25.33	0.00	0.00	-
Total	**4,338.83**	**325.63**	**4,664.46**	**2,353.69**	**266.27**	**2,619.39**	**6,692.51**	**591.90**	**7,284.41**	**1,858.66**	**187.16**	**2,045.82**	**4,834.86**	**403.73**	**5,238.59**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी ब्याज आय का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17–18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–I) (भिखारियों हेतु)	75.09	13.15	88.24		5.46	5.46	75.09	18.61	93.70	5.55		5.55	69.54	18.61	88.15
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	0.00	13.72	13.72		0.74	0.74	0.00	14.46	14.46	-	14.46	14.46	0.00	0.00	-
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–III)	0.00	70.83	70.83		3.83	3.83	0.00	74.66	74.66	-	74.66	74.66	0.00	0.00	-
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–IV)	0.00	68.06	68.06		3.68	3.68	-	71.74	71.74	-	71.74	71.74	0.00	0.00	-
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–V)(उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	479.68	62.62	542.30		32.46	32.46	479.68	95.08	574.76	161.08	-	161.08	318.60	95.08	413.68
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VI)	(0.00)	23.89	23.89		1.29	1.29	-0.00	25.18	25.18		25.18	25.18	0.00	0.00	-
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VII) (भिखारियों हेतु)	90.00	6.16	96.16		6.07	5.49	90.01	12.23	102.23	8.98	-	8.98	81.02	12.23	93.24
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VIIa) (भिखारियों हेतु)	10.00	0.69	10.69		0.57	0.57	10.00	1.26	11.26	2.24		2.24	7.76	1.26	9.02
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VIII)	1,193.21	53.64	1,246.85		46.23	46.23	1,193.21	99.87	1,293.08	1,193.21	-	1,193.21	0.00	99.87	99.87
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–IX) (भिखारियों हेतु)–प्रशिक्षण	73.99	2.69	76.68	(73.33)	0.96	-72.37	0.66	3.65	4.31		0.66	0.66	1.67	1.98	3.65
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–X) (दवा की मांग में कमी)	150.00	3.89	153.89		9.92	9.92	150.00	13.81	163.81	-	-	-	150.00	13.81	163.81
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XI) (भिखारियों हेतु)	70.00	0.50	70.50		4.54	4.54	70.00	5.04	75.04	-	-	-	70.00	5.04	75.04
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XII)	400.00	0.08	400.08		25.79	25.79	400.00	25.87	425.87	-	-	-	400.00	25.87	425.87
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XIII)	300.00	0.06	300.06		19.34	19.34	300.00	19.40	319.40	-	-	-	300.00	19.40	319.40
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XIV) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र))	1,200.00	1.19	1,201.19		69.41	69.41	1,200.00	70.60	1,270.60	144.30	-	144.30	1055.70	70.60	1,126.30
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XV) (भिखारियों हेतु)–अन्य चिकित्सा जाँच	60.24	2.69	62.93	73.33	2.22	75.55	133.57	4.91	138.47	107.74	-	107.74	25.83	4.91	30.74
(वर्ष 2020–21) के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एस.डी.टी.पी. अनुदान–XVI)–खाता–1	-	-	-	250.00	9.95	259.95	250.00	9.95	259.95	-			250.00	9.95	259.95
(वर्ष 2020–21) के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एस.डी.टी.पी.अनुदान–XVII)–खाता–2	-	-	-	250.00	9.26	259.26	250.00	9.26	259.26	-			250.00	9.26	259.26
(वर्ष 2020–21) के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एस.डी.टी.पी.अनुदान–XVIII)–खाता–3	-	-	-	250.00	8.03	258.03	250.00	8.03	258.03	-			250.00	8.03	258.03
वर्ष 2020–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय एस.डी.टी.पी.अनुदान–XIX–पी.एम. दक्ष–खाता–1	-	-	-	639.00	6.30	645.30	639.00	6.30	645.30	-			639.00	6.30	645.30
केन्द्रीय भण्डारण निगम	5.12	-	5.12	36.16	-	36.16	41.28	-	41.28	6.84	-	6.84	34.44	0.00	34.44
कॉनकोर कारॅपारेशन ऑफ इण्डिया लि.	21.33	-	21.33			-	21.33	-	21.33	-	-	-	21.33	0.00	21.33
डेवलपमेंट कमिश्नर हैण्डीक्राट	4.54	1.78	6.32		0.15	0.15	4.54	1.93	6.46	4.54	0.46	5.00	0.00	1.47	1.46
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	12.22	-	12.22			-	12.23	-	12.23	-	-	-	12.23	0.00	12.23
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि	20.22	-	20.22	131.30		131.30	151.51	-	151.51	16.34	-	16.34	135.17	0.00	135.17
इंजीनियर इण्डिया लि0	173.18	-	173.18	103.49		103.49	276.67	-	276.67	173.18	-	173.18	103.49	0.00	103.49
कॉनकोर एयर लि0–कोविड–19 अनुदान खाता	.		.	9.32		9.32	9.32	-	9.32	9.32		9.32	0.00	0.00	-
वर्ष 2020–21 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (एस.डी.टी.पी. अनुदान–XX)–पी.एम. दक्ष–खाता–2	.		.	639.00	0.07	639.07	639.00	0.07	639.07			-	639.00	0.07	639.07
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (मेला एवं प्रदर्शनी) खाता	.		.	20.10		20.10	20.10	-	20.10			-	20.10	0.00	20.10
कॉनकोर कोविड–19 सी.एस.आर. अनुदान				25.33		25.33	25.33	-	25.33	25.33		25.33	0.00	0.00	-
योग	**4,338.83**	**325.63**	**4,664.46**	**2,353.69**	**266.27**	**2,619.39**	**6,692.51**	**591.90**	**7,284.41**	**1,858.66**	**187.16**	**2,045.82**	**4,834.86**	**403.73**	**5,238.59**

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC - MSJ&E (VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	-	-	-	1,000.00	8.02	1,008.02	1,000.00	8.02	1,008.02	121.91	-	121.91	878.09	8.02	886.11
Total	**-**	**-**	**-**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**121.91**	**-**	**121.91**	**878.09**	**8.02**	**886.11**

During the F.Y 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
COVID 19 RELIEF FUND ACCOUNT	-		-	28.32	0.05	28.37	28.32		28.32	23.14		23.14	5.19	0.05	5.24
Total	**-**	**-**	**-**	**28.32**	**0.05**	**28.37**	**28.32**	**-**	**28.32**	**23.14**	**-**	**23.14**	**5.19**	**0.05**	**5.24**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज आय का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एन.बी.सी.एफ.डी.सी.– सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (विस्वास) योजना–2020 खाता				1,000.00	8.02	1,008.02	1,000.00	8.02	1,008.02	121.91		121.91	878.09	8.02	886.11
योग	**-**	**-**	**-**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**1,000.00**	**8.02**	**1,008.02**	**121.91**	**-**	**121.91**	**878.09**	**8.02**	**886.11**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज आय का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
कोविड–19 राहत कोष खाता	-		-	28.32	0.05	28.37	28.32		28.32	23.14		23.14	5.19	0.05	5.24
योग	**-**	**-**	**-**	**28.32**	**0.05**	**28.37**	**28.32**	**-**	**28.32**	**23.14**	**-**	**23.14**	**5.19**	**0.05**	**5.24**

Note 15.4

During the F.Y 2019-20

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	122.95	5.68	128.63	-	7.47	7.47	122.95	13.15	136.10	47.86	-	47.86	75.09	13.15	88.24
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 18-19 (North Eastern Region)	202.63	9.08	211.71	-	4.64	4.64	202.63	13.72	216.35	202.63	-	202.63	0.00	13.72	13.72
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19	629.75	55.84	685.59	-	14.99	14.99	629.75	70.83	700.58	629.75	-	629.75	0.00	70.83	70.83
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 18-19	1,000.00	32.82	1,032.82	-	35.24	35.24	1,000.00	68.06	1,068.06	1,000.00	-	1,000.00	0.00	68.06	68.06
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 18-19 (North Eastern Region)	1,000.00	-	1,000.00	-	62.62	62.62	1,000.00	62.62	1,062.62	520.32	-	520.32	479.68	62.62	542.30
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 18-19	500.00	-	500.00	-	23.89	23.89	500.00	23.89	523.89	500.00	-	500.00	0.00	23.89	23.89
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 18-19 (Transgender)	100.00	-	100.00	-	6.85	6.85	100.00	6.85	106.85	-	-	-	100.00	6.85	106.85
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 19-20	-	-	-	1,500.00	53.64	1,553.64	1,500.00	53.64	1,553.64	306.79	-	306.79	1193.21	53.64	1246.85
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 19-20 (Transgender) -Training	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	1.01	-	1.01	73.99	2.69	76.68
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 19-20 (Drug Demand Reduction)	-	-	-	150.00	3.89	153.89	150.00	3.89	153.89	-	-	-	150.00	3.89	153.89
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 19-20 (for Beggars)	-	-	-	70.00	0.50	70.50	70.00	0.50	70.50	-0.00	-	(0.00)	70.00	0.50	70.50
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 19-20	-	-	-	400.00	0.08	400.08	400.00	0.08	400.08	-	-	-	400.00	0.08	400.08
Ministry of SJ&E (Grant-XIII) of 19-20	-	-	-	300.00	0.06	300.06	300.00	0.06	300.06	-	-	-	300.00	0.06	300.06
Ministry of SJ&E (Grant-XIV) of 19-20 (NER)	-	-	-	1,200.00	1.19	1,201.19	1,200.00	1.19	1,201.19	-	-	-	1200.00	1.19	1201.19
Ministry of SJ&E (Grant-XV) of 19-20 (Transgender)-Heath Check up oth	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	14.76	-	14.76	60.24	2.69	62.93
Central warehouse Corporation	-	-	-	39.20	-	39.20	39.20	-	39.20	34.08	-	34.08	5.12	0.00	5.12
Concor corporation of India Ltd.	31.74	-	31.74	52.87	-	52.87	84.61	-	84.61	63.28	-	63.28	21.33	0.00	21.33
Rural Electrification Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
India Trade Promotion Organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Power finance Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Ircon International Ltd	11.52	-	11.52	-	-	-	11.52	-	11.52	3.01	8.51	11.52	0.00	0.00	0.00
Development Commissioner (Handicraft)	15.04	1.47	16.51	10.00	0.31	10.31	25.04	1.78	26.82	20.50	-	20.50	4.54	1.78	6.32
Central Railside Warehouse corporation	3.42	-	3.42	-	-	-	3.42	-	3.42	3.42	-	3.42	0.00	0.00	0.00
IFCI Social Foundation	7.93	-	7.93	4.29	-	4.29	12.22	-	12.22	-	-	-	12.22	0.00	12.22
Indian Railway Finance Corporation ltd.	-	-	-	85.65	-	85.65	85.65	-	85.65	65.43	-	65.43	20.22	0.00	20.22
Concor Air Ltd	-	-	-	8.98	-	8.98	8.98	-	8.98	8.98		8.98	0.00	0.00	0.00
Engineers India Ltd.	42.24	-	42.24	303.07	-	303.07	345.31	-	345.31	172.13	-	172.13	173.18	0.00	173.18
Total	**3,667.22**	**104.88**	**3,772.11**	**4,274.06**	**220.74**	**4,494.81**	**7,941.28**	**325.63**	**8,266.91**	**3,593.95**	**8.51**	**3,602.46**	**4,338.83**	**325.63**	**4,664.46**

टिप्पणी 15.4

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी ब्याज आय का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
वर्ष 17–18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–I) (भिखारियों हेतु)	122.95	5.68	128.63	-	7.47	7.47	122.95	13.15	136.10	47.86	-	47.86	75.09	13.15	88.24
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	202.63	9.08	211.71	-	4.64	4.64	202.63	13.72	216.35	202.63	-	202.63	0.00	13.72	13.72
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–III)	629.75	55.84	685.59	-	14.99	14.99	629.75	70.83	700.58	629.75	-	629.75	0.00	70.83	70.83
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–IV)	1,000.00	32.82	1,032.82	-	35.24	35.24	1,000.00	68.06	1,068.06	1,000.00	-	1,000.00	0.00	68.06	68.06
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–V)(उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1,000.00	-	1,000.00	-	62.62	62.62	1,000.00	62.62	1,062.62	520.32	-	520.32	479.68	62.62	542.30
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VI)	500.00	-	500.00	-	23.89	23.89	500.00	23.89	523.89	500.00	-	500.00	0.00	23.89	23.89
वर्ष 18–19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VII) (भिखारियों हेतु)	100.00	-	100.00	-	6.85	6.85	100.00	6.85	106.85	-	-	-	100.00	6.85	106.85
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–VIII)	-	-	-	1,500.00	53.64	1,553.64	1,500.00	53.64	1,553.64	306.79	-	306.79	1193.21	53.64	1246.85
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–IX)(भिखारियों हेतु)–प्रशिक्षण	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	1.01	-	1.01	73.99	2.69	76.68
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–X) (दवा की मांग में कमी)	-	-	-	150.00	3.89	153.89	150.00	3.89	153.89	-	-	-	150.00	3.89	153.89
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XI) (भिखारियों हेतु)	-	-	-	70.00	0.50	70.50	70.00	0.50	70.50	-0.00	-	(0.00)	70.00	0.50	70.50
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XII)	-	-	-	400.00	0.08	400.08	400.00	0.08	400.08	-	-	-	400.00	0.08	400.08
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XIII)	-	-	-	300.00	0.06	300.06	300.00	0.06	300.06	-	-	-	300.00	0.06	300.06
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XIV) (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र))	-	-	-	1,200.00	1.19	1,201.19	1,200.00	1.19	1,201.19	-	-	-	1200.00	1.19	1201.19
वर्ष 19–20 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अन (अनुदान–XV) (भिखारियों हेतु)–अन्य चिकित्सा जाँच	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	14.76	-	14.76	60.24	2.69	62.93
केन्द्रीय भण्डारण निगम	-	-	-	39.20	-	39.20	39.20	-	39.20	34.08	-	34.08	5.12	0.00	5.12
कॉनकोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	31.74	-	31.74	52.87	-	52.87	84.61	-	84.61	63.28	-	63.28	21.33	0.00	21.33
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
इण्डिया टेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
इरकॉन इन्टरनेशनल लि0	11.52	-	11.52	-	-	-	11.52	-	11.52	3.01	8.51	11.52	0.00	0.00	0.00
डेवलपमेंट कमिश्नर (हैण्डीक्राट)	15.04	1.47	16.51	10.00	0.31	10.31	25.04	1.78	26.82	20.50	-	20.50	4.54	1.78	6.32
केन्द्रीय रेलसाइड भण्डारण निगम	3.42	-	3.42	-	-	-	3.42	-	3.42	3.42	-	3.42	0.00	0.00	0.00
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	7.93	-	7.93	4.29	-	4.29	12.22	-	12.22	-	-	-	12.22	0.00	12.22
भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि0	-	-	-	85.65	-	85.65	85.65	-	85.65	65.43	-	65.43	20.22	0.00	20.22
कॉनकोर एयर लि0	-	-	-	8.98	-	8.98	8.98	-	8.98	8.98		8.98	0.00	0.00	0.00
इंजीनियर इण्डिया लि0	42.24	-	42.24	303.07	-	303.07	345.31	-	345.31	172.13	-	172.13	173.18	0.00	173.18
योग	**3,667.22**	**104.88**	**3,772.11**	**4,274.06**	**220.74**	**4,494.81**	**7,941.28**	**325.63**	**8,266.91**	**3,593.95**	**8.51**	**3,602.46**	**4,338.83**	**325.63**	**4,664.46**

Note 15.5 During the year, 2018-19 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-I) of 50.00 lakhs (2017-18 100.00 Lakhs) from the Administrative Ministry for imparting training to the beggars. The Corporation had earned interest of ₹ 5.454 Lakhs (Previous Years 5.68 lakhs & for 2018-19 7.47 Lakhs) from bank. The Corporation has released ₹ 5.55 lakhs (Previous year ₹ 47.86 Lakhs and 2018-19 27.58 Lakhs). The Corporation stands committed to release grant in next financial year. As per terms of GFR -2017. The Corporation is required to deposit the earning of entire interest of 18.60 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same shall be deposited after finalisation of accounts.

Note 15.6 As regards the Grant -II, the Corporation received training grant of 500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries during 2018-19. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ 0.74 lakh (Previous Year 4.64 lakhs & 9.08 lakh) from bank. The Corporation released entire amount of 500.00 lakh (2018-19 & 2019-20 to the training institutions from the grant and recognized during the year. As per terms of GFR -2017 the Corporation is required to deposit the earning of entirely interest of 14.46 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same has been deposited after finalisation of accounts.

Note 15.7 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-III) of 1500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 3.82 lakhs (Previous Year 14.99 Lakh & 55.84 Lakhs) from bank and released entire of grant of 1500.00 lakh in 2018-19 & 2019-20. As per terms of GFR -2017 the Corporation is required to deposit the earning of entirely interest of 74.65 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same has been deposited after finalisation of accounts.

Note 15.08 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IV) of 1000.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 3.68 lakhs (Previous Year 35.24 Lakh & 32.82 Lakhs) from bank. The Corporation has released nil (Previous year 1000.00 Lakhs) excluding earning of interest. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of entire Interest of 71.74 Lakhs to be deposited in consolidated funds of Ministry and has been deposited after finalisation of the account and the same has been deposited after finalisation of accounts.

Note 15.09 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (GrantV) of 1000.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries in North Eastern Region. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation has earned interest of 32.46 lakh (Previous Year 62.62 Lakhs) from bank .The Corporation has released 161.08 Lakhs (Previous year 520.32 Lakhs) and stands committed to release remaining grant in next financial year. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest to be deposited in consolidated funds of Ministry and same shall be deposited after finalisation of the account.

टिप्पणी 15.5 वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–I) ₹ 50.00 लाख (वर्ष 2017–18 में ₹ 100.00 लाख) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से ₹ 5.454 लाख (गत् वर्ष ₹ 5.68 लाख एवं 2018–19 में ₹ 7.47 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने ₹ 5.55 लाख (गत् वर्ष ₹ 47.86 लाख एवं 2018–19 ₹ 27.58 लाख) अवमुक्त किए हैं। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम की उपार्जित कुल ब्याज ₹ 18.60 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते को अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.6 अनुदान–II के संबंध में, वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ₹ 500.00 लाख की प्रशिक्षण अनुदान निगम ने प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 0.74 लाख (गत् वर्ष ₹ 4.64 लाख एवं ₹ 9. 08 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने वर्ष के दौरान अनुदान की समस्त धनराशि ₹ 500.00 लाख (2018–19 एवं 2019–20) प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों को अवमुक्त कर दी एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपार्जित कुल ब्याज ₹ 14.46 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते को अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.7 वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–III) ₹ 1500.00 लाख प्राप्त हुए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 3.82 लाख (गत् वर्ष ₹ 14.99 लाख एवं 55.84 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया है एवं 2018–19 एवं 2019–20 में संपूर्ण अनुदान ₹ 1500.00 लाख अवमुक्त किया। जी.एफ. आर 2017 की शर्तों के अनुसार निगम को उपार्जित समस्त ब्याज ₹ 74.65 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते की अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.8 वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–IV) ₹ 1000.00 लाख प्राप्त हुए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 3.68 लाख (गत् वर्ष ₹ 35.24 लाख एवं ₹ 32.82 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। ब्याज उपार्जन को छोड़कर निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 1000.00 लाख) जारी किए। जी.एफ.आर. 2017, नियम 230 की शर्तों के अनुसार खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित संपूर्ण ब्याज राशि ₹ 71.74 लाख मंत्रालय के संचित में जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.9 वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–V) ₹ 1000.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 32.46 लाख (गत् वर्ष ₹ 62.62 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने ₹ 161.02 लाख (गत् वर्ष ₹ 520.32 लाख) की राशि जारी की है तथा अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

Note 15.10 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant VI) of 500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 1.29 lakhs (Previous Year 23.89 lakhs) from bank.The Corporation has released ₹ Nil (Previous year 500.00 Lakhs). As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest to be deposited in consolidated funds of Ministry and same of 25.18 lakh has been deposited after finalisation of the grant account.

Note 15.11 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant VII) of 90.01 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training of society of transgender. The Corporation had earned interest of 6.07 lakh (Previous Year 6.16 Lakhs) from bank. The Corporation has released 8.98 Lakhs (Previous year Nil-) including monitoring cost of 10% . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest is to be deposited in consolidated funds of Ministry and same shall be deposited after finalisation of the grant account . The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.12 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant VII a) of 10.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training of society of transgender in North Eastern Region of the Country. The Corporation had earned interest of 0.57 lakh (Previous Year 0.69 Lakhs) from bank .The Corporation has released 2.25 Lakhs (Previous year Nil-). As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest is to be deposited in consolidated funds of Ministry and same shall be deposited after finalisation of the grant account. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.13 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VIII) of 1500.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 43.08 Lakhs- (Previous Year 53.64 Lakhs) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest to be deposited in consolidated funds of Ministry and same shall be deposited after finalisation of the grant account The Corporation has released 1193.21 Lakhs (previous year 306.79 Lakhs) and recognized during the year.

Note 15.14 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IX) of 73.33 Lakhs(net) (2018-19 nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training of transgender community. The Corporation had earned interest of 0.96 lakhs (Previous Year 1.68 Lakhs) from bank. As per sanction order earning of Interest if any is to utilized for monitoring of project. The Corporation has released ₹ 0.66 Lakh. (previous year 1.019 Lakhs) and recognized during the year from earning of interest from the grant. Further, as per instructions conveyed by M/O Social Justice and Empowerment an amount of 73.33 Lakhs has been appropriated for health & other of the community. The Corporation stands committed to release grant if any in next financial year.

Note 15.15 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-X) of Nil (previous year 150 Lakhs) from the Administrative Ministry for organizing training programme of victims of substance abuse under the National Action plan for drug Demand Reduction under National policy on prevention of Alcoholism and drug abuse

टिप्पणी 15.10 वर्ष 2018–19 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VI) ₹ 500.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अशंदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से ₹ 1.29 लाख (गत् वर्ष ₹ 23.89 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 500.00 लाख) की धनराशि जारी की। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज राशि ₹ 25.18 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा की जानी है।

टिप्पणी 15.11 वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रासजेंडर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VII) ₹ 90.01 लाख प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 6.07 लाख (गत् वर्ष ₹ 6.16 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने ₹ 8.98 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) की धनराशि जारी की, जिसमें निगरानी लागत 10% शामिल है। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाना है तथा इस खाते को अंतिम रुप देने के बाद जमा किया जाएगा। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.12 वर्ष 2018–19 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ट्रासजेंडर समुदाय के समाज को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VIIक) ₹ 10.00 लाख प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 0.57 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.69 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने ₹ 2.25 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) की धनराशि जारी की है। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में इसे जमा किया जाना है तथा इस खाते को अंतिम रुप देने के बाद जमा किया जाएगा। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.13 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–VIII) ₹ 1500.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹ 43.08 लाख (गत् वर्ष ₹ 53.64 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को संचित निधि में जमा किया जाना है तथा इस खाते को अंतिम रुप देने के बाद जमा किया जाएगा। निगम ने ₹ 1193.21 लाख (गत् वर्ष ₹ 306.79 लाख) जारी किए हैं एवं वर्ष की अवधि में माना गया है।

टिप्पणी 15.14 वर्ष 2019–20 की अवधि में, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रासजेंडर समुदाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–IX) ₹ 73.33 लाख (शुद्ध) (2018–19 ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 0.96 लाख (गत् वर्ष ₹ 1.68 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। स्वीकृति आदेश के अनुसार, उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। निगम ने अनुदान राशि से ब्याज के उपार्जन से ₹ 0.66 लाख (गत् वर्ष ₹ 1.019 लाख) जारी किए हैं एवं वर्ष की अवधि में माना गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है समुदायों के स्वास्थ्य एवं अन्य के लिए राशि ₹ 73.33 लाख उपयोग की गई है। निगम आगामी वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.15 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने अखिल भारतीय स्तर पर मद्य व्यसन एवं नशीले प्रदार्थ रोकथाम की राष्ट्रीय निति के तहत नशीली दवाओं में कमी हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत मादक पदार्थों से पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–X) ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 150 लाख) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 8.32 लाख (गत् वर्ष ₹ 3.89 लाख)

in pan India. The Corporation had earned interest of 8.32 Lakhs (Previous Year 3.89 Lakhs) from bank. As per Sanction earning of Interest if any is to be utilized for monitoring of project. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.16 During the year 2019-20 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XI) of 70.00 lakhs (2018-19 NIL) from the Administrative Ministry for imparting training to the baggers. The Corporation had earned interest of ₹ 4.54 Lakhs (Previous Years 0.50 Lakhs from bank. The Corporation has released ₹ NIL (Previous year NIL). The Corporation stands committed to release grant in next financial year. As per sanction earning of interest if any is utilized for monitoring of project.

Note 15.17 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XII) 400.00 Lakhs) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 25.79 Lakhs (Previous Year 0.08 Lakhs) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry and same shall be deposited after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.18 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIII) of 300.00 Lakhs (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries for North Eastern Region. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 19.34 Lakhs (Previous Year 0.06 Lakhs) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry and shall be deposited after finalisation of the grant account. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.19 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIV) of 1200.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 69.41 Lakh (Previous Year 1.19 lakh) from bank. As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation has released ₹ 144.30 lakhs (Previous year NIL). The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.20 During the year2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XV) of 73.33 Lakhs (net) (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for health check up & providing cash assistance for food, sanitizer, masks etc. in backdrop of Covid -19 pandemic rehabilitation of transgender community. The Corporation had earned interest of 2.21 lakhs (Previous Year 2.69 Lakhs) from bank. Further, during the current year an amount of 75.00 Lakhs has been appropriated from grant -ix as per advice of M/O Social Justice & Empowerment. As per sanction earning of Interest if any is to be utilized for the monitoring of project. The Corporation has released ₹ 107.74 Lakh. (previous year 14.76 Lakhs) and recognized during the year. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

का ब्याज का उपार्जन किया। स्वीकृति के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी हेतु उपयोग किया जाता है। निगम आगामी वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.16 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XI) ₹ 70.00 लाख (2018–19 में ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 4.54 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.50 लाख) का ब्याज उपार्जन किया। निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ शून्य) जारी किए। निगम आगामी वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। स्वीकृति के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी हेतु उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी 15.17 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XII) ₹ 400.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹ 25.79 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.08 लाख) का ब्याज उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना होगा एवं इसे अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के बाद निर्धारित अवधि में जमा किया जायेगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.18 वर्ष 2019–20 के दौरान निगम को प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIII) ₹ 300.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त हुई। शर्तों के अनुसार निगम को अपने अंश के रूप में प्रशिक्षण लागत का 10% का अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से ₹ 19.34 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.06 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.19 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIV) ₹ 1200.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण व्यय का 10% का अंशदान करना होता है। निगम को बैंक से ₹ 69.41 लाख (गत् वर्ष ₹ 1.19 लाख) का ब्याज उपार्जन हुआ। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम ने ₹ 144.30 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) जारी किए। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.20 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम को प्रशासनिक मंत्रालय से कोविड–19 की महामारी में ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वासन, स्वास्थ्य जाँच एवं खाने, सैनेटाइजर, मास्क इत्यादि हेतु नकद सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुदान सहायता (अनुदान–XV) ₹ 73.33 लाख (शुद्ध) (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से ₹ 2.21 लाख (गत् वर्ष ₹ 2.69 लाख) का ब्याज उपार्जन किया। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सलाह से अनुदान–IX से ₹ 75.00 लाख उपयोग की गई। स्वीकृति के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, परियोजना की निगरानी हेतु उपयोग किया जाता है। निगम ने ₹ 107.74 लाख (गत् वर्ष ₹ 14.76 लाख) की धनराशि जारी की है एवं इसे वर्ष की अवधि में माना गया है। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

Note 15.21 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XVI) of 250.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of ₹ 9.95 Lakh (Previous Year nil/-) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.22 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XVII) of 250.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 9.26 Lakh (Previous Year nil/-) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.23 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XVIII) of 250.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of 8.03 Lakh (Previous Year nil/-) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.24 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIX) of 639.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. The Corporation had earned interest of 6.30 lakh (Previous Year nil/-) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.25 During the year 2020-21, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XX) of 639.00 Lakhs/- (previous year nil/-) from the Administrative Ministry P M Daksh scheme for imparting training to the beneficiaries. The Corporation had earned interest of 0.07 lakh (Previous Year nil/-) from bank. As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest, if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.26 As regards to CSR Funds received from Central Warehouse Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of 36.16 lakhs (Previous year of 39.20 lakhs). The Corporation has adjusted towards operating cost @5% of 6.84 Lakh and released (previous year 34.08 Lakh) to training institution for intended purpose for previous year. The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

टिप्पणी 15.21 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XVI) ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹ 9.95 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.22 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XVII) ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹ 9.26 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.23 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XVIII) ₹ 250.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ₹ 8.03 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.24 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XIX) ₹ 639.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 6.30 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.25 वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय की प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान राशि (अनुदान–XX) ₹ 639.00 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से ₹ 0.07 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर.–2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.26 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में केन्द्रीय भण्डारण निगम से उनकी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राशि ₹ 36.16 लाख (गत् वर्ष ₹ 39.20 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने 5% की दर से परिचालन लागत ₹ 6.84 लाख को समायोजित किया है एवं प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु (गत् वर्ष ₹ 34.08 लाख) जारी की है। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

Note 15.27 As regards to CSR Funds from Concor Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of Nil lakhs (Previous year of 52.87 lakhs). The Corporation has released nil (previous year 63.28 lakh) to training institution for intended purpose and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.28 The Corporation had entered into a Memorandum of Understanding with Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles for cluster development for upholding explicit identification of handicrafts products and base line survey to the beneficiaries and received during the year nil. (Previous Year ₹ 10.00 Lakhs) . The Corporation earned cumulative interest of ₹ 0.09 lakhs for 2019-20 (Previous Year 0.31 Lakhs and 1.47 lakhs). The Corporation has so far released during the year of ₹ 5.00 Lakhs including interest to the tune of 0.46 Lakhs (previous year 20.50 lakh) and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.29 During the year 2017-18, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with IFCI Social foundation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of ₹ nil. (Previous year cumulaively 69.90 lakh). The Corporation has released Nil (Previous year cumulatively 57.68 lakh) to training institutions, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2021.

Note 15.30 As regards to CSR Funds received from Indian Railway Finance Corporation Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of 131.84 lakh (net of PFA monitoring service charges) (Previous year of 85.65- lakhs). The Corporation has released 16.34 lakhs (Previous year 65.43 Lakhs) to training institutions, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2021 and stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 15.31 As regards to CSR Funds received from Engineers India Ltd. during 2020-21 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of 103.49 Lakhs (previous year 303.07 Lakh & 2018-19 42.24 Lakhs). The Corporation has released remaining of 173.18 lakhs (Previous years 172.13 Lakhs) to training institutions and stands committed to release remaining grant in next financial year., against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2021

Note 15.32 As regards to CSR Funds received from Concor Air Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme, received grant of ₹ 9.32 lakhs (Previous year of 8.98 /- lakhs). The Corporation has released 9.32/- (Previous year 8.98/- Lakhs) to training institutions, and stands committed to release grant in next financial year.

Note I5.33 In Terms of policy earning of interest on unutilized CSR funds are utilized for monitoring and administrative expenses of such grant.

Note 15.34 Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises is net of prior period adjustment (refer note no 41)

टिप्पणी 15.27 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, कॉनकोर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 52.87 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ शून्य (गत् वर्ष ₹ 63.28 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी किए एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.28 निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ समूहों के हस्तशिल्प उत्पादों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने व लाभार्थियों के बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं वर्ष के दौरान ₹ शून्य (गत् वर्ष में ₹ 10.00 लाख) प्राप्त किए। निगम ने वर्ष 2019–20 में ₹ 0.09 लाख (गत् वर्ष ₹ 0.31 लाख एवं ₹ 1.47 लाख) का सकल ब्याज अर्जित किया है। निगम ने वर्ष के दौरान अब तक ₹ 5.00 लाख जारी किए हैं जिसमें ₹ 0.46 लाख (गत वर्ष ₹ 20.50 लाख) की ब्याज राशि सम्मिलित है तथा अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.29 वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया व ₹ शून्य (गत् वर्ष सकल ₹ 69.90 लाख) का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने प्रशिक्षण संस्थानों को ₹ शून्य (गत् वर्ष सकल ₹ 57.68 लाख) जारी किए हैं, जिसके सापेक्ष 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

टिप्पणी 15.30 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लि की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 131.84 लाख (शुद्ध पी.एफ.ए. देखरेख सेवा शुल्क) (गत् वर्ष ₹ 85.65 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ 16.34 लाख (गत् वर्ष ₹ 65.43 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं जिसके सापेक्ष 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र लंबित है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.31 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, वर्ष 2020–21 के दौरान इंजीनियर्स इण्डिया लि0 की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 103.49 लाख (गत वर्ष ₹ 303.07 लाख एवं 2018–19 ₹ 42.24 लाख) प्राप्त हुई है। निगम ने ₹ 173.18 लाख (गत् वर्ष ₹ 172.13 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके सापेक्ष 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र लंबित है।

टिप्पणी 15.32 सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में, कॉनकोर एयर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि ₹ 9.32 लाख (गत् वर्ष ₹ 8.98 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने ₹ 9.32 लाख (गत् वर्ष ₹ 8.98 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.33 पॉलिसी के अनुसार सीएसआर निधियों पर ब्याज आय का उपयोग इस प्रकार की अनुदान की निगरानी और प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाता है।

टिप्पणी 15.34 सूक्ष्म व लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य देनदारों का कुल बकाया पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध है (टिप्पणी संख्या 41 देखें)।

Note 16 Other Current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
TDS payable	49.79	54.84
GST payable	5.33	5.95
Provident fund payable	12.05	10.82
Pension & Post retirement medical fund	1.37	15.58
Employee Reimbursement	7.82	-
Total	**76.36**	**87.19**

Note 17 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
a) RENDERING OF SERVICES :		
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	4,120.82	3,442.39
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	1,309.27	967.16
Penal Interest (General Loan)	13.62	12.51
Penal Interest (Micro Finance)	0.94	17.42
	5,444.65	**4,439.48**
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	84.19	301.63
Monitoring Cost on CSR Activities	11.69	8.38
Management Fee-Visvas Scheme	20.20	-
	116.08	**310.01**
Total	**5,560.73**	**4,749.49**

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement of applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan, in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partners The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation. the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization, the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies

टिप्पणी 16 अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टी.डी.एस. देय	49.79	54.84
जी.एस.टी. देय	5.33	5.95
भविष्य निधि देय	12.05	10.82
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि	1.37	15.58
कर्मचारी भुगतान	7.82	-
कुल	**76.36**	**87.19**

टिप्पणी 17 संचालनों से आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं का प्रतिपादन :		
एस.सी.ए. से ऋण पर ब्याज/अन्य		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	4,120.82	3,442.39
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	1,309.27	967.16
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	13.62	12.51
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	0.94	17.42
	5,444.65	**4,439.48**
ख) अन्य संचालन से आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	84.19	301.63
सीएसआर गतिविधियों पर निगरानी लागत	11.69	8.38
प्रबन्धन फी–विश्वास योजना	20.20	-
	116.08	**310.01**
योग	**5,560.73**	**4,749.49**

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक–115 (ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन की आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग प्रमाण–पत्र के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना की ब्याज दर जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है, अग्रिम पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण/ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रुप में माना गया है।

Note 17.5 Interest income on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 17.6 Accural of Revenue & Terms of references are as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	2,100.95	93.36	3,886.83	50.36
Add: Interest accrued & due during the year	4,120.82	1,309.27	3,442.39	967.16
Less: Interest Received during the year	6,221.77	1,402.63	5,228.27	924.16
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	-	-	2,100.95	93.36
Penal Interest receivable as at beginning of the year	264.75	3.56	313.55	3.56
Add. Recognized during the year	13.62	0.94	12.51	17.42
Less : Received during the year	13.62	0.94	12.51	17.42
Less: Adjustment, if any	-	0.04	48.80	-
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	264.75	3.52	264.75	3.56

Terms of references:

General Loan includes Education loan, New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

(₹ in Lakhs)

Particulars	General Loan Scheme			Micro Finance		
	Education Loan	New Swarnima	Term Loan	Micro Finance	Mahila Samridhi / Small Loan Finance	NBFC-MFI-Loan
Rate of Interest*	1.5% / 1%	2%	3%, 4% & 5% $	2%	1% / 3%	4%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt. (w.e.f. 01.04.2021 for SMF)	4 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 year inclusive of study period of 4 years	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due

$ 4% interest charged in r/o loan above ₹ 5 lakh to 10 Lakh and 5% on above ₹ 10 Lakh

Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated with in 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

टिप्पणी 17.5 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 17.6 राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	2,100.95	93.36	3,886.83	50.36
जोड़ें: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	4,120.82	1,309.27	3,442.39	967.16
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	6,221.77	1,402.63	5,228.27	924.16
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन–पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	-	-	2,100.95	93.36
वर्ष के आरंभ पर प्राप्य दण्ड ब्याज	264.75	3.56	313.55	3.56
जोड़े: वर्ष के दौरान माना गया	13.62	0.94	12.51	17.42
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त	13.62	0.94	12.51	17.42
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	-	0.04	48.80	-
तुलन–पत्र की तिथि को प्राप्य पैनल ब्याज	264.75	3.52	264.75	3.56

कार्य क्षेत्र:

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा, सावधि ऋण तथा लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	सामान्य ऋण योजना			सूक्ष्म वित्त योजना		
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि / लघु वित्त ऋण	एन.बी.एफ.सी.– एम.एफ.आई. ऋण
ब्याज दर*	1.5%/1.00%	2%	3%, 4% & 5% $	2%	1% / 3%	4%
पुनर्भगतान अवधि	9.5 वर्ष में 20 तिमाही किस्त	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें (लघु वित्त ऋण 01.04.2021 से प्रभावी)	4 वर्ष में तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां

* समय पर देय का पुनर्भुगतान करने पर 0.5% की छूट

$ ₹ 5 लाख से ₹ 10.00 लाख तक के ऋणों पर 4% एवं ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर 5% ब्याज दर प्रभार्य

चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज @ 1% की दर पर होगा।

ख. **अग्रिम धनराशि पर ब्याज:** एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वित्तीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वित्तीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वित्तीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1–120 दिन	3%
121–180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

Note 18 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	14.73	16.10
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	**14.73**	**16.10**
b) Interest from Banks		
Interest on savings bank	202.91	147.10
Interest on fixed deposits	5.05	96.98
Sub Total (b)	**207.96**	**244.08**
c) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous income	10.91	12.22
Sub Total (c)	**10.91**	**12.22**
Total (a+b+c)	**233.60**	**272.40**

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of 3.45 Lakhs (4.34 lakhs as at 31.03.2020)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12 A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July'2017 and received 28.32 Lakh (Previous year Nil) The Corporation has so far released 23.14 Lakh (Previous Year Nil) .

Note 19 Allowance for Loans & advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Interest Income Comprises :		
Allowance for Loans & advances	-	-
Total	**-**	**-**

Note 20 Penal Interest waived off and others

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Penal Interest waived off	-	52.31
Principal Waived off	-	2.20
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	37.16	24.70
Total	**37.16**	**79.21**

टिप्पणी 18 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिमों पर ब्याज	14.73	16.10
शैक्षिक ऋण पर ब्याज रियायत	-	-
उप योग (क)	**14.73**	**16.10**
ख) बैंको से ब्याज		-
बचत खाते पर ब्याज	202.91	147.10
सावधि जमाओं पर ब्याज	5.05	96.98
उप योग (ख)	**207.96**	**244.08**
ग) अन्य गैर–संचालन आय		-
विविध आय	10.91	12.22
उप योग (ग)	**10.91**	**12.22**
योग (क+ख+ग)	**233.60**	**272.40**

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में ₹ 3.45 लाख (31.03.2020 को ₹ 4.34 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी. के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12–ए छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और निगम ने ₹ 28.32 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) प्राप्त किए हैं। निगम ने अब तक ₹ 23.41 लाख (गत् वर्ष ₹ शून्य) जारी किए।

टिप्पणी 19 ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय शामिल :		
ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध	-	-
योग	-	-

टिप्पणी 20 माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	-	52.31
माफ किया गया मूलधन	-	2.20
एकल निस्तारण योजना (ओटीएस) के तहत ब्याज प्रोत्साहन	37.16	24.70
योग	**37.16**	**79.21**

Note 21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	1,000.41	868.92
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	146.10	138.92
c) Staff welfare expenses		
- Leave Travel Concession	11.09	2.63
- Medical Reimbursements /Policies	26.79	19.90
- Others	26.52	10.32
Total	**1,210.91**	**1,040.69**

Note 21.1 Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of ₹ 19.24 Lakhs (₹ 4.51 lakhs as at 31.03.2020)

Note 22 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	27.37	20.11
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	7.83	5.00
Depreciation Charge for Right of Use Assets (refer note no. 3.1)	0.59	0.59
Total	**35.77**	**25.70**

Note 23 Training and Other Developmental Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	2,371.75	4,031.70
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	2,045.82	3,602.46
Sub Total (a)	**325.93**	**429.24**
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	-	44.08
Performance linked Grant in aid (SCAs)	161.76	215.48
Cluster Development Expenses	111.43	76.32
Publicity Grant to SCAs	3.59	9.49
Sub Total (b)	**276.78**	**345.37**
Total	**602.71**	**774.61**

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of 14,976.95 lakhs (Previous year 12605.19 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for 3687.24 lakhs (Previous year 4610.56 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them, payments on account of grant from training programmes are charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

टिप्पणी 21 कर्मचारी लाभ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
– वेतन एवं भत्ते	1,000.41	868.92
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
– भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	146.10	138.92
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
– यात्रा रियायत अवकाश	11.09	2.63
– चिकित्सा पूर्ति/नीतियाँ	26.79	19.90
– अन्य	26.52	10.32
योग	**1,210.91**	**1,040.69**

टिप्पणी 21.1 अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन ₹ 19.24 लाख (31.03.19 को ₹ 4.51 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी 22 मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	27.35	20.11
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	7.83	5.00
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास शुल्क (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 3.1)	0.59	0.59
योग	**35.77**	**25.70**

टिप्पणी 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	2,371.75	4,031.70
घटाएं- वर्ष के दौरान माने गए/अवमुक्त (टिप्पणी 15.3 देखें)	2,045.82	3,602.46
उप योग (क)	**325.93**	**429.24**
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	-	44.08
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	161.76	215.48
समूह विकास व्यय	111.43	76.32
एस.सी.ए. को प्रचार–प्रसार अनुदान	3.59	9.49
उप योग (ख)	**276.78**	**345.37**
योग	**602.71**	**774.61**

टिप्पणी 23.1 निगम ने अब तक ₹ 14,976.95 लाख (गत् वर्ष 12,605.19 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए. के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से ₹ 3687.24 लाख (गत् वर्ष ₹ 4610.56 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है, एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of 705.13 lakhs (Previous year 523.37 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for 130.54 lakhs (Previous year 193.79 lakhs) are awaited as at year end.

Note 24 Rebate on Interest on Loans & Advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Rebate	11.41	12.05
Total	**11.41**	**12.05**

Note 24.1 Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest": In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as " Rebate on interest". As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

Note 25 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration(Refer Note No-25.1)	1.48	1.48
Repair & Maintenance (Building)	-	-
Repair & Maintenance (Equipment & others)	10.32	4.69
Electricity & Water charges	8.51	10.58
Rent	160.03	152.41
Rates & Taxes	0.46	0.45
Insurance	1.15	0.98
Telephone	7.31	7.82
Travelling Expenses -Directors	0.43	7.06
Travelling Expenses -Staffs & others	8.49	28.18
Conveyance	6.17	7.67
Vehicle Running & Maintenance	1.51	1.56
Office Expenses & Maintenance	29.13	20.46
Legal & Professional charges	28.44	24.36
Printing & stationery	7.10	10.63
Advertisement	0.03	0.47
Conference and Meetings	0.51	19.24
Recruitment & Training	3.60	4.95
Monitoring & Evaluation	4.40	15.22
Security & Other Services Charges	62.06	54.52
Other Expenditure	16.31	26.67
Total	**357.44**	**399.40**

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ₹ 705.13 लाख (गत् वर्ष ₹ 523.37 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से ₹ 130.54 लाख (गत् वर्ष ₹ 193.79 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	11.41	12.05
योग	**11.41**	**12.05**

टिप्पणी 24.1 **"ब्याज में छूट" के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहनः** चैनल सहभागियों द्वारा पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए ब्याज में छूट योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी 25 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी संख्या–25.1 देखें)	1.48	1.48
मरम्मत एवं रख–रखाव (भवन)	-	-
मरम्मत एवं रख–रखाव (उपकरण एवं अन्य)	10.32	4.69
विद्युत एवं पानी का प्रभार	8.51	10.58
किराया	160.03	152.41
दरें एवं कर	0.46	0.45
बीमा	1.15	0.98
टेलीफोन	7.31	7.82
यात्रा व्यय –निदेशक	0.43	7.06
यात्रा एवं व्यय–स्टॉफ एवं अन्य	8.49	28.18
कनवेंश	6.17	7.67
वाहन चालन एवं रख–रखाव	1.51	1.56
कार्यालय व्यय और रख–रखाव	29.13	20.46
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	28.44	24.36
मुद्रण एवं स्टेशनरी	7.10	10.63
विज्ञापन	0.03	0.47
सम्मेलन एवं बैठकें	0.51	19.24
भर्ती एवं प्रशिक्षण	3.60	4.95
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4.40	15.22
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	62.06	54.52
अन्य व्यय	16.31	26.67
योग	**357.44**	**399.40**

Note 25.1 Payment to the Auditor

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Auditor Remuneration	-	-
Statutory Auditor Fee	1.48	1.48
For other services, in other capacity	-	-
Out of pocket expenses reimbursed	-	-
Total	**1.48**	**1.48**

Note 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	(3.05)	(16.24)
Total	**(3.05)**	**(16.24)**

Note :- 27 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Excess Provision of Performance Incentive written back & other	(2.92)	(12.57)
Income Tax Refund	(1.11)	-
Loss /(Profit) on sale of assets	(0.06)	0.40
Leave Encashment Expenses written off	-	(0.58)
Excess Provision written back	(17.71)	
Total	**(21.80)**	**(12.75)**

All the provisions written back are considered as Exceptional Items except Provision Written back on Loan & Advances.

Note :- 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Direct Expenses	132.44	105.64
Overheads	3.99	6.99
Total	**136.43**	**112.63**

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षक पारिश्रमिक सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क अन्य सेवाओं के लिए, अन्य क्षमता में फुटकर व्यय की प्रतिपूर्ति	1.48	1.48
योग	**1.48**	**1.48**

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ—एककीरण नीचे दिखाया गया है:—

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिभाषिक लाभ योजना का पुनःमापन - उपदान	(3.05)	(16.24)
योग	**(16.24)**	**(16.24)**

टिप्पणी 27 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पीछे से लाया गया कार्य निष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान और अन्य	(2.92)	(12.57)
आयकर रिफंड	(1.11)	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.06)	0.40
पीछे से लाए गए अवकाश नकदीकरण व्यय	-	(0.58)
पीछे से लाए गए आधिक्य नकदीकरण व्यय	(17.71)	
योग	**(21.80)**	**(12.75)**

पीछे से लाए गए सभी प्रावधानों को ऋण एवं अग्रिमों पर पीछे से लाए गए प्रावधानों को छोड़कर असाधारण मदों के रूप में माना जाता है।

टिप्पणी 28 निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	132.44	105.64
ओवरहेड्स	3.99	6.99
योग	**136.43**	**112.63**

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

a. Detail of amount required to be spent

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Average surplus/profit of the last three years	2,460.95	2,440.49
Un-spent amount as at Beginning of the Year	(33.59)	29.45
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	49.22	48.81
Amount Spent during the year	136.43	112.63
Amount considered during the year	-	(0.78)
Un-spent amount as at Year End	(120.80)	(33.59)
Total	**(120.80)**	**(33.59)**

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year. The income carned, if any incidentaly to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

Note: 29 Earnings per share (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Basic EPS From continuing operation	23.06	18.80
Diluted EPS From continuing operation	23.01	18.70

Note 29.1 Basic Earning per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	3424.30	2590.35
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	**3424.30**	**2590.35**
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	148.51	137.77

Note :- 29.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	3424.30	2590.35
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing	**3424.30**	**2590.35**

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन :

निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार हैं।

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गत् तीन वर्षों का औसत आधिक्य / लाभ	2,460.95	2,440.49
वर्ष के आरंभ में व्यय न की गई धनराशि	(33.59)	29.45
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपरोक्त 1 का 2%)	49.22	48.81
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	136.43	112.63
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि		(0.78)
वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(120.80)	(33.59)
योग	**(120.80)**	**(33.59)**

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, यदि कोई हो, सी.एस.आर. परियोजनाओं के लिए किसी भी आकस्मिक खर्च को सी.एस.आर. खर्चों से हटाया गया है।

टिप्पणी 29 प्रति अंश अर्जन (ई.पी.एस.)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय		
सतत् संचालन से	23.06	18.80
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	23.01	18.70

टिप्पणी 29.1 प्रति अंश मूल आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के अंशधारकों के आरोप्य लाभ सतत् संचालन	3424.30	2590.35
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	**3424.30**	**2590.35**
प्रति अंश आय मूल के उद्देश्य से अशों की संख्या का औसत भार	148.51	137.77

टिप्पणी 29.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय :-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभः सतत् संचालन	3424.30	2590.35
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन प्रयुक्त	**3424.30**	**2590.35**

The weighted number of equity shares for the pupose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	148.51	137.77
Effect of Dilution :	-	-
Share Application money pending allotment	0.31	0.73
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**148.82**	**138.50**

An amount of 5540 Lakhs (2540 Lakh dated 02.04.2020, 2000 Lakh dated 24.06.2020 & 1000 Lakh dated 30.11.2020 received as share application money and issue share certificate 554000 during 2020-21

Notes :- 30

Note 30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

(a) Mr. K Narayan, Managing Director
(b) Mr. Arvind Kathuria, Sr. General Manager (Planning)
(c) Mr. Ajit Kumar Samal, Company Secretary & GM (Finance)
(d) Mr. V. R. Chary, General Manager (HR & Personal)
(e) Ms. Anupma Sood, General Manager (Project)
(f) Mr. Suresh Kumar, Dy. General Manager (SD)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

Note 30.2 Compensation of Key Management Personnel

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Short Term Benefits (Salaries/PR Petc.)	337.88	270.08
Medical	2.36	1.31
Post Retirement Benefits (provision)	6.62	6.45
Others (Reimb.)	2.33	2.22
Sub Total (1)	**349.19**	**280.06**
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	31.97	35.91
Interest	11.12	15.2
Repayment during the year	9.16	12.03
Sub Total (2)	**33.93**	**39.08**
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	**383.12**	**319.14**

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	148.51	137.77
तनुकृत का प्रभाव:	-	
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	0.31	0.73
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**148.82**	**138.50**

अंश अनुप्रयोग राशि ₹ 5540 लाख (₹ 2550 लाख दिनांक 02.04.2020, ₹ 2000 लाख दिनांक 24.06.2020 एवं 1000 लाख दिनांक 30.11.2020) अंश अनुप्रयोग राशि के रूप में प्राप्त हुई एवं वर्ष 2020—21 में 554000 अंश प्रमाण—पत्र जारी किए गए।

टिप्पणी 30

टिप्पणी 30.1 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

(क) श्री के नारायण, प्रबन्ध निदेशक
(ख) श्री अरविंद कथूरिया, वरि. महाप्रबन्धक (योजना)
(ग) श्री अजित कुमार सामल, महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव
(घ) श्री वी. आर. चारी, महाप्रबन्धक (मा.स.—प्रशासन)
(ड.) श्रीमती अनुपमा सूद, महाप्रबन्धक (परियोजना)
(च) श्री सुरेश कुमार, उप महाप्रबन्धक (कौशल विकास)

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन—देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारितोषिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संक्षिप्त अवधि के लाभ (वेतन / कार्यनिष्पादन संबंधी इत्यादि)	337.88	270.08
चिकित्सा	2.36	1.31
सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ (प्रावधान)	6.62	6.45
अन्य (प्रतिपूर्ति)	2.33	2.22
उप योग (1)	**349.19**	**280.06**
संबद्ध पार्टी ऋण:		
वर्ष के दौरान / अंत तक दिए गए ऋण	31.97	35.91
ब्याज	11.12	15.2
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	9.16	12.03
उप योग (2)	**33.93**	**39.08**
समाप्त वर्ष पर संबंद्ध पार्टी द्वारा स्वीकृति धनराशि (1+2)	**383.12**	**319.14**

Director sitting fees of Nil FY 2020-21 against 57204/-including GST FY 2019-20 has been paid to two Non - Official Independent Directors) (refer note no 25)

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. of Public Enterprises (DPE)

TA/DA is paid /payable in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

Note 30.3 Transaction with the Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following :-

Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influence over Corporation).

Certain Significant Transactions :

(₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended March 31, 2021	For the Year Ended March 31, 2020
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	5,540.00	13,000.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	2,028.00	3,770.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reimbursement of expenses of organizing events	-	-
	Total	7,568.00	16,770.00

Note :- 30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended March 31, 2021		For the Year Ended March 31, 2020	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	14994000	99.9%	14440000	99.9%

Note 31 Capital management

Note 31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2021 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

Note 31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2021 :

i) Recognition of Corporate Social Responsibilities (CSR) expenses from utilization to disbursement.

ii) Some other category of target group has been added in objective clause.

दो गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बैठक शुल्क वर्ष 2020–21 ₹ शून्य वर्ष 2019–20 में ₹ 57204/–) का भुगतान किया गया (टिप्पणी सं. 25 देखें)।

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया/देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन–देन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन–देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है:

सरकार का नामः भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (निगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

कुछ महत्वपूर्ण लेन–देन

(₹ लाख में)

पक्ष	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	5,540.00	13,000.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	2,028.00	3,770.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	-
	योग	**7,568.00**	**16,770.00**

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबद्ध पार्टी

पार्टी का नाम	संबंध	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	अंशधारक	14994000	99.9%	14440000	99.9%

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी 31.1 कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत् करती है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 31.2 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए है

I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।

II) उद्देश्य के परिच्छेय में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

Note :- 32 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021			As at March 31, 2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	4,117.36	-	-	2,514.01
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	0.47	-	-	5.67
(iv) Other Financial Assets	-	-	2,676.21	-	-	3,020.68
(vi) Loans	-	-	196,937.78	-	-	189,675.61
(vi) Staff Loans & advances			144.66			163.66
(vii) Cash & Cash Equivalents-Grant Fund			6,124.70			4,664.46
Total Financial Assets	**-**	**-**	**210,001.19**	**-**	**-**	**200,044.09**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities			6,213.39	-	-	5,101.06
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**6,213.39**	**-**	**-**	**5,101.06**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loans	196,937.78	196,937.78	189,675.61	189,675.61
(ii) Staff Loans & advances	144.66	172.13	163.66	197.70
Total Financial Assets	**197,082.45**	**197,109.92**	**189,839.27**	**189,873.31**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

टिप्पणी 32 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	4,117.36	-	-	2,514.01
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	0.47	-	-	5.67
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	2,676.21	-	-	3,020.68
(vi) ऋण	-	-	196,937.78	-	-	189,675.61
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-	144.66	-	-	163.66
(vii) नकद एवं नकद समकक्ष–अनुदान राशि	-	-	6,124.70	-	-	4,664.46
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**210,001.19**	-	-	**200,044.09**
वित्तीय दायित्व						
(I) अन्य वित्तीय दायित्व	-	-	6,213.39	-	-	5,101.06
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**6,213.39**	-	-	**5,101.06**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(I) ऋण	196,937.78	196,937.78	189,675.61	189,675.61
(II) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	144.66	172.13	163.66	197.70
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**197,082.45**	**197,109.92**	**189,839.27**	**189,873.31**

I) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (बिना समायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एव दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है:

Fair Value hierarchy as on 31-03-2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2021	-	-	1,96,937.78	1,96,937.78
Loans to employees	31st March 2021	-	-	144.66	144.66
		-	-	**1,97,082.45**	**1,97,082.45**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2020

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2020	-	-	1,89,675.61	1,89,675.61
Loans to employees	31st March 2020	-	-	163.66	163.66
		-	-	**1,89,839.27**	**1,89,839.27**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below :-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Ohers. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Ohers.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2021	-	-	196,937.78	196,937.78
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2021	-	-	144.66	144.66
		-	-	**197,082.45**	**197,082.45**

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2020	-	-	189,675.61	189,675.61
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2020	-	-	163.66	163.66
		-	-	**189,839.27**	**189,839.27**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी के वित्तीय जोखिम कार्यकलापों को उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और जिन वित्तीय जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है और कंपनी की नीति एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल ने इन सभी जोखिमों जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं, के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा की और सहमत है:

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम–ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार में जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान हैऋ यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभाविता पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत् आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

– दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note 33 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	196,795.66	0%	-	196,795.66
		Interest on Loans	2,459.69	0%	-	2,459.69
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	167.20	15%	25.08	142.12
			-	25%	-	-
			167.75	100%	167.75	-
		Interest on Loans	24.72	15%	3.71	21.01
			7.28	25%	1.82	5.46
			623.61	100%	623.61	-
			2,00,245.90		**821.96**	**199,423.94**

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2020

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	1,89,174.71	0%	-	1,89,174.71
		Interest on Loans	1,794.57	0%	-	1,794.57
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	38.52	15%	5.78	32.74
			624.21	25%	156.05	468.16
			167.75	100%	167.75	-
		Interest on Loans	56.64	15%	8.50	48.15
			57.79	25%	14.45	43.34
			553.62	100%	553.62	-
			1,92,467.81		**906.15**	**1,91,561.67**

– उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में

परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 33 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	196,795.66	0%	-	196,795.66
		ऋणों पर ब्याज	2,459.69	0%	-	2,459.69
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोख़िम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	167.20	15%	25.08	142.12
			-	25%	-	-
			167.75	100%	167.75	-
		ऋणों पर ब्याज	24.72	15%	3.71	21.01
			7.28	25%	1.82	5.46
			623.61	100%	623.61	-
			2,00,245.90		**821.96**	**199,423.94**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्श के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	1,89,174.71	0%	-	1,89,174.71
		ऋणों पर ब्याज	1,794.57	0%	-	1,794.57
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोख़िम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	38.52	15%	5.78	32.74
			624.21	25%	156.05	468.16
			167.75	100%	167.75	-
		ऋणों पर ब्याज	56.64	15%	8.50	48.15
			57.79	25%	14.45	43.34
			553.62	100%	553.62	-
			1,92,467.81		**906.15**	**1,91,561.67**

a) Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue for more than three years and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security "shall be made as per the Probability of default.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when recognized due to its uncertainty factor.

c) Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

Note 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 32 for further disclosures.

Note 35 Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note 36 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables		(2.88)
Other current & Non current Provision		-
Trade Receivables		-
Other Financial Assets (Current)		(22.13)
Other Financial Liabilities		(1.47)
Other current & Non - Current liabilities		1.55
Other Receivable (Current)		-
Intangible Assets		0.90
Property, Plant & Equipment's		0.00
Right of Use		
Provisions	1.00	
Net Impact on Equity	**1.00**	**(24.03)**

क) जहां पर धनराशि तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश / गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक की संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता कारक के कारण जैसे भी और जब भी देय हुआ है, माना गया है।

ग) वित्तीय वर्ष के अंत में सीधे असुरक्षित गैर सरकारी संगठन / छात्रों को संवितरित ऋणों पर अतिदेय ब्याज।

टिप्पणी 34 अनिश्चितता आकलन के प्रमुख साधन

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, औररिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीयजोखिम होसकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

टिप्पणी: 35 परिचालन भाग रिर्पोटिंग

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
साम्य अंश पर प्रभाव (साम्य अंश में वृद्धि / कमी)		
देय व्यवसाय		(2.88)
अन्य वर्तमान एवं गैर–वर्तमान		-
प्राप्य व्यवसाय		-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)		(22.13)
अन्य वित्तीय देयताएं		(1.47)
अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान देयताएं		1.55
प्राप्य अन्य (वर्तमान)		-
अमूत परिसंपत्तियाँ		0.90
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		0.00
उपयोग का अधिकार		
प्रावधान	1.00	
साम्य अंश् पर शुद्ध प्रभाव	**1.00**	**(24.03)**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Impact on statement in Income and Expenditureloss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses	-	2.28
Employees Benefit Cost	1.00	0.29
Training & other Developmental Expenditure	-	0.11
Depreciation & Amortization Costs	-	0.90
CSR expenses	-	(2.61)
Other Developmental Expenses	-	(2.88)
Exceptional Items	-	(22.13)
Interest income on Loan to Channel Partners	-	-
	1.00	**(24.03)**
Attributable to Equity Holders	**1.00**	**(24.03)**

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.01	(0.19)
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.01	(0.19)

Note 37 Contingent Liabilities /Asset and commitments

Liabilities :

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any) is Nil (Nil as at 31.03.2020).	-	-

Assets:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Contingent Asset and commitments (to the extent not provided for) Estimated amount on account of and not provided for	-	-

Note 38 In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made, taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आय एवं व्यय विवरण पर प्रभाव(आधिक्य में वृद्धि) / (कमी)		
अन्य व्यय	-	2.28
कर्मचारी लाभ लागत	1.00	0.29
प्रशिक्षण एवं अन्य विकास व्यय	-	0.11
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत	-	0.90
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	-	(2.61)
अन्य विकासात्मक व्यय	-	(2.88)
असाधारण मदें	-	(22.13)
चैनल पार्टनर्स को ऋण पर ब्याज आय	-	-
	1.00	**(24.03)**
अंश धारकों पर आरोप्य	**1.00**	**(24.03)**

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि(कमी)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सतत संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	0.01	(0.19)
अंशधारकों पर आरोप्य सतत् संचालन से लाभ, तनुकृत	0.01	(0.19)

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व / संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ

<u>दायत्वि :</u>

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएं (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम यदि कोई हो)। (31.3.2020 को शून्य)	-	-

परिसंपत्ति:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएं (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया) खाते पर अनुमानित धनराशि और प्रावधान नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणी 38 इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय–समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन–देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

Note 39: The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of 37.16 lakh (74.88 lakh as at 31.03.2020), under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others , who have some overdues and ready to settle the overdues with in the 3 months of sanction by NBCFDC. The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date. Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @ 4% on the settlement amount for the period of 9 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. The detail is as under:-

During the Financial Year 2020-21

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2021 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interst waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Lakh)
VJNT Maharashtra	26.64		26.64	870.18
Maharashtra Rajya Itar Magas	10.52		10.52	870.03
SUB TOTAL	37.16	-	37.16	1,740.21
G. Total	**37.16**	**0.00**	**37.16**	**1740.21**

During the Financial Year 20119-20

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2020 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interst waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Cr.)
Rajasthan OBC Dev. Corpo.	25.95	1.24	24.71	23.09
Uttar Pradesh Pichhra Varg	48.93	48.93	-	57.43
VJNT	53.24	-	-	9.25
SUB TOTAL	128.13	50.18	24.71	89.77
Antodaya Chetna Kendra	2.13	2.13	-	
Antodaya Chetna Kendra (Principal)	2.20	2.20	-	
SUB TOTAL	4.33	4.33	-	-
G. Total	**132.46**	**54.51**	**24.71**	**89.77**

Note 40 A property situated at x-29 , Hauz Khas, New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacated since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period . The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax. In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

टिप्पणी 39 निगम ने एकल निस्तारण योजना (ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन ₹ 37.16 लाख (31.03.2020 को ₹ 74.88 लाख) माफ किया है। निगम को एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों (रा.चै.ए. / एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु 3 माह में तैयार हुए निगम सीमा रेखा की तिथि के अनुसार प्राप्त होने वाले दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अतिरिक्त 9 माह की अवधि में निस्तारित धनराशि पर पूरी पुनर्भुगतान राशि को प्राप्त होने के बाद ऋणग्राही 4% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2020–21 की अवधि में

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों / अन्य का नाम	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज / दण्ड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	वसूली प्रभावित (₹ लाख)
वी.जे.एन.टी., महाराष्ट्र	26.64	-	26.64	870.18
महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वित्त एनी विकास निगम	10.52	-	10.52	870.03
उप योग	37.16	-	37.16	1,740.21
कुल योग	**37.16**	**0.00**	**37.16**	**1740.21**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों / अन्य का नाम	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज / दण्ड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	वसूली प्रभावित (₹ लाख)
राजस्थान ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	25.95	1.24	24.71	23.09
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	48.93	48.93	-	57.43
वी.जे.एन.टी.	53.24	-	-	9.25
उप योग	128.13	50.18	24.71	89.77
अंत्योदया चेतना केन्द्र	2.13	2.13	-	
अन्तोदया चेतना केन्द्र (मूलधन)	2.20	2.20	-	
उप योग	4.33	4.33	-	-
कुल योग	**132.46**	**54.51**	**24.71**	**89.77**

टिप्पणी 40 एक्स–29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति 1994–95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014–15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12ए, के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के अनुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

Note 41 **Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	4.47	1.92
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management .
This has been relied upon by the auditors.

Note 42

Note 42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

Note 42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits. The cumulative Status of legal cases is as under :

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	-	1	1	2
Decree Execution in process	-	3	-	0	3
Cases dismissed	-	-	-	0	-
Total	**-**	**3**	**1**	**1**	**5**

Note 43 The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required. Consequently the provision of Ind As - 12 ' Income Tax is not Applicable.

Note 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

Note 45 In the opinion of Board /Management, the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of 381.49 lakhs (373.76 lakhs as at 31.03.2020) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

टिप्पणी 41 माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत वांछित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	4.47	1.92
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ–साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय ब्याज की धनराशि और देय राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष बकाया धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए जाते हैं।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि का निर्धारण किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

टिप्पणी 42.1 निगम ने डिफाल्ट चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है और निगम के पास किसी भी भुगतान का कोई दायित्व नहीं है।

टिप्पणी 42.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार हैः–

विवरण	अपराधिक केस	नागरिक केस	अन्य द्वारा दायर किए गए नागरिक केस	विवाचन/ मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	-	1	1	2
प्रक्रिया में न्यायिक निर्णय	-	3	-	0	3
खारिज केस	-	-	-	0	-
योग	**-**	**3**	**1**	**1**	**5**

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से इंडस्ट्रीज के प्रावधान –12 'आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन–पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ₹ 381.49 (31.03.2020 को ₹ 373.76 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य का है।

Note 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of these states two new states of Jharkhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

Note 48 Civil & interior renovation work of 1600 Sq. Ft of office was awarded to NCI Global Infratech in January '2020 of 57.40 Lakh. An amount of 19.34 Lakh given as advance for purchase of Furniture & Fixture. The same has been completed and accounted for in the FY 2020-21.

Note 49

1. The company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.
2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows -

Nature of Expenses	Amount (₹ in Lakhs)
Rent	160.03
Hiring of Vehicle	6.17
Security & Other Services Charges	62.06
Total	**228.26**

Note 50 Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51 **Approval of financial Statement**

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 28.07.2021.

Signatories to Note 1 to 51

For MAP & Associates
Chartered Accountants
FRN 004143C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Partner: Rajesh Wadehra
M. No. 087808
UDIN : 210 87 808 AAAAAV3109
Place : New Delhi
Date : July 28, 2021

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M. (Finance) &
Company Secretary

Sd/-
Dr. S. S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
RAJNISH KUMAR JENAW
Managing Director
(DIN No. 09056584)

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. में मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की एस.एस.सी. के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 48 कार्यालय के 1600 वर्ग फुट के सिविल व नवीनीकरण के कार्य को एन.सी.आई ग्लोबल इन्फ्राटेक को जनवरी, 2020 में ₹ 57.40 लाख में प्रदान किया गया था। फर्नीचर एवं फिक्सचर के क्रय हेतु ₹ 19.34 लाख अग्रिम के रूप में दिया गया था। इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया गया है।

टिप्पणी 49

1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2. भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार है–

व्यय की प्रकृति	धनराशि (₹/लाख)
किराया	160.03
वहनों को किराए पर लेना	6.17
सुरक्षा और अन्य सेवाओं के प्रभार	62.06
योग	**228.26**

टिप्पणी 50 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत् वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनज़र पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणीः 51 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनाँक 28/07/2021 को जारी किया गया।

टिप्पणी 1 से 51 तक के हस्ताक्षरकर्त्ता

कृते एम. ए. पी. एण्ड एसोशिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 004143सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
अजित कुमार सामल	**डॉ0 एस. एस. आचार्य**	**रजनीश कुमार जैनव**
महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव	निदेशक	प्रबंध निदेशक
	(डिन सं. 06727939)	(डिन सं. 09056584)

ह0/–
भागीदारः राजेश वडेरा
सदस्य सं. 087808
यू.डी.आई.एन. : 210 87 808 AAAAAV3109

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 28, 2021

NOTE

NOTE

NOTE

Designed & Printed by Kaka Advertising Agency

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
ई-मेल : info@nbcfdc.gov.in, **वेबसाइट :** www.nbcfdc.gov.in

एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)
5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016
E-mail : info@nbcfdc.gov.in, **Website :** www.nbcfdc.gov.in